# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6 ] विधान सभा के सत्र का 9 वां दिवस [ संख्या 7

मंगलवार

20 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-4 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन )

## प्रश्नोत्तर

[जनस्वास्थ्य, खनिज, राजस्व, स्वायत्त शासन, खाद्य एवं रसद, उपनिवेशन, वित्त, वन, आयोजना, सहकारिता]

### भू-जल का सर्वे

122. श्री सूनाराम (डूंगरगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनस्वास्थ्य (अभियान्त्रिक) विभाग द्वारा जिन जिलों में भू-जल की पूर्ण सर्वे करवायी जा रही है उन जिलों के ग्रामों में सर्वे को प्राथमिकता देने का क्या आधार है ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्द्रनमल बैद) : जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा पेय जल प्राप्ति हेतु सर्वेक्षण में ग्रामों को प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जाती है :-

(1) ऐसे ग्राम जिनमें जल स्रोत उपलब्ध नहीं है।

(2) ऐसे ग्राम जिनमें जल स्रोत तो उपलब्ध हैं पर उनमें पानी स्टेन्डर्ड के हिसाब से खराब है (टी.डी.सी. 2,000 पी. पी. एम. से अधिक व क्लोराइड 1,000 से पी.पी.एम. अधिक है।)

(3) जिन गांवों में फ्लोराइड 3 पी. एम. से अधिक हो।

(4) ग्रामों का पानी नारू जैसे रोगों से ग्रस्त हो।

ऐसे गांवों में भू-जल सर्वेक्षण के लिये भू-जल विभाग की सहायता ली जाती है। भू-जल विभाग अपने भू-जल विज्ञानी से पहले क्षेत्र का भू-जल उपलब्धि की सम्भावना का सर्वेक्षण करवाते हैं। सर्वेक्षण से यदि जल स्रोतों के उपलब्ध होने की सम्भावना होती है तो भू-भौतिक विद् की सहायता से भू-जल की गहराई, मात्रा एवं उसकी क्वालिटी की जांच करवाई जाती है। जांच से जब जल स्रोत होने की सम्भावना प्रकट होती है तब भू-जल विभाग द्वारा प्रयोगिक ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। ड्रिलिंग से यदि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने योग्य न हो तो सर्वेक्षित अन्य स्थान पर ड्रिलिंग कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है जिससे अधिक दिन मशीन खाली नहीं रहे और लोगों को

2



(जन स्वास्थ्य मंत्री)
जल्दी से जल्दी अधिकतम सुविधा दी जा सके।

**श्री लूणाराम** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि जहां सफलता नहीं मिली है वहां से दूसरी जगह मशीन भेज दी जाती है। रीजनल स्कीम कई गांवों को मिलाकर बनाई जाती है। पहले एक गांव में स्थान चुना जाता है और वहां पर पानी प्राप्त नहीं होता है तो मशीन को दूसरे गांव में सर्वे कराकर भिजवानी चाहिये। ऐसा नहीं होने के कारण से वह योजना ज्यों की त्यों रह जाती है। तो मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि यदि दो गांवों की योजना रीजनल स्कीम में बनी है और एक गांव में वाटर सोर्स नहीं मिलता है तो दूसरे गांव में सर्वे करायेंगे और फिर दूसरी जगह मशीन भिजवायेंगे इससे काम सुचारु रूप से चल सकेगा।

**श्री चन्दनमल वैद** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात अर्ज की है और माननीय सदस्य ने कही है उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने भी यही कहा है कि जब स्कीम बन जाती है तो उसके बाद हमारे जो जियो-हाइड्रोलाजिस्ट और जियो-फिजिस्ट हैं वह सर्वेक्षण करते हैं और उसके बाद जो सबसे उपयुक्त स्थान होता है उसका पता लगाकर वहां पर ड्रिलिंग की जाती है। और जहां पर पानी नहीं मिलता है तो जब तक जियो-हाइड्रोलाजिस्ट किसी दूसरे स्थान का पता नहीं लगायें तब तक मशीन खाली रहे तब तक उसे दूसरी जगह भेज देते हैं और जब दूसरे स्थान का सर्वे होकर पता लग जाता है तो ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाता है।

**श्री लूणाराम** : जियोलाजिस्ट सर्वे करके एक गांव चुनते हैं तो क्या एक गांव के बजाय दूसरे गांवों की सर्वे कराई जाये और फिर मशीन को दूसरी जगह भिजवा दी जाये।

**श्री चन्दनमल वैद** : यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। जितने गांव उस स्कीम में होते हैं उनमें से सबसे उपयुक्त स्थान होता है सर्वे करके वहां जाकर हमारी मशीन ड्रिलिंग करती है। अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस स्रोत को ले लिया जाता है। अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो दूसरा स्थान बताया होता है वहां चले जाते हैं और फिर उस एरिया में दूसरे स्थान का पता लगा जियोलाजिस्ट और जियो-फिजिस्ट आकर पता लगा लेते हैं। मैं समझता हूं कि आपके और मेरे कहने में कोई फर्क तो है नहीं।

**श्री विट्ठल भाई** : मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भूतल जल का सर्वेक्षण किया जाता है यह कितने जिले राज्य में लिये गये हैं जहां यह सर्वेक्षण किया जा रहा है?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह सर्वे कई तरह का है। कुछ ऐसी डिटेल सर्वे हैं जो कि एग्रीकल्चर के हिसाब से किया जाता है। इसमें से एक्जेक्ट संख्या नहीं बता सकता लेकिन अगली साल तक सारी पंचायत समितियां जो राजस्थान की हैं सब का सर्वे करा लिया जायेगा। इस साल 40-45 पंचायत समितियों का सर्वे किया जा रहा है और अगली साल 30-35 पंचायत समितियां ही बाकी रहेंगी। उनका अगली साल हो जायेगा। इसलिए सेमी-डिटेल सर्वे हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मीठालाल ।

(विराम)

**एक माननीय सदस्य** : 123 रह गया ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्रसिंह, ही इज नोट हियर ।

**प्रश्न सं. 123**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री मीठालाल ।

**चरागाहों पर अतिक्रमण**

124. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सत्य है कि गत बार की भांति इस बार भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित चरागाहों पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है या करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा तत्काल कौन से कठोर कदम उठाये जा रहे हैं जिससे अतिक्रमण न हो ? यदि नहीं तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, राजस्व** (श्री मूलचन्द मीणा) : उपलब्ध सूचना अनुसार चरागाह पर इस वर्ष अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है । अतिक्रमण के विरुद्ध कारगर कार्यवाही करने हेतु कानून में संशोधन करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री मीठालाल** : गत सत्र में भी यह मामला उठाया गया था और माननीय मंत्रीजी ने इसका बड़ी गम्भीरता से जवाब दिया था । जो धारा 91 का कानून है क्या सरकार यह समझती है कि यह इतना सक्षम नहीं है कि इन चरागाहों पर हुए अनधिकृत कब्जों को हटाया जा सके ।

**श्री मूलचन्द मीणा** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस सत्र में भी पिछली बार आया है और उसमें यह बताया गया है कि इसके लिए कदम उठाने के लिए मामला मंत्री-मण्डल के विचाराधीन है । उसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि जुर्माना जो पहले पन्द्रह गुना था उसे बढ़ा कर पचास गुना किया जाय और सजा का भी प्रावधान रखा जाय ताकि लोग ऐसा काम नहीं कर सकें ।

**श्री दीपंकर** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न...

**श्री मीठालाल** : माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले रेनवाल फागी का मामला यहां आया था और उसमें यह बताया गया कि अनधिकृत कब्जे हटा दिए गए हैं । क्या इसी तरह से तत्काल अन्य जिलाधीशों को भी यह आदेश फरमावेंगे कि जिन लोगों के इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे हैं उनको तत्काल हटाया जाय । जिस प्रकार यहां तत्काल कार्यवाही करके कब्जे हटाये गये हैं उसी प्रकार विभिन्न जिलों में जो अनधिकृत कब्जे हैं उनको धारा 91 के तहत हटाने के आदेश फरमायेंगे । इन जगहों पर जानवरों के चरने का तो सवाल ही क्या है लोग ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं उनको हटाने के

(श्री मीठालाल)
लिए क्या सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी ? आपका कानून तो पता नहीं कब तक बनेगा, साल छ: महीने में यह होगा।

**श्री दीपंकर :** कन्टीम्यूएशन में ही मैं भी एक प्रश्न पूछलूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब भी साथ ही दे देंगे।

**श्री मीठालाल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की आदत हर समय बीच में बोलने की है। पहले हमारा जवाब आने दीजिए।

**श्री दीपंकर :** आपका जवाब भी आ जाएगा। हम भी चरागाह के बारे में ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान–प्रश्रव्य)

**श्री दीपंकर (लाडनूं) :** बात ऐसी है अध्यक्ष महोदय कि जो 91 की कार्यवाही सरकार करने जा रही है, मैं समझता हूं कि वह इतनी सक्षम है कि अगर हमारी सरकार के अधिकारी रैवेन्यू विभाग के, चाहे वह पटवारी हों, गिरदावर हों, तहसीलदार या नायब तहसीलदार हों वो ऐसे अनधिकृत कब्जों को, नाजायज कब्जों को नहीं छुड़ायेंगे तब तक 91 का पालन नहीं होगा। तो इसका कोई उपाय कीजिए जिससे कानून का पालन हो सके बाकी कोरा कानून बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि धारा 91 बहुत सफिशियेंट है परन्तु उनके सामने हर साल बोलेंगे, चाहे आप उनको हटादें। जो कुछ आमदनी उनको होगी उसमें से कुछ हर्जाना दे देंगे और फिर आप उनको रैगुलराइज कर देंगे। कृषि भूमि में परिवर्तित कर देंगे। आपके सरकार के अधिकारी, जिस तहसीलदार के एरिया में कहीं पर इस की बात हो, तो एक बार से अधिक अगर अतिक्रमण होता है तो उस पर जिम्मेदारी डालिये जिससे दुबारा अतिक्रमण नहीं हो सके। क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**श्री मूलचन्द मीणा :** वैसे तो इस सम्बन्ध में तमाम जिलाधीशों की ओर उप जिलाधीशों को, तहसीलदारों को सबको निर्देश दिए हुए हैं कि जहां ऐसे अतिक्रमण होते हैं उनको यथाशीघ्र हटाने के लिए व्यवस्था की जाय किन्तु सही स्थिति की जानकारी तो गश्त गिरदावरी में ही हो सकती है। एकदम से किसी भी गांव की ओर प्रत्येक गांव की विशेष तौर से सही स्थिति ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है।

**श्री मीठालाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं, जैसा आपने बताया कि 91 के तहत कार्यवाही कर रहे हैं और आप खुद महसूस करते हैं कि चरागाह पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं जिसके लिए 91 में व्यवस्था कर रखी है लेकिन इस समय जो फिर अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाने के लिए जिलाधीशों को क्या आप पुन: आदेश देंगे कि जितने भी अनधिकृत कब्जे हैं उनको किसी भी तरह से, चाहे पुलिस की सहायता लेनी पड़े या किसी भी तरह से इन अनधिकृत कब्जों को हटाया जाय। इस समय आपको फिर आदेश देने में क्या तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो ये आदेश कब तक दे दिए जायेंगे।

# Page No 5

5



**श्री मूलचन्द मीणा** : आदेश तो स्वतः ही उनको पहले से दिए हुए हैं।

**श्री मीठालाल** : उनकी पालना नहीं हो रही है या वे आपकी मानते नहीं हैं।

**श्री मूलचन्द मीणा** : जब जिलाधीशों की नोलिज में कोई प्रश्न आता है उसको निश्चित रूप से हटाने की कार्यवाही करते हैं और उन्होंने की है।

**श्री मीठालाल** : जब आप खुद मानते हैं कि अनधिकृत कब्जे की जिलाधीशों को शिकायतें हो रही हैं तो तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको खुद मालूम है कि इस बार भी अनधिकृत कब्जे हुए हैं तो फिर दुबारा आदेश देने में क्या दिक्कत है कि इन अनधिकृत कब्जों को तत्काल हटाया जाय उनकी फसल को समाप्त किया जाय और चरागाह खाली कराये जायं। आपका कानून तो बाद में होता रहेगा।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो यह जवाब दिया है कि गश्त गिरदावरी के पूर्व सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकती इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकती, मंत्री महोदय का यह जवाब भ्रम में डालने वाला है। इस जवाब ने सदन में भ्रम पैदा किया है। जब पटवारी मौके पर रहता है और उसके पास हर जमीन का रिकार्ड रहता है तो फिर आपका यह कहना कि गश्त गिरदावरी से पहले सही स्थिति की जानकारी नहीं हो सकती, सही उत्तर नहीं है। मैं इस उत्तर को चुनौती देता हूं। मौके पर पटवारी के पास इसका रिकार्ड रहता है और पटवारी को मालूम रहता है।

**श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री)** : राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि सवाय चक और वाइचर लैंड पर जो सरकार की है या चरागाह की जमीन पंचायत की है, अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसको उसी वक्त तहसीलदार को घटना बही में इन्द्राज करना चाहिए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

**श्री मीठालाल** : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले के एक ग्राम में इसी साल अतिक्रमण हुआ है जहां पर नो सौ बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर फसल उगाई गई है। आजभी फसल खड़ी हुई है। अब अगर उसको सौ रुपये की आमदनी होती है तो उस पर आप दस रुपये का जुर्माना करते हैं तो भी नब्बे रुपये तो उसके बच जाते हैं और इसलिए वे मानते नहीं हैं। इस तरह से चरागाहों पर कब्जे करने की शिकायतें कर रखी हैं जिलाधीशों को लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दो दिन पहले या तीन दिन पहले इस सदन में इसी प्रकार के प्रश्न संदर्भ में मामला आया था उस समय निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार 91 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो फिफ्टीन टाइम्स पैनल्टी इम्पोज करने का प्रावधान है उससे कन्टीन्यूअसली ट्रेस पास होते जा रहे हैं इसलिए राज्य सरकार यह सोचती है कि इसको किसी तरह से पीनल आफेंस बनाया जाय। इस सम्बन्ध में अगले कुछ ही अर्से के अन्दर

(श्री परसराम मदेरणा)

जल्दी से जल्दी कानून में संशोधन लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीलाल।

**श्री मोहनराज (बाली) :** अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गोचर भूमि पर जो अतिक्रमण हों उनको खत्म करने के लिए एक परिपत्र जारी कर एस. डी. ओ., तहसीलदार को यह निर्देश दिए हैं कि जिन ग्रामों के अन्दर चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण करके चरागाह की भूमि पर काश्त कर लेते हैं वहां मवेशी चरा दिए जावें और जहां आवश्यकता हो वहां पुलिस की इमदाद ली जाय। क्या यह सही है कि इस परिपत्र के होते हुए भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? इस परिपत्र का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो अतिक्रमण शीघ्र ही खत्म हो जायेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा :** इस प्रकार का परिपत्र जिलाधीशों ने जारी किया है। जहां चरागाह भूमि है उसमें कोई काश्त कर लेता है तो गांव के जो पशुपालक हैं वह अपने मवेशियों को चराने से वंचित रह जाते हैं इसलिए इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं लेकिन वह जिलाधीशों ने दिए हैं।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

श्री देवीलाल।

### गांव सेमारी की नल योजना

125. **श्री देवीलाल** (सराडा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में गांव सेमारी नल योजना का निर्माण कार्य चालू किया गया है? यदि हां, तो इस योजना पर कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है?

(2) क्या यह सही है कि सेमारी नल योजना का कार्य अब चालू किया है? यदि हां, तो यह योजना कब चालू की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि नल योजना के लिए बावड़ी व कुआं नया खोदा है या पुरानी बावड़ी काम में ली गई है?

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने नई बावड़ी व नया कुआं खोदने के नाम से बिल बनवा कर रकम उठा ली थी? यदि हां, तो कितनी रकम उठा ली थी?

(5) क्या यह सही है कि सेमारी गांव की जनता को इस नल योजना के अन्तर्गत पानी टंकी से नहीं दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार ने टंकी कमजोर बनाई है? यदि हां, तो क्या सामान कम लगाया था?

**जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :** (1) जी हां, योजना 1,28,600) रु. की लागत की स्वीकृत हुई है।

(2) जी नहीं। योजना से माह मई 73 से जल वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(श्री चन्दनमल बैद)

(3) नल योजना के लिए पुरानी बावड़ी काम में ली गई है।

(4) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां, आर. सी. सी. जलाशय का कार्य पूर्ण नहीं होने से सीधे पंप द्वारा ग्राम में जल वितरण किया जा रहा है।

(6) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवीलाल : यह कार्य कबसे चालू किया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : यह स्कीम शुरू हुई 28-12-71 को और इस स्कीम के लिए प्रावधान था 1,28,600) रु. क्योंकि अभी स्कीम पूरी नहीं हुई है इसलिए अभी मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि कुल कितनी रकम खर्च होगी।

श्री देवीलाल : क्या यह सही है कि विभाग ने निगरानी बराबर नहीं रखी, इस कारण से वह टंकी ठेकेदार ने कमजोर बना दी जिसकी वजह से उसको तोड़ कर दुबारा बनाई गई है जिसमें डबल खर्चा हुआ है। इसमें किस अधिकारी ने निगरानी नहीं की ?

श्री चन्दनमल बैद : अगर तोड़ कर दुबारा टंकी बनाई है तो इसका खर्चा ठेकेदार ने किया है इसमें विभाग का क्या खर्चा हुआ ?

श्री देवीलाल : क्या यह सही है कि इस काम के लिए पुरानी बावड़ी को काम में लिया गया है जब कि उस ठेकेदार ने खुदाई अधिक बता कर और नया काम बता कर अधिक पैसा उठाया जिसकी शिकायत भी हुई थी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पुरानी बावड़ी को काम में लिया गया है इसलिए नई बावड़ी का या नए काम का प्रश्न ही कहां उठता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री ( उदयपुर ) : टंकी दुबारा तोड़ कर नई टंकी बनाई और उसमें ठेकेदार का खर्चा हुआ तो इसमें कोई बात नहीं है। कमजोर बन गई तो दुबारा मजबूत बनाली लेकिन क्या यह सही है कि सुपरवाईजरी नेग्लीजेंस के कारण वह कमजोर बनी और क्या यह सही है कि दुबारा बिल उसका स्वीकार किया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : यह सम्भव ही नहीं है। जब अभी टंकी पूरी बनी ही नहीं है तब टंकी का दुबारा पैसा वसूल कर ले यह सम्भव ही नहीं है। जब टंकी बन जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगा तभी बिल का पेमेंट होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल।

नगर परिषद्, कोटा का क्षेत्र

126. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में उम्मेदगंज के क्षेत्र को नगर परिषद् की सीमा से बाहर निकाल दिया है ?

(श्री ओंकार लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उम्मेदगंज क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है और उम्मेदगंज को निकाल देने से नगर परिषद् को भारी आर्थिक हानि होगी ?

(3) यदि हां तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नगर परिषद् कोटा को आर्थिक संकट से बचाने का क्या उपाय कर रही है ?

**श्री मुंशीलाल महावर** (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में चाही गयी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। अतएव निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए।

**श्री ओंकार लाल** : यह एक अहम मसला है अध्यक्ष महोदय। अगर यह सारा एरिया नगर परिषद् की सीमा के बाहर चला जाता है तो इससे नगर परिषद् को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिये मंत्री महोदय को कहा जाए कि इसका जवाब शीघ्र दिया जाए।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : श्री अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में एक काल अटेन्शन मोशन दिया हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब आ जाता है तो सरकार को, नगर परिषद् को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। कोटा नगर परिषद् पर करीब 60 लाख का दावा हो चुका है, डिक्री हो चुकी है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका उत्तर अवश्य दिलाया जाए।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : ऐसी जानकारी सारे सूत्रों से कोटा के नागरिकों को प्राप्त हुई है कि परिषद् की सीमाओं में रद्दोबदल हुआ है और फर्टीलाइजर और डी.सी. एम. की कोलोनी को परिषद् की सीमा के बाहर रखा जा रहा है। इससे परिषद् को आक्ट्राय नहीं मिलेगी। इससे कोटा की जनता में असन्तोष है और यह असन्तोष आन्दोलन का रूप ग्रहण कर सकता है। कोटा को कितना नुकसान होगा इसलिए कोटा को इस नुकसान से बचाया जाए।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : कल ही इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए।

**श्री रामगोपाल** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। नगरपालिका की सीमा में हेरफेर किया गया है। म्युनिसिपैलिटी के ऊपर 60 लाख का दावा इस फैक्ट्री के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए यह और भी गंभीर हो गया है। कोटा की जनता में इससे घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है और यह निवेदन है कि इसका जवाब जल्दी से जल्दी आना चाहिए। अगर जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, कार्यवाही नहीं की गयी तो कोटा की जनता को इससे असन्तोष होगा और आन्दोलन होगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : यह साधारण सा प्रश्न है इसका भी उत्तर नहीं आ रहा है। सरकार को पन्द्रह दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है।

(शोरगुल)

**श्री ओंकार लाल** : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सवाल है जिसकी इन्फरमेशन

(श्री ओंकारलाल)
और कहीं से नहीं आनी है। कोटा सिटी का मामला है और उसके क्षेत्र, सीमा का मामला है।

**श्री रामनारायण** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में निवेदन किया है यह एक अहम प्रश्न है और इसमें कोटा नगर परिषद् की सीमा का प्रश्न विवादग्रस्त है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता और भावनाएं यहां पर व्यक्त की हैं उनसे मैं परिचित हूं। मैंने राज्य सरकार के स्वायत्त शासन सचिव को यह आदेश दिये हैं कि वे मौके पर जा कर बाउन्डरी का अध्ययन करें और शीघ्र ही राज्य सरकार को रिपोर्ट दें। मान्यवर इस क्षेत्र की सीमा का विवाद उत्पन्न होने के कारण फैक्टरी वालों ने अदालत से आदेश ले लिए हैं कि उन से आक्ट्राय की वसूली न हो जिसके विरुद्ध नगर परिषद् ने उच्च अदालत में अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है और इस आदेश के विरुद्ध नगर परिषद् उच्च अदालत कार्यवाही कर रही है। लेकिन चूंकि सीमा का प्रश्न है और इसमें उम्मेदगंज, रायपुरा और एक तीसरा क्षेत्र और है, इन तीनों क्षेत्रों का विवाद है। इससे पता नहीं चल रहा है रिकार्ड के आधार पर कि इसमें से कौनसा क्षेत्र कहां पर है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि नगर परिषद् को इस होने वाली हानि से बचाया जाए। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर सतर्क है, सजग है और इस बात की पूरी कार्यवाही करेगी कि नगर परिषद् को इस प्रकार की हानि न हो।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : अध्यक्ष महोदय, यह सीधासा प्रश्न है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा उन्होंने सचिव महोदय को जांच करने के लिये कहा है। मैंने स्वयं ने संबंधित सचिव महोदय श्री तेजकुमार जी से बात की है और उन्होंने यह बात कही है कि कोटा जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि गत 17 वर्षों से यह क्षेत्र नगरपालिका के अन्दर है और ये सारे क्षेत्र चले आ रहे हैं। तो विवाद कहां उठता है। कलेक्टर या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका भी प्रमाण-पत्र होगा। यह नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है या बाहर का क्षेत्र अन्दर है इस प्रकार का प्रमाण-पत्र होगा परन्तु इस प्रकार कोटा को नगरपालिका को जानबूझ कर आक्ट्राय से वंचित रखा जा रहा है। और फैक्ट्री ने इस बिना पर 60 लाख का दावा कर दिया है। इसलिए हमारा निवेदन है कि मंत्री महोदय जागरूक रह कर इस प्रश्न का हल करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह।

बाड़ों को नाजायज कब्जा बताकर दिये गये नोटिस

127. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे** :—
क्या यह सही नहीं है कि तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) में कितने ही किसानों को उनके बाड़ों को नाजायज कब्जा बतलाया जाकर नोटिस दिये गये हैं? यदि हां तो क्यों किया गया है जब कि 1-1-71 के पूर्व से बाड़ों का जायज करा दिया जाना चाहिये था?

**श्री मूलचन्द मीणा** (राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी काफी प्रयत्न करने के बाद भी इकट्ठी नहीं

(मूलचन्द मीणा)
हो पायी है इसलिए निवेदन है कि इसका उत्तर स्थगित किया जाय ?

**श्री अध्यक्ष :** स्थगित किया गया।

**श्री मोहरसिंह :** अध्यक्ष महोदय यह तो छोटा सा ही प्रश्न है। उत्तर दिलाया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** श्री जयकिसनलाल।

प्रश्न संख्या 128

**(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)**

श्री रामगोपाल।

**कोटा जिले में छापा मारकर पकड़ा गया अनाज व खाद**

129. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

सन् 1972 से अब तक कोटा जिले में कितना अनाज व खाद बाहर ले जाते समय व कितना गैर कानूनी तरीके से एकत्रित किया हुआ छापा मारकर पकड़ा गया है और उस पर सरकार की ओर से क्या क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया तहसीलवार समस्त सूचना आंकड़ों सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) :** सन् 1974 में कोटा जिले में गैर कानूनी तरीके से 24_3 बोरी खाद्यान्न एकत्रित किया हुआ छापा मारकर पकड़ा गया। सन् 1974 का उक्त सूचना आंकड़ों सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

**(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)**

**श्री राम गोपाल :** अध्यक्ष महोदय मैं इस पर केवल एक ही सप्लीमेन्टरी पूछना चाहूंगा। आपको यह सूचना मिलने पर, अधिकारियों को अवैधानिक गल्ले की जानकारी मालूम होने पर छापा मार कर पकड़ा परन्तु जानबूझ कर अधिकारियों ने इसको नेग्लेक्ट किया क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? दूसरी बात यह है कि दैनिक नवज्योति के अन्दर छपा था कि कोटा जिले के अन्दर रामगंज मंडी तहसील के अन्दर ग्राम पंचायत बिचोवाड़ा के बान्दनखेड़ी ग्राम में तहसीलदार गया और अवैधानिक गल्ले को जप्त किया किन्तु एक लड़की के द्वारा उसको जीजाजी कह देने से उसने वह गल्ला जप्त नहीं किया। क्या आप इसकी जांच कराएंगे और सही साबित होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

**श्री शिवचरण माथुर :** जो सूचना मिली तो उसके आधार पर माल पकड़ा गया और कार्यवाही की गयी है। माननीय सदस्य ने जो नयी जानकारी दी है वैसे यह बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रश्न है लेकिन चूंकि कानून को अवहेलना की गयी है मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच की जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** एक प्रश्न और है। उदयपुर के अन्दर 4-5 महीने पहले एक खाद की गाड़ी को पकड़ा गया था...

**श्री अध्यक्ष :** यह इससे संबंधित नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर :** अलग से पूछ लीजिये। यह प्रश्न तो कोटा का है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रघुनाथ विश्नोई ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** मैं यह प्रश्न कर रहा था कि वह खाद वहां पर पकड़ा गया था लेकिन वह मामला रफा दफा हो गया। पुलिस के अन्दर केस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद भी कोई चालान पेश नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय कार्यवाही करेंगे ?

**जिला जालोर का जल प्रदाय विभाग**

**130. श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के जल प्रदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता का दफ्तर जालोर से सिरोही स्थानान्तरित कर दिया गया है? अगर हां, तो कब और क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि एक दूसरे अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण क्षेत्रीय योजनाओं के लिये जालोर में तैनात हैं? यदि हां तो क्या सरकार जलप्रदाय योजनाओं का प्रशासन भी इसी अभियन्ता को सुपुर्द करना उचित समझेगी ? अगर हां तो कब तक अगर नहीं तो क्यों ? क्या प्रशासनिक एवं मितव्ययिता की दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं होगा ?

(3) क्या स्थानान्तरण किया हुआ अधिशासी अभियन्ता का हैडक्वार्टर वापस जालोर करने का सरकार विचार रखती है? अगर हां तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

**श्री चन्दनमल बैद** (जन स्वास्थ्य मंत्री): जी हां जल प्रदाय विभाग खंड जालोर का मुख्यालय प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-3-74 द्वारा जालोर से सिरोही स्थानान्तरित किया गया है। चूंकि इस खंड का जालोर मुख्यालय होने से सिरोही जिले की जल योजनाओं की देखरेख पूर्ण रूपेण नहीं हो पाती थी अतः इस खंड का मुख्यालय सिरोही बदला गया।

(2) जी हां एक प्रोजेक्ट खंड का मुख्यालय अभी जालोर है। इस खंड के लिए जल योजनाओं का संधारण कार्य देखना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट योजनाओं का निर्माण कार्य काफी अधिक है। इसी दृष्टिकोण को मद्दे नजर रखते हुए जल योजनाओं का संधारण कार्य जालोर स्थानीय सहायक अभियंता की देखरेख में सिरोही खंड के आधीन ही रखा गया है। जहां तक जालोर प्रोजेक्ट खंड को इन योजनाओं का संधारण कार्य सौंपने का प्रश्न है इस बारे में प्रोजेक्ट की योजनाओं का निर्माण कार्य समाप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

(3) जी नहीं। सिरोही खंड का मुख्यालय पुनः जालोर स्थानान्तरित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से सिरोही जिले में एक खंड का मुख्यालय होना अति आवश्यक है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि आपने स्थानान्तरण तो कर दिया लेकिन एक्जीक्यूटिव इन्जीयर जालोर में कितने दिन रहता है प्रशासनिक

# Page No 12

12



(श्री रघुनाथ विश्नोई)
दृष्टि से। क्या इसके बारे में जानकारी आपने प्राप्त की है।

**श्री चन्दनमल बैद :** अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे पास में कोई अभी जानकारी नहीं है कि जालौर में कितने दिन उनको रहना पड़ता है, लेकिन यह सही है कि उनके नीचे 2 असिस्टेन्ट इन्जीनियर एक नगर और एक देहात का जो जालौर में रहते हैं जो कि आम तौर पर रोजमर्रा का काम देखते हैं प्रशासनिक दृष्टि से।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** जब एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर वहां पर है तो फिर सिरोही से आकर 20 दिन तक जालौर में रहे और डे टू डे वर्क के लिए ए. ई. एन. वहां पर दस्तखत कराने जाते हैं। तो आप वहां पर उनको काम नहीं दे सकते जब कि वहां पर आलरेडी हैड क्वार्टर है।

**श्री चन्दनमल बैद :** जालौर में जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर है उनके पास 55 लाख 25 हजार का काम है और जो काम सिरोही डिस्ट्रिक्ट के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का है वह भी उनको दे देंगे तो वह 98 लाख 50 हजार का काम हो जायगा। जो कि एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए जालौर और सिरोही दोनों में दो व्यक्ति रखे हैं और दोनों व्यक्तियों के पास बराबर काम रहे और दोनों उसको ठीक तरह से देख सकें। जालौर के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास 55 लाख 15 हजार और सिरोही के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास 43 लाख 25 हजार का काम है। यह प्रशासनिक दृष्टि से काम बांटा गया है, और रोजमर्रा के काम के लिये सिरोही के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के नीचे जालौर में दो असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं एक शहर के काम को देखता है और एक देहात के काम को रोजमर्रा के काम को देखता है। 50, 55 लाख का काम एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास रहना चाहिए, और इसी दृष्टि से इस तरह से काम का विभाजन किया गया है। यहां का जो निर्माण कार्य है वह समाप्त हो जायगा तो इसका पुनर्विभाजन कर दिया जायगा और जालौर के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास जालौर के संधारण का काम सुपुर्द कर दिया जायगा और सिरोही के इन्जीनियर के पास सिरोही जिले के संधारण का कार्य कर दिया जायगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीमसेन।

## राजस्थान नहर क्षेत्र में आबादी बढाने व गृह निर्माण की व्यवस्था।

131. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—राजस्थान नहर क्षेत्र में नई आबादी बढ़ाने तथा गृह निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं वित्तीय क्या व्यवस्थाएं की हैं ?

**राज्यमंत्री, उपनिवेशन** (श्री मूलचन्द): राजस्थान में नहर क्षेत्र में आबादियों के विकास का कार्य ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किया हुआ है। निवास स्थान के लिए भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन चक आबादी नियम, 1971 राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में पंचायतों द्वारा किया जाता है।

(श्री मूलचन्द)
राजस्थान राज्य गृह निर्माण वित्त सहकारी समिति लि. जयपुर समितियां बनाने पर गृह निर्माण हेतु वित्तीय ऋण प्राप्त किया जा सकता है। मंडियों एवं आवादियों के समुचित विकास करने हेतु स्वायत्त अधिकरण बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**श्री भीमसेन**: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र में आवादी भूमि का साइट पर, मौके पर इयरमार्क करने के लिए, उनको प्लाट्स का आवंटन करने के लिए और उसके बाद सस्ते किस्म के मकान वहां पर बनें इसके लिए और इसके साथ–साथ पैसा देने के लिए, यह चारों तरह की व्यवस्थाएं उस क्षेत्र में नहीं करेंगे तब तक वहां के लोग सही ढंग से आबाद नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार क्या सतर्कता बरत रही है।

**श्री गोपाल जोशी (बीकानेर)**: जैसा कि आपने फर्माया कि पंचायतों और पंचायत समितियों को यह काम सौंपा गया है, यह काम ऐसे महत्व का है कि नई कालोनीज, नई मंडियां और नई चीजें बनने वाली हैं, उनको इस तरह से छोड़ देंगे, पंचायतों पर छोड़ देंगे और हमारी देखरेख नहीं होगी तो सारा काम हेपहजर्ड वे में हो जायगा जैसा कि पुराने शहरों में और पुराने इलाके बने हुए हैं उनमें हुआ है। इसलिए सिस्टेमेटिक और साइन्टिफिक और प्लान्ड वे में राजस्थान सरकार को इनका प्लानिंग कराना चाहिए, और उसके बाद वित्तीय साधन उपलब्ध कराने चाहिए। तो इन दोनों प्लानिंग और वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या आपकी कोई योजना है?

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)**: क्या यह सही है ग्राम पंचायतों को राजस्थान कैनाल एरिया में आवादी भूमि बेचने का राइट नहीं है या लोगों को सही ढंग से बसाने का कोई अधिकार नहीं है? अगर ग्राम पंचायतें किसी आदमी को बसने के लिए भूमि का पट्टा देती हैं तो राजस्थान कैनाल विभाग बाधक होता है और उन लोगों को वहां पर बसने नहीं देता है, क्या यह सही है?

**श्री मूलचन्द**: अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी जिले के अन्दर आवादी के लिए या दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जो स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान है और उसके लिए जिसको अधिकृत किया गया है वह कलेक्टर है। कलेक्टर इस मामले को देखते हैं कि कहां कहां और किन किस काम के लिए स्थान सुरक्षित किये जायेंगे। जमीनें जब पंचायतें एलाट करती हैं तो कुछ पर्सेन्टेज उन्हें भी विकास कार्यों के लिए अलग से सुरक्षित किया गया है जो कि उन पर खर्च किया जाता है।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया**: मेरा सवाल सरा है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री भीमसेन**: आप योजना बनाते हैं और इस तरह से यह रखेंगे तो लोग आबाद नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार प्लान्ड वे में नई आवादी बसा रही है तो उन आवादियों के लिए क्या किया है?

**श्री परसराम मदेरणा (उपनिवेशन मंत्री)**: अध्यक्ष महोदय, पहले वाले प्रश्न

(श्री परसराम मदेरणा)

का जवाब सुन लीजिये। कालोनी एरिया के अन्दर कालोनाइजेशन कलेक्टर जो है उसको आबादी के लिए, मंडियों के लिए जमीनें अलाट करने का अधिकार है, और जहां जहां टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट कालोनाईजेशन डिपार्टमेन्ट के कन्सलटेशन मे वह प्लान करता है उसके बाद में आबादी की भूमि सेट एपार्ट करने की बात करते हैं। इस प्रकार से 350 से ऊपर आबादी के लिए भूमि सेट एपार्ट करके, अध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन कमिश्नर ने इन कन्सलटेशन विथ दी प्लानिंग डिपार्टमेंट, भूमि दी है।

इनका सवाल दूसरा यह है कि राजस्थान कैनाल का कमाण्ड एरिया काफी अविकसित है इसलिए नई मंडियों का प्लानिंग करना, विकास करना है। यह आबादी के लिए जो नये चक बनाने जा रहे हैं या पुराने गांव बसे हुए हैं उनका समुचित तरीके से, एक प्लांड तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उनका विकास हो, यह प्रश्न राज्य के विचाराधीन है। एक कमेटी बनाई गई थी पहले तो आफीसर्स लेवल पर चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में, और अब एक कमेटी मेरी चेयरमैनशिप में बनाई गई है जिसकी मीटिंग में अगले 5–7 दिन में रखने जा रहा हूँ, फाइनेन्स डिपार्टमेंट के व्यूज इन्वाइट किये गये थे वह भी प्राप्त हो गये हैं, और हम ऐसा सोच रहे है कि या तो कोई आटोनामस आथोरिटी या कार्पोरेशन इन मंडियों को और आबादी को डेवलप करने के लिए बनाई जायं ताकि जो आज विकास के लिए काफी ज्यादा धनराशि की आवश्यकता है उस धनराशि को वह खर्च कर सके। इस संबंध में फाइनेन्स डिपार्टमेंट और हमारे बीच में कागज चल रहे हैं कि किस तरह का कार्पोरेशन बनाकर साधन उपलब्ध कराये जा सकें। तमाम मकान बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था हो। सिविक मंडियां और दूसरी चीजें हैं यह तो उपलब्ध हो सकती हैं लेकिन मकान बनाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि जैसाकि लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं उसमें यह निवेदन करना है कि फाइनेन्स कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उनसे लोन ले सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं और माननीय खेतसिंहजी इधर आकर बैठे हैं काफी समय हो गया है तो आप उनके इधर आने के लिए व्यवस्था कर दें या उनकी मर्यादा रखने के लिए यह कर दें कि प्रस्ताव पारित हो जाय उसके बाद इधर आकर बैठ जायं तो अच्छी बात है।

**श्री अध्यक्ष** : आपको एतराज है क्या ?

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे एक आदमी को गुमानमल जी लेकर आ गये थे, इसलिए मैं उसे लेने के लिए इधर आया हूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज का विषय यह इसलिए है कि मुख्य सचेतक महोदय इधर चले आये हैं। जनसंघ के नेता माननीय गुमानमल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
लोढ़ा के साथ इनका तालमेल हमेशा अण्डर ग्राउण्ड रहा है। इसलिए ये उनके पास आकर बैठ गये हैं।

प्रश्न संख्या 132

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री अजीतसिंह।

राज्य बीमा विभाग

133. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य बीमा विभाग में कितना रुपया ऐसा है, जिसका कोई उजरदार नहीं है?

(2) कितनी पालिसियां ऐसी हैं जिनको पेमेन्ट नहीं हो पाया है?

(3) जब राज्य सरकार पे बिल में से बीमें की पोलिसियों की रकम काटती है तो फिर क्या कारण है कि बीमा की किश्तें बीमा विभाग में समय पर जमा नहीं होती।

(4) क्या यह सही है कि हिसाब सही न होने के अभाव में सेवा मुक्ति कर्मचारी पैसे के लिए परेशान होता है?

(5) क्या राज्य सरकार इस स्थिति को सुधारने का विचार रखती है कि सेवा मुक्त कर्मचारी की पेंशन का निपटारा होने के साथ साथ बीमा का भी हिसाब कर दिया जावे?

राज्य मंत्री उद्योग (श्री जुझार सिंह) : (1) राज्य बीमा विभाग में 2,125 रु. हैं, जिनका कोई उजरदार नहीं है।

(2) 2,610 पालिसियां ऐसी हैं जिनका पेमेन्ट नहीं हो पाया है।

(3) वेतन बिल से पालिसी की रकम काटने का सूचना समय से न मिले तथा बीमादार द्वारा पालिसी संख्या गलत देने के कारण बीमे की किश्तें समय पर जमा नहीं हो पाती हैं।

(4) ऐसे मामले जिनमें पालिसी संख्या गलत होती है तथा जो कर्मचारी अन्य प्रान्तों में तैनात हैं एवं जिनकी कटौती महालेखाकार के माध्यम से प्राप्त होती है, उनके स्वत्व के निपटारे में कुछ विलम्ब होता है। पर यह प्रयत्न किया जाता है कि बीमेदार को भुगतान जल्दी से जल्दी हो जावे।

(5) जी हां। समायोजन सम्बन्धि स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। बीमा की रकम कर्मचारी के सेवा मुक्त होने की तिथि के पूर्व ही चुका दी जाती है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, गरीब लोग सेवा निवृत्ति पर चले जाते हैं। उनको उनका पैसा नहीं मिलता है। यह ठीक है

(श्री अजीतसिंह)
कि उनकी पालिसियां मिल नहीं पाती हैं। उनकी पालिसियां खराब हो गई हैं। उनके लिए राज्य सरकार कुछ करती नहीं है। जिनके रैकार्ड खराब हो गए हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था तो करें। वहां जब लोग जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा पैसा जमा नहीं हुआ है। पे में से तो कट रहा है। उनको चाहिए कि ठीक से हिसाब बनायें। ताकि पालिस का पैसा लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाये। कई गरीब परेशान होते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को बता सकेगी जिनको 5-5 साल हो गए हैं, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। छोटे छोटे कर्मचारी जाकर मारे मारे घूम रहे हैं। क्या उनकी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो पेमेन्ट नहीं हुए हैं, उनको पूरा कराने की कोशिश की जावेगी। वैसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले साल 39,038 पोलिसीज मेच्योर हैं। 37 हजार का फैसला हो चुका है। 2 हजार हैं जिनका रिकार्ड नहीं होने के कारण विचार किया जा रहा है। कोशिश यह की जाती है कि पोलिसी निपटा दी जाय। विशेष पार्टी लगाकर फैसला करवा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

**झालरापाटन नगरपालिका के भू. पू. चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शिकायतों पर की गई कार्यवाही।**

134. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगरपालिका के भू. पू. चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ अनियमितताओं आदि की शिकायतें लगभग एक साल पूर्व दी जा चुकीं हैं। यदि हां, तो मन्त्री एवं विभाग के उच्चाधिकारियों को कब कब की गई।

(2) उक्त शिकायतों की जांच कौन कर रहे थे ? और अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आने की वजह क्या है ? और अब उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रह है ?

श्री राज्यमंत्री : (श्री मुंशीलाल महावर) (1) माननीय सदस्य श्री रामप्रसाद बोहरा ने नगरपालिका झालरापाटन के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 4-4-73 को प्रस्तुत कीं।

(2) जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी झालावाड़ कर रहे हैं। जिलाधीश झालावाड़ को दिनांक 20-3-74 को जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजने को लिखा गया।

श्री रामप्रसाद बोहरा : लगभग डेढ़ साल के बाद भी कलेक्टर के यहां जांच होकर

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
कागज नहीं आये हैं। बड़ा ताज्जुब लगता है। इस प्रकार की अनियमितताएं भू. पू. चेयरमैन ने की हैं। हजारों के घोटाले किये हैं। कब तक रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे।

श्री गौरीशंकर : मेरा सप्लीमेण्टरी प्रश्न है उसकी जांच होकर कब तक आयेगी इतना लिखा गया है, उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया गया है। जो रसीद दी गई है, उसको उसने फाड़कर फेंक दी उसका आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इसमें किसी महानुभाव का हाथ है।

श्री मुंशीलाल : माननीय सदस्य ने जो शिकायत राज्य मंत्री को दी थी उस पर उन्हें 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट भेजने को कहा था। उनको लिखा था उस के बावजूद भी नहीं आयी। 12-5-73 को मन्त्री महोदय ने गम्भीर आरोप समझ कर उनको लिखा गया है। उसके बाद विभाग से जांच कराई गई। सचिव के पास कानूनी कार्यवाही करने को लिख दिया गया। दूसरे अतिरिक्त जिला अधिकारी महोदय की ओर से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। आने पर पूरी पूरी जांच कराई जायेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्री महोदय, 3-4 बार आपके आदेशों की अवहेलना हुई। आप वहां तक घबरा उठे हैं। इतनी बड़ी अनुशासनहीनता दिखाई गई है। राज्य मन्त्री के आदेशों का इतनी बार उल्लंघन किया गया। क्या आप सशक्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ?

श्री मुंशीलाल महावर : इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि कई एन्क्वायरी ऐसी होती हैं, कि कई लोग समय पर मिल नहीं पाते हैं। हमने लगातार प्रयास किया है। फिर भी हमने हमारी ओर से डिप्टी डायरेक्टर को एन्क्वायरी आफीसर नियुक्त करके रिपोर्ट मंगाई है। न्यायिक जांच के लिए विधि सचिव को लिखा गया है।

श्री रामकिशन : वह तो आपने जवाब दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : फिर लिख दिया गया है।

श्री रामकिशन : माननीय मन्त्रीजी ने जवाब नहीं दिया है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप को उत्तर तो दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुमानमल लोढा।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री रामकिशन : माननीय मन्त्रीजी जवाब दे रहे थे। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामकिशन : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : नो, नो। श्री गुमानमल लोढ़ा।

**जोधपुर शहर में पकड़ा गया वनस्पति घी**

135. **श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर): क्या खाद्य व रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या जोधपुर में वनस्पति घी का लगभग एक लाख रुपये का माल ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों के यहां बिना क्लेम के अभी तक पड़ा है ?

2. क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में वनस्पति घी का भयंकर अभाव है ?

3. जिला प्रशासन जोधपुर ने उपरोक्त घी के एडल्टराइज्ड होने पर सेम्पिल लेकर कार्यवाही करने का क्या कोई प्रयास किया है ?

4. क्या इसका मैन्युफेक्चर जयपुर का है जो माल के सैम्पिल देने के लिए अपने प्रतिनिधि को जिला प्रशासन द्वारा मांग करने पर भी नहीं भेज रहा है ?

5. क्या प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत इस प्रकार के कृत्रिम लावारिस वनस्पति की मिलावट को पकड़ने के लिए सरकार सक्षम नहीं है ?

6. राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? पत्र व्यवहार व सम्बन्धित आज्ञाओं की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

**खाद्य एवं कृषि मंत्री** (श्री शिवचरण माथुर) : जी नहीं। यह माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पास न होकर खाद्य निरीक्षक के कब्जे में है।

2. जी हां। मांग के अनुपात में उपलब्ध नहीं होने से अभाव है।

3. जी हां। न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जा रही है।

4. जी हां।

5. सरकार ऐसे माल को जब्त करने हेतु सक्षम है। तदनुसार ही फूड इन्सपेक्टर (चिकित्सा विभाग) ने प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत माल जब्त किया है।

6. प्रश्न के भाग 3 में उत्तर दिया जा चुका है। पत्र व्यवहार व सम्बन्धित आज्ञाओं की प्रतियां जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त नहीं होने के परिणाम स्वरूप सदन के पटल पर रखने में असमर्थता है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जोधपुर को वनस्पति घी की व्यवस्था कहां से है ? जिसने अपने प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया है। नाम बताइये।

**श्री शिवचरण माथुर** : यह कम्पनी राम सुगर एण्ड तेल वनस्पति मिल, जयपुर है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या इस कारण से, अध्यक्ष महोदय, कम्पनी के खिलाफ राजस्थान सरकार उसके मैन्युफैक्चरिंग

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
लाइसेन्स को कैंसिल करने की अथवा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है। चूंकि मैं इसको उनके पास भेज कर सवाल को आगे टालने वाली बात नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने उत्तर दे दिया। इसकी पूरी कार्यवाही सेम्पल लेकर कर दी गई है और चालान किया जा रहा है। आपने लाइसेन्स कैंसिल करने की बात कही है–यह अलग बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चालान किस किस का किया जा रहा है, उनके नाम बता दें।

श्री शिवचरण माथुर : जिलाधीश ने जानकारी दी है, उसमें तीन पार्टी के नाम हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नाम बतायें।

श्री शिवचरण माथुर : व्यापारी है, अध्यक्ष महोदय, जिसका माल जब्त किया गया है, उसने ओन नहीं किया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लावारिस है ?

श्री शिवचरण माथुर : लावारिस ही कह लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चालान किसके खिलाफ होगा ?

श्री शिवचरण माथुर : कम्पनी ने कहा कि मेरे यहां पेमेन्ट हो चुका है, माल उठा लिया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। व्यापारी ने माल को डिस्ओन कर दिया, उसने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ने कहा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए तीनों का चालान करने वाली बात सामने आयी, और तीनों का चालान किया जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप नाम बता दीजिये। जिन तीन का आप चालान कर रहे हैं, उनका नाम बता दीजिये और एक्ट कि किस धारा में कर रहे हैं वह बता दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : प्रिवेंशन आफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अन्डर में कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तीन का चालान कर रहे हैं, उनका नाम, कम्पनी का नाम, फर्म का नाम बतायें।

श्री शिवचरण माथुर : राम सुगर एण्ड तेल फैक्ट्री है, यह मैन्युफेक्चरर हैं। इसमें जो व्यापारी है, उस व्यापारी का नाम मेरे पास नहीं है। जोधपुर का व्यापारी है, उसका माल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार अडल्ट्रेशन का रेक्ट चलता है। जो बनाने वाला है, वह ओन नही करता है, जिसने माल को मंगाया है, वह उसको ओन नहीं करता है और जिसके यहां से माल पकड़ा जाता है वह ओन नहीं करता है। कोई व्यक्ति ओन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करने को तैयार नहीं है। यद्यपि कम्पनी मेन्युफेक्चरर का नाम लिखा हुआ है, जिसको भेजा गया है, जिसके नाम को लिख कर यह माल भेजा है, अब जो मेन्युफेक्चर कर रही है, कम्पनी, उसने माल भेज दिया जिसके पास माल भेजा गया, वह कहता है, मैं लेने को तैयार नहीं हूं। दोनों इस माल को लावारिस करके कानून की पकड़ से बचना चाहते हैं। तो क्या मीसा के अन्दर इस प्रकार के मैंन्युफेक्चरर के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार करेंगे। प्रिवेंशन आफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के नीचे जब तक व्यक्ति सेम्पल नहीं दे तब तक अडल्ट्रेशन का आफेन्स बना दीजिये लेकिन कन्विक्शन के लिए एक्सेप्शनल स्थिति है। मैन्युफेक्चरर कहे कि मैं माल को ओन नहीं करता हूं जब कि राजस्थान में जो माल बना कर वह दे रहा है वह अडल्ट्रेटेड है, यह उसके सेम्पल से साबित हुआ है, लाखों रुपये का माल है। ऐसा केस कभी कभी पकड़ा जाता है। इस प्रकार अडल्ट्रेशन करने वाली कम्पनी के खिलाफ, जो लाखों का माल प्रोडक्ट करती है, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, राज्य सरकार मीसा के नीचे कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं भी एक सवाल पूछ लूं····

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेन्युफेक्चरर कम्पनी का माल नहीं है, इससे सहमत होने वाली बात नहीं है। यह सील लगा माल था। कम्पनी को रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए कहा तो उसने रिप्रेजेन्टेटिव नहीं भेजा। उसके बाद सेम्पल लेकर चालान करने वाली बात की गई। उसका प्रोडक्ट है, इस में दो राय नहीं है और यह कम्पनी का प्रोडक्ट है यह अडल्ट्रेटेड है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मीठालाल : मैं पूछना चाहता हूं, जोधपुर वाला व्यापारी है, उसने वेजिटेबल माल मंगवाया, मेन्युफेक्चरार ने माल अच्छा बनाया या जो माल व्यापारी को बेचा, वह माल उसने खराब कर दिया तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें इस व्यापारी का चालान किस आधार पर कर रहें है ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं जानना चाहूंगा कि अडल्ट्रेशन डिटेक्ट किया है, यह मेन्युफेक्चरिंग प्रोसेस में हुआ है या बाद में हुआ है ? अगर यह मेन्युफेक्चरिंग प्रोसेस में हुआ है तो आपको मेन्युफेक्चरर का चालान करना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया, जब किसी ने माल ओन नहीं किया····

श्री पी. के. चौधरी : ओन करने का सवाल नहीं है। मेन्युफेक्चरिंग प्रोसेज में हुआ है, इट इज एस्टेब्लिस्ड। अडल्ट्रेशन है और इट इज एस्टेब्लिस्ड कि मेन्युफेक्चरिंग प्रोसेज में हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करूंगा, जब माल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के पास पकड़ा गया और उसके पास से व्यापारी ने लेने से इन्कार किया तो उस कम्पनी का उस पर लेबल लगा हुआ था, उसकी सील थी

(श्री शिवचरण माथुर)
जिलाधीश ने उस कम्पनी के प्रतिनिधि को बुलाने के लिये चिट्ठी लिखी। कम्पनी ने प्रतिनिधि को नहीं भेजा, अपने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा। उसके बाद सील खोल कर ड्रिप किया गया और सैम्पल लिया गया। और चालान करने वाली बात कर रहे हैं। यह बात सही है कि मेन्युफेक्चरिंग प्रोसेज में अडल्ट्रेशन हुआ है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका मतलब यह है· · ·

श्री मीठालाल : व्यापारी ने लेने से इन्कार कर दिया तो उसका किस आधार पर चालान कर रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : कम्पनी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजती है, इसके मायने यह स्पष्ट है कि अडल्ट्रेशन है। तो राज्य सरकार, जिस कम्पनी का सैम्पल लिया है और जिसका नाम लिखा है, जिसके द्वारा मेन्युफेक्चर हुआ है, जिसका सैम्पल लिया है, उसका चालान कर दे। उसको मीसा के अन्दर में अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : सील बन्द पीपों में से लिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उस कम्पनी में जाकर सैम्पल लें· · ·

श्री शिवचरण माथुर : उस बैच का सवाल है, जो बैच पकड़ा है।

श्री पी. के. चौधरी : हम इस बात का साफ जवाब चाहते हैं। जब यह एस्टेब्लिस्ड है कि मेन्युफेक्चरिंग प्रोसेज में अडल्ट्रेशन हुआ है तो आप तीन आदमियों का चालान क्यों कर रहे हैं ? उस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का चालान क्यों कर रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का इसलिए कर रहे हैं कि उसने डिसओन किया है। ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ने कहा है कि पता नहीं, किसका है। व्यापारी ने कहा, मैं लेने को तैयार नहीं हूं। उस व्यापारी ने पेमेन्ट किया है, उसकी रसीद एक प्रकार से है। मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी ने कहा है, मेरे यहां पेमेन्ट हो चुका है। मेरे यहां से माल डिलीवर हो चुका है उस माल में अडल्ट्रेशन है, मेरे यहां पेमेन्ट किया जा चुका है। जब केस डिटेक्ट हो गया तो डिसओन हो गया, इसलिए तीनों के खिलाफ चालान करने वाली बात आती है।

श्री शंकरलाल : मीसा के अन्दर जिसके पजेशन से सेम्पल लिया जाता है, उसका चालान किया जाता है। अगर तीनों डिसओन करते हैं तो तीनों का करना पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रिवेंशन आफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अन्दर मेन्युफेक्चरर एण्ड द पर्सन हू इज इन पजेशन आफ अडल्ट्रेटेड गुड्स है, दोनों का आफेन्स है। जब तक मेन्युफेक्चरर के ऊपर यह आरोप न लगायें, मेन्युफेक्चरिंग करते समय अडल्ट्रेशन किया है और उसको टेक अप न करें और तीनों का मेन्युफेक्चरर, व्यापारी और ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का एक साथ कर दिया तो मेन्युफेक्चरर, कम्पनी को इन्डाइरेक्ट डिफेन्स प्रोवाइड आप नहीं कर रहे हैं ?

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
इस लेकूना को ध्यान में रखते हुए आप मामले को स्वयं प्रारम्भ से कमजोर नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट काहे के लिए बना हुआ है, जिसके लिए आप घोषणा करते हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़ा है।

**श्री पी. के. चौधरी** : Why do you challan all the three persons why do you make it complicated

**श्री शिवचरण माथुर** : आपने जो सुझाव दिये हैं, उनके अनुसार जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिख देंगे।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह पूर्णतया माना जायगा कि राज्य सरकार कम्पनी से मिली हुई है। आप मीसा के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करते हैं और आप लेकूना रख देते हैं तो साधारणतया सबका सन्देह जागृत हो सकता है कि सरकार कम्पनी से मिली हुई है।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैंने निवेदन किया (व्यवधान) सुनिये...

**श्री मनोहरलाल** : देरी करने से मिलावट का केस फैल हो जाता है।

**श्री केदार नाथ** : 136।

**श्री अध्यक्ष** : लेट मी काल फर्स्ट :

**श्री केदार नाथ** : लेट हो रहे हैं इसलिए...

**श्री अध्यक्ष** : यू केन ड्रा माई अटेंशन।

**श्री रामगोपाल** : बड़ी उतावली है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री केदारनाथ।

### राज्य में मितव्ययता

136. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में मितव्ययता के लिए व अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये केन्द्र द्वारा मई, जून एवं जुलाई के माह में क्या क्या निर्देश दिए?

(2) राज्य के सन् 1974–75 के सन्तुलित बजट के पारित होने के बाद आज कितना घाटा अनुमानित किया गया है और घाटा पूर्ति के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं? इसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

**वित्त मंत्री (श्री चन्दन मल बैद)** : प्रश्नकर्ता जितने उतावले हैं, मैं भी उतना ही उतावला हूं।

(1) केन्द्र ने मितव्ययता के आदेश जारी किये और राज्यों को भी उसी प्रकार के आदेश जारी करने के लिये प्रेरित किया तथा राजस्व व ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिये आग्रह किया।

(2) राज्य के सन् 1974–75 के बजट में कुल 9 करोड़ 12 लाख का घाटा था उसके पश्चात् मुख्यतः राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता स्वीकृत होने से 6 करोड़ 89 लाख रुपये का घाटा और बढ़ा। भारत

(श्री चन्दनमल बैद)

सरकार से 1973–74 में ली गई वेज एंड मीन्स एडवान्स के चुकारे की किश्तें 3 के बजाय 5 करने से 5 करोड़ 11 लाख की राहत मिली। विद्युत मण्डल द्वारा टैरिफ की रेट्स बढ़ने से 4 करोड़ 47 लाख राज्य सरकार को प्राप्त होंगे। बाकी मितव्ययता से तथा राजस्व व ऋणों की विशेष वसूली से घाटे की पूर्ति हो सकेगी। प्रशासन में मितव्ययता किये जाने के प्रसारित आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री केदार नाथ :** केन्द्र ने आपको कहा कि राज कमेटी की सिफारिश के अनुसार आप लैंड रैवेन्यू पर टैक्स लगायें और सिंचाई के रेट्स बढ़ायें, क्या आपको केन्द्र ने डाइरेक्शन्स दिए हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद :** माननीय सदस्य को मालूम है कि द्वितीय फाइनेन्स बिल भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जब पेश किया तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि सारे राज्यों को एग्रीकल्चरल सैक्टर के रैसोसिज को टैप करना चाहिए और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ और इरीगेशन रेट्स को बढ़ाना चाहिए राज्य सरकार इन सारे प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### सिरोही जिले में खनिज का सर्वे

123. **श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने सिरोही जिले में खनिज उपलब्धि के लिये सर्वे कराया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन उपलब्धियों को विकसित करने के बारे में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, डेरी परियोजना की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। अन्य परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण साथ में संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने इन उपलब्धियों को विकसित करने के लिये डेरी में परीक्षणात्मक खनन कार्य आरम्भ कर दिया है। बसन्तगढ़ क्षेत्र में खनन कार्य शीघ्र आरम्भ कराने के लिये भारत गोल्ड माइन्स तथा खनिज गवेषण निगम से सम्पर्क किया है तथा इस बारे में आगे विचार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### जयपुर जिले में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

128. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयकिशनलाल तोलावड़ा)

(1) जयपुर जिले में सन् 1972 एवं 1973 में कुल कितने भूमिहीनों को भूमि अलाट की गई? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को उक्त समय में कितनी भूमि अलाट की गई?

(3) अलाट की गई भूमि में से कितनों को कब्जे दिये गये और कितनों को कब्जे नहीं दिये गये?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 1972 एवं 1973 में कुल 2797 भूमिहीनों को भूमि एलाट की गई। तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उक्त समय में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को 4893 एकड़ भूमि आवंटन की गई।

(3) आवंटन हुई भूमि में से 1060 को कब्जे दे दिये गये और 1737 को कब्जा देना शेष है।

(कृपया परिशिष्ट-3 देखिये)

कृषकों और व्यापारियों से लेवी की वसूली

132. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष में अब तक राज्य सरकार को कृषकों और व्यापारियों से कितनी कितनी लेवी मिली? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि व्यापारियों और सरकार के बीच कोई समझौता हुआ था? यदि हां, तो क्या और उसका किस किस ने पालन नहीं किया?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पैन्शन के मामले

42. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री सुमन्तसिंह भूतपूर्व सेवामुक्त निरीक्षक आबकारी विभाग, भीनमाल तथा श्री सहीराम सेवामुक्त नायब तहसीलदार सूरतगढ़ जिला गंगानगर को अब तक पैंशन निश्चित की जाकर नहीं मिली है? अगर हां, तो उक्त राज्य अधिकारी कब सेवा मुक्त किए गए थे एवं अब तक उनको पैंशन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं? अब उनको पैंशन कब तक दे दी जावेगी?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सेवामुक्त राज्य कर्मचारियों को कई सालों तक

# Page No 25

25



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पेंशन नहीं दी जाती ? अगर हां, तो शीघ्रातिशीघ्र राज्य कर्मचारियों को पेंशन देने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

(स्थगित किया गया)

## भूतपूर्व आडिट निरीक्षक की पेंशन का मामला

43. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व आडिट निरीक्षक श्री जवानसिंह ग्राम पीपली (उदयपुर) भूतपूर्व अजमेर राज्य के आदेश क्रमांक फ. 1 (7) एफ. डी. (एक्स रूल्स)162, दिनांक 5–3–63 के अनुसार दिनांक 3–11–33 से 31-11-56 तक सेलेरी फण्ड सर्विस के अनुसार पेंशन में शुमार करने हेतु पांच दिन की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति आर. एस. आर. बी. पार्ट रूल्स 180 के तहत मांगी गई थी ? यदि हां, तो उसने प्रथम आवेदन-पत्र कब दिया और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में आडिट निरीक्षक श्री जवानसिंह एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने भी कई बार विशेष शासन सचिव राज्य सरकार को लिखा है किन्तु अभी तक राज्य सरकार द्वारा श्री जवानसिंह के केस का निर्णय नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों और अब इस केस का निर्णय कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां, यह सही है। श्री जवान सिंह ने प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 1-10-72 को दिया था। यह मामला अभी विचाराधीन है।

(2) यह सही नहीं है कि श्री जवान सिंह ने एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने कई बार राज्य सरकार को इस विषय में लिखा क्योंकि इस केस में राज्यादेश में रिलेक्सेशन (Relaxation) करने का प्रश्न है इसलिये इस पर वित्त विभाग (नियम) की राय ली जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

## चूरू जिले में सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण

44. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में पिछले पांच साल के अन्दर सहकारी बैंकों द्वारा किस किस ग्राम सेवा सहकारी समिति को कितना कितना अल्पकालीन ऋण दिया गया है ?

(2) किस किस ग्राम सेवा सहकारी समिति से कितने अल्पकालीन ऋण की वसूली हो चुकी है ? किस किस समिति में कितना कितना अल्पकालीन ऋण अभी बकाया है ?

(3) चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में किस किसे को कितना मध्यकालीन ऋण दिया गया है विगत पांच साल में, जिसमें कितनी वसूली हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

**ग्राम जियापुर में श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल को जमीन का अलाटमेन्ट**

45. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल एम. एल. ए. गंगापुर ने भूमिहीन बन कर ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर में जमीन अलाट कराई है? यदि हां, तो कितने बीघा जमीन कब अलाट कराई है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जियापुर में भूमिहीन हरिजनों की काफी दरख्वास्तें थीं फिर भी उनको जमीन न देने का क्या कारण था?

(3) क्या यह सही है कि श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल उस समय जयपुर में रहते थे तथा रिद्धि चन्द जगन्नाथ फर्म के नाम से जयपुर में व्यापार करते थे?

(4) क्या यह सही है कि जिस वर्ष श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल एम.एल.ए. को भूमि अलाट हुई थी उस वर्ष राज्य सरकार का यह निर्णय था कि जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी जायगी? यदि हां, तो फिर व्यापार करने वाले को भूमि कैसे अलाट हुई?

(5) क्या सरकार ऐसे गलत तरीके से भूमि अलाट कराने वालों की जमीन कैन्सिल कराये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल को ग्राम जियापुर में खसरा नं. 11 में से 10 बीघा भूमि दिनांक 19-7-69 को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था।

(2) आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ही किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जन जाति के सदस्य भी होते हैं, अतः आवंटन करना अथवा न करना आवंटन सलाहकार समिति पर ही निर्भर करता है।

(3) प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा ज्ञात नहीं होता है कि श्री हरिश्चन्द्र जयपुर में व्यापार करते थे।

(4) इस सम्बन्ध में आवंटन की वैधता की जांच जिलाधीश कार्यालय, सवाई माधोपुर द्वारा आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत की जा रही है एवं कार्यवाही जिलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) बाद जांच यह निर्णय किया जा सकेगा।

**जयपुर जिले में नामान्तरकरण के मामले**

46. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कुल कितने नामान्तरण तस्दीक होने बाकी हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नामान्तर के मामले विचाराधीन होने का क्या कारण है?

# Page No 27

27



(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जुलाई 74 के अन्त में शेष कुल 2650 नामान्तरकरण तस्दीक होने से शेष हैं। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 93 |
| 2. | सांगानेर | 127 |
| 3. | बस्सी | 249 |
| 4. | चाकसू | 111 |
| 5. | आमेर | 312 |
| 6. | जमवारामगढ़ | 390 |
| 7. | दौसा | 152 |
| 8. | बसवा | 124 |
| 9. | सिकराय | 102 |
| 10. | लालसोट | 59 |
| 11. | फुलेरा | 209 |
| 12. | दूदू | 196 |
| 13. | फागी | 69 |
| 14. | कोटपूतली | 98 |
| 15. | विराटनगर | 359 |
| | कुल | 2650 |

(2) नामान्तरकरण तस्दीक का कार्य सम्पन्न करने के साथ नवीन भरने का क्रम भी चालू रहता है और यह क्रम तस्दीक की संख्या में समतुल्य ही बढ़ता रहता है। नवीन भरने का क्रम चलते रहने से ही यह शेष की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जिन्हें भी निपटाने का कार्य चालू है।

## गंगधार व पचपहाड़ तहसील में भूमि का अलाटमेन्ट

47. श्री ओंकारलाल चौहान (झालावाड़) —क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झालावाड़ जिले की गंगधार तहसील पचपहाड़ तहसील में कितनी 2 भूमि भूमिहीन लोगों को 1972-73-74 में अलाट हुई है इसमें कितने लोग अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

सूची

आवंटन तहसील गंगधार जिला झालावाड़

| वर्ष | कुल संख्या | आवंटन क्षेत्र | अनु. जाति के व्यक्तियों की संख्या | आवंटित क्षेत्र | अनु. जन जाति के व्यक्तियों की संख्या | आवंटित क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1972-73 | 1185 | 2977-79 | 628 | 1408-10 | 3 | 12-40 |
| 1973-74 | 19 | 27-04 | 11 | 16-00 | — | — |
| कुल | 1204 | 3004-83 | 639 | 1424-10 | 3 | 12-40 |

# Page No 28

28



(राजस्व मंत्री)

ग्रावंटन तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972–73 | 352 | 869–46 | 214 | 557–66 | 6 | 13–02 |
| 1973–74 | – | – | – | – | – | – |
| कुल | 352 | 869–46 | 2 | 557–66 | 6 | 13–02 |

**बालोतरा क्षेत्र में भू-संरक्षण की योजना**

48. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कितनोद एवं ग्राम सराणा में बाढ़ से बचाने के लिए ग्रा० ठोकरें बन चुकी हैं और दूसरे निम्न गांव एवं बालोतरा कस्बा जो कि लूनी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इन्हें उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

(2) बालोतरा कस्बा, ग्राम सिलोर, जेठतरी, पारल, कानाना, जानियाना, होटलु रायसीन, मगडा, लालण, बूठीजा, ग्रासोतरा, कूपवास, समदडी, रानीदसीपुरा, अजीत, मजल, बामसीण, जसोल, तिलवाड़ा, सिनली, भूका, डाबली, डागरिया, पादरडी, भाखरपुरा, सिघासवा, इन्द्राना, करमावास । क्या भू-संरक्षण विभाग ने इन सभी प्रभावित गांवों और बालोतरा को बचाने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं तो क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में इनके बारे में प्रावधान कर दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां । दूसरे उल्लेखित ग्रामों एवं बालोतरा कस्बे के लिये कोई कार्य नहीं किया गया ।

(2) जी नहीं ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न स्कूलों में उर्दू व सिंधी पढ़ाने वाले अध्यापकों का स्थानान्तरण 10 साला स्कीम के अन्तर्गत अन्य स्कूलों में कर देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

2. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा, की ओर से श्री हनुमान सहाय चौधरी की गिरफ्तारी करते समय कानूनी खामियां रख देने के विषय में,

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(कृषि मंत्री)

3. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर में गत 15 अगस्त को स्टेडियम में सरकारी कार्यक्रम में "वन्देमातरम के स्थान पर सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा" गाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

4. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से "दैनिक नवज्योति" व अन्य पत्रों के संवाददाता श्री माणक चन्द डानी के साथ रायल टाकीज, ब्यावर के व्यवस्थापक द्वारा कराई गई पिटाई के विषय में,

5. श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा स्वयंपाठी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं।

6. श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में सिक्खों को सरकारी भूमि आवंटन से वंचित करने के विषय में—यह प्रश्न का विषय है।

7. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से मौजा कोलासर तहसील मोहर में हरिजन काश्तकारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के विषय में। इस पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

8. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट की नियुक्ति लाटरी द्वारा किए जाने के विषय में। यह प्रश्न सरकार की नीति से संबंधित है।

9. श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर जिले को कुछ सड़कें बरसात के कारण खराब हो जाने के विषय में

10. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा उपखंड को जिला घोषित करने के संबंध में

ये प्रस्ताव किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है।

11. श्री अजीत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियन्ता श्री गोयल द्वारा ओझा ब्रदर्स के एक आविष्कार को अपना आविष्कार बताकर राज्य सरकार से पारितोषिक प्राप्त करने के विषय में। इसी विषय में पूर्व में प्राप्त एक स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

12. श्री राम किशन, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के काफी जिलों में अकाल की स्थिति पैदा होने के विषय में। सदन में कल दिनांक 21 अगस्त, 1974 को अकाल की स्थिति के संबंध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। अतः माननीय सदस्य उस समय चर्चा में भाग ले सकते हैं।

(कृषि मंत्री)

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**श्री गुमान मल लोढा :** राजस्थान के कुख्यात तस्करी हनुमान सहाय चौधरी जिस के बारे में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमने इसको गिरफ्तार किया, हथकड़ियां डालकर जयपुर के बाजारों में घुमाया और तस्करी विरोधी अभियान में राजस्थान में एक उदाहरण कायम किया। और मुख्य मंत्री ने चुनोती दी कि कोई बता सकता है कि इस दिशा में पहले कभी कार्यवाही की गई थी? और परले रोज जो राजस्थान की हाई कोर्ट से राज्य सरकार के गृह सचिव के ऊपर जो स्ट्रिक्चर्स पास किये गए और हनुमान सहाय चौधरी को जिस समय रिहा किया गया हेबियस कार्पियस पेटीशिन स्वीकार करके, उस समय यह पता लगा निर्णय से और निर्णय से पहले जब बहस हो रही थी वहां पर उसको सुनने से कि राज्य सरकार के गृह सचिव, जिनके ऊपर यह भार था कि संविधान की धारा 22 के अनुसार मीसा में बंदी द्वारा रिप्रेजेन्टेशन पेश होने के तुरन्त बाद में उनकी याचिका पर विचार करके निर्णय ले लेकिन उनकी याचिका जिलाधीश के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों में पड़ी रही और वह राज्य सरकार के जवाब के अनुसार एक क्लर्क ने 20 दिन जानबूझ कर हनुमान सहाय चौधरी को बचाने के लिए, डिफेंस क्रिएट करने के लिए, चुपचाप उसके ऊपर बैठ गया और इस कारण से लीगल लेकूना कलक्टर की आफिस में जान-बूझकर क्रिएट कर दिया गया। यह मुख्य मंत्री को चुनौती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कन्ट्रोल उनके पास में है। यदि वह इस बात की शेखी बघारते हैं कि हमने अमुक आदमी को गिरफ्तार किया, तो उन्हें शर्म होनी चाहिए कि यह राज्य के प्रशासन की कोताही रही जानबूझकर उसे छुड़ाने के लिए, उसका डिफेंस तैयार किया गया। इस मामले को लेकर राज्य सरकार को क्या कहा जाए? जिन्होंने कन्सीडरेशन समय पर नहीं किया न उनके खिलाफ कार्यवाही की या एक्सप्लेनेशन काल किया है? क्या राज्य सरकार ने मीसा के अंदर ऐसे आदेश पहले जारी नहीं किए? पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है कि निश्चित अवधि में विचार नहीं होगा तो बंदी रिहा हो जाएगा? तो राज्य सरकार ने आदेश जारी नहीं किए कि जो लोग मीसा के अंदर रिप्रेजेंटेशन दें तो तुरंत गृह सचिव के पास आना चाहिए और यह रिप्रेजेंटेशन 22/6 के आसपास दिया गया 19/7 को तार भी दिया उसके वकील ने कि हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी कन्सीडर नहीं हुआ है उसके बाद भी विचार नहीं किया गया और कलेक्टर ने लिखकर भेज दिया कि यह रिप्रेजेंटेशन एक क्लर्क ने छिपाकर रख दिया और कलक्टर की आफिस में इस प्रकार का महत्वपूर्ण कागज रख लिया और कलक्टर जागरूक नहीं रहा और राज्य सरकार की ओर से डिफेंस क्रिएट किया गया उस कुख्यात तस्करी के लिए। इस पर मुख्यमंत्री को वक्तव्य तो देना ही चाहिए इसके साथ में फैसला होने के बाद में उन्होंने क्या क्या कार्यवाही की है या हो सकती है। पुलिस ने पुनः गिरफ्तार उसे किया है या नहीं? साधारणतः सरकार जानती थी कि यह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

फैसला होने वाला है उससे पहले आर्डर को रेवोक करके दूसरा आदेश पास करवाना चाहिए था लेकिन वह दूसरी बात है। प्रथम बात यह है कि सारे के सारे कर्मचारी या अधिकारी जो दोषी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सिज के लिए, डेरीलिक्शन आफ ड्यूटी के लिए, ऐसे केसेज यहां पर इतना बड़ा तस्करी का मामला पकड़ा गया था, उनको सस्पेंड करेंगे ? क्या मुख्य मंत्री महोदय अपने प्रशासन पर जो कालिख लगी है उसको छिपाना चाहते हैं ?

कल भी केरोसिन स्कैंडल का सवाल यहां आया था, जिलाधीश को आज्ञा जारी हुई, जनता से 2 पैसा प्रति लिटर ज्यादा लिया गया, इस प्रकार ढाई लाख रुपया अधिक वसूल किया गया। सारा लांछन चपरासी, एल. डी. सी. व यू. डी. सी. पर लगाकर सारे प्रशासनिक आई. ए. एस. और आर. ए. एस. व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इस कारण से मुख्य मंत्री पर भी लांछन लगेगा कि वह उनके साथ कालेबरेशन में हैं, जानबूझ कर ऐसी लेप्सिज को छिपा रहे हैं। तो विस्तृत जानकारी दें और हनुमान सहाय कांड से राज्य सरकार के तस्करी विरोधी अभियान की पोल खुलती है और बताता है कि एक तरफ तो उसको एरेस्ट करते हैं दूसरी तरफ उनका डिफेंस क्रिएट करते हैं और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस प्रश्न पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज वक्तव्य होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जयपुर जौहरी बाजार क्षेत्र): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के टीचर्स को ट्रान्सफर के बारे में दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश यह है कि राज्य सरकार ने माइनोरिटीज भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ कदम उठाये थे। और यहां पर सिन्धी, उर्दू, पन्जाबी और गुजराती की कक्षायें खोली थीं। अध्यक्ष महोदय, जब राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई और उसकी समाप्ति के बाद राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किये कि कोई भी टीचर को जिसको कि दस साल से अधिक होगये हैं उन्हें बाहर ट्रान्सफर कर दिया जाये। जिसका नतीजा यह हुआ कि कई सिन्धी, उर्दू, गुजराती और पन्जाबी पढ़ाने वाले टीचर्स थे उनके ट्रांसफर होगये...

**श्री अध्यक्ष** : आप थोड़े में कहें। तीन तीन मिनट हर माननीय सदस्य को दिये गये हैं।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपको बोलने को मना नहीं किया है लेकिन समय जो निर्धारित किया है उसके बारे में कह रहा हूं।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला बड़ा ही गम्भीर है अतः मैं तीन मिनट की जगह पांच मिनट चाहूंगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिनको दस साल से अधिक हो गये हैं शहरों में, उन्हें तबदील कर दिया

(श्री मोहम्मद गफ्फार मली)

जाय। चुनाचे उन टीचर्स की ट्रान्सफर हो गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये शिक्षा मन्त्री जी से मिला और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। मैंने उन्हें गुजारिश किया तो उन्होंने दिक्कतों को सही मानते हुए उन लोगों के वापिस यहां ट्रान्सफर्स के आदेश जारी कर दिये। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी सैक्रेट्री एजूकेशन के दस्तखतों से आर्डर हुए कमिश्नर ने आदेश दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज तक तो यह सोच रहा था कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ आई. ए. एस. और आर. ए. एस. केडर तक ही सीमित है लेकिन यह आदेश राज्य सरकार के हो जाने के बाद भी इन्सपेक्टर स्कूल उन आदेशों की पालना नहीं कर रहा है। आज स्थिति यह है कि यहां पर बच्चों की सिन्धी, उर्दू, गुजराती, पन्जाबी की पढ़ाई बिलकुल खराब हो रही है। उन्हें किसी प्रकार की तालीम नहीं मिल रही है। इधर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिये लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह क्या मखौल है? अध्यक्ष महोदय, जिन स्कूलों में उनको लगाया गया है वहां पर सिन्धी, उर्दू, पन्जाबी वगैरहा नहीं हैं। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं या तो यह है कि राज्य सरकार के आदेश इन्सपेक्टर आफ स्कूल मानते नहीं हैं या यह हो सकता है कि मन्त्री महोदय ने मेरे सामने तो आदेश कर दिये लेकिन इन्सपेक्टर आफ स्कूल को उन्हें लागू करने को मना कर दिया हो। अब इन्सपेक्टर को जाकर कहते हैं तो वह कहते हैं कि चूंकि यह टीचर हिन्दी भी जानते हैं तो मैं इन्हें रिलीव नहीं करता। एक व्यक्ति अगर सिन्धी के साथ उर्दू या हिन्दी जानता है तो उसने गुनाह किया है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस बारे में स्पष्ट घोषणा करें। आज लिंगविस्टिक माइनोरिटीज के जो स्टूडेन्ट्स हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके लिये मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करते हुए एक स्टेटमेन्ट हाउस में दे दें तो जो उन अध्यापकों और विद्यार्थियों में असन्तोष फैल रहा है उसका समाधान हो सके।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द सामरिया।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों भाषाओं के बारे में राज्य सरकार ने कुछ सहूलियतें दी थीं। राज्य सरकार के आदेशानुसार उनके अध्यापकों के स्थानान्तरण हो जाने की वजह से जो बच्चे अल्पसंख्यकी भाषा पढ़ते थे उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। उन बच्चों का एक साल तो खराब हो गया है। इधर अध्यक्ष महोदय, उन अध्यापकों को गांवों में जहां भी लगाया गया था वहां पर उनका कोई उपयोग नहीं है। वहां वह वे भाषायें ही नहीं हैं। इस तरह अध्यक्ष महोदय, आज बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में सूचना दी गयी। अध्यक्ष महोदय, यह अल्प संख्यकों के लिये सिर्फ उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में ही व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह क्या मामला है जब राज्य सरकार ने आदेश कर दिये हैं तो फिर उन आदेशों की क्रियान्विति क्यों नहीं हो रही है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उन आदेशों की शीघ्रातिशीघ्र पालना

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
की जाये ताकि बच्चों की पढाई शुरू हो सके।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दौसा उप-खण्ड को जिला बनाने के लिये दिया है। अध्यक्ष महोदय, दौसा उप-खण्ड के अन्दर आप बस्सी तहसील को मिला दें तो मैं समझता हूं कि आपके राजस्थान के कई जिले हैं उनसे यह उपखण्ड बहुत बड़ा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर दौसा उप-खण्ड को जन संख्या, राजस्व, पशुधन, शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से देखें तो हमारे राजस्थान के जो जिले हैं उनके समान है। इस बारे में मैंने कई बार इस सदन में प्रश्न उठा कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, दौसा उप-खण्ड न केवल राजस्व, जन संख्या और विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से दूसरे जिलों के समान है बल्कि दौसा उपखण्ड के राजस्व, दिवानी और फौजदारी मुकदमात की संख्या भी बहुत अधिक है। आज आप इस खण्ड के ज्यादा से ज्यादा केसेज जयपुर में अपीलों के लिये पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बस्सी तहसील को भी इसमें मिला दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह एक अच्छा जिला बन जायेगा। आज अध्यक्ष महोदय, दौसा उप-खण्ड के हजारों आदमी यहां के कोर्टस् में पड़े रहते हैं। चूंकि मामले ज्यादा होते हैं इसलिये यहां पर उनका निपटारा भी होने में बहुत देर होती है जिससे जनता को काफी परेशानी, धन और समय का अपव्यय होता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि दौसा उप-खण्ड की बहुमुखी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार के लिये यह जरूरी है कि इस उप-खण्ड को जिला घोषित किया जाय। आज दौसा उप-खण्ड की बहुमुखी समस्याओं का समाधान नहीं होने से वहां की जनता में बहुत ही आक्रोश है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दौसा उप-खण्ड को जिला घोषित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार यह चाहे कि वहां की कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिवेदन आये तो वह भी आप चाहें तो आ सकता है। राज्य सरकार चाहे तो वहां से जानकारी प्राप्त करले। अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता काफी परेशान हो चुकी है और अगर राज्य सरकार ने दौसा उप-खण्ड को बस्सी तहसील से मिलाकर उसे जिला नहीं बनाया जायेगा तो मैं समझता हूं कि वहां की स्थानीय जनता में जो अत्यन्त आक्रोश अशान्ति व सरकार के प्रति आशंका व्याप्त है वह एक आन्दोलन का रूप ले सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर दौसा को जिला न बनाया और वहां पर आन्दोलन हुआ तो उस आन्दोलन में जो धन और जन की हानि होगी उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी।

**श्री केशरीमल (ब्यावर)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ब्यावर में एक पत्रकार श्री मानिक चन्द डाबी के साथ रायल टाकिज ब्यावर के व्यवस्थापक द्वारा पिटाई किये जाने के बारे में दिया है। अध्यक्ष महोदय, मानिकचन्द डाबी ने अख-

# Page No 34

34



(श्री केशरीमल)

बारों में रायल टाकीज के अन्दर टैक्सों की चोरी, काम में लिये गये टिकटों के पुनः चलाये जाने और टाकीज के अन्दर हवा पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के बारे में उल्लेख किया उसका नतीजा यह हुआ कि रायल टाकीज के मालिक ने श्री डाबी को 19 जून को अपने टाकीज के कर्मचारियों द्वारा हमला कराकर उन्हें बुरी तरह से पीटा। जब उन्होंने इस बात की भी सूचना दूसरे अखबारों में दी तो उन्हे अब धमकी भरे पत्र लिखे जा रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पत्रकार की जान का खतरा है। अध्यक्ष महोदय, इधर दूसरी तरफ यह हालत है कि रायल टाकीज के व्यवस्थापक इसलिये निडर हो रहे हैं कि उनके खिलाफ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि बार बार अखबारों मे निकलने के बावजूद भी सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इसलिये ब्यावर की जनता में आक्रोश है तथा राजस्थान राज्य पत्रकार परिषद् की शाखा ने भी इसके लिये राज्य सरकार से निवेदन किया है। अतः मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करे; ताकि वहां जो अशांति जनता मे फैली हुई है वह समाप्त हो सके।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है राजस्थान में सिक्खों के साथ में सरकार की एक नीति बन गयी है कि उन को जमीन से बेदखल किया जाय, उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। मैं राजस्थान केनाल के लिये कई बार अर्ज कर चुका हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : जिस रूप में इस प्रश्न को आप ला रहे हैं उस रूप में नहीं लाना चाहिये। आपको दूसरा ही फॉरम इसके लिए ढूंढना चाहिये। इस प्रकार इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा इस प्रश्न को लाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** : अध्यक्ष महोदय मैं फेक्ट्स रखूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : वह स्थान दूसरा हो सकता है, यहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** : राजस्थान केनाल क्षेत्र में 40 फेमीलीज सन् 1955 से आबाद हैं उनको जमीनें अलाटेड थीं। पट्टे हैं उनके पास। वहां से बेदखल कर दिया गया और अब उनको सरकारी भूमि नहीं अलाट की जा रही है।

**श्री अध्यक्ष** : तीन मिनिट में फरमा दीजिये।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु** : पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा। अब उनको जमीन अलाट नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से बूंदी जिले में एक गोटुन्डा नामक गांव है। वहां पर प्रतापसिंह और गुरबक्षसिंह, जो उनके भाई हैं वे पांच सात साल से आबाद हैं। खुद काश्त के उनके पास सबूत हैं। पट्टे हैं। खुद काश्त करते हैं। लेकिन उनको

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)
जमीन से बेदखल किया गया यह कह कर कि पिछले दो साल से इन्होंने नाजायज कब्जा किया है यह पटवारी की रिपोर्ट है और वह जमीन एक बूंदी के रहने वाले को प्रलाट कर दी गई। उस जमीन को खाली कराने के लिये प्रतापसिंह की गिरदावरी बदली जा रही है। उसके पास बंदूक का लाइसेन्स था वह भी ले लिया। उसकी बूढी मां जिसकी उम्र 70 वर्ष है और उसकी भाभी का इस्तगासा पेश किया और 107 में उसका चालान किया जा रहा है। किस तरह से सिक्खों को परेशान किया जा रहा है। सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही से बाज आना चाहिये वरना हम कार्यवाही करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही से बाज आना चाहिये और इस प्रकार के अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिये यह मेरा निवेदन है।

**श्री अजीतसिंह (टोंक)** : अध्यक्ष महोदय दिनांक 15 अगस्त को राज्यपाल महोदय ने जल प्रदाय विभाग के सु. इन्जीनियर श्री के. एल. गोयल को स्विच बोर्ड के आविष्कार के लिये कुछ अवार्ड दिया। स्विच बोर्ड का आविष्कार तो दरअसल में 25-2-66 को श्री ओझा ब्रदर्स, दौसा ने किया था। लेकिन श्री गोयल ने उसको अपना आविष्कार बताकर राज्य सरकार को धोखा देकर यह पदक हासिल किया है। इतने बड़े सरकारी अफसर ने सरकार को धोखा दिया और राज्यपाल को भी धोखा दिया। इसलिये उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : नाऊ इट इज सफिशियेन्ट।

**श्री अजीतसिंह** : श्री ओझा ने यह आविष्कार 25-2-66 को किया। उन्होंने इसका प्रेक्टिकल प्रदर्शन भी कुए पर लगा कर किया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस आविष्कार को अपना बताकर श्री गोयल ने सरकार को भी धोखा दिया। इसलिये इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और इनसे अवार्ड वापिस लेना चाहिये।

**श्री केदारनाथ** : श्रीमन, श्री के. एल. गोयल, सु. इ. मैकेनिकल, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने अवार्ड के लिये चीफ सेक्रेटरी को यह एप्लीकेशन दी :

"Respectfully, beg to apply for suitable merit award in connection with the invention and use of automatic control panel at Jaipur Water Supply Scheme and subsequently at other places in Rajasthan. This device was first of all designed and tried by me over a few tubewells at Jaipur in the year 1966-67."

मान्यवर, 67 में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को लेटर लिखा ओझा ब्रदर्स ने 70 में टेन्डर दे दिया। 71 में उनके बिल का पेमेंट भी हो गया। इस सम्बन्ध में राजस्थान पत्रिका का कटिंग भी मौजूद है। जो कि 72 में निकला है। आविष्कार इन ओझा ब्रदर्स का, प्रदर्शन किया, टेण्डर ले लिया, बिल का पेमेन्ट हो गया। श्रीमन् इनसे गलती क्या हुई कि वे अपने आविष्कार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। उसका फायदा उठा कर श्री गोयल ने अपने हाथ में ले लिया और यह

# Page No 36

36.



(श्री केदारनाथ)

बताया कि मैंने इसका आविष्कार किया है। यह सरासर सरकार को धोखा दिया है।

! (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, सारे लेटर्स बिल वगैरा सब मेरे पास मौजूद हैं।

**श्री अध्यक्ष** : डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आपने फरमा दिया है।

**कई माननीय सदस्य** : बड़ा इम्पोर्टेन्ट मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : ओरिजनल डोक्यूमेन्ट्स यदि आपको रखने हों तो रख दीजिये बाकी तो सब आ गया है मैटर।

**श्री केदार नाथ** : एक लेटर मैं आपकी कृपा से पढ़ देना चाहता हूं :

"M/s B. L. Ojha & Bros. have informed this office that they have manufactured equipment which can be installed over open wells for automatic control of centrifugal pumps. They have also informed that they are prepared to give a free demonstration of their equipment at one of the wells at Jaipur."

Likhnewala hai:—Superintending Engineer, Mechanical Department, Mr. Goyal.

यह लेटर इश्यू हुआ है और इसी इन्वेन्शन को अपने हाथ मे ले लिया। डिमोन्स्ट्रेशन हुआ उसके लेटर्स हैं। टेन्डर्स दिये उसके डाक्यूमेन्ट्स हैं। बिल का पेमेंट हुआ वह भी हमारे पास है। इसके पीछे इतना बेकग्राउन्ड है। इसकी कान्फ्रेन्स की, प्रदर्शन किया। कई तार दिये सरकार को। लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये जिस आदमी ने ऐसा धोखा करके अवार्ड हासिल किया उसके खिलाफ केस बनाना चाहिये और अवार्ड को वापिस लेना चाहिये।

**श्री गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिये।

**श्री अध्यक्ष** : डिस्कशन तो है नहीं।

**श्री गुमानमल लोढा** : आधा मिनिट ही। महत्वपूर्ण है।

आप यह मद्देनजर रखेंगे कि एक दुखी व्यक्ति जिसके साथ इतना बड़ा फ्राड होता है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती, आखिर सदन के सिवाय और कोई माध्यम हो नहीं सकता।

**श्री अध्यक्ष** : और भी माध्यम है, जिसमें अधिक समय मिल सकता है।

**श्री गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, 66 से लेकर 72 तक टेन्डर्स देकर डिवाइस को सप्लाई करता रहा। 72 में उसने 150 रुपये महीने का केश अवार्ड अलग लिया है। डाक्यूमेन्टरी प्रूफ हैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट जिसकी कारेस्पान्डेन्स हुई, उसके बाद इतना बड़ा स्केन्डल हो, सही व्यक्ति जिसने आविष्कार किया हो वह भटकता रहे और वह अभियन्ता जिसको सारा माल सप्लाई किया, वह धोखा धड़ी करे, ध्यान

(श्री गुमानमल लोढा)

आकर्षण प्रस्ताव का जवाब तो इस सदन में इस सत्र में आवेगा नहीं, इसलिये माननीय मंत्री महोदय इसकी पूरी इन्क्वायरी करें, जानकारी करें, राज्यपाल महोदय से जो अवार्ड ले लिया है 15 अगस्त के पवित्र दिन पर, इस सबकी जानकारी करके, जांच करके, सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** श्री मीठालाल।

**श्री मीठालाल (लालसोट) :** अध्यक्ष महोदय, गत वर्षा काल में भी सवाई माधोपुर जयपुर जिलों की सड़कें खराब हो गयीं थी और इस बार भी खास कर लालसोट और दौसा की सड़कें खराब हो गयी हैं। उन खराब हुई सड़कों की मरम्मत इस साल भी नहीं हुई और फिर इस साल खराब हो गई और बिलकुल टूट गई हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण यातायात अवरुद्ध सा हो गया है। कई एक्सीडेन्ट्स होना संभव हो गया है। दौसा सवाई माधोपुर, लालसोट सड़क तो इतनी गम्भीर हालत में हो गई कि ट्रक मोटर पांच दस मील की रफ्तार से अधिक चल ही नहीं सकती हैं। दुर्भाग्य से मुख्य मंत्री या अन्य मंत्री महोदय का दौरा नहीं हो रहा है वरना तो ठीक हो जाती। इसलिये सम्बन्धित मंत्रीजी से निवेदन है कि गये साल भी मरम्मत नहीं कराई और इस वर्ष फिर अधिक टूट गयी हैं इसलिये इसकी तत्काल मरम्मत कराने की व्यवस्था करावें।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय 15 अगस्त को सारे देश प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया जनता ने और प्रशासन ने भी। इस दौरान इस प्रदेश में कुछ जगहों पर कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटीं।

मेरा विचार है कि इस दिन या अन्य किसी भी दिन देश की स्तुति किसी भी भाषा में किसी भी रूप में गाई जा सकती है। अब इसमें चाहे 'सारे जहां से अच्छा' हो तो वह भी गाया जा सकता है और चाहे 'बन्दे मातरम्' हो, वह भी उसी शान से गाया जा सकता है। जन गण मन तो गाया जाता ही है।

जोधपुर में इस अवसर पर दुखद घटना यह घटी कि प्रशासन द्वारा मान्य उत्सव में सारे जहां से अच्छा गाया गया। कोई ऐतराज की बात नहीं है। यह भी देश की स्तुति ही है जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा। पर इसके बाद जब लोगों ने आग्रहपूर्वक बन्दे मातरम् का गीत गाना प्रारम्भ किया तो प्रशासन की तरफ से इसे रोका गया। जब गाने वाले ने रुकने से इन्कार किया तो प्रशासन ने जबर्दस्ती से उसे रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भी जब नहीं रोका जा सका तो लाठी चार्ज तक किया गया।

मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राजकीय समारोहों में वन्दे मातरम् गाने पर सरकार ने कोई रोक लगादी है? जहां तक भारत के संविधान का प्रश्न है इस पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। बल्कि उससे भी इसे रिकग्नाईज किया है।

यह तो वह राष्ट्रीय गीत है जिसके पीछे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले तक

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
स्वतन्त्रता प्राप्ति का और देश के शहीदों का प्रतीक बन गया था। जिस पर लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। देश के लाखों लोग जिसको बोल कर जेल जाने में गौरव अनुभव करते थे। जिसका एक एक शब्द बलिदानों के रक्त से सींचा गया है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का मन्त्र देश में फूंकने वाले महाराज तिलक से लेकर आखिर तक इसका उच्चारण करते करते देश की आजादी के दीवाने फांसी का रस्सा चूमते थे। उसका आज इसी देश में यह अपमान? यह प्रशासन का अत्यन्त शर्मनाक और देश द्रोहितापूर्ण दुष्कृत्य है, उन लाखों शहीदों का घोर अपमान करने के भयंकर दोषी हैं। यह प्रशासन का कदम अत्यन्त अनुचित और गलत था। गृह मन्त्रीजी इस पर अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करें और जिन अधिकारियों ने या व्यक्तियों ने यह जघन्य अपराध किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय।

**श्री अमृतलाल गहलोत** : अध्यक्ष महोदय मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं। मैं उस समारोह में सम्मिलित था और जिस समय वन्दे मातरम् गाया जा रहा था तब भी था। वन्दे मातरम् प्रशासन की तरफ से ही गाया जा रहा था। फिर उसे रोकने और मना करने का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है? यह गलत सूचना आपको दी है किसी ने।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : फिर लाठीचार्ज किस बात पर हुआ इसकी जानकारी भी होगी आपको?

**श्री अमृतलाल गहलोत** : वह बाद में हुआ।

**प्रो. श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, सम्वत् 2004 में तहसील नौहर में एक जगह 12 बीघा जमीन पर हरिजन भाइयों का कब्जा हुआ।

**श्री अध्यक्ष** : बड़ा लम्बा विषय है।

**श्री केदारनाथ** : लगातार उनका तब से कब्जा चलता आया। जागीर रिज्यूम हुई तो कब्जा रहा। इसके बाद रहा। पर फिर वहां के महाराज ने उनको बेदखली का दावा किया कोर्ट में। उसका मुआवजा भी मिला। पर चूंकि उनके पास कोई अथोरिटी नहीं थी इस वास्ते कुछ हो नहीं सका। फिर दूसरा तरीका अपनाया गया। अभी 25-7-74 को ही हथियार बन्द लोगों ने उन पर हमला किया और उनको उस जमीन से बेदखल कर दिया गया। इसकी शिकायतें सभी जगह की गईं। पर आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। लगातार हमले करते रहना और अत्याचार उन लोगों पर करते रहने और उन को जमीनों से बेरहमी से बेदखल करते रहने का सिलसिला इस राजस्थान में सभी जगह चालू है अमानुषिक व्यवहार भी उनके साथ किया जाता है। हरिजनों पर ये अत्याचार आज भी हो रहे हैं। इसके लिये मैंने तो पहले भी कहा है और आज भी कहना चाहता हूं कि इन जुल्मों की स्वतन्त्र जांच करने के लिये एक कमीशन बिठाया जाय।

मैं चाहता हूं इस घटना के बारे में सरकार शीघ्र ही जानकारी दे।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न रतिरामजी ने भी कल उठाया था। बार बार यह प्रश्न सदन में आता। पर स्पष्टीकरण नहीं आता सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाय।

**श्री मनोहरलाल :** अध्यक्ष महोदय, मान्यवर शिक्षामन्त्रीजी ने एक वर्ग के छात्रों को प्राइवेट तौर पर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्रदान करके तो एक अच्छा काम किया। इसको मैं तारीफ ही करूंगा। आलोचना करने का प्रश्न नहीं है। इससे कालेजों पर जो भरती का दबाव था वह कम हुआ। इसमें उनका भी हित था। आज जिस तरह से कालेजों के छात्र इकट्ठे होकर आंदोलन करते हैं तोड़ फोड़ करते हैं इससे उनकी भी खाल खिचाई होती है उनका भी यह सिरदर्द रहता है।

लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले हैं। छात्रों की कमी जो कालेजों में इससे हुई वह करीब दस परसेन्ट है पर लगभग पचास परसेन्ट अध्यापकों, लेक्चरारों को कालेजों से निकाला जा रहा है। एक दो प्राइवेट कालेज तो बन्द ही कर दिये गये। चार बी. एड. और एस. टी. सी. कालेज बन्द हो गये डीग और कामां के। इस तरह से कुल मिलाकर पांच सात सौ अध्यापकों पर इसका असर पड़ा है, वे बेरोजगार हो गये हैं। आज ऐसा भी नहीं है कि वे और जगह राज सेवा में चले जावेंगे। वे एक बार भी हो चुके हैं। आज धड़ाधड़ उनको हटाया जा रहा है। एक दम बिना नोटिस दिये हटाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उनको निकालने नहीं दे और जहां नई भरती सरकार ऐसे लोगों की करना चाहती हो वहां इनको प्राथमिकता देकर इस बेरोजगार की भयंकर समस्या का समाधान करे।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** आन ए पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर। 15 अगस्त पर उदयपुर में जो राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ। उस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं। क्या उनसे सरकार सहमति रखती है ?

इसकी जानकारी करने में कोई अधिक समय लगने की बात हो ऐसा भी नहीं है। एक दिन में टेलीफोन पर इन्फार्मेशन कुछ घंटों में आ सकती है इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदेश दें गृह मंत्रीजी को जानकारी सदन को दें। कल सदन समाप्त होगा इसलिये यह मामला इकतरफा ही न रह जाय। जनता को जानकारी देकर सन्तुष्ट किया जाना चाहिये। यह मेरा आग्रह है।

**श्री अध्यक्ष :** मैं देख लूंगा।

**श्री रामकिशन :** अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा था। आपकी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हूं। आज के समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्री दिल्ली में प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री से मिले हैं और राजस्थान में पड़े अकाल के सम्बन्ध में चर्चा की है। यहां अकाल पर चर्चा हो इससे पहले मुख्य मन्त्री या कोई मन्त्री इस वार्ता के बारे में बयान दे दे कि केन्द्र इतना सहयोग करने को तैयार है। इससे बहस में हमें

(श्री रामकिशन)

सहायता मिल सकेगी। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, अकाल बहुत ही व्यापक सवाल बनता जा रहा है और यह चिन्ता का विषय है। विधान सभा में चर्चा हो और सरकार की तरफ से जानकारी नहीं मिले तो चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये अच्छा हो चर्चा से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान हो जाय।

**श्री अध्यक्ष** : काल अटेन्शन जब हो जाता है तो रिप्लाई होता ही है।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से केन्द्रीय कर्मचारियों को किन किन दुकानदारों से दवा दिलवाई जाय उसके लिये सूची मांगी है। अब ऐसा भला आदमी कौन है जो इसके लिये भी फीस ले ले। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से जो सूची मांगी है उसमें अच्छे दुकानदारों का छांट करने के लिये हजार हजार रुपये का टैक्स लगा दिया। सन् 1964-65 में राज्य सरकार ने दुकानें सलेक्ट की थीं उस समय राज्य सरकार ने किसी प्रकार की फीस नहीं ली थी। राज्य सरकार ने 135 मेडिकल रिटेल शाप्स की एप्लीकेशन आमंत्रित की हैं। उसमें मेडिकल जनरल स्टोर को रखकर जिनको शो काज नोटिस दिया था वह निकाल दी। अब 135 में से केवल 65 की एप्लीकेशन आमंत्रित करना और जो दुकानदार तय होगा उनसे एक हजार की रकम ली जायगी। भारत सरकार ने तीन क्राइटेरिया बनाये हैं। एक स्तर तो...

**श्री अध्यक्ष** : क्राइटेरिया क्या बनाया यह सब्जेक्ट नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जो भारत सरकार ने क्राइटेरिया बनाया, राज्य सरकार उसके विपरीत जा रही है। एक ही स्तर की दुकान होनी चाहिये और वह दुकान होनी चाहिये जो बहुमूल्य दवा रख सके। उसका क्राइटेरिया जानने के लिये लोगों को अच्छी दवा दे सके और आपस का लेन देन हो। मैं समझता हूं उसके आधार पर कोई जान सकता है कोई व्यक्ति एक हजार रुपया देकर बहुमूल्य दवा सप्लाई करने वाला हो जाय और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दवा सप्लाई नहीं कर सके तो मैं समझता हूं उनका एक हजार ही क्राइटेरिया नहीं है। इन आमंत्रित की आने वाली दुकानों में भी लाटरी के द्वारा निकाला जाना है। इसके लिये 30 दुकानदारों से 30 हजार रुपया लिया जा है। जिस प्रकार सरकार ने लेवी ली है उसी प्रकार इनसे भी रुपया वसूल करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सुविधा के अनुसार दवा ले लें तो सुविधा का मतलब उनके रास्ते में आते जाते होना चाहिये। यह क्राइटेरिया जो भारत सरकार ने अपनाया वह ठीक है लेकिन लाटरी के आधार पर पता नहीं अब हास्पिटल के बीच में आये या कहीं बस्ती के बीच में आये, इसका कोई पता नहीं तो जो भारत सरकार ने क्राइटेरिया जारी किया है वह नहीं होने वाला है।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : उनको केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट एक्ट के अनुसार अब सुविधा दी गई है तो उनको वंचित क्यों रखा गया? इस प्रकार नियुक्त होने वाले

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दुकानदार और एक हजार रुपया, देने वाले व्यक्ति जब तक 1200 रु. कमाता है तब तक की कमाई तो मुफ्त में चली जायगी। भारत सरकार ने अच्छे दुकानदारों की लिस्ट भेजने का कि कौन से बढ़िया दुकानदार हैं, उसमें बिना भारत सरकार की स्वीकृति के एक एक हजार रुपये की आय बढ़ाने का जो सवाल कर लिया वह किस आधार पर कर लिया। इस प्रकार की पेनेल्टी लगाकर सबकी एप्लीकेशन्स आमंत्रित न करके जो वंचित रखा है उसका कौनसा आधार है? दूसरा जो लाटरी सिस्टम रखा है यह भी भारत सरकार की भावना के विपरीत है। कुल 18 लोगों ने अब तक इस प्रकार की राशि दी है उसमें भी कुछ तो वापिस ड्रा करने वाले हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को पुनः इस प्रश्न पर, जो लाटरी सिस्टम से निकाल रहे हैं, और एक एक हजार रुपये ले रहे हैं, गंभीरता से विचार करना चाहिये तभी केन्द्रीय कर्मचारियों को उचित कीमत पर दवा उपलब्ध हो सकेगी और अगर ऐसा नहीं किया तो उनमें असन्तोष की भावना पैदा होगी और जन जीवन भी अस्वस्थ होगा।

**माननीय अध्यक्ष की सदन की परिसीमाओं में वर्दीधारी पुलिस के प्रवेश सम्बन्धी व्यवस्था।**

**श्री अध्यक्ष** : दिनांक 16 अगस्त, 1974 को श्री राम किशन, सदस्य विधान सभा ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि उस दिन कुछ समय पूर्व कुछ छात्र सदन की परिसीमाओं में आ गये थे और वर्दीधारी आर. ए. सी. पुलिस भी आ गई और उनको पकड़ कर ले गई। अतः क्या वर्दीधारी पुलिस बिना अध्यक्ष की आज्ञा के सदन की परिसीमा में आ सकती है और अगर आ गई तो किस की इजाजत से आई है?

अगले दिन सर्व श्री निरंजन नाथ आचार्य व केदार नाथ, सदस्य विधान सभा ने इसी प्रश्न को लेकर एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी जिसमें उन्होंने यह कहा कि गत 16 अगस्त, 1974 को माननीय अध्यक्ष की आज्ञा के बिना पुलिस सदन के परिसीमा से कुछ विद्यार्थियों को पकड़ कर ले गई। अतः यह सदन विशेषाधिकारों का हनन है।

माननीय उपाध्यक्ष ने, श्री राम किशन सदस्य विधान सभा द्वारा व्यवस्था के प्रश्न, पर यह नियुक्ति की थी कि इस मामले के तथ्यों को जानकारी करके अध्यक्ष दूसरे दिन व्यवस्था देंगे। अगले दिन सदन में पुनः उठाये जाने पर मैंने तथ्यों की जांच करके इस मामले को सदन में लाने का आश्वासन दिया था।

तदनुसार मैंने इस घटना की जांच की है और सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के बयान भी लिपि बद्ध किये गये हैं और साथ राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्राप्त की है।

इन सब बयानों आदि से जो तथ्य प्रकट होते हैं वे इस प्रकार हैं कि गत 16 अगस्त, 1974 को सायंकाल लगभग 7-10 बजे करीब 10 विद्यार्थी विधान सभा के पूर्वी द्वार के पास के जीने में खड़े हुए प्रहरियों

(श्री अध्यक्ष)

को बलपूर्वक धक्का देकर उनके द्वारा मना करने के बावजूद जीने से ऊपर चढ़कर सूचना कार्यालय के समीप पहुंच गये और उन्होंने नारे लगाते हुये आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। जिस पर वाच एण्ड वार्ड के प्रहरियों ने उनको रोका और बरामदे से वापिस निकालने का प्रयत्न किया और उनको बरामदे के जीने तक ले आये। ज्यों ही विद्यार्थी जीने से ऊपर चढ़कर गये वैसे पूर्वी द्वार के पास तैनात तीन वर्दीधारी पुलिस के सिपाही उन विद्यार्थियों को रोकने की गरज से उसी जीने से बढ़कर ऊपर आये और उन्होंने बरामदे के पास विद्यार्थियों को वापस ले जाने का प्रयत्न किया। इसी बीच यह पता लगने पर कि कुछ वर्दीधारी पुलिस के सिपाही जीने के ऊपर चले गये हैं पुलिस के दो अधिकारी उन्हें वापस बुलाने के लिये जीने के दरवाजे पर पहुंचे और वर्दीधारी सिपाहियों को वापिस आने की आवाज दी किन्तु उनको आवाज न सुनने पर ये दोनों अधिकारी भी जीने की ऊपरी सीढ़ी तक आ गये और पुलिस के वर्दीधारी सिपाहियों और छात्रों को नीचे ले गये।

अपने बयानों में पुलिस कर्मचारियों ने यह कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें किसी भी हलात में उपरोक्त जीने पर भी नहीं जाना चाहिये था और उन्होंने ऐसा केवल अनधिकृत रूप से प्रविष्ट हुए छात्रों को रोकने तथा वे सदन में बिना इजाजत घुसकर सदन के कार्य में बाधा न डालें तथा वापस लाने की नीयत से ऐसा किया और ऐसा करने में उनका इरादा सदन की मर्यादा भंग करने का कतई नहीं था और जो कुछ भी हुआ है उसके लिये बिना शर्त क्षमायाचना करते हैं।

मैंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की कि क्या इस विषय में कोई नियम अथवा निश्चित व्यवस्थायें इस विधान सभा की अथवा अन्य विधान सभाओं अथवा संसद हाऊस आफ कामन्स में है अथवा नहीं?

जहां तक हाऊस आफ कामन्स का प्रश्न है, वहां तो वर्दीधारी पुलिस सदन की लोबीज तथा सदन के गलियारों (Gallo- ries) में बाकायदा उपस्थित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष ने हाऊस आफ कामन्स, लोक सभा तथा अनेक राज्यों की विधान सभाओं में भी वाच एण्ड वार्ड की सहायता के लिये पुलिस को बुलाया है। किन्तु प्रस्तुत मामला इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस ने अध्यक्ष की अनुमति लेकर या उनके कहने पर सदन परिसीमा में प्रवेश नहीं किया, बल्कि स्वेच्छा से इस गरज से कि कुछ विद्यार्थी, जो सदन की परिसीमा में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गये हैं, उन्हें सदन में किसी प्रकार गड़बड़ी करने से रोका जाय, सदन की परिसीमा में प्रवेश किया। इतना होते हुये भी मेरी स्पष्ट मान्यता है कि सदन की सुव्यवस्थित परम्पराओं, मर्यादाओं और व्यवहार को देखते हुये सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये पुलिस को अपनी वर्दी में सदन के प्रांगण में यहां तक कि सदन की परि- सीमाओं में भी बिना अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करना चाहिये। प्रस्तुत मामले

(श्री अध्यक्ष)

में ऐसा न करके उन्होंने अपने कार्य सीमा तथा उक्त परम्पराओं आदि का उल्लंघन किया है । किन्तु ऐसा उन्होंने बिलकुल आकस्मिक तरीके से एक कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर किया और ऐसा करने में उनके इरादों में किसी प्रकार का सन्देह प्रतीत नहीं होता है और यदि वे ऐसा न करते तो सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ने की आशंका थी और इस पर भी उन्होंने अपनी इस कार्यवाही के प्रति बिना शर्त क्षमायाचना करली है । मैंने सदन के सामने इस मामले के तथ्य और कानूनी स्थिति रख दी है । अब मैं इस मामले को सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं ।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, उस रोज विधानसभा के अन्दर शिक्षा से ताल्लुक बिजनेस चल रहा था और छात्रों ने आग्रह किया कि वह शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं । मेरे पास यहां के मजिस्ट्रेट ने यह इतला भेजी कि आपसे छात्र मिलना चाहते हैं मैंने उनसे कहलवाया कि ज्योंहि यह बिजनेस खत्म हो जावेगा मैं उन छात्रों से मिल लूंगा लेकिन छात्रों को बहुत ज्यादा आतुरता थी और वे पुलिस को धक्का देकर ऊपर चढ़ गये । जब वह ऊपर आ गये तब पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे भागे और वह भी जीने तक आ गये । यह बात बिलकुल सही है लेकिन पुलिस का इन्टेन्शन इसमें कोई बुरा नहीं है । पुलिस चाहती यह थी कि यह सदन की कार्यवाही के अन्दर किसी प्रकार बाधा न आये और इसी दृष्टि से वह उन छात्रों को वापिस ले जाना चाहते थे। उसके बाद से जैसा कि आपने अभी फरमाया है कि सदन की गरिमा कायम रहनी चाहिए, पुलिस को ऊपर नहीं आना चाहिए था और जो सिपाही आये वह आम तौर पर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं । कल एक वाकया इससे भी ज्यादा गम्भीर हुआ कि एक पढ़ा लिखा छात्र सदन के अन्दर प्रवेश कर गया और उसके प्रवेश करने के बावजूद माननीय विरोधी दल के सभी सदस्यों ने एक आवाज से यह बात कही थी कि इसको यह मालूम नहीं है कि सदन की क्या परिपाटियां हैं और क्या परम्परायें हैं इसलिए वह अन्दर दाखिल हो गया लिहाजा उसे क्षमा किया जाये । मैं समझता हूं कि उस अपराध से यह अपराध कहीं कम गम्भीर है और पुलिस वालों ने महज इसलिए यह प्रयास किया था कि छात्र कोई सदन में दाखिल नहीं हो जाये और कार्यवाही के अन्दर बाधा नहीं पहुंचाये इसलिए उन्होंने यह कार्यवाही की हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली और क्षमा मांगने के बाद में मैं समझता हूं कि इसमें और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । उन्हें क्षमा कर देना चाहिए ।

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, आपने सारी स्थितियों का विश्लेषण किया है और फिर स्थिति के विश्लेषण में आपने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया है . . .

**श्री अध्यक्ष** : जो उन्होंने किया है वही मैंने कहा है और लीगल पोजीशन जो बनती है वह कही है ।

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : लीगल पोजीशन उस सम्बन्ध में जो बनती है उसके लिए भी आपने अपना मत प्रकट किया है

# Page No 44

44



(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि इस मामले में उनकी परिसीमा में दाखिल होना उसके पीछे ऐसी भावना नहीं थी कि सदन की कार्यवाही में वह दखलन्दाजी करें या सदन की परम्पराओं और मान्यताओं में दखलन्दाजी करें। अध्यक्ष महोदय, यह तो पुलिस के सिपाही का मामला था लेकिन इसी सदन के प्रांगण पर एक ऐसा उदाहरण राजस्थान विधान सभा में आया था जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज के थे वह दाखिल हुए थे और उनको क्षमा इसलिए किया गया था कि वह किसी भावना से अन्दर दाखिल नहीं हुए थे। मैं समझता हूं कि जो शहादत आपने ली और जो उनके बयान हुए और जिस गरिमा को यह विधान सभा अभी तक निभाती आई है उसके सन्दर्भ में इन व्यक्तियों को, क्योंकि उन्होंने क्षमा याचना कर ली है, उनको क्षमा देना ही उपयुक्त होगा। यह मेरी मान्यता है।

**श्री गुमानमल लोढा :** अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जहां तक क्षमा देने का है उसमें मैं सहमत हूं और मैं समझता हूं कि इन व्यक्तियों को, जिन्होंने विद्यार्थियों को पकडने के लिए ऊपर आकर बिना अनुमति के दाखिल हुए, क्षमा कर देना चाहिए।

इसके साथ में मैं एक निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग या राज्य सरकार के विभाग को यह जानकारी भविष्य में अवश्य रहनी चाहिए कि विधान सभा लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग यह हमारे संविधान में अलग अलग हैं। दुर्भाग्य यह है कि जब हम विधान सभा में आने के लिए विधान सभा के दरवाजे पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वार कैम्प, प्रिजनर्स कैम्प या पुलिस कैम्प लगा हुआ है। खद्दरधारी पुलिस के लोग, डंडे लिए हुए, कोई हाथ में बेंत की बनी हुई ढाल लिए हुए और कोई अन्य प्रकार के कुछ उपक्रम लिए हुए सीढ़ियों के पास में लिफ्ट के दस, पन्द्रह फिट के ऊपर और सामने जो नई इमारत बन रही है जो कि बनने के प्रोसेस हैं उसके ऊपर की मन्जिल में आगे पीछे चारों ओर ऐसा एक सीन बन जाता है कि जिससे ऐसा पता लगे कि कहीं हम वार कैम्प में जा रहे हैं और इस कारण से पुलिस के लोग समझते हैं कि यह हमारे उत्तरदायित्व में है कि यहां की व्यवस्था बनी रहे। वह यह भूल जाते हैं कि जहां तक विधान सभा का प्रश्न है यह उत्तरदायित्व माननीय अध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों का है।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह कनफ्लिक्ट्स बाद में बढ़कर ज्यादा हो जाते हैं। जैसे सुदामासिंह के केस में हुआ था जहां स्पीकर और जुडीशरी का कनफ्लिक्ट हुआ। स्पीकर ने हाई कोर्ट जज के खिलाफ वारन्ट जारी कर दिया और हाईकोर्ट ने स्पीकर के खिलाफ कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार का जुडीशियल और लेजिस्लेटिव कनफ्लिक्ट हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपने भी इतिहास का उद्धरण दिया। यह तो सही है कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस आती है लेकिन चार्ल्स सैकिण्ड के जमाने में ब्रिटिश

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
साम्राज्य के सबसे बड़े शहनशाह जिस समय स्पीकर के पास गये और वस ऐसे विधायकों को अरेस्ट करना चाहते थे जिन्होंने उनके कानूनों का विरोध किया और जिस तरह साम्राज्य को चुनौती दी उस समय स्पीकर ने चार्ल्स सैकिण्ड को बाहर रोक दिया और यह कहा कि सम्राट महोदय मैं आपसे उस वाणी में ही बात करूंगा जिस वाणी में मेरे विधायक बात करेंगे, मैं आपको उन आंखों से देख सकता हूं जिन आंखों से हाउस आफ कामन्स के मेम्बर्स को देखता हूं और मैं केवल उन कानों से सुन सकता हूं जिनसे मेरे हाउस आफ कामन्स के मेम्बर्स सुन सकते हैं। साम्राज्यवाद के युग में भी यह बात थी और मैं समझता हूं कि इस कारण से हमें भी इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि पुलिस विभाग और राज्य सरकार के अधिकारियों को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि विधान सभा का प्रांगण और लेजिस्लेटिव विंग अपने आपमें बिल्कुल आटोनोमस हैं, वह अपने आप में सक्षम है और इसमें किसी प्रकार का उनका सुपरवीजन नहीं है और वह वहां की किसी कार्यवाही के अन्दर ध्यान न रखें।

इन शब्दों के साथ मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्षमा करने का प्रस्ताव स्वीकारा जाये उसके साथ मुझे अवश्य ऐसा लगता है कि एक बार ब्रीच आफ प्रिवलेज होता है तो क्षमा देने की बात उसमें आती है तो उन व्यक्तियों को कस्टडी में लिया जाना चाहिये था और कस्टडी के लिए जाने के बाद में कोई भी आज्ञा या कोई भी निर्णय सदन की ओर से प्रस्तावित होता। लेकिन क्योंकि यह एक टेक्नीकल बात है इसलिए मैं इस पर जोर नहीं देते हुए भविष्य के लिए यह निवेदन करूंगा कि ब्रीच आफ प्रिवेलेज के मामले में चाहे सिपाही हो या विद्यार्थी हो एक ही माप दण्ड सरकार की ओर से अपनाया जाना चाहिये····

जब विद्यार्थी यहां पर आए तो उनको अरेस्ट किया गया, माफी मांगने के बावजूद उनको अरेस्ट किया गया और उसके बयान लिए गए। कोई कारण नहीं था कि जिस समय ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो उन सिपाहियों को अरेस्ट नहीं किया गया। उनको अरेस्ट किया जाकर माफी दी जा सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया इसलिए उनका इंटेशन सदन को डिस्टर्ब करने का नहीं था यह एक टेक्निकल मेटर है। भविष्य के लिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं और मुख्य सचेतक महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**मो. गफ्फारअली (जोहरी बाजार):** अध्यक्ष महोदय, जहां तक अध्यक्ष महोदय रूलिंग का सवाल है····

**श्री रामकिशन:** अध्यक्ष महोदय की रूलिंग तो अभी हुई ही कहां है।

**श्री मोहमम्द गफ्फार अली:** जो निर्णय पेश किया गया है वह सही निर्णय है और बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा जो पुलिस की गलती हुई और उसमें आपत्ति इसलिये नहीं है कि जो लोग डिस्टर्ब करना चाहते थे उनको रोकने के लिये ये ऊपर आये थे, उनका खुद का कोई डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था। बेशक उन्होंने गलती

# Page No 46

46



(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
इकरार किया है इसलिये में समझता हूं कि जो मुख्य संचेतक महोदय ने जो तजबीज़ की है, उसको स्वीकार किया जाय और इनको माफ किया जाय।

**श्री दीपंकर :** अध्यक्ष महोदय, मुझे खास तौर पर यह निवेदन करना है कि आपने जानकारी प्राप्त करके जो हाउस के सामने रखी है मैं समझता हूं उसमें ऐसा है कि इन पुलिस वालों की मंशा जो है वह बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट रूप से हाउस के सामने है परन्तु इसको केवल जोर देकर कहना कि चाहे विद्यार्थी हों या और कोई लोग हों उनको हिरासत में लेकर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, मैं समझता हूं कि इसमें इंटेशन समझना चाहिए। मैं यहां पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि इनका जो स्टेटमेंट है वह काफी गम्भीर है, शिक्षा मंत्रीजी के प्रति आदर की भावना रखते हुए भी जो बात हुई है, वह काफी गंभीर है। जिन छात्रों ने यहां सदन में प्रवेश करके जो उनकी मंशा थी, जिनका सम्बन्ध विद्यार्थी परिषद से था उनका विचार सदन में अभद्र व्यवहार करने का था। मैंने बहुत से छात्रों से खुद जानकारी प्राप्त की है और उनका इरादा इस तरह का अभद्र व्यवहार करने का था और राजनैतिक भावना से यह किया गया था लेकिन उनको माफी दे देना चाहते थे तो कैसे हाऊस की गरिमा रह सकती है इस पर हाऊस को विचार करने की जरूरत है और इस तरह छोटी 2 बातों पर जोर देकर अहमियत जाहिर करके दबाव डालना वाजिब नहीं है। इसलिए जो भी प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं···

**श्री अध्यक्ष :** कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री दीपंकर :** और इस तरीके से जो लड़के हाऊस में घुस आए उनको नहीं आने दें। दूसरे हमारे जो वालंटियर हैं वे ही आपका तो जवाब सीढ़ियों में ही दे देंगे पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जिन पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सदन की प्रिमिसेज में प्रवेश किया उनको क्षमा याचना करदी जाय ?

(स्वीकृत)

क्षमा याचना प्रदान की गई।

नाऊ नेक्स्ट।

**मंत्रीमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव**

**श्री केदारनाथ :** ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर···

**श्री अध्यक्ष :** There is no motion as yet before the house. Let it come.

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री गुमानमल लोढ़ा, प्रो. केदारनाथ, श्री मीठालाल, श्री भानुकुमार शास्त्री एवं श्री मोहरसिंह (सादुलपुर), सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम 132 के अन्तर्गत वर्तमान मंत्री-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है।

प्रस्ताव इस प्रकार है :

"यह सदन राज्य के वर्तमान मंत्री-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।'

(श्री अध्यक्ष)

हमारे नियमों के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव पर अनुमति दी जाने के लिए सदस्यों की समग्र संख्या के कम से कम पांचवें भाग के सदस्य संख्या का प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होना अनिवार्य है। जो कम से कम 37 हैं।

अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

**श्री केदारनाथ :** ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, मान्यवर। मैंने सेक्शन 306 के अन्दर यह अप्लीकेशन मूव की है, 306 के अन्दर रूल्स ग्राफ प्रोसीजर में······

**श्री शंकरलाल (पाली) :** 106 में ?

**श्री खेतसिंह :** "With the consent of the Speaker" है

**श्री केदारनाथ :** Motion of No Confidence in Ministers. Rule 133

**श्री गुमानमल लोढा :** जरा रूल 306 पढ़ लीजिए समझ जायेंगे।

**श्री रामकिशन :** पढ़ते पढ़ते कुछ सीख जाओगे।

**श्री केदारनाथ :** Rule 132 Motion of No Confidence in Ministers,

इसके सब सेक्शन (2) जो इसका पोजिटिव पार्ट है; "if not less than one fifth of the total number of members rise accordingly" मान्यवर, मैंने इस अप्लीकेशन में यह निवेदन किया है कि यह सस्पेंशन करने का जो मैंने मोशन मूव किया है उस पर आप अपना कंसेंट दीजिए। मान्यवर, मेरा मकसद इस सस्पेंशन क्लाज को रिवोक करने का यह है कि 1/5 ग्राफ दी टोटल नम्बर ग्राफ मेम्बर्स यह एक अन-डेमोक्रेटिक सब-सेक्शन है। मान्यवर, अपोजीशन की जो पावर्स हैं, उनका यह सबसे बड़ा हथियार है अपनी नाराजगी जाहिर करने का, लोगों के असंतोष को कम्यूनिकेट करने का, यह नो-कौंफिडेंस। इसका यह सब सेक्शन है, सब क्लाज है, यह उसको फोर्स करता है, स्ट्राईफल करता है, डेमोक्रेटिक नहीं है। यहां मैं लोकसभा का हवाला इसलिए देना चाहता हूं मान्यवर, कि जो भी रूल्स बने हैं वह सारे के सारे इनसे गाइडेड हैं, सारा आधार है। रूल्स ग्राफ प्रोसीजर का वही एक आधार है। उसमें मान्यवर, जो उस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव मूव किया गया तो रूल्स में केवल 50 आदमी खड़े होने का प्रावधान रखा गया और 50 आदमी उसमें खड़े हो गए। उस वक्त मान्यवर, अध्यक्ष महोदय ने उस मोशन को एडमिट कर लिया वोट ग्रोन नो कौंफिडेंस के लिए। लोक सभा के रूल्स हमारे आधार हैं और इन रूल्स का हवाला मैंने इसीलिए दिया है मान्यवर कि लोक सभा हमारे लिए गाइडिंग लाइन है। मैं मान्यवर वह बात भी पढ़ कर सुना दूं।

"Motion of No Confidence in Ministers and Statement by Minister who has resigned...

(श्री केदारनाथ)

(2) If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than 50 members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted..."

मायन्वर, मैं दूसरी असेम्बलीज का हवाला इसलिए देना चाहता हूं कि यह रोगरस सबसेक्शन, जो डेमोक्रेटिक राइट्स को करटेल करता है इसलिए मान्यवर, आप इसकी कंसेंट दीजिए। क्योंकि हाउस 18 मेम्बर्स का हो जाने के बाद भी यह लीगली कांस्टीट्यूटेड सिटिंग माना जाता है, जो हमारे सारे पावर्स अथवा कांस्टीट्यूशनल अधिकार हैं उन अधिकारों के आधार पर आप यहां 18 मेम्बर्स की सिटिंग से कार्य कर सकते हैं। जब 18 की हाजरी में सब चीजें पास कर सकते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को रखने के लिए 37 का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस सस्पेंशन करने के मोशन पर आप कंसेंट दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : एक ओब्जेक्शन मैं भी करना चाहता हूं। वस्तु-स्थिति और नियमों की स्थिति यह है कि यह जो मोशन आपने रखा है यह तो अभी भी नियमों के तहत नहीं रखा जा सकता है जब तक कि रखने की अनुमति अध्यक्ष नहीं दे, जब तक इसको रखने की अनुमति नहीं दे। यह बात दूसरी है कि इसमें, नियमों में संख्या ज्यादा कर दीजिए, कम कर दीजिए लेकिन जब ऐसा प्रस्ताव हो तो उसकी अनुमति चाहिए...

**श्री रामकिशन** : पता है।

**श्री अध्यक्ष** : पता है तो अमल नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव मूव किया है वह स्वयं भी अध्यक्ष की अनुमति न हो, यहां नहीं रखा जा सकता जब तक कि अध्यक्ष अनुमति न दे, फिर कंसेंट का मसला तो आगे है।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक अध्यक्ष अनुमति नहीं दे दें आप इसको मूव ही नहीं कर सकते। जब तक वे अपनी कंसेंट नहीं दें प्रस्ताव मूव करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(व्यवधान–अश्रव्य)

आप बोल ही नहीं सकते। अगर आप 37 हैं तो खड़े हो जायं।

**श्री गुमानमल लोढा** : मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बोल रहा हूं...

**श्री खेतसिंह** : स्ट्रेंन्थ तो पास है नहीं।

**श्री दीपंकर** : इनको बोलने से रोका जाना चाहिए। इनके पास शक्ति नहीं है, वोट नहीं है...

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से निवेनेदन करूंगा कि रोज हर विषय पर, हर समय आपका बोलना अनिवार्य नहीं है। कृपया इसको ध्यान में रखें।

**श्री दीपंकर** : एक सदस्य के नाते मैं अपनी भावना आपकी मार्फत व्यक्त करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : साथ ही साथ उल्लंघन कर रहे हैं।...

**श्री दीपंकर** : मैं निवेदन कर रहा था कि सब नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो यह कैसे लिया जा सकता है। इस प्रकार ये जनता में जाकर झूठा प्रचार करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी भाषा को सुन कर भूतपूर्व माननीय सदस्य रामचन्द्रजी याद हो आते हैं।...

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : ये लक्ष्मण जी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में, तात्पर्य यह है कि जो कोटेशन आप देना चाहते हैं, जो मोशन आप मूव करना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में कोई बात कहना चाहते हैं तो कह दें। दो सदस्य कह दें। वन मोर। कोई भी बोल लें। लीगल पोजीशन की ही बात कहें।

**श्री रामकिशन** : इस सदन के नियमों के तहत कन्सेन्ट आपकी आवश्यक है। बगैर आपकी कन्सेन्ट के इस मोशन को नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक विचार करने की बात है। कन्सेण्ट देना किसलिए आवश्यक है? ज्यादा लम्बाई में तो मैं नहीं जाऊंगा। इस विधान सभा में वन फिफ्थ का प्राविजन है। परन्तु केरल, महाराष्ट्र और विधान सभा के नियमों को भी देखें। अध्यक्ष महोदय, आखिर वहां कि विधान सभाओं में यह संख्या इतनी ही क्यों रखी गयी है। वहां पर संख्या इतनी कम क्यों रखी गयी है। इसका साफ कारण है कि लोकतन्त्र में विरोधी दल सशक्त हो और विरोध की आवाज सही ढंग से सामने आये। अगर यह आवाज सही ढंग से सामने नहीं आएगी तो उससे हिंसा का फैलना लाजमी है। मेरा यह निवेदन करना यह है कि वन फिफ्थ का जो बैकग्राउन्ड है इसका यह कारण यह रहा है कि यहां पर कभी भी कांग्रेस दल का बहुमत नहीं रहा सिवाय सन् 1957 और 1972 के। हमेशा ही नकली बहुमत बनाया गया है और दल बदलाये गये हैं। इसलिए यह प्रावधान किया गया है। अन्यथा अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधान सभा, जो कि बहुत पुरानी विधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेम्बली है, वहां पर यह संख्या बीस है जबकि सदस्यों की संख्या ज्यादा है। गुजरात विधान सभा में नो कान्फिडेन्स प्रस्ताव पेश करने के लिये केवल 17 की संख्या रखी गयी है। केरल में यह संख्या केवल बीस ही है। उनका इसके लिये रूल 106 है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र असेम्बली में यह संख्या केवल 27 ही है। केरल को एक प्रगतिशील राज्य मान रहे हैं। वहां पर यह सदस्य संख्या बीस रखी है ऐसी स्थिति में राजस्थान विधान सभा के लिये यह जो कानून बनाया गया है वह आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं बैठता है इसलिए इसको आज सस्पेन्ड करना जरूरी हो गया है जिससे कि नीतियों के सम्बन्ध में, सरकार की सफलताओं के सम्बन्ध में एक सैद्धान्तिक विचार-विमर्श हो सके। ये व्यक्तिगत छींटाकशी

# Page No 50

50.



(श्री रामकिशन)

करने के लिए वाद-विवाद नहीं है। सवाल यह है कि आज जिस प्रकार की हालत हैं अगर विरोधी दलों को इस प्रस्ताव के जरिए सरकार की नीतियों पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी असफलताओं पर इस सदन में चर्चा । नहीं करने दी जायेगी, विरोधी दलों को समस्याओं के प्रति अपने सुझाव नहीं देने दिए जाएंगे तो इससे राजस्थान में जो निराशा है वह और ज्यादा व्याप्त होगी । आज इस निराशा के कारण गुजरात, बिहार में यह स्थिति पैदा हो गयी है, वह यहां पर भी पैदा हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रूल चाहे कैसा हो स्थिति में बना हो, इसके पीछे कोई भावना रही हो, आज के संदर्भ में, विशेष तौर से आज के लिए इस रूल को सस्पेन्ड करना चाहिए। आपने भी हर दम रूल को सशक्त नहीं रखा है। स्थगन प्रस्ताव पेश होते हैं, नियमों में कुछ नहीं हैं, फिर भी बोलने को इजाजत देते हैं। आपकी तरफ से अपनी बात कहने का हमें मौका दिया जाता है। छोटे छोटे मसलों पर आप रूल को सस्पेन्ड करते रहे हैं। इन महत्व के मामलों पर आपका जो दृष्टिकोण रहा है वह डेमोक्रेटिक रहा है। इस कारण बहुत जरूरी हो गया है कि इसको सस्पेन्ड किया जाये और तब इस इस पर विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : अब मैं ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि धारा 306 में आपको सर्वोच्च अधिकार हैं, रूल को सस्पेन्ड करने का, अनफेटंड करने का अनलिमिटेड अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रश्न यह है कि आब्जेक्टिवली इस पर विचार कर के जिस प्रकार से आपने सारे प्राश्नों के ऊपर बहुत ही इन्डीपेन्डेन्टली निर्णय लिए हैं, इस पर लीजिये। यह एक ऐसा प्रसंग है जिस पर हम आपके रूल रिलेक्स करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चारों विरोधी पार्टियों ने भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इन चारों पार्टियों ने सम्मिलित होकर राज्य के मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया इसके साथ में नहीं है परन्तु इस सदन के चारों विरोधी दल इसमें आ गये हैं ताकि सरकार की रीतियों, नीतियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हो सके। मैं समझता हूं कि इसके बारे में माननीय नेता महोदय, और मंत्री मण्डल के सदस्यों को स्पोर्टिंग के तरीके से हमारी बात पर सहमति प्रदान करनी चाहिये। यह जो रीति नीति पर वाद-विवाद का सवाल है इसको सदन के पटल पर गम्भीरता से लिया जाए और इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वैसे टेक्नीकल ग्राउन्ड पर आब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, यह उनके अधिकार की बात है परन्तु अध्यक्ष महोदय, आपको भी उनके इस अधिकार को सुपरसीड करने का अधिकार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री रामकिशन)

संसदीय प्रणाली में कई ऐसे क्षण आते है जब उन क्षणों को गंभीरता के साथ देखा जावे कि राज्य के शासन के अन्दर जनता की कुछ सेवा करने का बीड़ा लेकर सभी विधायक यहां पर आये हैं तो शासन की रीति नीति पर विचार विमर्श हो, मनन चिन्तन हो। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के यह हित में होगा। इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आब्जेक्टिवली इसके ऊपर विचार करें और प्रोफेसर केदार ने जो प्रस्ताव रखा है कि आप अपनी कन्सेन्ट देकर इस रूल को रिलेक्स कर दें। इसमें निवेदन केवल यह है कि सब दृष्टिकोण से, तर्क की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, एक्सोपेन्डेन्सी आफ पोलिटिकल लाइफ की दृष्टि से, और जनहित में यह आवश्यक है कि कमसे कम अविश्वास के बारे में जो विचार रखना चाहे उस पर प्रतिबन्ध न लगे सिर्फ टेक्नीकल कारणों से। सब से महत्वपूर्ण बात है लोकसभा में केवल 50 व्यक्तिसदस्य खड़े हो जावें तो इस पर विचार विमर्श हो सकता है। आखिर राजस्थान विधान सभा को भी उससे गाइड होना चाहिये। रूल तो टैक्नीकल है। टैक्नीकल रूल को रिलेक्स करने में आसन की गरिमा बढ़ेगी और सरकार इससे सहमत हो गई तो वह क्षण राजस्थान विधान सभा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा, जनता भी इससे प्रेस होगा और आशा है इस प्रेस में सफल होने के लिये वे अग्रसर होंगे।

**श्री हरिदेव जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरा विचार इस प्रश्न पर बोलने का नहीं था किन्तु मुझे सम्बोधित कर के, मेरे को इससे प्रभावित करने की बात कही गयी है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह सदन रूल्स से गाइड होता है। डेमोक्रेसी भी रूल और कानून से गाइड होती हैं। इस सदन के संचालन के नियम रूलिंग पार्टी ने नहीं बनाये हैं, बल्कि सदन ने स्वीकार किये हैं। रूल्स के बनाने के लिए अथवा समय समय पर उन पर विचार विमर्श करने के लिए सदन की रूल्स सब कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी ने जब रूल्स स्वीकार किये तब जा करके इस हाउस ने उनको एडाप्ट किया है, स्वीकार किया है। इसलिए यह कहना कि दूसरे हाउसेज के रूल्स तो डेमोक्रेटिक हैं और हमारे रूल्स अनडेमोक्रेटिक अथवा ज्यादा सख्त हैं यह एक प्रकार से अपने पर ही एसपर्शन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि सदन सरकार की रीति-नीति और कार्य-प्रणाली के ऊपर खुलकर विचार करें। उससे राज्य सरकार को लाभ ही होता है और राज्य सरकार कुछ खोती नहीं है, किन्तु मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि अविश्वास में और पालिसी के डिसकशन्स के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है। अविश्वास के प्रस्ताव को लाइटली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अविश्वास के प्रस्ताव को ऐसा करने से, जैसा कि कहते हैं कि कोई कपड़ा फट जाय और सूई की जगह पर बोरा सोने के लिए एक बड़ा सूआ होता है उसको काम में लें तो कपड़ा फट जायगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर आप यह सोचते हैं कि सरकार की रीति-नीति

(श्री रामकिशन)

पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो इन रूल्स में प्रावधान है और उन पर विचार करने का अवसर रूल्स देते हैं। उसमें कहीं यह आवश्यकता नहीं है कि इतने सदस्य होने चाहिए हाउस में चर्चा करने के लिए।

मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन ने यह समझकर कि हमारे पास उचित संख्या तो है नहीं और अलामत इसका दुरुपयोग न करें इसलिए इसको रोकने के लिए संख्या निर्धारित की है। अगर, अध्यक्ष महोदय, आप इसको रिलेक्स करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि रूल्स कमेटी की जो भावना थी वह और इन रूल्स को पारित करते समय सदन की जो भावना थी उसके अगेन्स्ट यह काम होगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य जो राज्य सरकार की रीति-नीति पर विचार करना चाहते हैं, कार्य प्रणाली पर चर्चा करना चाहते हैं उन्हें कोई दूसरे तरीके से कान्स्टीट्यूशन के तहत, इन रूल्स के तहत उठाना चाहिए बजाय इसके कि नो कान्फीडेन्स मोशन के रूप में लायें। यह मेरा एक सुझाव है और यही मेरा निवेदन है।

**श्री शंकरलाल (पाली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। 306 नियमों का यह फायदा उठाकर अध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहते हैं कि रूल्स को सस्पेंड कर दें। 306 के अन्दर भी अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार नहीं है। कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति दे सकते हैं यह नियम सस्पेंड किया जाय, लेकिन उस प्रस्ताव का फैसला कौन करेगा ? वह सदन करेगा और सदन करेगा बहुमत से। इसलिए 306 का रूल तो नो कान्फीडेन्स के लिए और भी रिजिड हो जाता है। 132 में तो 37 आदमी खड़े होने चाहिए, लेकिन 306 को सस्पेंड करने के लिए आपका हाउस में बहुमत होना चाहिए और वह बहुमत आपका हो नहीं सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय को इसमें सिर्फ अनुमति देने के पावर्स हैं और सस्पेंड करने के पावर्स नहीं हैं। वह पावर्स हाउस को हैं। इसलिए 306 आपके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता है।

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय,··

**श्री अध्यक्ष** : एसा इश्यू नहीं है।

**श्री केदारनाथ** : मेरा पाइंट आफ आर्डर था। मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी इन प्रापर टाइम एप्लीकेशन मूव कर दी आपकी कन्सेंट लेने के लिए और कन्सेंट देने के बाद मोशन आयेगा। जो रूल आब्सोलीट हो जायं और अपनी इम्पार्टेन्स को छोड़ दें तो मौजूदा परिस्थिति में उसको डिलीट करने के लिए मांग करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने यह प्रस्ताव किया है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने भेजा है उसके सम्बन्ध में 132 का जो रूल है उसको स्थगित किया जाय, सस्पेंड किया जाय और माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

ने भी इसी बात की ताईद की है। उन्होंने इस संबंध में मुझे लिखकर भी दिया था कि 132 का दूसरा भाग जो है उसको निलम्बित कर दिया जाय और उसको सस्पेंड कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है कि रूल्स में 306 के अन्तर्गत सस्पेन्शन आफ रूल्स किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। उसका अर्थ भी एक जानने की बात है कि उसका कब प्रयोग किया जा सकता है, कब उसको काम में लाया जा सकता है यह भी जानने की बात है। जैसा कि माननीय शंकरलालजी ने कहा कि 306 के अन्तर्गत उस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अध्यक्ष यही अनुमति दे सकता है कि सस्पेन्शन के लिए मूव किया जाय, लेकिन आखिरी तरीके से इस सदन को ही तय करना होता है कि उसको रिलेक्स किया जाय, सस्पेंड किया जाय या नहीं किया जाय। यह सदन के अधिकार की ही बात है। राय देने के बाद और सस्पेन्शन का मोशन आने के बाद ही वह दे सकता है। बाकी सस्पेंड करना या न करना वह हाउस का काम है।

अब प्रश्न रहता है कि उसको मूव करने के लिए इजाजत दी जाय या न दी जाय सस्पेंशन के लिए तो आखिर प्रत्यक्ष स्थिति जो है, वह प्रैक्टिकल बात जो है वह आप भी जानते हैं कि बहुमत किन का है, लेकिन मैं एकेडेमिक बात बताता हूं···

श्री केदारनाथ : क्वालिटेटिव बहुमत है क्वान्टिटेटिव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो नियमों के अन्तर्गत ही सारी बात करता हूं। मैं उसका नोट नहीं लेता हूं।

मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने दो तीन मुद्दे उठाये हैं। एक तो बात उन्होंने यह कही है कि इस प्रकार के नियम रखना जिनमें कोई पाबन्दी लगाई जाय और खास तौर से इतनी संख्या हो वह अनडेमोक्रेटिक है। दूसरा यह है कि लोकसभा में 50 की संख्या रखी गई है और यहां पर वन फिफ्थ के लिहाज से 37 होती है जो बहुत ज्यादा मालूम होती है इसलिए इस नियम को रिलेक्स कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। दो बातें उन्होंने मुख्य रूप से कहीं। तीसरी बात भी साधारण रूप से कही जा सकती है कि आज परिस्थिति ऐसी है उसके लिहाज से और जो उन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा है उसमें लिखा है—

"I request Your Honour to allow me to move the following motion:—

That sub-section (2) of Rule 132 be suspended in regard to the motion of No-Confidence in Ministers under Rule 306 because issues raised in the said motion are of far reaching effects in the economic and political life of the State."

राजनैतिक कारणों से और आर्थिक कारणों से इस मुद्दे को उठा सकते हैं, इसको दृष्टि में रखते हुए इस रूल को सस्पेंड किया

(श्री अध्यक्ष)

जाना चाहिये। मुझ से शायद आप सभी सहमत होंगे कि किन्हीं नियमों के अन्दर इस बात का प्रावधान रहना अनडेमोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वह है जिसको चुने हुए आदमी तय कर दें। डेमोक्रेटिक साधारणतया उसको कहते हैं। धारा सभा और लोकसभा यह ऐसी संस्थाएं हैं जो डेमोक्रेटिक और प्रजातान्त्रिक संस्थाएं हैं और उनके जो निर्णय हैं और रूल हैं वह डेमोक्रेसी और प्रजातन्त्र के ऊपर ही आधारित हैं। इसलिये जो नियम इस धारा सभा ने आज से 25 वर्ष पहले बनाये हैं जिनको बार बार, मतवातिर हम क्रियान्वित करते रहे हैं, आज से कई दफा पहले नो कान्फीडेन्स मोशन, अविश्वास के प्रस्ताव इस सदन में आये हैं और उन पर भी वह लागू होता रहा है, तो आज मुझ से यह कहा जाय कि विशेष परिस्थितियां पोलिटिकल और इकोनामिकल ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से उसको सस्पेंड किया जाय, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं।

माननीय सदस्य : पोलिटीकल ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो प्रस्ताव है वह पोलिटिकल है उनमें। तो पोलिटिकल रीजन्स और इकोनामिकल रीजन्स हो सकते हैं।

...लेकिन मेरे लिए वह इतना काफी नहीं है। दलील इस प्रकार की नहीं है कि जिसके लिए कुछ खास तौर से किया जाए खास तौर से ऐसे धारा सभा में कई सवाल आये हैं। यह कि यह अन्डेमोक्रेटिक है, यह तो सवाल ही नहीं है। हां, यह हो सकता है कि यह धारा सभा अपने नियमो में कोई परिवर्तन लाये। सदन को पूरा अधिकार है कि वह नियमों में कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन आज जो निर्णय होगा, वह आज के नियम के आधार पर होगा। तो मैं इसे सहमति नहीं दे सकता।

दूसरी बात, जो लोक सभा की 50 की बात कही गई है।

श्री रामकिशन : वहां 500 हैं।

श्री अध्यक्ष : भविष्य की दृष्टि से कम या ज्यादा हो सकते हैं। यह सदन को मुकर्रर करना चाहिए। जो भी आप रखना चाहें, वन टेन्थ रखना चाहें, वन टेन्थ रखें। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष के डिस्क्रीशन की कोई न कोई अथोरिटी है। इसके आधार पर होता है। नहीं तो डिसीजन आरबोट्रेटरी होगा। वह जैसा चाहें वैसा मर्जी के अनुसार नहीं कर सकते हैं। आथोरिटी के सम्बन्ध में संसदीय राय क्या है, यह देखना है। यह बात सही है कि हम सस्पेंशन करने की इजाजत दे सकते हैं। मुझे देखना चाहिए कि इस बारे में सदन की क्या परम्पराएं रही हैं। विशेष नियमों के अन्दर प्रावधान हो और इसको सस्पेण्ड किया जाये तो इसके लिए दलील होनी चाहिए। जो दलीलें दी गई हैं, उनसे मुझे सन्तोष हुआ नहीं है। मैं ने निवेदन किया कि मैं इसको अलग रखते हुये, मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में जो परम्परा हैं, ऐसी स्थिति में स्पीकर को अपना डिसीजन बहुत कांसस्ली बहुत एतिहात के साथ बहुत ही सोच समझकर,

(श्री अध्यक्ष)

विवेक से करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आप को रूलिंग पढ़ कर निवेदन कर देना चाहता हूं।

"Although it is in the discretion of the Speaker to give his consent to the moving of a motion for suspension of a rule the discretion is exercised with utmost care and caution after taking into consideration all the accompanying circumstances of an individual case . . . on occasions the Speaker has refused permission for the moving of a motion when circumstances of the case did not warrant such a step"

एक ऐसी अथॉरिटी है, जो विरोध है जो स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष के विरोध में हो सकती है। मेरे पास ऐसी भी अथॉरिटी है जिसमें लोक सभा में सत्ता पक्ष ने एक बिल पेश करना चाहा, किन्तु जो समय निर्धारित था, जितने समय में पेश होना चाहिये था, उसकी उसमें पालना नहीं हुई। उन्होंने कहा अध्यक्ष से कि आपको समय की पाबन्दी करने को रिलेक्स करने का अधिकार है उस पर स्पीकर ने गवर्नमेंट की बात न मान कर बिल पेश करने की अनुमति नहीं दी।

"The Constitution (Tenth Amendment) Bill, 1961 and the Dadra and Nagar Haveli Bill 1961 were introduce on August II, 1961. The latter Bill was dependent on the former. On ground of urgency the Minister of Parliamentry Affairs sought the Speaker's permission to move a motion for suspension of rule 66. The Speaker did not agree to this proposal."

तो यह जो पहले के निर्णय हैं, यह आथोरिटीज में आते हैं। इस प्रकार और भी बहुत से हैं। इन परिस्थितियों में मेरा अपना डिसक्रिशन उनके विरुद्ध नहीं हो सकता है। हम रूल 306 के अन्तर्गत 132 (2) को सस्पेंशन नहीं कर सकते आपने लिख कर दिया है, 132 का सस्पेंशन कर दें। सारा काम बन्द हो जाये। इसमें और भी बातें हैं।

**श्री केदारनाथ :** मान्यवर, इसमें . . .

**श्री अध्यक्ष :** आपने लिख कर दिया है। "Sub-section (2) of Rule 132 be suspended in regard to the motion of No Confidence in Ministers"

**श्री केदार नाथ :** यह तो मेमोरी की बात है।

**श्री अध्यक्ष :** इसमें कई और मुद्दे हैं—
"If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places....."

132 (2) अगर सस्पेण्ड कर दें तो वह भी मैं नहीं रख सकता हूं। जो मैंने

# Page No 56

56



(श्री अध्यक्ष)

दलीलें दी हैं, जो परम्पराएं हैं, लोक सभा के आधार पर मैं इस सम्बन्ध में 306 के अन्तर्गत रूल्स रिलेक्स कर इस पर अनुमति देने में सहमत नहीं हूं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में होंगे ...

**श्री रामकिशन** : हमारे कांग्रेसी सदस्य नींद से जागेंगे और कहेंगे कि सही बात हो रही है। आप पढ़कर सुना दीजिये।

**श्री गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : वैसे तो मैंने पढ़कर सुना दिया है। मुझे दुबारा पढ़ने में कोई ऐतराज नहीं है।

**श्री रामकिशन** : दुबारा फिर पढ़ दीजिये। इससे कांग्रेसियों की आत्मा जागेगी।

**श्री अध्यक्ष** : यह सदन राज्य के वर्तमान मन्त्रिपरिषद् में "अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

जो इसके पक्ष में हैं, वह खड़े हो जायें।

(कुछ माननीय सदस्य, विरोधी पक्ष के, अपने अपने स्थानों पर खड़े हुये)

13 संख्या आई है। अनुमति नहीं दी जा सकती है।

**सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र**

**श्री गुमानमल लोढा** : कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य तो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प. 23 (2) नियुक्ति (क)।60, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 को सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन, एवं

राजस्थान वित्त निगम को 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन, सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री केदारनाथ** : यह 6 नवम्बर, 1971 को रखा गया है। 1972 में इलेक्शन हो गये हैं?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : इसका मुझे खेद है।

**श्री रामकिशन** : इसमें खेद की बात नहीं है। इनको तो हाउस की मेज पर खड़ा कर दिया जाये।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय माननीय गृह राज्य मंत्री को कुर्सी पर खड़ा कर दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : कुर्सी पर खड़ा करने का प्रावधान नहीं है।

**श्री जयकिशनलाल** : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि विपक्ष के 13 सदस्य खड़े हुए वरना इनके 12 दिन हो जाते।

**मुख्य मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी

(श्री अध्यक्ष)

के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव मेरे पास आया है । वैसे मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव और निन्दा प्रस्ताव दोनों अलग अलग होते हैं और आपस में भिन्न भिन्न हैं । मैंने इसे सेक्शन 119 के तहत इसे मन्जूर कर लिया है लेकिन इसके आगे रूल 126 के तहत इसकी सीमा निश्चित करदी है । इसकी सीमा साधारणतया वाद विवाद के लिये मैंने दो घण्टे का समय निर्धारित किया है । इसमें जो माननीय सदस्य पहले बोलेंगे उन्हें 15 मिनट और बाद में बोलने वाले माननीय सदस्यों को 10 मिनट का समय दिया जायेगा ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय दो घन्टे का समय कम है । बोलने वाले अधिक हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह आगे देख लेंगे ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर । यह जो निंदा प्रस्ताव सदन में आया है अध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन 119 से कवर ही नहीं होता । इसमें लिखा है कि लोक हित के किसी विषय पर चर्चा : संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, यह इसमें कवर नहीं होता है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य इसके लिए कोई लीगल या टैक्नीकल व्यू पाइन्ट इसमें नहीं रखें । जो भी प्रस्ताव आया है उस पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें । लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि इसका प्रिसीडेन्स कायम नहीं होना चाहिए ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है और आपने भी इसकी स्वीकृति दी है तो इसमें आगे कहने को कोई बात नहीं है । लेकिन इसका प्रिसीडेन्स नहीं कायम होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूल्स आफ प्रोसीजर के सैक्शन 121 के तहत रूलिंग चाहूंगा क्योंकि इसका कारण है कि यह रूल 121 के तहत भी कवर नहीं होता है । जैसा कि रूल 121 में लिखा है कोई प्रस्ताव ग्राह्य उसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा (1) उसमें सामान्य रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा ।

(2) उसमें तर्क अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानि कारण कथन नहीं होगा ।

(3) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा ।

(4) वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निर्बन्धित रहेगा ।

इस प्रकार और भी जो सैक्शन हैं उसमें यह कवर नहीं होता है । यह सेक्शन 121 वेक है । उसमें दिया है कि मानहानिकारण कथन नहीं होगा । इसके अलावा हाल ही कोई विशेष घटना तक ही सीमित रहेगा ।

(श्री शंकरलाल)

इस सबके बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। इस पर चर्चा हो सकती है या नहीं इस पर आप अपनी रूलिंग जरूर दें।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी सहमति इसके लिए दे दी है और आपने भी अपनी कनसेन्ट दे दी है इसके लिए अब इस पर विचार तो होना ही चाहिए। लेकिन, यह निन्दा प्रस्ताव सेक्शन 119 के तहत जो आया है उसके लिए सेक्शन 121 के अन्दर कुछ शर्तें रखी गई हैं इसमें 121 रूल के सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निर्बन्धित रहेगा। तो अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस मोशन को मूव किया है, शायद उन्होंने इस डेफीनेशन को नहीं देखा है। वैसे तो यह मूव हो नहीं सकता लेकिन अब आपने कनसेन्ट दे दी है तो यहां पर चर्चा हो जाए। लेकिन इसका प्रिसीडेन्स कायम नहीं होना चाहिये।

**श्री गुमानमल लोढा :** अध्यक्ष महोदय, जब एक बार सदन में आपने किसी मोशन को एडमिट कर लिया है तो उसके बारे में सदन में चर्चा इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि इसको एडमिट नहीं किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है और आप जो फेसला करते हैं वह फाइनल है। आपने जो स्वीकृति प्रदान की है वह रूल 122 के तहत दी है। वह नियमानुसार स्वीकृति दी है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मोशन हमारे सामने तो अभी आया है इसलिए हम यह कह रहे हैं: It is for the chair.

अध्यक्ष महोदय हमको इसके लिए कोई मौका ही नहीं दिया है।

**श्री गुमानमल लोढा :** जब रूल 122 में साफ दिया हुआ है कि माननीय अध्यक्ष प्रस्ताव की सहायता का विनिश्चित करेंगे। और जब आपने स्वीकृति दे दी फिर इस पर डिसकशन नहीं होना चाहिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय, आप जरा विचार करें।

**श्री अध्यक्ष :** मैं जो कोई काम करता हूं वह सोच विचार करके ही करता हूं और उस पर पुनर्विचार कम ही करता हूं। वैसे जहां तक सवाल सेन्सर मोशन का है इसके लिए कोई रूल्स लोकसभा में भी नहीं हैं और दूसरी स्टेट्स में भी नहीं। वैसे अविश्वास प्रस्ताव और सेन्सर मोशन दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। इसलिए नो कोन्फीडेन्स की शर्तें इस पर लागू नहीं होती हैं। वैसे सदन में सेन्सर मोशन पर वाद विवाद हो सकता है ऐसी मेरी मान्यता है। जहां तक मैं समझता हूं रूल 119 के तहत मेरी मान्यता है कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स से संबंधित कोई सेन्सर मोशन आ सकता है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। वैसे इस सदन में पूर्व में भी कई बार इस प्रकार के मोशन आ चुके हैं। मुझे याद पड़ता है जब श्री निरंजननाथ जी आचार्य यहां पर अध्यक्ष थे तब इस प्रकार के मोशन सदन में आये थे। उन्होंने सदन में सेन्सर मोशन के आने की सहमति प्रदान की और वह यहां पर डिसकस भी हुए थे। तो सदन की परम्परा रही है। तो मैं समझता हूं कि यह बात रूल 119 के तहत आ सकती है और जहां तक सवाल यह है कि इसका प्रिसीडेन्स कायम नहीं होगा इसके लिए भी मैं कोई आथोरिटी नहीं हूं।

**एक माननीय सदस्य** : रूल के अन्तर्गत आप आथोरिटी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह दूं कि भविष्य में सेन्सर मोशन सदन में नहीं आये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट में स्पष्टीकरण करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे प्रतीत की याद दिलाई है। यह मेरे प्रतीत से संबंधित है।

**श्री अध्यक्ष** : आप स्पष्टीकरण नहीं आप मार्ग दर्शन करें।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कनसेन्ट दे दी है और यह रूल 121 के अन्तर्गत रेग्यूलेट भी होती है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं मैंने इसके लिये रूल 126 के तहत वाद विवाद के लिये मैंने पहले बोलने वाले के लिये 15 मिनिट तय किया और बाद में बोलने वाले के लिये दस मिनट का समय निर्धारित किया है। श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

**श्री यशवन्त सिंह नाहर** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य जो बोले वह दुनिया भरके बारे में नहीं बोले। अपने भाषण को सीमित रखें। और आइन्दा के लिए इसका प्रिसोडेन्स नहीं कायम होना चाहिए। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे दल ने माननीय मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से मेरे दल ने गंभीरता से विचार करके माननीय मुख्य मंत्री के 9 महीने के कार्यकाल की नीतियों के मुख्य मुद्दों को प्रस्तुत किया है। 25 अक्टूबर, 1973 को माननीय मुख्य मंत्री ने अपना मंत्रिमंडल घोषित किया और 5 नवम्बर, 1973 को उन्होंने इसी विधानसभा में अपना पहला वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कुछ नीतियों को उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया। सबसे पहली नीति जो वह इस सदन में लाए, वह आदिवासी हरिजन और पिछड़ी जनजाति के लोगों के संबंध में थी। इससे पहले मैं उनकी नीतियों की बात करूं, स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उनके मंत्रिमंडल के अन्दर जिन शक्तियों का समावेश उन्होंने किया, उनकी दोनों दिशायें प्रस्तुत हो रही हैं। मैं केवल काला रुख ही प्रस्तुत करने के लिए सदन में हाजिर हुआ हूं ऐसा नहीं है, कुछ उज्जवल पहलू भी रहे हैं। सब मंत्रियों के अपने अपने एक्शन्स के अनुसार कुछ एचीवमेंट्स भी हुए हैं लेकिन एचीवमेंट्स के मुकाबले में जो कमिटमेंट्स माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन को दिए हैं उनका पूरा नहीं होना बहुत अधिक है इसलिए मुझे यह प्रस्ताव रखना पड़ा। अगर मेरी पार्टी का सरकार बदल देने का इरादा होता तो वे मेरे पक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव के अन्दर शामिल हो जाते लेकिन सारे देश में मेरी पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है कि आज हम सरकार को पूंजीवाद के रास्ते से बदलकर गैर-पूंजीवाद के रास्ते की ओर ले जाना चाहते

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं। हम मजदूर का, किसान का एक राज्य बनाना चाहते हैं ताकि देश में सामंती अवशेषों को और साम्राज्यवाद को इजारेदार से समाप्त करना चाहते हैं ताकि देश पूंजीपतियों से मुक्त हो। अगर मुख्यमंत्री के 9 महीने के काल में उनके द्वारा उठाए गए कदमों, उनकी नीतियों की ओर जाते हैं तो मेरी पार्टी का कर्तव्य है कि हम निंदा प्रस्ताव पर सारी चीजों को सदन में प्रस्तुत करें। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जहां 25 प्रतिशत बसों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा हुई वहां इस राज्य में 28 प्रतिशत बसों का राष्ट्रीयकरण हुआ। न तो मेरे पास समय है कि उनके सारे डिटेल्स में जाऊं और न कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बसों की क्या स्थिति है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण में 4 करोड़ रुपए की आमदनी होती है वहां 75 प्रतिशत अराष्ट्रीयकृत बसों से हमें केवल 6 करोड़ की आमदनी होती है और अगर हम शतप्रतिशत बसों के राष्ट्रीयकरण की ओर तेजी से बढ़ें तो यह स्पष्ट नजर आता है कि हम बहुत अधिक आमदनी अपने राज्य के लिए प्राप्त कर सकेंगे।

फूड पालिसी के अन्दर मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि सेक्टर के अन्दर जब व्यापारियों पर लेवी का प्रश्न आया, उस समय व्यापारियों से लेवी लेने के संबंध में मुख्य मंत्री का दृष्टि कोण रहा है। उन्होंने यह कहा है कि व्यापारी से जो प्रोड्यूसर्स लेवी है वही ली जानी चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि लेवी की वसूली में जो दिशा ली गई, वह दिशा मुझे मजबूर करती है कि मैं मुख्य मंत्री की इसके लिए निंदा करूं यह सही है कि कल की घोषणा के अनुसार जहां 2 हजार क्विन्टल लेवी रखने का व्यापारियों को अधिकार दिया गया था, उसको घटाकर 500 क्विंटल किया है लेकिन इस राज्य के द्वारा व्यापारियों से लेवी वसूली के संबंध में जो शिथिलता है वह स्पष्ट बताता है कि खाद्य मंत्री ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जबकि जयपुर में केवल 1:8 टन लेवी वसूल होती है, तो यह स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री ने मशीनरी को गीयर अप नहीं किया था, मुख्यमंत्री व्यापारियों से लेवी लेने के संबंध में कोन नहीं थे। बांसवाडा में 5:37 टन लेवी वसूल हुई है, वहां पर गेहूं नहीं मिलता। ये आंकड़े स्पष्ट बात की घोषणा करते हैं कि व्यापारियों से लेवी लेने के संबंध में घोर शिथिलता हुई है और जिस प्रकार गरीब वर्ग को लेवी के संबंध में टारचर किया गया है उनको खरीद करके लेवी में गेहूं देना पड़ा, यह लेवी का काला पक्ष रहा है और स्वयं कांग्रेस बेंचेज ने उभार कर सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इन प्रश्नों के संबंध में जहां यह मानकर चलता हूं कि कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं वहां पर मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो मुख्य घोषणा मुख्यमंत्री की सदन में थी वह आदिवासियों और हरिजनों के संबंध में थी। उन्होंने हरिजनों और आदिवासियों पर से अत्याचारों को हटा देना, उनको भूमि वितरण की दिशा में आगे बढ़ना, अपनी सारी मशीनरी को गीयर अप करना और जहां हरिजन और आदिवासियों को कब्जे नहीं मिल रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ना और उनको कब्जे दिलाना, ये तीन पहलू स्पष्ट रूप से मुख्य-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मंत्री ने इस सदन में प्रस्तुत किए थे। मैं दोहराना नहीं चाहता उन रोमांचकारी कांडों को जिनको मैंने सदन में प्रस्तुत किया। बजट सेशन के समय और आज भी ये कांड सारे राजस्थान में रिपीट हो रहे हैं और बहुत तेजी से रिपीट हो रहे हैं और कोई इन्फास्ट्रक्चर नहीं है जो हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचारों को बंद कर सके। इसी सदन में पिछले सत्र में मैंने एक घटना रखी थी गिरीजी महाराज की बीकानेर की जिसमें झाकड़ावाली क्षेत्र में 200 हरिजन गए जिसमें से 100 औरतें थी उनको बेरहमी से पीटा गया उनको नंगा किया गया, इससे बढ़कर छूआ-छात की मिसाल नहीं हो सकती और सदन में पूरी मजबूती से मैंने यह बात रखी थी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के अनेक केसेज सदन में रखे उनमें से एक भी केस नहीं है जिसमें एक्शन लिया गया हो। चावंली में हत्या वाले केस में मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं। डूंगरपुर में जहां मुख्यमंत्री का गहरा संबंध है, मैंने आसपुर के गांव लेवाता के केसेज रखे थे वहां के ठाकुर सूर्यपालसिंह पृथ्वी सिंह ने एक भील को कूट कूट कर मार दिया। मैंने सदन में मांग की थी कि वह ठाकुर भीलों की 50 बीघा जमीन दबाए हुए बैठे हैं, बंदूक के जोर पर फसल उठाई है।

गंगानगर मुख्य मंत्री के लिए बहुत दूर हो सकता है लेकिन लेवाता मुख्य मंत्री के लिए बहुत अधिक दूर नहीं है। मैंने इस सदन के अन्दर जालोर के गलीफा गांव के ठाकुर साहब का केस रखा था। 770 बीघा जमीन इन ठाकुर साहब की सीलिंग के अन्तर्गत आ चुकी थी, जो बढ़िया जमीन थी, जमीन नम्बर एक और दो की थी, उस जमीन के ऊपर ठाकुर साहब ने फसल बोयी लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई एक्शन किसी प्रकार का नहीं हुआ। और तो और, मैं एक मामले के बारे में निवेदन करूंगा, लिखमासर गांव के अन्दर हरिजन औरत को नंगा करके गांव के अन्दर निकाला जाय, मैंने उस सम्बन्ध में इस सदन में प्रश्न रखा लेकिन बावजूद इसके कि यहां से वायरलेस किया गया कि इस केस के इन्वेस्टीगेशन को स्टोप कर दिया जाय, सी. आई. डी. आ रही है इसके इन्वेस्टीगेशन के लिए, वहां उस केस को बाकायदा चालान कर दिया गया। मुख्य मंत्री जी चैक कर लें रिकार्ड को, इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट के वायरलेस मैसेज देने, टेलिग्राफिक मैसेज देने के बावजूद भी वहां के डी. एस. पी. ने इस केस को चालान कर दिया, दो दिन के बाद। अनेकानेक इस प्रकार के रोमांचकारी काण्ड हैं, गंगानगर की अनेकानेक कहानियां हैं। आप गर्व के साथ में यह घोषणा कर सकते हैं कि हमने हरिजनों को जमीन दी है, आदिवासियों को जमीन दी है। लेकिन आप एकड़ देखें तो पांच व्यक्तियों के एक परिवार को 3.5 एकड़ से ज्यादा धरती आपने नहीं दी है। गंगानगर के अन्दर जिन हरिजनों को जमीन दी है, उनके बारे में मैंने मांग की है कि मुझे बताया जाय, 107 और 151 के अन्दर में गंगानगर के अन्दर कितने केसेज हुए हैं और हरिजनों के ऊपर कितने केसेज हुए हैं।

यह तो मुख्य मंत्री से सम्बन्धित मेरा प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का यह भी अंग है कि

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

2 मार्च के बन्द के अवसर पर मुख्य मंत्री जी कहते हैं, पुलिस अधिकारी को बुला कर यह इन्स्ट्रक्शन दे दिये थे कि किसी प्रकार का रिप्रेशन न करें। मैं मुख्य मंत्री पर चार्जशीट लगाऊंगा, 2 मार्च के बन्द के दिन मुख्य मंत्री जी ने आर. एस. एस. को यूज किया, स्टाकिस्ट को यूज किया, व्यापारियों को यूज किया—इस काम के लिए यूज किया कि दुकानें खुलवा दें। लेकिन चूंकि सारी वामपंथी एकता दृढ़ थी, असेंशियल सर्विसेज एक्ट मजदूरों की कालोनी के अन्दर लागू करने के बाद के अन्दर मुख्य मंत्री ने यह सब जगह वार्निंग दी, प्रेस दी कि अरेस्ट किया जायगा, लेकिन वामपंथी एकता दृढ़ थी, 2 मार्च के बन्द के द्वारा, जिस प्रकार 10 सितम्बर को यहां कांग्रेस जुलूस निकला और 12 किलो अनाज की मांग की, उसी प्रकार मोटे अनाज के राष्ट्रीयकरण की मांग पर 2 मार्च को बन्द हुआ था। उसके सम्बन्ध में मैं आपको कहूं कि मुख्य मंत्री ने दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी पार्टियों और उनके लोगों का आसरा लिया, जिसको मिसाल भीलवाड़ा के अन्दर और दूसरे स्थानों के अन्दर उभर कर सामने आयी, आर. एस. एस. के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण किया और 2 मार्च के बन्द को असफल करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मुख्य प्रश्न है लेकिन इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी, यह जो सीलिंग का कानून, बना है, इस कानून के अन्दर बहुत बड़ी खामियां हैं, इस कानून को लागू करने की दिशा के अन्दर उस कानून में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए मुख्य मंत्री जी प्रयत्न करेंगे—यह उन्होंने स्पष्ट कहा था, विशेष तौर से सीलिंग के इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर खामी है, उसके लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा है। मेरे पास समय कम है, मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है। मुझे खेद से कहना पड़ता है, आज उसी प्रकार से राजा-महाराजे, बड़े बड़े भू-पति भू-खण्डों पर काबिज हैं। इस सदन के अन्दर जो सीलिंग कानून आया वह भी भू-पतियों की जमीन को बचाने वाला कानून है, वह जमीन को लेने वाला कानून नहीं है। पहले कानून आया, उस वक्त 10 लाख एकड़ जमीन उसमें आने वाली कायम की गई, यह जमीन सीलिंग के तहत आयेगी। लेकिन दूसरे कानून के अन्दर 1 लाख एकड़ से भी घट कर जमीन नीचे चली गई है। और जो नया कानून है, पुराना कानून है, उसके बारे में हाई कोर्ट में केसिंग हो चुकी है उसके तहत पुराने केसेज के बारे में पुराने एक्ट के तहत कार्यवाही होगी और नये केसेज के बारे में नये एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष** : समय समाप्त होने को है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : और उनियारा के राजेन्द्र सिंह हैं...

**श्री अध्यक्ष** : समय समाप्त होने को आ गया है। पन्द्रह मिनिट हो गये हैं।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : पन्द्रह मिनिट गये हैं तो दूसरे साथियों के समय में से एक एक मिनिट घटा दीजिये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं अर्ज कर रहा था; उनियारा के राजेन्द्र सिंह हैं, जो यहां मौजूद हैं, मैं उनके लेवी के प्रश्न को नहीं लेता, उन्होंने लेवी पिछली दफा दी नहीं थी, इस दफा 90 क्विन्टल लेवी रखी थी, वह 90 क्विन्टल न देकर 45 क्विन्टल दे दी। मेरा चार्ज है, राजा-महाराजा को इस दूसरे कानून के बाद में मुख्य मंत्री ने स्वच्छन्द रूप से लेवी से माफ किया है। बूंदी के अन्दर मुख्य मन्त्री जी, गये जो राजेन्द्र भारतीया गलियों में फिर रहे थे, बृजसुन्दर जी कहीं और फिर रहे थे, लेकिन बूंदी के महाराजा के यहां मुख्य मन्त्री जी रोटी खाने के लिए गये, कोटा के महाराजा के यहां रोटी खाने के लिए। जोधपुर में खेतसिंह जी के मार्फत जोधपुर के राज परिवार से बात करने के लिए गये · · ·

**श्री दीपंकर** : पी. सी. सी. के अगरल सेक्रेटरी हैं, उनके यहां आ रहे थे, उनके मेहमान थे।

**श्री अध्यक्ष** : डिस्टर्ब न करें, माननीय सदस्य।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप देखियेगा, राजस्थान के सारे राज परिवार हैं, 22 राज परिवार हैं इनके खिलाफ कितने लेवी के डिमाण्ड नोटिस निकले, उनके अन्दर कितनी लेवी चार्ज की गई है। वह सारी पोजीशन देखी जाय तो स्थिति स्पष्ट होकर सामने आयेगी। आप देखियेगा, 1500 एकड़ उदयपुर के राज परिवार के पास है, जिसके बारे में इस सदन के अन्दर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। हजारों एकड़ जयपुर के महाराजा के पास है। खातीपुरा का जो जंगल है, उस जंगल का गलत इन्द्राज हो गया है, उसे जयपुर के महाराजा ने बेच दिया है। आप गंगानगर में 3 लाख एकड़ जमीन प्राप्त करना चाहते थे, आप कल्पना करके चलते रहे, वहां पर 3 लाख एकड़ जमीन आप प्राप्त करेंगे, इस सीलिंग ला से उसमें सेबोटेज हो गया है और लोगों को खुलकर रियायत दी जा रही है और यहां के बड़े बड़े भू-पति निश्चित होकर बैठे हैं। मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद पांच नम्बर की कार्यवाही से निश्चिंत होकर, खुश होकर बैठ हैं। मुझे बतायें, सीलिंग कानून को लागू करने के लिए क्या कोई कदम मुख्य मंत्री जी ने उठाया है, इस कानून में कोई परिवर्तन लाने के लिए, इस कानून को इफेक्टिव बनाने के लिए, इस कानून के अन्दर प्राप्त भूमि को हरिजन और आदिवासियों को देने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है; कोई शिरकत की गई है, कानून में कोई आइटम चेंज किया गया है, क्या इस कानून की डिफीकल्टी सोल्व की गई है। मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने क्षेत्रीयवाद को पनपाया है। मैं सवाई माधोपुर जिले के प्रसंग में यह निवेदन करूंगा कि वहां मांग की गई कि सुपर जिंक स्मेल्टर वहां लाना चाहिए। बी. के. सक्सेना ने इस सम्बन्ध में लेटर भेजा था। लेकिन उदयपुर की कांग्रेस कमेटी ने, वहां की जनता के सामने इस सम्बन्ध में ऐतराज उठाया, बगावत कर दी,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तो 15 अगस्त को लेटर टाइप हुआ और उसको 7 अगस्त को डिस्पेच हुआ बताया कि उदयपुर में लगाया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री ने अपने तरीके से यह कमिट कर लिया कि ब्राडगेज अहमदाबाद से उदयपुर आयेगी तब यह सुपर जिकस्मेल्टर उदयपुर में लगा दिया जायगा। वह कौन होते हैं गारन्टी देने वाले? ब्राडगेज आयेगी तो दिल्ली से जयपुर होती हुई आयेगी, या अहमदाबाद से उदयपुर आयेगी। इसमें कोई गारन्टी करने वाली बात नहीं है।

मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का मैरिट के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए था। उदयपुर अगर मैरिट में स्टेन्ड करता है तो वहां लगाया जाय। आप क्षेत्रीयवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं। हाईकोर्ट की बैंच की बात है, आप श्री गुमानमल लोढ़ा को साथ लेकर जोधपुर के एडवोकेट्स से बात कर लीजिये, जयपुर में बैंच लगाने की बात है तो जयपुर के एडवोकेट्स को साथ बैठा कर बात कर लीजिये। इस सारी बात से एक वक्त गिरे राजस्थान के अन्दर और लोग नारा दें, पूर्वी राजस्थान अलग बने और पश्चिमी राजस्थान अलग बने यह क्षेत्रीय भावना क्यों पनपाना चाहते हैं।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने अपने राज्यकाल के अन्दर बड़े बड़े व्यापारियों को रियायतें दी हैं। सबसे बड़ी मिसाल रियायत देने की है, वह मुख्य मंत्री ने दी है इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स के बारे में आज मुख्य मंत्री को चिन्ता नहीं है कि 10 लाख रुपये राजा महाराजाओं में बकाया हैं, ढाई लाख रुपये इस किस्म के हैं, हाईटेंशन प्रड्यूसर्स के अन्दर साढ़े तीन लाख से अधिक बिजली को राशि बकाया है। यह इस प्रकार की राशि है, जिसको यह सोच कर चलते हैं कि यह डेड–राशि हो जायेगी, इस राशि को वसूल करने की चिन्ता नहीं है। इसके साथ ही पांच लाख यूनिट की रेट वही की वही रहेगी, 10 लाख यूनिट की रेट वही की वही रहेगी, 15 लाख यूनिट की रेट वही रहेगी। लेकिन ट्यूब वैल पर बिजली की रेट 15 पैसे से बढ़ा कर 30 पैसे यूनिट कर दी जाती है.. एक कोटेज इन्डस्ट्रीज को रेट्स को बढ़ा दीजिये। कोमन कन्ज्युमर्स की रेट्स को बढ़ा दीजिए। पुराने कान्ट्रेक्ट्स हैं, भरतराम चरतराम है, बिरला को दी है, बिजली पिलानी में दी है, इनको कैन्सल करने की कोई दिशा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया समाप्त करें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** अनेक मसले हैं। समय कम है। अन्यथा मैं आपको बताता। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े बड़े माइनर्स को फेसेलिटीज दी हैं। राजगढ़िया को ले लीजिये। पुराने को कैंसल करके नया कान्ट्रेक्ट दिया जब कि हजारों मजदूरों का 75 हजार रुपया बकाया है और सेन्ट्रल के एन्फोर्समेन्ट आफिसर का लेटर मेरे पास मौजूद है जो कि श्रम मंत्री माननीय श्री मोहनलालजी छंगाणी को लिखा है कि 75 हजार रुपया बकाया है। राजगढ़िया को बड़ी कीमती माइन्स जिसका डेवलपमेन्ट सारा का सारा राज्य सरकार ने किया,

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

आज वह पचास लाख की माइन है उसको दे दी। पहले वाले ने सैन्टर को अपील की है। स्टे कर सकते थे। दूदू वाला को और एन. एन. मोदी साहब को कैसे ला रहे हैं। मोदी साहब ने टैक्स की चोरी की अपने लीज को ट्रान्सफर करके लड्ढा साहब से मिल कर एक लाख का प्रोफिट खा गये 70, हजार का इनकमटैक्स खा गये।

**श्री अध्यक्ष :** साथियों का वक्त ले लिया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** 1, 25 हजार की रिकवरी का नोटिस हो गया। ये बड़े भूपति कानून का कन्फ्यूजन पैदा करके यह करना चाहते हैं। जहां मजदूरों का सवाल होता है वहां पर आप रिकवरी को लागू कर देते हैं। मजदूर बिना तनख्वाह के काम करें, उसको कन्सीडर न करें। मोदी साहब का इन्डिविजुअल केस हो, उस पर मुख्य मंत्रीजी का नोट हो ब्रैकेट में। क्या भरत-रामजी, क्या जाजू का केस ले लें। 80 लाख की म्युनिसिपेलिटी की चोरी की। हाई कोर्ट में पहुंच गये। सारा का सारा षडयन्त्र है। रूंगटाज, साहूब्रदर्स को ले लीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारी दिशाओं में इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को रियायतें दी समय होता तो मैं डिटेल्स में बयान करता। अन्य साथी आपको बतायेंगे कि किस प्रकार मजदूरों और कर्मचारियों में फूट डालने की कोशिश की। जो वादे उनसे किये थे वे पूरे नहीं किये। जितने तबादले आपके काल में हुए हैं उतने तो तबादले दस वर्ष में भी नहीं हुए। मंहगाई सूचक अंक 242 से बढ़ कर 256 हो गये फिर भी आपने मंहगाई भत्ता घोषित नहीं किया।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया समाप्त करें।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :** ये सारे प्रश्न हैं इस सम्बन्ध में जो पोइन्ट आउट किये हैं।

**श्री रामकिशन :** मुझे निवेदन करना है कि यह इस प्रकार का प्रस्ताव है कि दस, पांच मिनिट की सीमा बांधना उचित नहीं होगा। वैसे आपको अधिकार है और सदन तय करे लेकिन आज तक जो परम्परा रही है कि जब ऐसे मुद्दे आयें और नीतियों की जहां चर्चा हो वहां लाभ ही मिलेगा।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने समय दिया है। मुकर्रर किया है। उससे अधिक दिया है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :** मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी साम्यवाद और प्रजातन्त्र की बड़ाई की बात करते हैं। कांग्रेस के क्षेत्रों में इस प्रकार की घोषणा करते हैं। जगह जगह मुख्य मंत्रीजी यह प्रस्तुत करते जा रहे हैं। कांग्रेस की पत्रिका है सदन को मेज के ऊपर प्रस्तुत करूंगा जो लेख आया है। राजस्थान के मुख्य मंत्री अब उस उदयपुर के नहीं रहे, अब उन गरीब भीलों और आदिवासियों के नहीं रहे। अब मुख्य मंत्रीजी उस राजस्थान के उस उदयपुर के नहीं रहे जहां पर हजारों मजदूर माइका में काम करते हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी अब उस राजस्थान के नहीं रहे जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हरिजन और आदिवासी रहते हैं। आज राजस्थान बिरला, बजाज, साहूजैन ब्रदर्स, जाजू मानसिंह का मुख्य मंत्रीजी बनाते जा रहे हैं। आज राजस्थान को राजे महाराजाओं का बनाते जा रहे हैं। मुख्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
मंत्रीजी दक्षिण पंथियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : आप में दम नहीं है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : आपके नये दोस्त बोलने लगे हैं।

मैं यह निन्दा प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। मुझे आशा है मैंने अपने आपको स्पष्ट कर दिया है अतः यह सदन निन्दा प्रस्ताव पारित करे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री केशरीमल जी।

**श्री केशरीमल** (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी हांडाजी ने कुछ बातें प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रस्तुत कीं। मैं भी कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत कि सरकार की जो नीति देखने में आयी है इस समय वह बिलकुल मजदूर विरोधी है और राज्य कर्मचारियों के भी विपरीत जा रही है। हम तो यह आशा करके चल रहे थे कि ऐसी स्थिति बन गयी है कि मुख्य मंत्रीजी ऐसे कदम उठायेंगे हमारे प्रान्त में कि राज्य कर्मचारी और श्रमिक वर्ग राहत पा सकें लेकिन उनकी नीति इनके विरुद्ध जा रही है और इस सम्बन्ध में आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं।

आज मुख्य मंत्रीजी जहां यह विचार लेकर चल रहे हैं उससे ऐसा पता लगता है कि उनके विचारों में कम्युनिस्ट लोग आ गये हैं। जहां कहीं भी हो हमारे मुख्य मंत्री जी की ओर से यह उद्घोष हुआ है कि हमारी लड़ाई साम्यवाद और लोकतन्त्र की लड़ाई है। आज की लड़ाई कम्युनिस्टों से सतर्क रहने की लड़ाई है। इस तरह के उद्घोष माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं। ये जो विचार व्यक्त किये हैं इनसे यह पता लगता है कि बहुत कुछ उनको साम्यवाद विरोधी भावना प्रबल हुई है। लेकिन इसका कोई असर जनमानस पर नहीं पड़ा। इससे ऐसा लगता है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं वे उसको नजरअन्दाज करना चाहते हैं और दूसरे तरीके से काम करना चाहते हैं जिसके नतीजे दूसरे होने वाले हैं।

गंगानगर में गोलीकाण्ड हुआ और दोनों व्यापारियों के लोगों ने जाकर गोली मारी। यह जो बयान दिया है विधायकों ने उससे पता चलता है कि क्या कहा गया था। आज मजदूर मजदूर में इतना फर्क डाल दिया गया है। एक ही झंडे के नीचे खड़े रहने वाले इंटक के मजदूर मजदूर में झगड़े डाल दिये गये हैं। मजदूर मजदूर को लड़ाया जा रहा है इससे मजदूरों का ही नुकसान हो रहा है। इसके मूल में परिणाम यही है कि मालिक को सरकार की ओर से फायदा पहुंचे एक वर्ग के ही लोगों को, एक ही कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े रहने वाले मजदूर को आपस में लड़ाया जाय यह नीति कहां ले जायगी। उदयपुर, चित्तौड़ कहीं भी देख लीजिए उससे पता लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि खराबी हो रही है। यह अच्छी नीति मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचा रही है। यह अच्छी नीति नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी इस पर विचार करें कि उनकी तरफ से ये जो काम सामने आ रहे हैं ये

(श्री केशरीमल)

कहां तक उचित हैं, कहां तक श्रमिकों के हित में हैं।

अभी विजयनगर में इन्टक का अधिवेशन हुआ। इसमें आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि लेबर मूवमेन्ट में इन्टक को ही पूरी तरह से तरजीह दी जावे। शासन में बैठकर आपका ऐसे कहना खतरनाक है। क्या इस तरह से कहकर और श्रमिकों की संस्थाएं जो इन्टक के साथ नहीं हैं उनकी वाजिब मांगों को आप सुनेंगे नहीं? उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगे नहीं, क्या वहां आप मालिकों का पक्ष लेंगे? आखिर क्या करेंगे? दोनों संस्थाएं काम करें। वाजिब मांगों के लिये लड़ें। यह स्वस्थ रास्ता है। इसका आप सिद्धान्त रूप से अथवा क्रियात्मक रूप से जहां भी उल्लंघन करना चाहेंगे वहीं श्रमिकों के अहित को ही आप निमंत्रण देंगे। श्रमिकों का अहित किये बगैर और मालिक का अनुचित पक्ष लिये बगैर आप ऐसा कर ही नहीं सकेंगे। आखिर क्या आप पूंजीवाद का हव्वा फिर खड़ा करना चाहते हैं, इण्टक को मालिक की जेब में रखकर चलना चाहते हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? यह मजदूर वर्ग के लिये नुकसान देह नीति है, उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। इससे मालिक की तरफदारी की झलक निकलती है।

राज कर्मचारियों के साथ आपने जो वायदे किये उनको भी आपने तोड़ा है। आन्दोलन के बाद कहा गया था कि विक्टीमाईजेशन नहीं किया जावेगा। मैं कहता हूं जितने तबादले आपने गये एक साल में किये हैं उतने पिछले दस सालों में भी नहीं किये होंगे। इससे टी. ए., डी. ए. का लाखों का नुकसान सरकार ने बर्दाश्त करना मन्जूर किया पर उनकी वाजिब मांगों में पैसा खर्च करने से गुरेज किया। उनको परेशानी में डाला गया। संगठन में जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको अलग अलग जगहों में बुरी तरह से फैंका गया चाहे फिर वे प्रेसीडेण्ट रहे हों, सेक्रेटरी रहे हों कार्य समिति के सदस्य रहे हों।

अध्यापकों के साथ भी यही किया गया। इससे स्पष्ट है संगठन तोड़ने की कोशिश आपने की है। दो मार्च को मजदूर वर्ग ने और राज कर्मचारियों ने मिली-जुली हड़ताल इसलिए की थी कि इस महंगाई की दर्दनाक स्थिति से किसी तरह से बचा जाय। इसको तोड़ने में आपने बहुत बड़ा भाग लिया। आर. एस. एस. और जनसंघ तक के लोगों का सहयोग लेकर मुख्यमन्त्री जी ने इसे तोड़ने का भारी प्रयास किया। यह तरीका ठीक नहीं था। हम ऐसा आप से उम्मीद नहीं करते थे। संयुक्त महासंघ को तोड़ने के लिये आपने दूसरी संयुक्तकर्मचारी परिषद् बनवाई। उनके नेताओं को प्रधान मंत्री से मिलाने का वायदा किया गया। ऐसा मेमोरेण्डम दिलाया गया कि वेतन व महंगाई का हिस्सा जमा कराने में हम सरकार से सहमत हैं। यहां से लोगों को दिल्ली ले जाकर यह कहलवाना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा मेमोरेण्डम दिलाना अच्छी बात नहीं है। पर यह सुबूत है कि किस तरह से आप इन संगठनों को तोड़ने पर तुल गये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 68

68



(श्री केशरीमल)

दो चार मिनिट में समाप्त करता हूं। 15 अगस्त, 73 को जो राज कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ उसकी एक एक कलम को तोड़ा गया। आठ माह हो गये देवपुरा कमेटी का प्रतिवेदन नहीं आया। और भी बहुत से मुद्दे थे। महंगाई भत्ता जिस तरह से देने की बात थी नहीं दिया। आज अंक 240 से 256 पर पहुंच गया है। पर बढ़ा हुआ भत्ता नहीं दिया जा रहा है। मुकदमे वापिस लेने की बात भी थी वह भी नहीं हुआ। आज भी राज कर्मचारियों पर मुकदमें चल रहे हैं। ऐसे बहुत से मुकदमें केशोराय पाटन में गत वर्ष हुए थे। अभी भी वे चल रहे हैं। सरकार की नीति जो है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ज्यादतियां नहीं होंगी, स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया था, पर आज वे बराबर हो ही नहीं रही हैं पर बढ़ रही हैं। आखिर हमें कहां ले जावेगी यह नीति?

चार हजार व्यक्तियों का एक पृथक संगठन बनाने की बात थी। वह अभी तक पूरा नहीं किया गया। ऐसे कई मामले हैं। एक बात और नई हुई है इनके मुख्य मन्त्रित्व काल में। पहले तो पुलिस ही लाठी, डंडा और गोली चलाती थी पर इस दौर में कारखानेदार और मिल मालिकों के आदमी गोली चलाने लगे हैं। ऐसा शर्मनाक दौर पहले कभी नहीं आया। भरतपुर और गंगानगर में कारखानेदार और मिल व्यवस्थापकों ने गोलियां चलाकर मजदूरों को भूना है। शार्दूल टैक्सटाइल मिल के व्यवस्थापक ने स्वयं ने मजदूर कार्यकर्ताओं की मीटिंग पर गोली चलाकर उनको भून दिया। आज सरकार की नीति का यह परिणाम सामने आने लगा है कि मालिक गोलियां चलाने की हिम्मत करने लगा है और सरकार का यह हाल है कि उन गोली चलाने वाले मिल मालिकों के लोगों को पकड़ना तो दूर रहा बल्कि उल्टे मुकदमें मजदूरों पर चलाये जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री केशरीमल :** दो तीन मिनिट और।

**श्री अध्यक्ष :** और लोगों को वक्त नहीं मिलेगा फिर।

**श्री केशरीमल :** ऐसे गोलियां चलाने वाले मैनेजरों को जेल के सींखचों में बन्द क्यों नहीं किया। गंगानगर में गोलियां चलीं, लाठियां बरसाई उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया। उल्टे मजदूर नेताओं पर झूठे मुकदमें दायर किये गये मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि महालक्ष्मी मिल में हमारे साथ गलत बरताव किया गया। सात साल पहले लोगों को काम पर से हटाया गया। हम कोर्ट में जाना चाहते थे पर यह कहा गया कि सिक मिल है, चलने दो, बाद में देख लेंगे। हम चुप होकर बैठ गये। पर हमने यह देखा कि वहां से जब इन्टक के कार्यकर्ता को हटाया गया तो सारी सरकार की मशीनरी हिल गई। उनको वापिस रखवाया। हम कभी यह नहीं चाहते कि इन्टक का मजदूर भी हटाया जाय। या वापिस न रखा जाय। पर हमारा कहना तो यह है कि यह सौतेला बरताव क्यों? उनको जब हटाया गया तब तो सरकार की सारी मशीनरी हिल गई और हमारे मजदूर

(श्री केशरीमल)

सात साल से इसाये हुए बैठे हैं, उनको वापिस रखने के लिये यह मशीनरी सरकार की आगे क्यों नहीं आती-यह भेदभाव क्यों बरता जाता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(आगे अध्य द्वारा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि आज फैक्टरी एक्ट को एडवर्ड मिल में और महालक्ष्मी मिल में काम में नहीं लाया जाता है। कोई कमाया पैसा नहीं मिल सकता है, छुट्टी के दिन काम कराया जाता है। सरकार की मिल है—राज्य की मिल है उसमें जुर्म हो तो और दूसरे कारखानों में ज्यादा जुल्म होगा। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं उनकी मंशा में, मेरी भी मंशा है। 100 रुपया कम पाने वाला मजदूर भी उस कारखाने को जिन्दा रखना चाहता है लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप उसका निराकरण नहीं कर सकें। वहां पर फैक्टरी एक्ट को अमल में लाने की कोशिश करिये, उनकी छुट्टियों की व्यवस्था करिये, उनके पानी की व्यवस्था करिये वहां का मजदूर बहुत दुखी है।

**श्री अध्यक्ष** : आपके दो मिनिट हो चुके हैं।

**श्री केशरी मल** : ये सब चीजें आपके लिये कितनी दुखदायी होंगी, इसका अहसास भी आपको बाद में मिलेगा। आज मजदूर का जिन्दा रहना वैसे ही मुश्किल हो रहा है चीजों के भाव आसमान में चढ़ रहे हैं। सरकार की ताकत नहीं कि भावों में किसी प्रकार की स्थिरता ला सके, सरकार में ताकत नहीं कि मजदूरों को बन्धे हुए भावों पर चीजें मिल सके। सरकार की ताकत नहीं कि पूरा राशन दें लेकिन सरकार की ताकत है मजदूरों को जो बढ़ा हुआ इन्डेक्स है उसके हिसाब से तनख्वाह दे। वह बढ़ा हुआ इन्डेक्स आज कई दिनों से उनको नहीं मिल रहा है। इसमें सरकार की अवश्य ताकत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये मिलों के मजदूर जो तीन मिलों के मजदूर हैं सरकार से उनको 100 रुपये वैसे कम मिलता है। इन्डेक्स नम्बर ऊंचा हो गया है वह भी आप न दें और आपके खजाने में जमा हो जाय। 100) रु. पहले ही कम मिलता है, कैसे जिन्दा रहेंगे वे लोग विचार कीजिये। क्या नीति कहती है आपको ? किस तरह बचा सकते हैं, उनको किसी प्रकार बचाने की कोशिश कीजिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। मिनिमम वेजेज, न्यूनतम वेतन। ऊन वाला हो, चाहे बीड़ी बनाने वाला हो, एक न्यूनतम वेतन फिक्स हुआ फिर इन्डेक्स नम्बर बढ़ गया। अब उस इन्डेक्स को तनख्वाह के हिसाब में जोड़ना चाहिये, इन्डेक्स से लिन्क करना चाहिये। इसके लिये आपने एक कमेटी बैठायी। सरकार ने उस कमेटी को भी बन्द कर दिया लिखित में तो नहीं किया होगा लेकिन जबानी जमा खर्च से उसको बन्द कर दिया गया। उसकी कोई मीटिंगें नहीं होती हैं। मैं कहता हूं इन नीतियों को छोड़िये और उन कमेटियों को चालू रखिये। चाहे

(श्री केसरीमल)

ऊन वाले हों चाहे बीड़ी वाले हों आज उनको तीन साढ़े तीन रुपया मिलता है। इतने कम रुपयों में उनका गुजारा नहीं हो सकता है। उनका मंहगाई भत्ता कास्ट आफ लिविंग से जुड़वाने की कोशिश कीजिये। अगर यह रोक लगी रही तो मजदूर कब तक चुप रहेगा। आखिर उसका आक्रोश किसी दिन तेज हो सकता है। मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आज हमारे जिले में हालात खराब हैं। एक सैकिन्ड में कह कर समाप्त करता हूं।

हमारे ब्यावर में जो शफाखाना है वह 42 शैय्याओं का है और अजमेर में जो शफाखाना है वह एक हजार शैय्याओं का है। अब 42 शैय्याओं वाले शफाखाने में तो मरीजों की संख्या है 15479 यानि इतनी संख्या में भरती होकर इलाज कराने आये और जहां अजमेर में एक हजार शैय्या वाला शफाखाना है वहां भरती होकर इलाज कराने वालों की संख्या 18543। आप अन्दाजा लगाइये, कैसी स्थिति है। ब्यावर के लोग आपके कहने से हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार हैं लेकिन इस तरह की आपकी जो नीति है वह राज्य कर्मचारियों के विरोध में जा रही है और इसको उचित नहीं समझते हुये मैं निन्दा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): अध्यक्ष महोदय, यह दुख की बात है कि अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता और यह भी दुख की बात है कि अविश्वास के प्रस्ताव के नहीं आने से यह नन्दा प्रस्ताव भी कुछ कमजोर पड़ गया। मैं यह बात महसूस करता रहा हूं कि सदन का यह प्रांगण नीतियों के आधार पर, इकोनोमिक पालिसीज के आधार पर बहुत कुछ उपयोग किया जाता तो राज्य सरकार को सम्भवतः बहुत शक्ति मिलती और मैं यह अपना दुरूह कर्तव्य समझता हूं कि मैं निष्पक्षता से कुछ बात यहां रखूं। ऐसी स्थिति में कि जब जैसा माननीय सदस्य गंगानगर से आने वालों ने कहा यह 9 महीने का शासन एक इनफेन्ट है, बच्चा है और 9 महीने के शासन के अचीवमेंट प्रिमैचोरली हम कुछ अन्दाजा लगायें, कुछ विचार करें—बहुत मुश्किल की बात है लेकिन मैं दोनों प्रश्न पर कि अचीवमेंट क्या है और अचीवमेंट के साथ ही इवेल्यूएशन क्या है और आगे क्या प्रगति करनी चाहिये, इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

**श्री राजेन्द्र भारतीय**: पाइन्ट आफ आर्डर सर। मैं यह पूछना चाहता हूं ये निन्दा प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हैं या...

**श्री अध्यक्ष**: यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री राजेन्द्र भारतीय**: पाइन्ट आफ इनफारमेशन सर।

**श्री अध्यक्ष**: मैं दोनों को बोलने की इजाजत देता हूं।

**श्री राजेन्द्र भारतीय**: व्हेदर ही इज सपोर्टिंग दी मोशन आर अपोजिंग दी मोशन...

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट खराब कर दिये। आपको

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
प्रोसीजर का पता नहीं है इसलिये चाहे जो कुछ बोल लेते हैं।

श्री राजेन्द्र भारतीय : यह तो प्रोसीजर की बात नहीं है। पाइन्ट आफ इनफरमेशन थी।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आप स्वयं भी परेशान हुये और मुझे भी परेशान करना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपभोकता भण्डार व चेयरमेन के बाद सुधार की आवश्यकता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ··· (अश्रव्य) (माननीय सदस्यों के बराबर बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ बातें कड़ी लग सकती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय आरम्भ में जब मुख्य मन्त्री बनने के बाद शासन को शुद्ध करने का एक प्रयोग किया और उसके साथ उन्होंने रेडटेपिज्म को इरेडिकेट करने की इन्टर डिपार्टमेंट कमेटीज बनाई और उन इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटीज में बहुत श्रम किया और मेहनत जो कि पेंडिंग केसेज हैं, उसका डिस्पोजल हो। मैं यह जानना चाहता हूं आखिर आपकी इतनी बड़ी मेहनत, इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटीज की मेहनत पर क्या हुआ? मैं यह चाहता था जो प्रयत्न करें और उन प्रयत्नों का जो कुछ निष्कर्ष निकले हाउस को कान्फीडेन्स में लेकर सदस्यों को अवगत कराया जाना चाहिये था कि यह उस दिशा में किया गया प्रयत्न है। इस प्रयत्न के साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह प्लानिंग डिपार्टमेंट आपका कभी से चल रहा है और यह प्लानिंग डिपार्टमेंट इम्बेलेन्सेज, इकोनोमिक इम्बेलेन्सेज इनको कहीं तोड़ा नहीं है और प्लानिंग डिपार्टमेंट की वजह से जो रुपयों का उपयोग राजस्थान में होना चाहिए था उसका उपयोग मेरा विश्वास है जितने जिले हैं उन जिलों का डिविजन रुपयों से कर दिया गया। अगर 26 जिले हैं और दो करोड़ रुपया मिला तो उसको डिवाइड कर दिया गया और इक्वल प्रपोर्शन में उसका डिविजन हो गया। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इम्बेलेन्स जो हुआ है और जिसके लिए बहुत कुछ कहा जाता है आपने कभी बेकवर्ड एरियाज के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि जितना बेकवर्ड एरिया था वह बेकवर्ड ही रह गया और आपका सन्तुलन विभाजन भाग का इस प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के आधार पर सबको बराबर मिलता रहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो कि फाइनेन्स के साथ चलता है यह दुरुह संधि है। फाईनेन्स का काम होता है रुपया इकट्ठा करना, रुपया बचाना और जो बचाने का प्रयत्न करता है, इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है वह प्लानिंग विकास के सम्बन्ध में कभी नहीं सोच सकता। इसलिए प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को एक इन्डीपेन्डेन्ट बाडी बनाया जाये। प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को फाइनेन्स से मुक्त किया जाये। उसको आटोनोमस बाडी की तरह से जन प्रतिनिधियों की नीतियों के आधार पर, जन प्रतिनिधियों के सहयोग के आधार पर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को रीशेप किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में जन सहयोग का बिलकुल अभाव है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रश्न पर आप इसको फाइनेन्स डिपार्टमेंट से मुक्ति दिलाये और एक इन्डीपेन्डेन्ट डिपार्टमेंट फिक्स कीजिए और यह इन्डीपेन्डेन्ट डिपार्टमेंट ले करे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट बेकवर्ड हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में पैसे की ज्यादा जरूरत है और किस को विकास की जरूरत है। आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट होने से भी 20 साल से जो पिछड़े हुए लोग हैं वह पिछड़े ही रह गये हैं ऐसा मेरा विश्वास है।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, अभी यहां सुपर जिंक स्मेल्टर का जिक्र आया था। मैं क्षेत्रीयवाद को यहां पर उभारना नहीं चाहता। हमारी विधान सभा के समक्ष आइल रिफाइनरी का प्रश्न भी यहां आया था और इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुपर जिंक स्मेलटर कहीं भी रहे किन्तु राजस्थान में ही रहे। इसलिए यदि आप सशक्त हैं और यदि आप सेन्टर में प्रभाव रखते हैं तो यह सुपर जिंक स्मेल्टर का मामला, जो कि 250 करोड़ का एक संस्थान है, यहां से नहीं जाना चाहिए, राजस्थान से नहीं जाना चाहिए और जब क्षेत्रीय सवाल आता है तो मैं क्षेत्रीय सवाल को यहां नहीं लाना चाहता हूं लेकिन मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि यह क्षेत्रीयता का प्रश्न उदयपुर से पैदा हुआ है और मैंने भी इस प्रश्न को लिया है लेकिन यह समझते हुए कि यह सुपर जिंक स्मेल्टर कहीं राजस्थान से चला न जाये इसलिए मैं उससे मुक्त हुआ हूं। इसलिए मैं संकेत कर देना चाहता हूं कि सुपर जिंक स्मेल्टर के बहुत बड़े अधिकारी ने अपने यहां से जितनी कारस्पोन्डेन्स सरकार से हुई उस सारी कारस्पोन्डेन्स को सरकार को बताया और उनकी क्षेत्रीयता को उभारा है। मैं प्रिजुडिस नहीं करना चाहता हूं लेकिन क्षेत्रीयता का आधार वहां से आरम्भ हुआ है और मैं आपको संकेत देना चाहता हूं कि इस आधार पर नियन्त्रण लायें ऐसा मेरा निवेदन करना है।

मैं दो बातों पर तो निवेदन करना चाहूंगा कि सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़ में राइवल यूनियन अलग अलग चल रही हैं। यूनियन के हित में, उनके संगठन के हित में यह जरूरी है कि राइवल यूनियन नहीं पनपने पाये मुझे मालूम हुआ है कि बिड़ला को प्रासीक्यूशन करने का आदेश दे दिया है ब्रीच आफ एग्रीमेंन्ट में और यह कहां तक सत्य है कह नहीं सकता। लेकिन बिड़ला को प्रासीक्यूट करने का आदेश दे दिया है। प्रासीक्यूशन करने का आदेश हो गया लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं है। हमने तो नहीं सुना कि वह प्रासीक्यूशन आरम्भ हो गया है या आरम्भ होने वाला है। इसलिए मुझे जैसा मालूम हुआ है भीलवाड़ा में मानसिंह का, जो डालडा फैक्ट्री के सेठ हैं उनको भी इस लेबर के प्रश्न पर ब्रीच आफ एग्रीमेंट के प्रश्न पर आपने प्रासीक्यूशन का कोई आदेश दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि बिड़ला हो या कोई दूसरा हो जिनके सम्बन्ध में आपने कड़े कदम लिये हैं वह शिथिल नहीं होने पायें और मेरी यह मान्यता है कि जितनी सक्रियता उनके प्रासीक्यूशन में दिखा सकें यह सक्रियता आपके हुक में

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

और आपके प्रगतिशील नीतियों के हक में होगी ऐसी मेरी मान्यता है।

इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खाडिलकर के फार्मूले में यह था कि वांछित जो चीजें हैं, खाद्य चीजें हैं उनको मुहैय्या कराना और उसके साथ ही स्ट्राइक्स बन्द करना यह प्रश्न जहां था वहीं का वहीं रह गया। आप अधिक से अधिक उत्पादन चाहते हैं, मजदूर अधिक से अधिक काम करें और उत्पादन अधिक से अधिक हो उस माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार के माध्यम से खाडिलकर के फार्मूले को किसी तरह से क्रियान्वित करा सकें तो यह लेबर को सन्तुष्ट करने वाला बहुत बड़ा कदम होगा।

इसके साथ ही संयुक्त विकास योजना सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, जो कि 154 करोड की है, उसके सम्बन्ध में विचार विनिमय होकर उसको लागू करने का प्रश्न पैदा हो रहा है। इस 154 करोड़ की योजना में राज्य सरकार का भी कोई हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार का 40 करोड़ है। कुछ बैंक से है इस तरह से करके यह 154 करोड़ की संयुक्त विकास योजना है। जिसका अर्थ कि इस योजना में डूंगरपुर का आदिवासी इलाका, बांसवाड़ा का आदिवासी इलाका, प्रतापगढ़ का आदिवासी इलाका और इसके साथ ही करीब 7 तहसीलें कोटड़ा, खैरवाड़ा आदि हैं जिसका मतलब है करीब 17 लाख आदिवासियों को जो पिछड़े रह गये हैं उनके विकास करने की योजना है। मैं यह चाहता हूं ....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कि इस 154 करोड़ की योजना को आप शीघ्रता से लागू करायें ताकि जो पिछड़े लोग हैं, जो आदिवासी हैं और जिन्होंने अभी तक न शिक्षा देखी है और न वह अभी तक अपने स्तर को ऊंचा उठा पाये हैं उनका स्तर उठ सके। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिली एरिया सब-प्लान, जिनके अन्तर्गत कुम्भलगढ़ का इलाका है और उसमें जितने भील हैं उनको शिक्षित करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनकी कृषि का उत्थान और लघु उद्योगों का विकास आदि के लिए यह भील एरिया सब-प्लान जो कि मेरा ख्याल है प्लानिंग मिनिस्टर के सामने रखा गया है यह प्रश्न और मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार ने भी इस प्रश्न को आगे बढ़ाया है और अगर पिछड़े इलाके का विकास करने का आपका मन है तो मैं चाहता हूं कि संयुक्त विकास योजना और हिली एरिया सब–प्लान को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर आप परस्यू करें तो मेरा ख्याल है कि जो 16 लाख आदिवासी हैं और पाली और आबू के आदिवासी हैं उनका जीवन-स्तर आगे बढ़ सकता है और यह विकसित हो सकते हैं। मैं इस संबंध में अधिक आपसे नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आपका सारा का सारा काम रैड टेपिज्म में है। आपने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन कुछ कदम आप सचिवालय के स्तर पर उठायें तो मेरा विश्वास है कि इसके असन्तोष से जनता मुक्त हो सकेगी। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आप एश्योरेन्सेस देते हैं कुछ नीतियां निर्धारित करते हैं और आप कुछ

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

आदेश देते हैं। मैं यह जानता हूं आपके आदेशों का पालन कहां होता है ? आपकी क्रियान्विति कहां होती है आपके आदेश और नीतियां रेड टेपिज्म में बंधी रहती हैं और नीचे जाते हुए सेक्रेटरी के स्तर पर बंधी रहती हैं–वह निकल नहीं पाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि सचिवालय का ढांचा अगर आप बदल सकें और यह इसलिए कहना चाहता हूं कि सचिवालय का ढांचा अभी तक वही ब्रिटिश सरकार के जमाने का है "लायल टू देयर बास" और बास कभी हमारी नीतियों के लिए लायल हो ऐसा नहीं देखते। ऐसी स्थिति में मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी को आपकी केबिनेट सेक्रेटरी बना दें और सेक्रेटरीज को इन्डीपेन्डेन्ट कर दें तो मैं समझता हूं कि सारे सेक्रेटरीज का लिंक आपके साथ होगा और उनकी लायलटी आपके साथ होगी। यदि आप अपनी नीतियों की पालना कराना चाहते हैं, यदि आप जनता को राहत देना चाहते है तो कम से कम एक अधिकारी सचिवालय में चाहे वह चीफ सेक्रेटरी ही हो, जो कि आपके प्रति लायल्टी रखता हो। आपकी नीति... के साथ वह आपकी पार्टी का व्यक्ति... चाहिए। अगर पार्टी का व्यक्ति हो... है तो नीचे की शृंखला टूट जाती है। इस सन्दर्भ में मैं चाहता हूं कि जितने प्रगतिशील कदम आपने उठाये हैं उनकी क्रियान्विति होनी चाहिए। अगर मैं यह कहूं कि कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने कानून को अमेण्ड करके 30 परसेन्ट लैण्ड है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए रखी तो मैं इसका इवोल्यूशन चाहता हूं कि आखिर कितने लोगों को इसमें फायदा हुआ। इसी तरह से मैं तेन्दू पत्ता राष्ट्रीयकरण का प्रश्न लेता हूं। जो आपने राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है मैं इसका एवेल्यूएशन चाहता हूं कि आपके इस कदम से कितने आदिवासियों को कितना फायदा हुआ, कितने आदिवासियों को इससे काम मिलता है, कितने आदिवासी पत्तों को एकत्रित करते हैं, कितना लाभ होता है, कितनी मजदूरी मिलती है।

इसी तरह से कच्ची बस्ती के प्रश्न पर आपने 47 लाख रुपया हमारे यहां पर खर्च किया है लेकिन इसको एक जयपुर तक ही केन्द्रीभूत कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर इनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है, क्या प्लान है।

**श्री रामकिशन :** अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि आचार्यजी इस प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। मैं जरा बाहर चला गया था इसलिए मालूम नहीं हो सका।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** बाहर चले गये थे तो आये क्यों डिस्टर्ब करने के लिए। आपको समझना चाहिए कि जो बाहर चला जाता है वह बाहर ही रहता है।

**श्री केदारनाथ :** माननीय आचार्यजी आप टिराड कस रहे हो या इनकोमियम दे रहे हो।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** मैं तटस्थ हूं, निर्दलीय हूं। इसको आपको समझना

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
चाहिए। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी करप्शन के प्रश्न पर आता हूं। करप्शन रैम्पेंट है और रहा है आपके लेवी के प्रश्न पर। लेवी की वसूली में कितना करप्शन हुआ है वह आपसे छिपा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए आपका सारा का सारा आन्दोलन इनको इरेडिकेट करने के सम्बन्ध में होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस निन्दा प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने आपको तटस्थ घोषित करता हूं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** न नर, न नारी।

**श्री रतीराम यादव** (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ उनकी जन विरोधी और प्रतिक्रियावादी नीतियों की निन्दा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।....

**श्री रामकिशन :** कुछ सदस्य कांग्रेस दल की तरफ से भी बोलने चाहिए। वे तो ऐसे चुप बैठे हैं कि निन्दा हो रही है उससे वे सहमत हैं।

**श्री अध्यक्ष :** जिन्होंने निन्दा प्रस्ताव दिया है उनकी बात को सुनना चाहिए। जो मूवर हैं इसलिए उनको पहले सुनना चाहिए।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** इस तरफ से आपने बुला लिया अब उधर की तरफ से भी बोलने दीजिए।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रतीराम।

**श्रीमती निर्मलाकुमारी :** अध्यक्ष महोदय....

**श्री हरिदेव जोशी :** नो।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रतीराम।

**श्री रतीराम यादव :** अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशीजी की गलत नीतियों के विरुद्ध मैंने सदन में निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुख्य मंत्री जी ने जब चार्ज लिया उस समय कुछ घोषणायें प्रगतिशीलता की की थीं लेकिन जैसे 2 समय बीतता गया, हमने यह देखा कि वह सारी उनकी घोषणायें रद्दी की टोकरी में डाल दी गईं और उनका जो असली चेहरा था वह जनता के सामने रखना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपना शासन चलाने लिए प्रतिक्रियावादी और निहित स्वार्थों के हाथों में, पुलिस और नौकरशाही के हाथों में खेल कर इस तरह से शासन करना शुरू किया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस और नौकरशाही के सहारे जो राजस्थान के अन्दर प्रगतिशील जनवादी शक्तियां थीं उनका दमन करना शुरू भी कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का जो राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में एक पूंजीवादी रुझान है उससे हमको बड़ा नुकसान पहुंचा है और मैं यह कह सकता हूं कि जो इनसे पहले के मुख्य मंत्री हुए हैं उनके समय में राजस्थान ने जो तरक्की की उसके मुकाबले राजस्थान का वह विकास, राजस्थान की वह तरक्की, उसकी वह गति अब अवरुद्ध हो चुकी है और अगर मैं आंकड़ों पर जाऊं तो

(श्री रतीराम यादव)

स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्थान की इस समय विकास की गति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, सारे देश पैमाने पर जो नाम मात्र आय का रुख है वह 40 प्रतिशत है लेकिन राजस्थान की वह आय रेखा प्रति व्यक्ति जो 20 रुपया मासिक के हिसाब पर है यानि साठ प्रतिशत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 20 प्रतिशत का यह अन्तर तो केवल राजस्थान के अन्दर है जबकि श्रीमानजी को केवल अभी नौ महीने यहां शासन करते हुए हैं और इनको अगर आगे भी समय मिलता रहा तो खतरा है कि विकास की गति और नीचे न पहुंच जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह खतरा पैदा होने लगा है कि जब कभी राजस्थान के इस विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकार श्री हरिदेव जोशीजी के मंत्रीत्व काल के समय को कहीं घोर अन्धकार का काल की संज्ञा न दे बैठें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पहले बड़ी घोषणायें की थीं कि मैं हरिजनों का बड़ा हिमायती हूं, गरीब लोगों का बड़ा हिमायती हूं और इनका संरक्षण करूंगा। लेकिन इनके समय की घटनाओं को देखने से पता लगेगा कि हरिजनों के कितने हिमायती हैं। मैं तो यह कहूंगा कि उनके शासन काल में कितनी ही ऐसी घटनायें हुई हैं जबकि हरिजनों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए हैं। इस के अन्दर भी सौलासर की घटना, जो गंगानगर जिले में हुई, तिजारा में सिरला खुर्द की घटना, अलवर की जो शूकर फैक्ट्री है वहां की घटना, इसी तरह से भरतपुर जिले में घटित हुई घटना का जिक्र इस सदन में हो चुका है, जहां पर अनेक प्रकार के घोर अत्याचार हरिजनों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए हैं। यहां तक कि जिस पुलिस विभाग के आप स्वयं मालिक हैं उस पुलिस के द्वारा भी और हरिजनों के साथ किशनगढ़ जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर एक हरिजन युवती के साथ पुलिस वालों के द्वारा बलात्कार किया गया। इसी तरह से धौलपुर की घटना अखबारों में प्रकाशित हुई थी, जहां कि पुलिस के द्वारा और पुलिस की ही शह से पुलिस वालों ने एक स्त्री के साथ बलात्कार किया था। तो अध्यक्ष महोदय, यह तो इनका हरिजनों की हिमायत करने का, हरिजनों को संरक्षण देने का एक नमूना है। आपको और भी खतरनाक बात तो यह है कि इन्होंने अपने पास में जो पुलिस का विभाग है उस पुलिस को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वह कुछ भी कर आए और उन पर कोई भी रुकावट आएगी उसको यह संभालते रहेंगे, आप उनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है बल्कि मुख्य मंत्रीजी ने जब से चार्ज संभाला है अनडेमोक्रेटिक ताकतों को बढ़ावा दिया है। तिजारा चुनाव की अगर आपको घटना सुनाऊं तो आपको मालूम होगा कि जिस समय मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे तो वहां के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने मांग की थी कि यहां पर कालेज खोला जाय। स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब ने उनको कालेज खोलने का वायदा किया था। मुख्य मंत्रीजी को चाहिए तो यह था कि छात्रों से सहानुभूति से पेश आते और उनकी बात सुनते उसके बजाय उन्होंने किया यह कि.

(श्री रतीराम यादव)

पुलिस के बलबूते पर उन छात्रों के खिलाफ झूठे मुकदमे तैयार कराये जिसमें बीसों छात्र अभी तक फंसे हुए हैं जिनके लिए मुझे मांग करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है बल्कि वह यहां तक भी कि अगर सदन के अन्दर भी कोई उनकी नीतियों के खिलाफ कोई बोलता है, अगर कोई आलोचना करता है उनकी गलत नीतियों की तो वह उसको भी दबाना चाहते हैं और उदाहरण के रूप में सदन के अन्दर यह घटना अभी गत दिनों हो चुकी है। माननीय सदस्य राजेन्द्र भारतीया के साथ जो उनके पक्ष के हैं लेकिन उनकी आत्मा की आवाज थी, मुख्य मंत्रीजी की गलत नीतियां मजदूर विरोधी हैं, जन विरोधी हैं और इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर विरोध किया तो उनको भी उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े और उनको उनकी पार्टी से निलम्बित होना पड़ा।

**श्री दीपंकर** : यह तो हमारे दल का मामला था, सदन को इसमें क्या लेना देना है।

**श्री रतीराम यादव** : यह सदन का मामला है।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय दीपंकरजी जो बारबार बीच में बोलते हैं उसका एक ही इलाज है कि या तो इनको अध्यक्ष बना दिया जाय पार्टी का जिस तरह से गिरधारी लाल जी व्यास पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं वैसे ये भी बैठे रहेंगे या फिर इनको केबिनेट में शामिल कर लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : इस पर मुख्य मंत्रीजी गौर करेंगे।

**श्री गुमानमल लोढा** : इस पर सदन की आज्ञा तो हुई है।

**श्री रतीराम यादव** : इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, पुलिस और नौकरशाही के बलबूते पर इन्होंने यह भी बीड़ा उठा लिया कि कोई भी उनके सारे राज्य के अन्दर कोई राजनीतिज्ञ अगर विरोधी है तो उन प्रगतिशील राजनैतिक विरोधियों का दमन किया जाय जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अलवर के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता की पुलिस कस्टडी में निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई और मुख्य मंत्रीजी का उसके ऊपर मोहर लगा देना और उस पर कोई एक्शन नहीं लेना माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री सेक्यूलरिज्म की बात करते हैं। बहुत अधिक बात की है लेकिन सेक्यूलेरिज्म की एक मिसाल, एक नमूना मैं आपके सामने पेश करूं कि तिजारा के चुनाव में जिस प्रकार के मुख्य मंत्री ने इस अपनी आस्था के ऊपर, अपने नारे के ऊपर तिजारा के उप-चुनाव के अन्दर जातीयता, क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता का नंगा नाच करवाया है और बाहर से कितने ही लोगों को, जो इन जातियों से संबंधित थे, उनको लाकर छोड़ा गया और उन लोगों ने वहां पर साम्प्रदायिकता का घोर प्रचार किया। ऐसे व्यक्ति राजस्थान से नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के मिनिस्टर भी इनमें थे। यह आपके सेक्यूलेरिज्म का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

(श्री रतीराम यादव)

इसके साथ ही यह बात देखने को मिली है आप क्षेत्रीयता से दूर रहने की बात करते हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली, संविधान के अन्तर्गत यह शपथ ली कि मुख्य मंत्री बनने के बाद सारे राजस्थान को, सभी व्यक्तियों को समानता की दृष्टि से देखूंगा, पक्षपात रहित होकर व्यवहार करूंगा। यह बात उनको याद होगी। अगर याद नहीं है तो याद दिला देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय तिजारा में गये। उन्होंने अपने भाषण में यह साफ कहा, देखो तिजारा क्षेत्र के मतदाताओं अगर तुमने मेरे उम्मीदवार को हरा दिया तो यहां पर सड़कें और बिजली नहीं आयेगी और अगर जिता दिया तो तुम को ये दोनों मिलेंगी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो शपथ ग्रहण की थी उससे वे पीछे हटते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है बल्कि हमारे मुख्य मंत्री जी को घमंड हो गया है अपने प्रचण्ड बहुमत का और उसके आधार पर न केवल विरोधी पक्ष की बल्कि अपने साथियों की बात की भी वे उपेक्षा करते हैं, उनको हीनता की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनका यह जो बहुमत है यह श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओं नारे के अन्तर्गत आया है और इस नारे के आधार पर जनता ने आपको विश्वास दिया है। जो राष्ट्रीय नीति कांग्रेस ने अपनाई प्रगतिशील पार्टियों का सहयोग लेने की वह हमारे राजस्थान के स्वर्गीय मुख्य मंत्री बरकत साहब ने भी अपनायी जिसके अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ा गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने न केवल अपनी मजबूत सीटों पर कामयाबी हासिल की बल्कि बरकत साहब को जोधपुर के बजाय तिजारा से चुनाव लड़ने के लिये आमंत्रित किया और कहा कि हम आप को जिताएंगे और तेरह हजार के प्रचंड बहुमत से बरकत साहब को कामयाबी मिली। इसी तिजारा के अन्दर हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री की क्या हालत हुई यह आप सब जानते हैं। यह हालत उनकी गलत नीतियों का दुष्परिणाम है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** झूंठ की भी हद हो गयी है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** अब देख लीजिये, आपकी मेहरबानी से जीत कर नहीं आये हैं।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया शीघ्र समाप्त करें।

**श्री रतीराम यादव :** मुख्य मंत्री महोदय आप और आपके साथी, मंत्री मण्डल के जो दूसरे सदस्य हैं, आप जैसे ही महानुभाव श्री चन्दनमल बैद इस सदन में बैठते हैं। वे यह बात कहते हैं कि सी. पी. आई. हमारी मेहरबानी पर जीत कर आयी है, हमारी दया पर जीत कर आयी है। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न कभी किसी के दया की इच्छा रखती है और न किसी के सहारे ही चुनावों में कामयाब होती है। उसकी कामयाबी का रहस्य उसकी जन सेवा और प्रगतिशील नीतियां हैं। इसी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही चली जाएगी और यह राजस्थान के अन्दर हालत है जिसका प्रत्यक्ष

(श्री रतीराम यादव)

नमूना आपके सामने खड़ा है। व्यक्तिगत रूप से, हर प्रकार से, साम, दाम, दण्ड, भेद से मेरा वहां पर विरोध किया गया। सी.पी. आई. का विरोध किया और उसके बावजूद भी वहां की जनता ने सी. पी. आई. के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। इसलिए अब भी वक्त है। अब भी वक्त है कि इस बात को समय की गंभीरता को समझ लें और दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, सरकारी कर्मचारियों के दमन की नीति का त्याग कर दें। यह समय रहते आप को चेतावनी दी जा रही है। राजस्थान की जनता जिस ने मुख्य मंत्री के पद पर आपको आसीन करवाया है, एक दिन आप को इस कुर्सी से हटा सकती है और इसके अन्दर कोई देर नहीं लगेगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह शुरूआत हो चुकी है, न केवल विरोधी पक्ष की ओर से बल्कि आपके जो पक्ष वाले हैं जो आपकी साथी हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, जो आपके ही विधायक हैं उनमें यह शोला सुलगने लगा है। वह दिन अब नजदीक होगा और उधर से ही आपका तख्ता उलट जाएगा। जनता में जाने की बात तो अभी दूर है।

अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से बहुत ही विनम्रता से कहूंगा कि आप अच्छा हो अभी तो केवल हम ने निन्दा प्रस्ताव रख कर चेतावनी दी है। आप अपनी नेत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात को भी भूल रहे हैं। आप कम्युनिस्टों के घोर विरोध की बात करते हैं और इधर आपकी नेता इंदिराजी कहती हैं, बंगाल के अन्दर हम ने थोड़ा सा हाथ हटाया है कि वहां घुटने टेक दिये, कम्युनिस्टों को नाराज मत करो। अन्त में आपके विरोध में, आपकी दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ सदन में जो निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** समर्थन भी कर रहे हैं, प्रस्तुत भी कर रहे हैं।

**श्री हरिदेव जोशी :** माननीय सदस्य पहले मूव कर लें।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** मूव तो हो गया है। आप कहिये।

**श्री अध्यक्ष :** श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** अध्यक्ष महोदय, यह जो सैन्सर मोशन मुख्य मंत्री महोदय के विरुद्ध लाया गया है इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज इस मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं जिस के पेशे नजर हम चिन्तित हैं, कांग्रेस की प्रगतिशील नीति रखने वाले चिन्तित हैं और जम्हूरियत के जो हामी हैं वे भी चिन्तित हैं। सिवाय एक जगह के, दो जगह हैं जहां कि दूसरी हुकूमत है, बाकी सभी कांग्रेस की हुकूमत है और जब हम यह देखते हैं कि कांग्रेस की हुकूमतें गलत रास्ते पर जा रही हैं, भटकाव उसमें आ गया है इसके फलस्वरूप यह हो सकता है कि जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं और कुछ भूले भटके वामपंथी लोग हैं, वे मिलजुल कर आज जम्हूरियत को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वे इस डेमोक्रेसी को खतम करना चाहते हैं जिसके लिए हमने कुर्बानी दी है

(श्री मोहम्मद गफार अली)

और कुर्बानी देकर कई कदम इसको आगे बढ़ाया है। जब हम किसी कांग्रेस की हुकूमत में यह भटकाव देखते हैं तो उसको चेतावनी देते हैं। वरना इसका यह नतीजा होगा कि यहां भी वही हालात पैदा होंगे जो कि बिहार में पैदा हो रही है और जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ताकत के साथ, बहुत दृढ़ इरादे के साथ, कांग्रेस के प्रगतिशील लोगों को अपने साथ लेकर मुकाबला किया है, कर रही है। कुछ लोग जो वामपक्षी कहलाने का हक रखते हैं, जो आर. एस. एस. का समर्थन लेकर चल रहे हैं और सर्वोदय का चोला पहिन कर डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं उसके मुकाबले के अन्दर कफन बांध कर सामने आये हैं। मुख्य मंत्रीजी के इस छोटे से दौर में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक दो घटनाएं बताऊंगा कि जब कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो महासंघ के मुकाबले में मुख्य मंत्री ने ऐसे लोगों को जमा किया, उनकी मीटिंग की जो लोग जनसंघ के आर. एस.एस. से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने यह कोशिश की कि महासंघ के मुकाबले मे कोई न कोई जमात खड़ी की जाए और उसके फलस्वरूप उस जमात के कोई गागोरिया साहब हैं वह अध्यक्ष हुए। मुझे यह भी पता चला है कि उस जमात का पेट्रोनेज भी कहा जाता है। वह तस्दीक कर देंगे। इस संयुक्त कर्मचारी परिषद् जिसके गागोरिया साहब अध्यक्ष हैं इन्होंने एक मेमोरेण्डम भी पेश किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। यह एक वजूद में आ चुका है। मैं सबसे पहली जो चीज कह चुका हूं कि अगर इस किस्म का कदम उठाया गया है, मैं मानता हूं कि उठाया गया है, तो उसका मतलब यह होगा कि वह दुश्मनों के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का, और हम इस चीज को सही नहीं मानते हैं।

दूसरी चीज आपने यह वायदा किया कि आप हरिजनों को सहूलियतें देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इन नौ महीनों के अन्दर कितने हरिजनों को बसाया है और कितनों को दखल किया है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको जागीरदारों ने, सरमायेदारों ने बेदखल किया है उनकी तादाद बेइन्तिहा है? क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सदन में यह बताने की स्थिति में हैं? मैं कहता हूं कि 10 पर्सेन्ट लोगों को, हरिजनों को कब्जा नहीं मिला है। जो घटनाएं घटी हैं उन पर ज्यादा विस्तार से नहीं कहता हूं।

तीसरा पहलू जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हालांकि घी वालों के, घी बनाने के कारखानों को हमने लाखों रुपये की इमदाद दी है उन्होंने घी का प्रोडक्शन बन्द कर दिया है, घी की उपज बन्द कर दी है जिसके फलस्वरूप राजस्थान में एक निहायत परेशानी फैल गई और एक बूंद डालडा घी मिलना दुश्वार होगा या इस हुकूमत के घुटने टिके और उन्होंने भाव बढ़ाये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह हुकूमत यह नहीं कह सकती थी कि हमारा रुपया वापिस लाओ इनके घुटने टिकाने के लिए? क्या इतनी शक्तिशाली नहीं थी हुकूमत? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है और इसलिए अर्ज किया चाहता हूं कि आप इस पर गौर फर्मायेंगे कि क्या इसमें आपकी हुकूमत दोषी है?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी मांगों के लिए आन्दोलन किया आपने ट्रेड यूनियन के तमाम उसूलों को एक तरफ रखकर उनको दूर दूर फेंक दिया। आज तक यह कन्वेन्शन चला आ रहा था कि महासंघ या और कोई ट्रेड यूनियन है उनके पदाधिकारियों को दूसरी जगह मुन्तकिल नहीं किया जायगा, लेकिन आपने बदले की भावना से उन टीचरों को जिन टीचरों ने अपनी मांगों के लिये सिर बुलन्द किया था फर्जी किस्सा बतला कर 10 साल का उनको अलग अलग कर दिया और वहां पर भेज दिया जहां वे पढ़ा नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जवाब है आपका इनके लिए ? इस प्रकार की चीजों के लिए हम सेन्सर करते हैं।

आपने यह वायदा फर्माया था कि मैं तब्दीली लाना चाहता हूं। जो जागीरदार बैठे हुए हैं हमारे बीच में उनको मैं समाप्त करूंगा। प्रिविलेज खत्म हो गये राजा महाराजाओं के, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि अलवर महाराजा से आपने कितनी जमीन ली ? आपने जयपुर के महाराज से कितनी जमीन हासिल की। मैंने एक सवाल भी पूछा था कि 100 बीघा जमीन और 700 बीघा जमीन जयपुर के महाराजा मानसिंह के देहान्त के बाद प्लाट्स काट कर फर्जी पट्टे बना कर दे दी गई है। उसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया है। मैं इन चीजों के बारे में जो 10 महीनों के अन्दर हुई हैं अर्ज किया चाहता हूं कि हमारे बीच में बैठे हुए कितने लोगों (समय-समाप्ति—सूचक घंटी) से••

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ विार्निंग बेल है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपके बीच में बैठे हुए लोग हैं क्या आप यह बता सकेंगे कि उन्होंने कितनी लेवी दी और कितनी उसका समर्थन किया। उनके पास कितना जमीन है ? शायद आपको मालूम होगा कि रामचन्द्रजी चौधरी ने यहां पर जब डिफेन्स पेश किया तो कहा था कि मैंने तो पहले ही बंटवारा कर दिया था। आप सीलिंग कानून को लागू करना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पहले ही बटवारा कर दिया था। उस रोज बिश्नोई साहब और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के बीच में जो वाद-विवाद हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके बीच में बैठे हुए लोगों के पास कितनी जमीन है, और आप सीलिंग के कानून को लागू करना चाहते हैं। आपने वायदा फर्माया था कि सीलिंग कानून को सख्ती से लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार एक नहीं पचासों उदाहरण पुलिस के जुल्मों के हैं। भरतपुर के मामले में आपने अपोजिशन की बात को मान लिया। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन मैं पुलिस की दमनकारी नीति की भर्त्सना करता हूं। वह किसी भी अधिकारी के नीचे विभाग हो लेकिन अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है।

आपने हर डिपार्टमेंट के लिए एक कमेटी बनाने का फर्माया था। कमेटियां बनीं लेकिन आज तक उनकी मीटिंग्स नहीं हुई। हर डिपार्टमेंट को आपने स्ट्रीमलाइन करने की बात कही और आज तक कोई अमल नहीं हुआ।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

क्या यह सही है कि पूंजीपतियों के सामने आपके घुटने टिक गये? क्या यह सही है कि आपने घी वालों के सामने घुटने टेक दिये। यह जो बड़े बड़े इन्डास्ट्रियलिस्ट्स है वे हजारों रुपयों की बिजली की चोरी करते हैं और आपके घुटने उनके सामने भी टिके है? अगर यह सब चीजें सही है तो क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है कि हम आपके लिए यह कहें कि हम इनको संन्सर करते है।

मेरी गुजारिश यह है कि इन सब चीजों को छोड़ दें तो भी क्या यह सही नहीं है कि हम लोगों ने उदार दिल से कांग्रेस के हर अच्छे काम का समर्थन करने का बीड़ा उठाया हुआ है हमने कुर्बानियां की हैं। हमने आन्ध्र को पार्टीशन से बचाया है हमने बिहार को श्री जयप्रकाश नारायण की डिक्टेटरशिप से बचाया है और बचाने की कोशिश कर रहे है। हम राजस्थान को भी बचायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने सलूम्बर में कहा है कि कम्युनिस्ट्स हमारे दुश्मन हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को तरतीब (कण्ट्राडक्ट) कीजियेगा। आपकी पालिसी जो लिबरल पालिसी है वामपक्षी दल के साथ मिलजुल कर चलने वाली पालिसी का विरोध नहीं है। सलूम्बर में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। सलूम्बर में तो जनसंघ का उम्मीदवार था। उनके लिए आपने कहा हो। हमारे लिए आपने जो शब्द कहे वह ठीक नहीं है। तिजारे में आपने कहा उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि चुनाव में किसी भी किस्म की बात कही जा सकती है, लेकिन उसको भी मैं पसन्द नहीं करूंगा और आपके स्टेट्स के आदमी के लिए पसन्द नहीं करूंगा। क्या कांग्रेस की मीटिंग में आपने यह नहीं कहा कि कांग्रेस के यह लोग दुश्मन है। डेमोक्रेसी और काम्युनिज्म का विरोध है। डेमोक्रेसी का नेतृत्व अमेरिका करता है, और कम्युनिज्म का नेतृत्व रूस करता है। क्या आपने यह विचार किया किस कारण से यह कहा। मैं समझता हूं कि आपने कोई इन्नोसेन्टली नहीं कहा, आपने इरादतन कहा है। क्या यह सही है कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया? और अगर किया तो अर्ज किया चाहता हूं, सिर्फ चेतावनी के तौर पर अर्ज किया चाहता हूं कि हम इतने नादान दोस्त नहीं हैं, हम आपके दाना दुश्मन हैं जो आपको आपकी दिक्कतों से बचाना चाहते हैं। यह जो अराजकता हिन्दुस्तान में कायम करने के लिए ताकतें काम कर रही हैं उनको रोकना चाहते हैं। कल की ही घटना थी। उसको आपको मेन्टल हास्पिटल में भेज देना चाहिए था लेकिन आपने उसको भेजा जेल है। यह आपके सोचने का तरीका है। यह छोटी छोटी घटनाएं इस बात का सूचक है कि अगर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करते हैं तो लाजिमी तौर से यह हालत पैदा हो सकती है कि यहां पर अराजकता कायम हो।

आखिर में मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि हमारा यह हरगिज मकसद नहीं है कि पर्सनल तरीके से कोई चीज कही जाय या पर्सनल चीज को छेड़ा जाय अगर कुछ कहा जाता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यह जो आपकी पालिसीज हैं एन्टी पीपल, एन्टी लेबर पालिसीज जो

# Page No 83

83



(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
हैं, यह ट्रेड यूनियनस् को तोड़ने की पालिसीज हैं इनके अन्दर आप इनको उचित समझते हैं तो यह आपके सोचने का जो तरीका है उसको····

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह गुजारिश है कि हम जो लोग कहते हैं वह पार्टी पालिसी को सामने रखते हुए कहते हैं। और तदनुसार आपका कदम सराहनीय होगा।

आपको इस बिहार की घटना को नहीं भूलना चाहिए। जहां पर सख्त पैमाने पर राय दी गई कि असेम्बली के मेम्बर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टूडेण्ट्स को आन्दोलन करना चाहिए। पुलिस को बगावत करनी चाहिए। यह चीजें उभर कर आ रही हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आप उनको इस प्रकार से मीटिंग में बुरा भला कहें। हम नहीं कहते हैं; हम अवहेलना करते हैं। आप से मैं गुजारिश करता हूं, आप को प्राइवेट मीटिंग्स में जो कहा जाये वह पत्रिका को पास नहीं करना चाहिए। हमको आपने पत्रिका में दुश्मन करार दिया है। जबकि प्रतिक्रियावादी व्यक्ति बैठे हैं। आपने जब यह प्रहरा संभाला है हमने आपको मुबारक दिया है। हमने आपको आग्रह किया है। जो प्रगतिशील पोजिसीज हैं; उनके लायक आप करें। आपने टाइम बोण्ड प्रोग्राम लिया बसेज का नेशनलाइजेशन किया, हमने उसकी सराहना की है। अब भी हमारी नीति है, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे अच्छा कहेंगे। बुरा काम करेंगे तो हम बुरा कहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डाक्टर्स की प्रेक्टिस बन्द की है, उसकी हमने तारीफ की है। जमाखोरों को पकड़ा है, हम उसकी सराहना करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं निन्दा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस तरह से अपनी राय का इजहार करता हूं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो सदन में निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री हांडाजी ने निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये राजा महाराजाओं का समर्थक, मजदूरों का विरोधी होने का आरोप लगाया है। गफूर सहाब ने असली बात कह डाली। गफूर साहब और हांडा साहब की बातों में काफी फर्क मिलेगा। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी हैं। हम उनकी मदद करना चाहते हैं। जब वह नेता चुने गये तो वह उनका वेलकम करने के लिए गये। इस बारे में तो माननीय मुख्यमन्त्री ही जवाब दे सकेंगे। मुझे जानकारी नहीं है। जहां निन्दा प्रस्ताव के अन्दर जो माननीय हांडा जो ने आरोप लगाये हैं, वह कम से कम वर्तमान मुख्य मन्त्री जी के ऊपर लागू नहीं होते हैं। ऐसा मेरा निश्चित मत है। माननीय जोशीजी ने शुरू से ही, जब से उन्होंने प्रजा मण्डल में कार्य करना शुरू किया, हमेशा सामन्ती वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आदिवासी इलाकों में काम किया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है। आज भी आदिवासियों और पीड़ित शोषित वर्ग के लिए उनके मन में जो दर्द है, वह आज भी छुपा हुआ नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाया गया है। आज जो भाषण हुये हैं, वह आप देखेंगे। सरकारी महकमों को देखते हुये जो कहा गया है वह आप देख सकते हैं। विरोधी दलों ने यहां पर जो अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध पेश किया है, उसका साथ नहीं दिया है। लेकिन मुख्य मन्त्री के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव ला रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की इस नीति के पीछे विरोधाभास नजर आता है। उनकी यह दो घोड़ों की सवारी मेरी समझ में नहीं आती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको भ्रम नहीं रहना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जहां तक नीतियों का सवाल है, कांग्रेस हाई कमाण्ड ने जो तय किया है, मन्त्रिमण्डल ने जो तय किया है, उन नीतियों के अनुसार काम किया जा रहा है। उनकी अकेले की कोई नीति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निन्दा का प्रस्ताव क्यों लाया गया है? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह निन्दा प्रस्ताव मुख्य मन्त्री को प्रेसराइज करने के लिए, उनको ब्लैक मेल करने के लिए लाया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप बता दीजिये....

(शोरगुल–प्रश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं फिर उसी बात को दुहराना चाहूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम आपकी हुकूमत में नहीं आना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम खुद आपको देखना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो मैं अभी निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय कि मुख्य मन्त्री महोदय को प्रेसराइज किया जा रहा है। मैं अभी अपने दूसरे प्वाइंट पर भी आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कम्युनिस्ट साथियों को मुख्य मन्त्री से कई कारणों से नाराजगी हुई है। मैं उनकी बात पर आगे चलूंगा। जैसा कि हमारा कांग्रेस का इलेक्शन मैनीफेस्टो है, सन् 72 का, जिस पर कि राज्य सरकार अमल कर रही है। मैं माननीय गफ्फार साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो कच्ची बस्तियों का खासतौर से काम किया जा रहा है, वह क्या राजा महाराज करने के लिए जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उसके लिए आपने दो शब्द कहे हैं? तारीफ के दो शब्द कहे हैं। मैं आप से निवेदन कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है हम कुछ नीतियों को घोषित करके उनको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पूरा नहीं कर पा रहे हों। यह किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान में आर्थिक कठिनाइयां हैं। इसमें सहयोग की अपेक्षा करके चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है? थोड़े दिनों पहले ही उसमें एक स्लम आया है। आज बंगाल में क्या हो रहा है? रेलवे में क्या हुआ? आज उनके आपस में मनमुटाव हो गये हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री का यह नारा देते हैं। उनको यह प्रोग्रेसिव मानते हैं। लेकिन उन सिद्धार्थ शंकर रे को आज यह क्या कहते हैं? उड़ीसा में नन्दिनी सत्पथी के साथ में इनको नहीं पटी है। उत्तर प्रदेश में बहुगुणा के साथ में डिफरैन्सेज हो गये हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, यह आल इंडिया पालिसी का पार्ट है, अखिल भारतीय स्तर पर जो नीति निर्धारित हुई है, उसके तहत कार्यवाही कर रहे हैं। दो घोड़ों की सवारी के बारे में, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वह यह है कि राज्य के अन्दर राजस्थान कांग्रेस से सहयोग कर किन्हीं क्षेत्र के अन्दर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही साथ जनता के अन्दर अपनी अपोजीशन पार्टी की भूमिका, अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं। बड़ी दुविधा के अन्दर यह फंसे हुए हैं इस वक्त। एक तरफ चाहते हैं, जो जनता बढ़ती हुई कीमतों के अन्दर शिकंजे में फंसी हुई है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन मजबूत बनाना चाहते हैं, सरकार को टांग घसीटना चाहते हैं। साथ साथ अन्दरूनी तरीके से सरकार से सहयोग लेना चाहते हैं। यह डबल नीति है, यह पालिटिकल अपार्चुनिज्म है। इसे पालिटिकल अपार्चुनिज्म कहना चाहिए, एक तरफ सरकार को सहयोग दें, दूसरी तरफ जनता को दिखायें कि हम सरकार के खिलाफ हैं, सरकार की नीति के खिलाफ हैं। यह दो मुंहा चेहरा यह कायम रखना चाहते हैं। यह स्थिति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। जनता आपकी बात को समझ रही है, हम भी आपकी बात को समझ रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शुरू ही किया है, अभी भूमिका बांधी है। अभी खत्म कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : टू मिनिट्स मोर।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस पर लम्बी बहस होनी चाहिए। अभी माननीय सदस्य भूमिका ही बांध रहे हैं। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री केदारनाथ : अभी मूड ही नहीं बना है बोलने का।

श्री रामकिशन : इस पर टाइम का बन्धन नहीं लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समय पर ध्यान देना मेरा काम है, समय वृद्धि की मांग करना आपका काम है।

श्री रामकिशन : हम रात के बारह बजे तक बैठेंगे।

श्री केदारनाथ : अभी मूड ही नहीं बना है बोलने का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उड़ीसा में सारे लोगों ने मिल कर चुनाव लड़ा वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश है, वहां पर किन्हीं सीटों पर समझौता हुआ था, उसको इन्होंने भंग किया, कुछ सीटों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर अपने केन्डीडेट खड़े कर दिये जब कि कांग्रेस के केन्डीडेट खड़े हुए थे। उसके बाद लोगों ने जब इनको संज्ञा दी, तो कहने लगे, यह हमारी प्राइवेट लड़ाई है। उसका नतीजा यह हुआ कि इनको भी नुकसान उठाना पड़ा और हमें भी...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारी बदौलत चुनाव में आ गये मेजोरिटी में, वरना सफाया हो जाता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह भ्रम है, यह मुगालता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह भ्रम है तो और जगह पता लग जायेगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह आपका असेसमेंट है या आपके बड़े नेताओं का है, या बहुगुणा का है या आपकी ओरीजिनिलिटी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी ओरीजिनिलिटी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप बड़े नेताओं से सलाह ले लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे बड़े नेताओं से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं समझता हूं वह कह रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है वह बता रहा हूं।

मैं उड़ीसा की बात कह रहा था। मैंने उत्तर प्रदेश की बात कही मैंने बंगाल की बात कही। अध्यक्ष महोदय, अब नया मन-मुटाव हो गया है, और वह हो गया, रेलवे स्ट्राइक को लेकर और प्रेसीडेन्ट के इलेक्शन को लेकर। आपको मालूम है, रेलवे कर्मचारियों की जो मांग थी, वह मान ली जाती, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 600 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। आज जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से, वह उसके बाद देश की क्या स्थिति हुई होती, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारा इनका मन-मुटाव हो गया, प्रेसिडेन्ट के चुनाव को लेकर। कांग्रेस की तरफ से फखरुद्दीन अहमद प्रेसीडेन्ट के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हुए। प्रेसीडेन्ट के चुनाव का फैसला हो जाता तो मैं इसको डिस्कस नहीं करता लेकिन अभी चुनाव के परिणाम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वह राइटिस्ट फोर्स को रिप्रेजेन्ट करते हैं, राइटिस्ट फोर्स की नीति है वह गलत है, इसलिए हम विरोध करते हैं, हम उन्हें नहीं चाहते हैं। वह बहुत दिनों तक सशोपंज में फंसे रहे कि समर्थन दें या नहीं दें। आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि हम न्युट्रल हो जायेंगे, हम वोट नहीं देंगे। इनमें हिम्मत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राइटिस्ट कहते हैं, प्रतिक्रियावादी कहते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं है इनमें कि खुल कर वोट दे सकते। इसके कारणों में नहीं जाना चाहता, जो समझ पाया हूं, जो अखबारों में निकला है, जिनकी मेरे पास कटिंग है, मैं दिनमान में से पढ़ कर सुना सकता हूं, इन्होंने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्हें डर था कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मुस्लिम सम्प्रदाय के वोट इनके खिलाफ हो जायेंगे, इसलिए विरोध नहीं किया। तमाम पेपरों में इस बात की चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, इनकी जो नीति है वह दोहरी है। जनता और हम लोग भी उस चीज को समझने लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इन्होंने........

श्री भानुकुमार शास्त्री : इज इट ए केस आफ कम्युनिस्ट वर्सेज कांग्रेस।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आप तो केवल कांग्रेस की नीतियां बता रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मदद करके प्रायश्चित्त कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसी बात नहीं है, प्रायश्चित्त नहीं है।

श्री केशरीमल : अपने सारे कसूरों का प्रायश्चित्त कर लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे मुख्य सचेतक का आदेश है कि मैं समाप्त कर दूं। इसलिए मैं मोटा सवाल पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हनुमान सहाय चौधरी के बारे में जनसंघ के नेता महोदय ने कहा कि हनुमान सहाय चौधरी को इसलिए बरी कर दिया गया कि सरकार की तरफ से डिफेन्स में कोई कमी रह गई। ऐसा उनका आरोप था, जनसंघ के नेता महोदय का, अध्यक्ष महोदय, हनुमान सहाय चौधरी को राजस्थान का ही नहीं हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा तस्कर समझते थे, राजस्थान सरकार ने मेहनत करके उसको गिरफ्तार किया, राजस्थान सरकार के पुलिस कर्मचारियों ने बमुश्किल उसको गिरफ्तार किया लेकिन मैं कहता हूं, आप जानकारी कर लीजिए, अपने हाई कमाण्ड से और आपके साथियों से, उसकी पैरवी के लिए कौन आया? उसकी पैरवी करने के लिए आये उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल के सदस्य आर. के. गर्ग, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वह तीन हजार लेकर पैरोकारी करने के लिए आये। मैं आपको अखबार पढ़ कर सुना सकता हूं। मैं पूछना चाहता हूं।...

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह कम्युनिस्ट हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको मालूम हो जाना चाहिए, वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको अखबार पढ़ने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : होंगे। लेकिन हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे। पैरवी की बात की आपको जानकारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं, आपको चैलेंज देता हूं। वह एम.एल.ए. हरिद्वार से चुने गये हैं। वह किस कान्स्टीट्यूएन्सी से चुने गये थे, मैं यह जानता हूं। वह हरिद्वार से चुने गये थे। आप अपने हाई कमाण्ड से यह पूछ लीजिये। आपके बड़े बड़े नेता जखीरेबाजों और चोर बाजारियों की मदद करते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** आप एम.एल.ए. गर्ग की बात कर रहे हैं ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** जी हां।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** वह पैरवी करने के लिये आये ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** जी हां।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** किसने कह दिया ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अखबारों में निकला है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** ऐसे बहुत चिथड़े निकला करते हैं। तुम्हारे बारे में भी बहुत निकले हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** मैं आपसे निवेदन करूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं। आप जानकारी कर लीजिये, आप अपने हाई कमाण्ड को लिखियेगा, ऐसे कुछ सदस्य हैं जो हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं...

**श्री अध्यक्ष :** आपको काफी समय हो गया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह निन्दा प्रस्ताव राजस्थान के मुख्य मन्त्री को प्रेसेराइज करने के लिए, ब्लेक मेल करने के लिए लाया गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको गिरा दिया जाय।

**श्री हरिदेव जोशी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि अगर विचार नहीं हो तो मैं जवाब दे दूं और इस प्रश्न का यहीं अन्त कर दिया जाय।

**श्री रामकिशन :** मैं यह बात पूछना चाहता हूं, यह सेंसर मोशन है, आप मानते हैं कि निन्दा की गई है। आप जवाब दे रहे हैं तो क्या अभी निन्दा आ गई।

**श्री मूलचन्द सामरिया :** यह तो वफादार हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** जिस निन्दा की तमन्ना है वह अब होने वाली है। जो निन्दा प्रद्युम्न सिंह को पसन्द नहीं है वह हो चुकी है।

**श्री हरिदेव जोशी :** आपने कहा है उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं और दूसरे माननीय सदस्य कहेंगे, उसको भी सुनूंगा। जो समय आपने निर्धारित किया है, वह पूरा हो चुका है। इसलिए मैंने निवेदन किया था, अगर आप और समय तक इसको रखते हैं तो जवाब का समय मिल जाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है, उनका उत्तर आरम्भ हो जाय और इस मामले को समाप्त किया जाय।

**श्री केदार नाथ :** इस पर बोल लें। यह ऐसा मसला है जिसमें इन्टरवीन नहीं करें। सारे बोल लें।

**श्री रामकिशन :** जब निन्दा कर लें तब बोल लें। अभी से क्या जवाब ?

श्री दीपंकर : हमारे इस पक्ष की ओर से हमें बोलने का मौका दीजिये ताकि हम कुछ स्थिति को स्पष्ट कर सकें ।

श्री झाबरमल ( फतेहपुर ) : अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव रखा है कि इस सदन की राय में राज्य के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने अपने कार्यकाल के कुछ माह में ही प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी एवं सामन्ती तत्वों से सांठगांठ की है । अब मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की भाषा 1947 से पहले और 1970 से पहले की है । सबसे पहले तो आज हमें इस बात को देखना है कि राजस्थान में कम से कम जहां मुख्य मन्त्री के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव रखा है, कोई राजा महाराजा सामंत है भी क्या ? जब यहां कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, कोई साम्राज्यवाद का प्रश्न नहीं है तो यह तथ्यों से परे की बात है । मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ हूं और यही बात आपसे कहना चाहता हूं । कम्युनिस्ट पार्टी की एक सेट स्ट्रेटेजी है, ये लड़कर कुछ हांसिल करते हैं और फिर समझौता करके और लेते हैं । और समझौते के बाद जब सेच्युरेशन पाइन्ट आता है फिर लड़ाई शुरू करते हैं। यह इनकी स्ट्रेटेजी का मुख्य अंग है। इसमें अपने आप को जनता की निगाहों में प्रगतिशील कहलाने के लिए एक छींटाकशी मात्र है, मैं नहीं कहना चाहता कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह दवा स्तेमाल करने से पहले की सेहत है या दवा लेने के बाद की ?

श्री झाबरमल : इट इज ए स्टोल बोडी, इट मे कट ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : स्टोल तो हरिदेवजी भी हैं ।

श्री झाबरमल : यह जो इनकी स्ट्रेटेजी है यह इसका अंग है परन्तु उनको इस तरीके से सदन में नहीं आना चाहिए था । इनको जनता के साथ जो धोखादेही रही है वह किसी से छिपी नहीं है । रेल हड़ताल में इन लोगों ने राज्य कर्मचारियों के साथ जो विश्वासघात किया है, यह जो कम्युनिज्म की इन्टरनेशनल पोलिसी है उसके सख्त खिलाफ है । किसी भी तरह से वे उजले होना चाहते हैं । सारे देश में जो अपने आप बेनकाब हो गये हैं, उसको फिर से आवरण करना चाहते हैं । यह गले की घंटी आप लोगों की बांधी हुई है, आपको ही परेशान करेंगे परन्तु इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कम्युनिजिम को बहुत हद तक कमजोर कर दिया है । कम्युनिज्म के दो टुकड़े करके सी. पी. एम. और सी. पी. आई. आपके पालेपोषे इस देश में बहुत समय तक कम्युनिज्म नहीं आएगा । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके निन्दा प्रस्ताव को सहन करते हुए उनको प्रोटेक्शन देते रहें क्योंकि जब आपसे अलग हो जायेंगे तो इन्होंने जो समाज में डिसार्डर क्रीएट किया है डेमोक्रेसी में, यहां के पालिटिक्स में, यह इस देश के लिए खतरा तो जरूर खड़ा हो गया था परन्तु आप इनको ढीला मत छोड़िये क्योंकि इससे हो सकता है कि फिर ये सी. पी. एम. से मिल जायं और देश में कम्युनिज्म की हवा फैल जाए ।

उन्होंने जो अपनी नीति अख्तियार की है उसमें उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं जो कि समाज में डिसार्डर क्रीएट करने वाले हैं । किसी का बाप गद्दार हो तो वह समाज में भी डिसार्डर क्रिएट करता है । क्योंकि बाप उसका गद्दार है इसलिए वह कुछ

(श्री झाबरमल)

गलत काम करता है तो उसको प्रोटैक्शन मिलती है। इनको भी अपने आका को प्रोटेक्शन मिलती है। ये दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं। आपसे नजदीक रह कर कुछ लेना और फिर इन्टरनेशनल पोलिसीज में आप इनका सहयोग करें। आप पर मेरा एक चार्ज है कि उन लोगों को पाल कर हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को आपने कमजोर करने की चेष्टा की है क्योंकि इनकी एलायंस की क्या परिभाषा है, वह परिभाषा नहीं की। अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो इनके सारे सदस्य मौन बैठे थे। आपका मुख्य मंत्री में अविश्वास है, वह तो केबीनेट का हैड है तो डाइरैक्टली या इन्डाइरैक्टली यह अविश्वास है, इसको निंदा पर नहीं छोड़ना चाहिए...

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा :** आपका तो कोई आका ही नहीं।

**श्री मूलचन्द सामरिया :** सबूत ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा :** × × × का सबूत दे दिया।

**श्री झाबरमल :** इन लोगों की दोहरी नीति से डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है लेकिन इनको बांध कर रखो। वर्तमान मुख्य मंत्री ने समाज के लिए जो काम किये हैं, उनमें सबसे पहले तो बरकत साहब के बाद में जब कमान्ड संभाला तो हर माननीय सदस्य से आवाज आ रही थी कि जन प्रतिनिधियों का यहां पर अपमान होता है लालफीताशाही कद्र नहीं करती। अब माननीय सदस्य इस बात को महसूस करते हैं कि उनकी बात को इज्जत के साथ सुना जाता है और शासन उनका बहुत हद तक सम्मान करता है। यह प्रजातन्त्र में चुने हुए आदमियों की बात वर्तमान मुख्य मंत्री ने की है।

इसके बाद प्रजेंट पोलिसीज में यहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली से बात आई कि कर बढ़ाने पड़ेंगे लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने उनको समझाया और सब लोगों ने देखा कि राजस्थान में और अधिक कर नहीं लगाए गए और दूसरे तरीकों से आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ करने की बात कही।

मंडी कमेटियों के लिए एक और बोर्ड बना दिया है ताकि मण्डियों में अनाज कैसे इकट्ठा किया जाय, कैसे उचित मूल्य मिले इसलिए बोर्ड का गठन भी किया गया।

आज भी अकाल की स्थिति जब राजस्थान में खड़ी हो गई है तो अगाड़ कार्यवाही के लिए दिल्ली गए हैं, भूख से किसी को मरने नहीं दिया। शुगर की जो उपलब्धि भी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि निंदा जैसी कोई बात नहीं आती है और 1947 के पूर्व की भाषा का निंदा प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** 4।। बजे मुख्य मंत्री का जवाब आरम्भ हो जाएगा तब तक इस विषय के लिए समय और बढ़ा देता हूं।

**श्री दीपंकर :** मेरी तरफ नजर रखें।

**श्री अध्यक्ष :** कभी कभी तो आप भी इस ओर ध्यान रखें।

× × ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गये।

**श्री दीपंकर :** मैं आपकी आज्ञा से बोलना चाहता हूं, ये लोग बोल चुके।

**श्री अध्यक्ष :** विरोधी पक्ष की तरफ से बोलना चाहें तो बोलें।

**श्री मीठालाल :** हमारी प्रधान मंत्रीजी अथवा केंद्रीय सरकार ने संसद में आने के पश्चात् इन वामपंथी बंधुओं को जो सी.पी. आई. कहलाने वाले हैं उनके साथ ज्यादा नजदीक है, 1971–72 से नजदीक किया और काफी संख्या में इनकी नीतियों का पालन किया और इनमें गेहूं का राष्ट्रीयकरण प्रमुख था और कई ऐसी चीजें थीं जो काफी हद तक इनकी नीतियों के अनुसार चलती हैं और आखिर में तीनों नीतियां इन्होंने बताईं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने अपने छात्राइयों की बातें मान कर उनका पालन किया लेकिन एक दो साल से इन लोगों ने जो नीतियां बताई हैं वे सारी की सारी फेल हुईं और प्रधान मंत्री समझ गईं कि इनकी बताई गई नीतियों पर अगर मैं चलूंगी तो जो 5 साल के बाद डूबूंगी वह एक साल में ही डूबूंगी। इसका नतीजा यह हुआ कि दो साल पश्चात् उन नीतियों से दूर होती गईं लेकिन आज जो वातावरण है, आज जो डांडा साहब की पार्टी की नीति है, वह समझ में नहीं आता कि क्या नीति है? एक तरफ लड़ते हैं, पुचकारते हैं, एक तरफ शासन में बैठते हैं, चुनाव में साथ आते हैं कहते हैं कि हमको भी जीतने दो। इस ढंग की बात निश्चित मालूम नहीं पड़ती है कि सुबह प्रस्ताव क्या था बाद में क्या था। आज हमारी राज्य सरकार ने कृषि उन्नति में या विद्युत् उन्नति में क्या किया? कृषि के मामले में किसानों के सामने जो मसला है वह खाद्यान्न का है चाहे कितनी ही नीतियां सरकार बदले लेकिन जब तक उत्पादन की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती तब तक कुछ नहीं होगा। उत्पादन के मामले में विद्युत् मुख्य है, एक ही मामले में आज तक सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। विद्युत् के मामले अध्यक्ष महोदय, आप लीजिए आज यू.पी. और मध्य प्रदेश को बिजली देने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी लाइनें आप खींच रहे हैं। आपकी आधी बिजली आप उन्हें देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज हमारे राजस्थान में करीब बीस हजार प्रार्थना-पत्र आपके पास पेंडिंग हैं पर उन पर आप कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वह भी जनता को सुविधानुसार नहीं मिल पायी हैं। राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे जनता को दैनिक उपयोगी वस्तुएं सुविधापूर्वक मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज भारत सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के विकास के लिए दो सौ करोड़ रुपया, जो भारत सरकार ने रखे हैं, उसमें सात प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का भी है। मेरा यह निवेदन है कि इस धनराशि के व्यय के लिए आपने सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का क्षेत्र ही क्यों चुना? क्या राजस्थान मे और कोई जगह पर आदिवासी लोग नहीं बसते हैं? आज भी राजस्थान के अन्दर और खास तौर से सवाई माधोपुर, कालसोट और सिकराय में काफी मात्रा में अनुसूचित जन जाति के

(श्री मीठालाल)

लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाडा और उदयपुर के इलाके के अन्दर जो आदिवासी रहते हैं उससे यहां जयपुर, सवाईमाधोपुर और इसके आस पास के इलाके में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की ज्यादा हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, यह जो दौसा सब डिविजन का इलाका है लालसोट, सिकराय और इसके आसपास का इलाका वह पूरा का पूरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से भरा हुआ है। लेकिन आपने उनके लिए उस योजना में से धनराशि क्यों नहीं रखी? आप इस इलाके का विकास क्यों नहीं करना चाहते? क्या लालसोट, सिकराय का इलाका पिछड़ा हुआ नहीं है? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यहां पर विकास कार्यक्रम खोला जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां पर पश्चिमी राजस्थान के विकास के बारे में काफी बातें कहीं जाती हैं उनके विकास के लिये राज्य सरकार योजना भी बनाने जा रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, वैसे पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की धारणा अपने मन में नहीं रखता हूं। लेकिन यह कहना कि जो क्षेत्र थोड़ा सा ठीक हालत में है उसके विकास के कार्यक्रम रोक दिये जायं और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान का ही विकास किया जाय यह बात गलत है। यह तो वह बात है अगर एक व्यक्ति बीमार है उसे तो आप दवाइयां देते रहें और उन्हें अच्छा खाना भी दें तो कोई बात नहीं लेकिन एक व्यक्ति जो स्वस्थ हो उसे आप खाना भी बन्द कर दें। तो क्या वह स्वस्थ व्यक्ति मरीज नहीं हो जायेगा? आप ऐसी योजनायें पश्चिमी राजस्थान के लिये बना रहे हैं जिनके फल आपको आज नहीं बल्कि 20 से लेकर 50 साल के बाद मिलेंगे तो मेरा निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान में ऐसी योजनायें क्यों नहीं बना देते जिससे कि वह तत्काल फायदा दे सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप पूर्वी राजस्थान का विकास करने में भी पश्चिमी राजस्थान का विकास करने के साथ भूल नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आदिवासी क्षेत्रों में प्राइमरी, मिडिल स्कूल खोलने की जो घोषणायें की थीं उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि अभी कई क्षेत्रों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स खोले गये लेकिन वह इस प्रकार से गुपचुप में खोले गये कि किसी को कानों कान भी खबर नहीं मिली और वह स्कूलें किसी दूसरे ही क्षेत्रों में खोली जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, जबकि वह स्कूलें आदिवासी क्षेत्रों में खोली जानी चाहिये थीं ताकि उनका विकास हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं थोड़ा सा पुलिस के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस का वर्ताव आदिवासी लोगों के साथ ही नहीं बल्कि सामान्य जनता के साथ बुरा है। यह नहीं होना चाहिये। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस के अन्दर और बाहर जो वामपन्थी लोग हैं वह हर वक्त टाटा और बिड़ला को कोसते रहते हैं।

(श्री मीठालाल)
लेकिन राज्य सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से यह कहती है कि वह यहां पर आकर अपने उद्योग लगायें। लेकिन दूसरी तरफ आप उन लोगों को हर बार कोसते रहते हैं। तो वह यहां पर आकर किस लिये उद्योग लगायें। मैं यह नहीं कहता कि आप अगर उनके खिलाफ में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करें लेकिन जो कोई कानून की अवहेलना नहीं करे उस उद्योगपति को कोसने से क्या फायदा। अगर आप कोसेंगे तो कौन ऐसा उद्योगपति होगा जो राजस्थान से अपना काम धन्धा छोड़ कर वहां पर अपने कारखाने लगायेंगे। मैं समझता हूं कोई नहीं लगायेगा। मैं अभी भी कहता हूं कि जो नाजायज काम करते हैं उन्हें आप कठोर से कठोर दण्ड दें मैं मना नहीं करता लेकिन बिना बात कोसने से क्या फायदा?

अध्यक्ष महोदय, एक और बात जो मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज आपने एक नयी प्रथा शुरू करदी है कि हर व्यापारी को आप हथकड़ी लगा कर बाजार में घुमा देते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप बिना सोचे समझे लोगों को हथकड़ी लगाकर निकालेंगे और वह व्यक्ति अगर बाद में जाकर बरी हो जायेंगे तो फिर मैं आपसे यह बात निवेदन कर दूं कि यह न्याय संगत नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप आये दिन लोगों को हथकड़ी लगाकर निकालेंगे तो फिर यह हथकड़ी लगाकर निकालने का कोई महत्व ही नहीं रह जायेगा। दूसरे ऐसा भी होगा कि लोग नकटे हो जायेंगे और शर्म नाम की कोई बात उनके मन में नहीं रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि जो जुर्म करे उसे दन्ड मत दो लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि पहले आप सही जांच करा कर बाद में ही हथकड़ी लगाकर दोषी व्यक्ति को बाजार में घुमायें अगर आप किसी को दोषी पाते हैं तो आप उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दें मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(घन्टी)

**श्री दीपंकर :** इसमें चावल के व्यापारी को हथकड़ी नहीं लगायें।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

**श्री मीठालाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं। एक बात और भी गम्भीर है जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है कि आपके मन्त्री मण्डल की केबीनेट में ऐसे ऐसे सदस्य हैं जिनके खिलाफ में 420 के केस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ में कोपरेटिव सोसाइटीज के हजारों रुपये के गबन के मामले चल रहे हैं, कम से कम मुख्य मन्त्रीजी को अपने मन्त्रिमण्डल का सदस्य ऐसे व्यक्ति को तो नहीं रखना चाहिए। आज जिनके खिलाफ में 420 के केस हैं, गबन और घोटाले के केसेज चल रहे हैं, उनको मन्त्रिमण्डल का सदस्य रखना उचित नहीं है। मुख्य मन्त्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

**श्रीमती निर्मला कुमारी :** अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

**श्री दीपंकर** : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनका जवाब भी हमें देने की इजाजत दी जावे।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा करें कि श्री दीपंकरजी को एक कमरे में बन्द कर दीजिये और टेप रिकार्ड रख कर इनका भाषण टेप करा कर मुख्य मन्त्रीजी को भिजवा दें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रोफेसर केदार।

**श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ में निन्दा प्रस्ताव पर बहस हो रही है। मान्यवर चाहे वह निन्दा प्रस्ताव हो चाहे वह अविश्वास का प्रस्ताव, उसमें राज्य सरकार की क्या कमजोरियां हैं वह आमतौर पर डिसकस की जाती हैं। मान्यवर आज की जो सरकार है उस पर मेरा यह चार्ज है कि वह अपने प्रोग्राम्स को जो उसने इलेक्शन के पहले दिये थे और उसकी वजह से कांग्रेस को इतनी मासिव मेजोरिटी मिली थी उन्हें पूरा नहीं कर रही है। मौजूदा आज देश सोशियो इकोनोमिक और पोलिटिकल कन्डीशन खराब हो रही है। मान्यवर, यह सरकार अपने प्रोग्राम्स को पूरा करने में फेल रही है यह मेरा चार्ज है इस गवर्नमेंट पर। मान्यवर, जब से इन्दिराजी ने देश की बागडोर सम्भाली है और खासतौर से सन् 1969 के बाद इस देश में एक चेन्ज आया है। मान्यवर इन्दिराजी में काम करने का इनीसियेटिव है, वह बोल्ड हैं, उन्होंने कांग्रेस को एक नया मोड दिया है, एक नया थोट दिया है। उन्होंने जो प्लान बनाया है समाजवाद का नारा दिया उसके अनुसार उन्होंने जहां भी कांग्रेस की रीजिम है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को तो कम से कम उनके उसूलों का पालन करना चाहिये। लेकिन मान्यवर, मेरा चार्ज है कि उन्होंने उसके अनुसार कोई कार्य नहीं किया। इसलिये हमारे देश में डेमोक्रेसी थोड़ी लूज हो रही है। मान्यवर, इसका इम्पैक्ट सभी जगह पड़ रहा है। मान्यवर, स्टेट और सेन्ट्रल दोनों अपने अपने मामलों में अलग स्वतन्त्र हैं। अलग चीफ मिनिस्टर्स यह सोचते हैं कि वह अपने मामलों में केन्द्र के सबोर्डिनेट हैं तो यह गलत फीलिंग है। अगर चीफ मिनिस्टर्स को उनके स्टेट्स के मामले में फुल ओटोनोमी है मान्यवर, हमने शास्त्रीजी की रीजीम देखी, व्यासजी की रीजीम देखी, उसके बाद में सुखाड़िया साहब आये उनकी भी रीजीम देखी। मान्यवर उसके बाद में बरकत साहब आये और उसके बाद में यह रीजीम चल रही है लेकिन मान्यवर आज की रीजीम में काफी खामियां हैं। मान्यवर, हमारे यहां के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आये हैं वह कामन मैन में से आये हैं। उन्होंने काफी स्ट्रगल की है। फिर भी मेरा चार्ज है इस गवर्नमेंट पर कि आज भी हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है चाहे वह सोशियल लाइफ में हो, चाहे वह पोलीटिकल लाइफ में हो चाहे इकोनोमिक मेटर्स में हो। हम, जो रिजल्ट्स हमें एचीव करने चाहिये थे, वह एचीव नहीं कर पाये। यह मेरा चार्ज है। पार्टी को न तो आर्गेनाइज कर पाये थे, आत्म विश्वास नहीं कर पाये थे, इफेक्टिव रोल प्ले करने के लिये नहीं कर पाये थे। एम. एल. ए.

(श्री केदार नाथ)

एम. पीज., मुख्य मंत्री, केबिनेट मंत्री अपने तक ही सीमित रहे, मासेज में बैठकर अवेयरनेस पैदा नहीं कर सके, एन्टीसिपेशन की कमी है, कानून पास किये, जो कमियां हैं वह कोमन मैन के साथ बैठकर दूर नहीं कर पाते, मासेज को संगठित नहीं कर पाये, जो मेनीफेस्टो है और आपकी जो मौजूदा नीतियां हैं इनके प्रति कैसे वफादार कहा जा सकता है, मेनिफेस्ट के प्रति कैसे वफादार रह सकते हैं।

यह जो प्रस्ताव मेरे दोस्तों ने रखा है वे इस राय के हैं कि यहां पर प्रतिक्रियावादी ताकतें बढ़ी हैं, यह ठीक है, सामन्ती ताकतें बढ़ी हैं व्यापारी मुनाफाखोर एवं उद्योगपतियों की ताकतें बढ़ी हैं यह ठीक है, व्यापारी और मुनाफाखोर एवं उद्योगपतियों को ताकतें बढ़ी हैं, यह ठीक है। राजा महाराजाओं की ताकतें बढ़ी हैं, यह ठीक है। मैं मानता हूं ये ठीक है। ये इश्यूज जो रेज किये हैं सारे देश की इकोनोमी और जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर आज है, जो कि इन्दिराजी की रहम पर है बिना उनकी मर्जी के और उनके रहम के स्टेट की इकोनोमी को गेल्वेनाइज नहीं कर सकते हैं। सेन्ट्रल की इकोनोमी गेल्वेनाइज होने पर यहां हो सकती है, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहां नहीं सुधरती तो यहां सुधरना संभव नहीं है। कांग्रेस को सुधारने के लिये मान्यवर हमारे मतभेद नहीं हैं। क्या मौजूदा कांग्रेस में कोई सुधार हो सकता है? नहीं यदि 71 और 72 में सारी ताकत को गेल्वेनाइज कर लेते तो समाज में एक-समानता पैदा होती। मैं यह कह कर चला जाऊं इस प्रस्ताव की मार्फत कि मुंशीलालजी, मैं, गिरधारीलालजी में जागृति आ गयी है, यह सम्भव नहीं है। हमारा यह मकसद नहीं है, इस प्रस्ताव के जरिये जो प्रश्न है उनका हल ढूंढना है। आपने अपनी पालिसी को डाइवर्ट कर दिया उसको कैसे सुधार पाओ यह आलोचना कर सकते हैं।

मैं यह बात कह रहा था कि यहां हालात बदले हैं इसमें कोई शक नहीं है। कई काम अच्छे हुये हैं। सिल्वर लाईनिंग्स हैं। आप आलोचना करते हैं, मैं मौजूदा मंत्रिमंडल की तारीफ करता हूं। होली के दिन उठ नहीं पाये थे कि रामनारायणजी चौधरी, देवपुराजी, छंगाणीजी, खेतसिंहजी, ये सब वहां पर आ गये। यह मास का कान्ट्रेक्ट का नया तरीका निकाला। केबिनेट के लोग बातचीत करना चाहे तो करते हैं, टेलीफोन का जवाब देते हैं, पत्र का जवाब देते हैं, एन. एल. ए. सोचता है कि हमारी बात सुनी गयी। यह नयी चीज हमने उनमें पायी है। एक बार मैं सेक्रेटेरियेट में गया। मैंने पूछा मुंशीलालजी के पास कौन बैठा है। कहा मुंशीलालजी महावर? हां, मुंशीलाल महावर मैं अन्दर गया उनके पास देखा अकेले बैठे हैं निठ्ठले। कोई फाइल भी नहीं पास में कोई काम नहीं। न कोई चपरासी है और न कोई पास है। मैंने कहा यह तो बड़ा अन्याय है। जिस मंत्रीमंडल में फुलफ्लेज्ड मंत्री न हो, मुसलमान मंत्री फुलफ्लेज्ड न हो उसको डेमोक्रेटिक सेट अप या सेकुलर मंत्रिमंडल नहीं मानने वाला हूं। आप जीत कर आये। अच्छी स्ट्रगल हो, डिस्कशन्स हों, इससे एक हैल्दी कन्वेंशन्स का निर्माण होता है। अब आप अपनी लिस्ट को जिसको बड़ी इन्तजार है लोगों को आउट कर दें उनमें दीपंकरजी, भारतीयजी का नाम हो।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : महिला का भी कह रहे हैं।

**श्री केदारनाथ** : आपका नाम भी लिस्ट में है। मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान की जो पावर्टी लाइन है, यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी आदमी से जाकर पूछो उसका काम हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी आपकी तारीफ है। लेकिन किसी व्योपारी, किसान, किसी की भी दरख्वास्त लेंगे, जवाब मिलेगा नहीं। डिपार्टमेंन्ट में कोओर्डिनेशन बनाया, सेल बनाये कोमन मेन पढ़ा लिखा नहीं है। आप भूमिहीन की बात ले लीजिये शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात ले लीजिये दो तीन साल में जितने अत्याचार इन पर हुए हैं आज तक वैसे नहीं हुए। भूमिहीनों को, वेज अरनर्स ओर्गेनाइजेशन्स नहीं हैं, हम भी उनको ओर्गेनाइज नहीं कर सके हैं। हमने अपने आपको स्थगन प्रस्तावों तक ही सीमित रखा है। हजारों करोड़ों लोग हैं ऐसे, जिनको आपने जमीन दी वह जमीन वापिस भूपतियों के पास चली गयी। वे कब्जे ले नहीं पाये। 70।75 साल की वार विडो बड़े आदमी के पास जाती है, क्या सोचती है, हिम्मत नहीं कि वह कब्जा ले सके। मुख्तियारनामे वगैरा लगाये जाते हैं, उनको फाड़ कर फेंक देते हैं। समेरी ट्रायल करके ही आप उनको कब्जे दिला सकते हैं। हरिजनों को कब्जा देंगे नहीं। जिन हरिजन लोगों के पास खेती की जमीनें थी, श्रीमन् वापिस दूसरे लोगों के कब्जे में चली गयी। कब्जा दिलाया नहीं, कानून से फिर आप जमीन उनको दिला नहीं पायेंगे। सारे अधिकार हैं, जिन को आपने वायदा किया था, कुछ आपने काम किये? कमेटी छः महीने में रिपोर्ट दे दे आपने लगातार टाइम बढ़ाया है। आपने एलान किया था कि उनके बारे में रिव्यू करेंगे, अपनी बात को विचारेंगे, सोचेंगे। जो लोग रेलवे स्ट्राइक में शामिल हुए और जो हालात देश में पैदा हुए श्रीमन् मेरा यह दिमाग बना है कि मौजूदा इन्दिरा सरकार से यह विश्वास लेकर चलें कि लोगों को राहत मिल पायेगी, हमारा यह विश्वास समाप्त हो गया है। हमेशा के लिए ट्रेड यूनियन को समाप्त कर दिया। छात्रों का सवाल ले लें। इनमें असंतोष है। प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं उनमें असंतोष है। चारों ओर से असंतोष बढ़ रहा है और यह आवाज उठाई कि खामियां हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर इनके खिलाफ कहने के लिये कोई चीज मेरे पास नहीं। कोशिश भी की कि व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज मिले। पर नहीं मिली। यह ईमानदारी से कहता हूं। हरिदेवजी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर अगर आइन्दा मिली कोई बात तो निन्दा प्रस्ताव के रूप में यह मामला लाया जा सकता है।

वैसे राजस्थान के पोलिटिकल परफोर्मेन्सेज के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आप बहुत पिछड़े हुए हैं। गरीब खेतिहर समाप्त हो गया है यह सही है। सीलिंग आप लाये, उसमें असफल रहे। आज जमीन किनके पास है? जयपुर के दस मील के रेडियस में आप देख लीजिये। किनकी आलीशान कोठियां बन गई हैं, किनके फार्म बन गये हैं? कौन हैं ये लोग? जो पहले आसपास माली का काम करते थे। दूध दही और सब्जी बेचते थे। छोटी मोटी खेती

(श्री केदारनाथ)
बाड़ी कर लेते थे। वे सब इलीमिनेट हो गये। यहां ही नहीं। सारे राजस्थान में यही हाल है। शहरों में से शहरों के आस-पास के छोटे काश्तकार अपनी इकोनोमी लाइफ से इलीमिनेट हो गये। उनमें से कइयों ने कारखानों में मजदूरी कर ली शहरों में आकर रह गये। कुछ खेतीहर मजदूर बनने पर मजबूर कर दिये गये। हमेशा के लिये चलो समाप्त। यह है आपका सीलिंग लॉ। कहने को आप कहते हैं 125 हजार एकड़ जमीन मिली। पर इसमें से 75 प्रतिशत तो ऐसी है जो बारानी है। बंजड़ है। बाकी जमीन लगभग दस हजार एकड़ रही। जो आपने बांटी है।

सीलिंग से ज्यादा जमीनें कोटा, गंगानगर, भरतपुर, अलवर क्षेत्रों में थी जिनके पास कागजों में तो वह रद्द करा दी गई। पर आज वे ही सब लोग उन पर काबिज हैं। मिसालें सैंकड़ों मैं दे सकता हूं। सौ सौ दो दो सौ मुरब्बा जमीन एक स्ट्रेच में है। सारा प्रबन्ध एक ही घर के हाथ में है। वे ही चौकर वे ही चाकर। वही रास्ता वे आज ब्लेक मनी बना रहे हैं। कोई एक्शन नहीं है आपका उनके लिये। जिस एडमिनिस्ट्रेशन को आपने यह काम सौंपा था वह फेल हो गया। मैं सब अफसरों की बात नहीं कहता। कुछ इफीशियेन्ट हैं, इनर्जेटिक भी हैं। पर यह आम टेन्डेन्सी है एक बात मजे की है। आज इन अधिकारियों से मिलने के लिये कोई विधायक जावेंगे भी तो पहले तो चिट् देकर जाना होगा। खैर। जाना चाहिये इसी तरह। पर चिट् जब उनके सामने जावेगा तो उसे देख कर, पहले तो खूब हंसेंगे; उनकी खिल्ली उड़ावेंगे। समझेंगे कि यह कौन अजनबी आ गया। यह एटीट्यूड है उनका। तो सामान्य आदमी, सामान्य कार्यकर्ता की तो क्या हस्ती है।

तो इसमें से निन्दा का शब्द आप निकाल दें। आलोचना रख दें। तो अधिक उपयुक्त होगा। निन्दा परसनल लेवल पर होती है। आलोचना शब्द रखा जाना अधिक उपयुक्त होगा। निन्दा में परसनल टच आ जाता है और आलोचना में सारी सरकार के कार्यकलाप आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर पर पोलिटिकल जिम्मेदारी होती है। यहां भी वहां भी। वे कलर देते हैं नीतियों को। सरकार को दिशा देते हैं केवल उनका इतना ही काम है। इनमें जहां डिफेक्शन या डिग्रेशन मालूम पड़े तो उसकी आलोचना होनी चाहिये। बाकी निजी इन्टरेस्ट अपने निजी फायदे के लिये कुछ किया जाय तो वहां परसनल लेवल पर बात आनी चाहिये। यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री गुमानमल लोढा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, कां......

**श्रीमती निर्मला देवी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ही सदस्य बोल पाये हैं। हमें भी मौका दिया जावे।

**श्री अध्यक्ष :** दूंगा। श्री गुमानमल लोढा। सूची मेरे पास है।

**श्री गुमानमल लोढा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं संविधान की धारा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

165 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं नहीं समझ पाया कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध अलग से निन्दा प्रस्ताव लाया जावे और उनके मन्त्री मण्डल को छोड़ दिया जावे। अगर लाना ही था तो सारी सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये था। उस अविश्वास का प्रस्ताव के समर्थन में तो खड़ा भी न हुआ जावे और इसके विपरीत एक मुख्य मंत्री के खिलाफ अलग से निन्दा प्रस्ताव लाकर कुछ कहा जावे और वह भी निन्दा न करके स्तुति की जावे। इसे क्या कहा जाय? मेरी तो समझ में नहीं आया। प्रस्ताव तो निन्दा का और भाषण स्तुति के रूप में। यह दुहरा मापदण्ड कैसा? दो घोड़ों पर यह सवारी कैसी? मैं इसे समझ नहीं सका अध्यक्ष महोदय, इस कम्युनिस्ट पार्टी के गोरखधन्धे को।

मैं इस बात को तो मानता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। सरकार के प्रति लाया जाय और इसको हम लाना भी चाहते थे। जिस रूप में हम लाये थे उसको लाये थे बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को मिटाने में राज्य सरकार नितान्त असफल रही इसको लेकर, मंहगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसको लेकर, भूखमरी फैल रही है, अभाव की स्थिति है, भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना अपना रंग दिखा रहा है, मिलावट का रोग भयंकर होता जा रहा है, मजदूर, राज्य कर्मचारियों के प्रति सरकार की दमन की नीति को लेकर तो वह लाया जाता तब तो कुछ लगता कि हम कुछ बात कहने जा रहे हैं। पर दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे इस प्रस्ताव को लाने वाले साथी दोनों तरफ अपना राजनैतिक खेल खेलना चाहते हैं। उनको तो केवल राजनीति में दिलचस्पी है। इनकी तो मोहब्बत उधर, असर इधर है। ये तो हनीमून के मूड में हैं। वे चाहते यह हैं कि कांग्रेस के साथ रह कर जीत कर आ जावें विधान सभा में इसलिये उनसे मोहब्बत रखी जाय।

**श्री गफ्फारअली :** आपकी याददास्ती कमजोर पड़ गई शायद।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** आपसे कोई मोहब्बत नहीं है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** स्पष्ट कह दूं। कांग्रेस में तो आज 145 महाराजा हैं और चार पांच राव राजा हैं। आप उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं। यह एक नया सामन्तवाद का नज्जारा है।

**श्री राजेन्द्र भारतीय :** आन ए पोइण्ट आफ आर्डर सर। हनीमून शब्द को एक्सपञ्ज कर दिया जाय अध्यक्ष महोदय।

**श्री गुमानमल लोढा :** आपको मौका नहीं मिला इसलिये आप ऐसा कह रहे हो।

**श्री अध्यक्ष :** इन दो शब्दों का विश्लेषण करूं तो हनी इधर मून उधर है। खैर। समय अधिक नहीं है।

**श्री गुमानमल लोढा :** अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इसमें कोई अन्तर यह जरूर आया है कि इस राज्य सरकार की नीतियों में जहां तक कम्यूनिस्ट पार्टी का सवाल है वे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
लोग बारगेनिंग केपेसिटी अपनी अधिक समझते थे । पर माननीय एक विधायक ने स्पष्ट ही कह दिया कि आज के मुख्य मन्त्री अब वे नहीं रहे जो उनके अधिक नखरे बर्दाश्त करें। तो यह एक तरह से इनका आपसी घरेलू दाम्पत्य का झगड़ा है। इसके लिये सदन का समय लिया जाना सदन के समय को व्यर्थ नष्ट करना है। यह उचित नहीं है। मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी के इस रवैये से, जो जनता आज अभाव और भूखमरी की चक्की में पिस रही है, उसकी आवाज दबी ही है। आज उनकी दोगली नीति है। एक तरफ वे इन्दिराजी का समर्थन करते हैं उनके आह्वान पर फिदा हैं। दूसरी तरफ अभाव और भुखमरी के कारण आज जो वातावरण कांग्रेस के खिलाफ का हुआ है उसका भी लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिये ये विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि इस विधान सभा ने अरबन सीलिंग का बिल पास किया उसे राष्ट्रपति की असेन्ट क्यों नहीं मिली? क्या प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरियट से राष्ट्रपति को सलाह नहीं दी गई। भारतीय जनसंघ ने स्पष्ट घोषणा की है कि अर्बन सीलिंग का कानून आना चाहिये। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भी इसे स्वीकार किया है। फिर ये हमारे कम्यूनिस्ट साथी इसके लिये क्यों नहीं कुछ कहते सुनते? अब कांग्रेस को इस कानून के लागू करने से कौनसी ताकत रोक रही है? क्या ये राजे महाराजे जो उनकी पार्टी में भरे पड़े हैं, वे रो रहे हैं?

प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी आज इन प्रतिगामी शक्तियों के हाथों में खेल रही है। राजस्थान के गांवों में रहने वाले गरीब लोग चने के अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने मोटा अनाज राजस्थान से बाहर जाने पर रोक लगाई, पर उसे केन्द्र से अनुमति नहीं मिली और इस तरह से मोटा अनाज चना आदि राजस्थान के बाहर चला गया। यहां महंगाई और भुखमरी में जनता पिसती रही। कम्यूनिस्ट भाई जब रैली होती है, आह्वान किया जाता है तो बड़ी वाहवाही करते हैं। यह दूसरी तरफ निन्दा प्रस्ताव लाती है। यह ब्लेक मेलिंग का तरीका है। लाना ही था तो स्पष्ट तौर से अविश्वास प्रस्ताव लाते। मेरी निश्चित मान्यता है कि यह सरकार गरीब जनता की, गरीब लोगों की हालत को ठीक करने में, उनके दुखों को कम करने में अभाव और भुखमरी की स्थिति को ठीक करने में बिल्कुल असफल रही है। आज राजस्थान की 180 लाख जनता सामान्य जीवनयापन की रेखा से नीचे रहकर जी रही है। बीस रुपया प्रति माह से कम उसका खरचा आता है। जब कि एक रुपये की कीमत तीन आना के बराबर रह गई है अब तो। कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है लेकिन क्या यह 9 महीने में हो गया है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। चाहे हरिदेव जी हो, चाहे बरकत साहब थे और चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया थे–कांग्रेस की नीतियों से गरीब–अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है और डवलपमेंट अवरुद्ध हो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रहा है। नीतियों में कोई बदलाव आया है और 9 महीने में आ गया हो मैं नहीं मानता हूं। यदि वे यह कहकर आते कि इन 9 महीनों में राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा है तो निश्चित रूप से सही था और उसे आज की स्थिति में स्वीकार किया जा सकता था लेकिन आज राजा-महाराजाओं का प्रश्न है वे बरकत साहब के समय में भी कांग्रेस के साथ थे और आज भी हैं। राजा-महाराजा बरकत साहब के समय मिनिस्ट्री में बैठे हुये थे और आज भी हैं। काश्मीर के श्री दिनेश सिंह मंत्री बने बैठे थे और कांग्रेस शासन से ताल मेल करके देश का शोषण कर रहे थे लेकिन प्रधान मंत्री का विरोध नहीं कर सकते।

आज यह कहना कि राजा–महाराजा नई शक्ति पैदा हो गई है मैं नहीं मानता। हो सकता है हरिदेव जी की कोई भूल हुई हो। जो स्वार्थ के कारण निन्दा रखना चाहते हैं चाहे वे राजा-महाराजा हो, चाहे सेठ साहूकार हों और चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो हमेशा वे सत्ता के साथ रहेंगे। आज दिल्ली में वाम पंथ का नारा देने के बाद इंदिरा गांधी के शासन में बिड़ला को जितने लाइसेन्स मिले हैं वे पहले नेहरू के समय में नहीं मिले थे। लाल बहादुर के समय में नहीं मिले थे। कोई पूंजीपति उसके समय में नहीं पनप सका। आज इन्दिरा के समय में साहु शान्ति प्रसाद की शक्ति बढ़ रही है, बिड़ला की शक्ति बढ़ रही है और ये सारे के सारे मिल कर जनता का खून चूस रहे हैं और इन्दिरा गांधी उनसे इलेक्शन के फन्ड्स लेकर उनके साथ कोलोबोरेशन कर रही है और प्रगति के नाम पर शोषण कर रही है। अब हरिदेव जी उसके अपवाद नहीं हैं।

श्री दीपंकर : यह माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। इन्दिरा गांधी ने किसी से कोई चन्दा नहीं लिया है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : लाडनूं में हमारे मुख्य मंत्री महोदय गये वहां दीपंकर साहब भी स्वागत करने पहुंचे। दीपंकर साहब ने भ्रष्टाचार से इकट्ठे किये हुये 41 हजार रुपये उनको भेंट किये। जब भेंट किये तो एक व्यक्ति ने पेम्पलेट निकाला और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा। पत्र के उत्तर में माननीय हरिदेव जी ने भी लिख दिया कि इसको खुलासा कीजिये। अब मैं आपके सामने खुलासा करता हूं। तीन हजार रुपये तो टीचरों के फर्जी बिल बना कर माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री के गले में हार डाला। इसी प्रकार गणेश प्रसाद एण्ड सन्स नाम की फर्म से तेल के पीपे फ्री बेचने के साथ दो हजार रुपये लिये और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने हरिदेव जी को भेंट किये। इसी प्रकार चार हजार रुपये कांग्रेस कमेटी के बाहर जो जुआ खेलते थे उनसे इकट्ठे करके प्रगतिशील का बाना पहने हुए और अपने आपको रेडीकल कहने वाले लाडनूं के सदस्य महोदय ने हरिदेव जी को भेंट किये। 2500 रु. तहसीलदार लाडनूं ने तहसील के फन्ड्स से किसी प्रकार निकाल कर दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने 200 बोरी सीमेन्ट को ब्लैक में बेचने का जिम्मा लिया और माननीय हरिदेव

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जी के गले में माला पहनाई। ये सारे कारनामें लाडनूं से आने वाले सदस्य ने हरिदेवजी को 41 हजार की भेंट करने के लिये किये और यही नहीं इसी प्रकार भूतपूर्व जागीरदार जिनके लिये हमेशा कहते हैं कि जागीरदारों का हम विरोध करते हैं और लाडनूं के ही श्री दान सिंह ने फर्जी पट्टे द्वारा काम करवा कर दीपंकर साहब को 5 हजार रुपये भेंट किये। इसी प्रकार लाडनूं के सदस्य महोदय ने वहां के थानेदार श्री शंकर लाल को दवाव में लेकर चार हजार रुपये ऐंठ लिये अध्यक्ष महोदय, लिस्ट बहुत बड़ी है। संकेत रूप में बताता हूं। जिस प्रकार जनता का शोषण करने वाले व्यक्ति, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले व्यक्तियों का बोल वाला है। इन सब लोगों को बना कर रहते हैं और कहते हैं खुब तुम भी खावो और हम भी खावें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं एक उदाहरण नहीं है भीनमाल का उदाहरण देता हूं। पांच फर्जी वारन्ट, खाली वारन्ट लेकर जनता का शोषण किया जाता है और अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने उस समय सदन में यह कहा था और सदन के बाहर भी कहा था कि उस एस. डो. ओ. के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। आज भी वही बात जारी है। 14 अगस्त को जारी किया गया था। मैंने स्वयं ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री हरिदेव जी को पत्र लिखा था....

**श्री मनोहर कोठारी :** प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। व्यवस्था का प्रश्न है...

(दोनों माननीय सदस्यों के बराबर बोलते रहने से अश्रव्य)

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** उन्होंने कहा ब्लेक मार्केटिंग करने वाले....

**श्री मनोहर कोठारी :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि....

**श्री गुमान मल लोढ़ा :** .... (अश्रव्य) ... उनको गिरफतार किया जाय....

**एक माननीय सदस्य :** यह क्या हो रहा है ?....

**श्री मनोहर कोठारी :** व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वारन्ट की तामील करने के लिये इन्हें किसी ने मुकर्रर किया है। यह कोर्ट में जिस तरह वारन्ट की तामील करने जाते हैं....

**श्री दीपंकर :** मेहरबानी करके मुझे भी थोड़ा सा सफाई का मौका दें।

**श्री गुमान मल लोढ़ा :** मैं आपके हिसाब से संक्षेप में ही कह रहा हूं। राजस्थान प्रशासन में किस प्रकार की निष्पक्षता है मैं यह निवेदन नहीं करना चाहता हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बहुत बड़ा पैसा खा लिया न मेरे पास इनफरमेशन है और न मैं कोई इस प्रकार का आरोप लगा रहा हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चाहे उनके अधिकारी हों, चाहे उनके एस. डी. ओ. हों, चाहे उनके कलक्टर हों और चाहे कोई उनके बड़े अधिकारी हों, इस प्रकार भ्रष्टाचार करते रहे हैं, प्रशासन में लैप्सेज होते रहे हैं और माननीय मन्त्री महोदय दबाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था हम

1882



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सस्पेन्ड करेंगे और यहां इस प्रकार का आश्वासन दे दिया गया था लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने पत्र लिखा है आइ, एम गैटिंग दी मेटर एग्जामिन्ड। यह वारेन्ट आपके सामने है। मैंने असली वारन्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। किस प्रकार दबाव में आकर एक मजिस्ट्रेट खाली वारन्ट दे देता है? किस प्रकार उसको ससपेन्ड किया जाता है? मेरा अध्यक्ष महोदय निवेदन है ऐसे व्यक्ति को प्रशासन में नहीं रखा जाना चाहिये और यह मेरा नम्र निवेदन है कि ही इज नाट फिट फार दी पोस्ट आफ ए मजिस्ट्रेट। इस प्रकार वारन्ट का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को आज तक रख रखा है। किसी प्रकार को डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी नहीं की। इसकी जांच करके भेजिये केवल यह लिख दिया, मैं इससे बढ़कर कोई शर्म की बात नहीं मान सकता हूं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की जिनके नाम इस प्रकार है राजेन्द्र प्रसाद, फूलाराम, देवीदत्त, ओम प्रकाश स्वामी, गोपाल, हरफूल, सन्तोष और सन्त कुमार। फरवरी में श्री शम्भूदयाल गुप्ता पर डाइरेक्ट आरोप लगाया है कि वे उनके साथ एनरजिक व्यवहार करते हैं यह सोडोमामी का डाइरेक्ट आरोप लगाया है इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार के एक नहीं अनेक आरोप हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय लोकायुक्त महोदय को अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिये इनकी कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रत्येक कर्मचारी ने कार्यवाही की है लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल रही है। उनको चार्ज शीट देकर ससपेण्ड किया गया? यह है हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के कारनामें। मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय को इसका पता नहीं हो।

हनुमान सहाय चौधरी को किसी बड़े आदमी ने नहीं पकड़ा है। हो सकता है वह भी किसी एल. डी. सी. यू. डी. सी. का काम किया हो लेकिन इन सबकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री महोदय पर आती है। जिम्मेदारी से किसी प्रकार हटा नहीं जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल्वे दुर्घटना से दुःखी होकर त्याग पत्र दे दिया वह तो कोई स्टेशन मास्टर नहीं थे, न असिसटेन्ट स्टेशन मास्टर थे और न वे दुर्घटना घटते समय मौजूद थे लेकिन अपनी जिम्मेदारी के नाते उन्होंने अपने रेल मन्त्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। उनकी ऐसी कौनसी डाइरेक्ट जिम्मेदारी थी पर दे केननाट एस्केप दी कान्स्टीट्यूशनल रेसपान्सबिलिटी। इसी प्रकार छागला साहब ने पुलिस के खिलाफ अपना जजमेंट दिया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी से मुख्य मन्त्री दूर नहीं हो सकते हैं। आज इसी प्रकार एक कलक्टर के बचाव में लगे हुए हैं और कहते हैं 'आइ विल गेट दी मेटर एग्जामिन्ड बाई दी एडवोकेट जनरल' तो कलेक्टर के बचाव के लिये क्या आप एडवोकेट जनरल से एग्जामिन करवायेंगे। जोधपुर के कलेक्टर ने 2॥ लाख रुपया आपने दस्तखतों से केरोसिन के अन्दर जनता से वसूल किये और कल यहां डिसकशन आया तो हमारे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कम्युनिस्ट बन्धु एल. डी. सी. के ऊपर डाल रहे थे और कलेक्टर को बचाया जा रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कम्युनिस्ट साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर य. आई. टी. के अन्दर कलेक्टर के द्वारा अपने कार्य-कर्ताओं को जमीन अलाट कराई। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि अलवर के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने कहा कि पुलिस के अधिकारी हमारी बात नहीं मानेंगे तो कार्यवाही की जायेगी।···

श्री गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, हमको स्पष्टीकरण का मौका देना होगा। यह बकवास होती जाये और हमें जवाब देने का मौका न मिले इसको रोका जाये नहीं तो···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी कार्यकर्ता ने किसी कलेक्टर से कोई प्लाट नहीं लिया।

श्री गुमानमल लोढा : मेरे पास नाम हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एब्सर्ड है। यह निन्दा प्रस्ताव मुख्य मन्त्री के खिलाफ है और उन्होंने ऐसी बात कही। यह बोगस है और एब्सर्ड है और लाई है।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। प्रशासनिक असफलता के लिए, गरीब जनता को दो जून रोटी नहीं देने के लिए, अभाव अभियोग के लिए, शोषण के लिए, भ्रष्टाचार बढाने के लिए और प्रशासन में जिस तरह की कर्तव्यहीनता आई है उसकी निन्दा करता हूं और मैंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उस समय कम्युनिस्ट भाई बैठे रहे। वह दोनों तरफ से खेल खेलना चाहते हैं और अपनी बारगेनिंग को बढ़ाना चाहते हैं। क्या यही तरीका रह गया है हमारी पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी का कि यहां पर निन्दा प्रस्ताव लाकर अपनी चेम्बर प्रेक्टिस बढ़ाई जाये···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप जानते थे कि प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। मुख्य मन्त्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एक ड्रामा किया है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और हमारे प्रस्ताव की निन्दा करते हैं। जिनके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव है उनके खिलाफ बोलिये। डिरेल क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व गुमानमल लोढा के एक साथ बोलने पर) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस प्रस्ताव का मतलब क्या था बतायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कलेक्टर रामानन्द जी के घर पर बैठें, पुलिस के अधिकारी उनके घर पर जाकर बैठें···

(शोरगुल, अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा :** रामानन्द को कलेक्टर की जरूरत नहीं है। एस.पी. की जरूरत नहीं है। आप वकालत करते हैं। आपको ब्लेक मार्केटियर्स और सेठों की जरूरत है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

**श्री गुमानमल लोढा :** तसकरियों की वकालत करके यहां कहते हैं...

(शोरगुल, अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष :** आप (श्री लोढा) जल्दी समाप्त करिये।

**श्री गुमानमल लोढा :** मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। हम इसमें विश्वास नहीं करते कि दो मन्त्री अच्छे हैं और दो बुरे हैं। जो इनका काम करे वह तो अच्छा और जो नहीं करे वह बुरा...

(शोरगुल, अश्रव्य)

**श्रीयोगेन्द्रनाथ हाण्डा :** यह बकवास है। इश्यू टू इश्यू फाइट करते हैं। जिनकी पालिसी अच्छी है उनको अच्छा कहते हैं। हम नीतियों के ऊपर फाइट करते हैं।...

(शोरगुल, अश्रव्य)

**श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) :** मैंने तो यह निवेदन किया था कि मुझे जवाब देने का मौका दे दिया जाये तो यह सब चीजें खतम हो जायेंगी।

**श्री अध्यक्ष :** आप (श्री लोढा) जल्दी समाप्त करें।

**श्री गुमानमल लोढा :** मैं समाप्त करता हूं सारे मंत्री मण्डल के खिलाफ हमारा अविश्वास है इसलिए निन्दा का प्रस्ताव जिस रूप में है उसका भी समर्थन करता हूं। हम चाहते हैं कि निन्दा का प्रस्ताव पारित किया जाये लेकिन यह नहीं होगा कि हम तो वैसे ही ले आये, हम तो आपके ही हैं...

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** यह नहीं कहा है। निन्दा का प्रस्ताव रखा है।

**श्री अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी।

**श्री दीपंकर :** हाउस में मेरे ऊपर चार्जेज लगाये हैं इसलिये मैं जवाब देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आपके दल के नेता खड़े हो गये हैं इसका तो ख्याल रखें।

**श्री दीपंकर :** मेहरबानी करके मुझे तो समय दीजिए मेरे खिलाफ चार्जेज लगाये हैं।

**श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

**श्री अध्यक्ष :** मैं समय नहीं दे सकता।

**श्री मोहर सिंह :** मुझे समय नहीं मिला। मुझे समय मिलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने बन्द कर दिया है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देना ही होगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह अकेले ही पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं इसलिए समय दे दिया जाये।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं दे सकता।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त ही आभारी हूं ...

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का हक है। मुझे बोलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं मजबूर हूं। मैंने समय निर्धारित किया था।

श्री मोहर सिंह : मुझे समय देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : You have not requested me but have ordered me.

श्री मोहरसिंह : समय देना होगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह : मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। मुझे समय देना चाहिये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज दो प्रस्ताव साथ साथ थे निन्दा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव और चूंकि माननीय सदस्य श्री मोहरसिंह जी सी. पी. एम. से हैं और प्रस्तावक भी थे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित होगा। उनको अपने दृष्टिकोण को रखना आवश्यक है इसलिए समय जरूर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे समय देने में आपत्ति नहीं थी। मैंने कई दफा कहा कि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो बोले लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ और आखिर में जब क्लोजर का समय आ जाये और फिर कहना कि देना होगा, और रिक्वेस्ट करें तो मैं सोच सकता हूं और आर्डर देंगे तो यह नहीं होगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर चार्जेज लगाये गये हैं, मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एक तो निपटा नहीं है आप और बोलने लग गए। आप बैठिये।

श्री मोहरसिंह : मुझे समय देना ही होगा।

श्री अध्यक्ष : If you request me I can consider but if you give order I am not to accept.

(शोरगुल अश्रव्य)

**श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं और निंदा प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत देने के लिये प्रार्थना भी करता हूं और पुनः प्रार्थना करता हूं कि मुझे मौका मिलना चाहिये।

**श्री दीपंकर** : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी क्या आज्ञा है कि मैं बोलूं।

**श्री मोहरसिंह** : आप पहले मुझे मौका दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : बोलिये।

**श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)** : काफी देर से सदन के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय के बरखिलाफ निंदा प्रस्ताव का सवाल चल रहा है। सभी पार्टियों के सदस्यों ने अपने विचारों का इज़हार किया है। जहां तक मेरी पार्टी और मेरे दल की नीति का सवाल है, प्रत्यक्ष रूप से मजदूर और किसानों के सम्बन्ध में हमारी नीति सदैव उग्र रही है, सही रही है और सच्ची रही है। मैं दूसरी पार्टीज के वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि कौनसी पार्टी बुरी है और कौन सी भली है और न यह विषय ही यहां विचार का है। लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से मैं यह बात यहां स्मरण कराना चाहता हूं कि जहां जनता के संघर्ष का सवाल है, जनता के मांगों का सवाल है, मंहगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। जनता के दुःख दर्द का सवाल है, जनता के आराम का सवाल है, किसानों और विद्यार्थियों का सवाल आता है हमारी पार्टी जनता के लिये संघर्ष करती रही है और कभी जनता के साथ गद्दारी करने वाली नहीं रही है। ना कभी थी और ना है और न हमारी मंशा ही है। निंदा प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहां कह सकता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के लिये जो निन्दा का प्रस्ताव लाया गया है इसमें सारी केबिनेट को शामिल नहीं करते हुए जो केवल मुख्य मंत्री के विरुद्ध लाया गया है तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से सम्बन्धित जितनी चीजें हैं, जितने महकमे हैं उनके सम्बन्ध में ही दो चार बातों का इजहार करना चाहता हूं। साथ साथ जितने लम्बे चौड़े सवाल हैं, कहीं पर विद्यार्थियों का सवाल हो, मजदूरों का ताल्लुक हो, उनके साथ साथ जो उनके सबोर्डीनेट्स को तंग करने का सवाल है, दो शब्द कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपको मार्फत तो मेरे ख्याल से कोई गुनाह नहीं होगा। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, होम डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, पुलिस का सम्बन्ध है दिनों दिन पुलिस का दमन बढ़ा है। जहां तक इजारेदारों का सवाल है, सामन्तों के साथ मिल कर शोषण करने का सवाल है, मेरा अर्ज करना है कि भरतपुर के अन्दर जो कुछ भी गोलीकाण्ड हुआ और 12 तारीख को घोषणा हो गई लेकिन आज तक उस घोषणा के बाद न्यायिक जांच स्थापित नहीं होना यह इस बात का द्योतक है कि उनकी नीतियां पूंजीपतियों से मिली हुई हैं। आपने दो हजार रुपया मजदूरों को दिया है। जो मजदूर मर गए हैं। उनके पीछे आश्रितों को दो दो हजार देने की घोषणा की है। एक मजदूर की कीमत मुख्य मंत्री महोदय की निगाह में केवल दो हजार रुपया है। यह शर्म की बात नहीं तो और क्या है। यह पूंजीपतियों

(श्री मोहरसिंह)

से साठ गाठ की नीति नहीं तो और क्या हैं? क्या क्या हुआ जिनको फैक्ट्री के अन्दर और अब वे क्या करने जा रहे हैं? वह इस बात का द्योतक है कि वे क्या करना चाहते हैं? आज वहां पर क्या हो रहा है इसको भी आपने देखा है। मजदूरों पर मुकदमे चलाने की तैयारी की जा रही है। वहां की जो व्यवस्था, वहां पर जो गोलियां चलाई गई हैं उनके बारे में कल मैं और रामकिशनजी सारी चीजें रखेंगे। आज मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि आज वहां पर मजदूरों के विरुद्ध षड्यन्त्र घड़े जा रहे है और पूंजीपतियों से मिलकर सारी गड़बड़ियां की जा रही हैं। तो यह जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और इजारेदारों से मिलीभगत की नीति है, सामन्तों के साथ गठबन्धन करके चलने की नीति है और जिस प्रकार से लेवी की वसूली छोटे छोटे गरीब किसानो को रगड़ रगड़ करके वसूली की गई है उसके मुकाबले में जो बड़े सामन्त हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जिनके दस दस-पांच पांच हजार बीघा खेत हैं उनको छूट दी गई। यह इस बात का द्योतक है कि इनकी नीतियां किधर जा रही हैं। पुलिस के दमन का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, चाहे गंगानगर का सवाल हो, अलवर का सवाल हो चाहे राजगढ़, चूरू जिले का सवाल है पुलिस का दमन बढ़ता जा रहा है। एक एक केस बताया जाय तो बहुत देरी हो जाएगी अध्यक्ष महोदय की तरफ से मेरे लिये समय की गुंजाइश भी कम छोड़ी जा रही है। इसलिये मैं साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय के कार्यकाल में पुलिस का दमन बढा है। चाहे विद्यार्थियों के साथ जुल्म करने का सवाल हो, चाहे किसानों के साथ जुल्म करके लेवी वसूल करने का सवाल हो, चाहे राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ ज्यादती करने का सवाल हो, उनका दमन करने का सवाल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर दफा 110 के केस लगाने का सवाल हो; मुख्य मंत्री हमेशा आगे रहे हैं, उनका पुलिस विभाग हमेशा जुल्म करता रहा है।

इसके साथ साथ मुख्य मंत्री महोदय को एक बात और याद दिला देता हूं, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं उनके माध्यम से-

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कि जहां तक जमीन का प्रश्न है, उसके अन्दर आज सुबह ही गोचर भूमि के अतिक्रमण का सवाल आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गोचर भूमि पर अतिक्रमण सरकार का नहीं है। हमने पन्द्रह साल पहले जो भूमि रिजर्व की थी उसके ऊपर कांटेदार तार लगाकर उसको बन्द नहीं कर दिया और उसका लगान लिए जा रहे हैं। फोरेस्ट डिपार्टमेंट उसका पैसा ले रहा है

(व्यवधान अश्रव्य)

जो जमीन पशुओं के लिए चरागाह के रूप में रिजर्व की गई उसको ही फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कांटे के तारों से घेर लिया

(श्री मोहरसिंह)
जिसमें न मालूम कितने पशु उसमें फंस कर मर गए।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर): इसी तरह से आज किसानों के साथ, आए दिन मजदूरों के साथ, विद्यार्थियों के साथ; राज्य कर्मचारियों के साथ, आए दिन जुल्म होते हैं। मैं स्पष्टतौर से इल्जाम लगाता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय की यह नीति, यह गलत नीति कभी काबिले बर-दास्त नहीं होगी।

इसके साथ साथ एक बात और कहूं कि इनका जैसा एडमिनिस्ट्रेशन है जैसा प्रशासन है उसमें अपोजीशन पार्टीज के साथ, अपोजीशन के.एम.एल.एज. के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है यह आपको बताना चाहता हूं। अभी ज्यादा समय नहीं है इसलिये अधिक नहीं कह सकता, कल टाइम मिला तो बताऊंगा कि इन लोगों के साथ इनका कैसा बर्ताव है। चुनाव के समय बार बार इनके द्वारा यह कहा जाता था कि मोहरसिंह जीत जायगा तो क्या होगा हुकुमत तो हमारे हाथ में है। वास्तव में यह बात सही है कि हुकूमत इनके पास है और इसलिये अपोजीशन के एम. एल. एज. के साथ इनका कितना गन्दा व्यवहार है। अगर यही नीति रही तो सकता हो है कि उत्तर, पश्चिम और

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

(व्यवधान–अश्रव्य)

पूर्व न जाने इस राजस्थान के कितने टुकड़े हो सकते हैं और इसके टुकड़े करने की बात आ सकती है, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी जारी)

मुख्य मंत्री महोदय को अपनी सारी नीतियां सही करनी चाहिए, उनको अपनी नीति तलवार की तरह साफ रखनी चाहिए और जो पूंजीवादी नीति है, इस तरह की जो गलत और विघटनकारी नीति है वह नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो निन्दा प्रस्ताव रखा गया है उसमें अच्छा तो यह होता कि हमारे कम्युनिस्ट भाई जो हमारा प्रस्ताव था, जो अविश्वास का प्रस्ताव था उसके अन्दर साथ होते। यह भी इस प्रकार से दिखावे में उल्टी चाल है...

**श्री अध्यक्ष :** कृपया समाप्त करें।

**श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : उनको इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ होना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मंत्री महोदय को दो शब्द कहना जरूरी था इसलिए मैंने यह कहा है।

**श्री दीपंकर :** अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूं।

**श्री अध्यक्ष :** बहुत सूक्ष्म में कहिए, समय बहुत कम है।

**श्री दीपंकर :** मेरे लिए समय सबसे कम है जब कि चार्ज सबसे ज्यादा मेरे पर लगे हैं।

# Page No 109

109



**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** मालूम तो ऐसा हो रहा था कि निन्दा प्रस्ताव दीपंकरजी के खिलाफ ही आया है ।

**श्री दीपंकर :** अध्यक्ष महोदय, जो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मुख्य मंत्रीजी के लिए अविश्वास प्रस्ताव··· ·

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको परसनल एक्सप्लेनेशन की इजाजत दे रहा हूं ।

**श्री दीपंकर :** मैं वही परसनल एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूं । यह है तो निंदा का प्रस्ताव लेकिन अध्यक्ष महोदय, फेरफार करके कभी मिनिस्टरों पर कभी सदस्यों पर लाकर खड़ा कर दिया है और इतनी छूट आपकी तरफ से दी गई कि उसका नाजायज फायदा उठा कर यहां तक कह दिया कि मुख्य मंत्रीजी जब लाडनूं गए और लाडनूं जाने के समय में····

**श्री अध्यक्ष :** यह उत्तर तो मुख्य मंत्री जी ही दे देंगे, आप तो अपना परसनल एक्सप्लेनेशन दे दें ।

**श्री दीपंकर :** अपना एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूं साहब, आप सुनिए तो सही और कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । जब मुख्य मंत्री महोदय लाडनूं पधारे तो बीस पच्चीस हजार की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और नागौर, कुचामन, डीडवाना, लाडनूं, मेड़ता जगह जगह से जो कार्यकर्त्ता आए और उन कार्यकर्त्ताओं ने अपने पास से, अपने पंचायत के क्षेत्र से अपनी नगरपालिका के एरिया से कहां कहां से चन्दा इकट्ठा किया और मुख्य मन्त्रीजी के पधारने की तारीख 16 थी और 14 को ही पधार गए, इसलिए थोड़ी कमी रह गई पैसे में और कमी इसलिए हुई कि लोगबाग लेकर आ नहीं सकें···

(मा. सदस्य श्री दीपंकर एवं श्री मनोहरलाल के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य) ।

**श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल :** आप सीट पर विराजिये, आप क्यों बोले जा रहे हैं ।

**श्री दीपंकर :** मुझे जवाब देने का अधिकार है । इसलिए यह कहना कि पुलिस से पैसा लिया, नगरपालिका से पैसा लिया, पी.एच.डी. से लिया यह बिलकुल सरासर झूठी बात है । हरिदेवजी जोशी जब से मुख्य मंत्री बने हैं हमारे इलाके के अन्दर उनके लिए अगाध श्रद्धा है और काश्तकारों के मन में बड़ा प्रेम है । उनके लिए यह कहना कि पैसा पुलिस से लिया बिल्कुल झूठ है । मैंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को भी लिस्ट भेज दी है कि पैसा कहां से आया है और उसकी फहरिश्त मौजूद है । मैं चैलेंज देता हूं आप को गुमानमल जी लोढ़ा आप यहां जनसंघ की तरफ से नेतृत्व करते हैं, या तो आप त्याग-पत्र दें या मैं त्याग-पत्र दूं । यह सब झूठा है । यह पैसा, यह चंदा जन ने ा को सगठन के कार्यों के लिए समर्पित किया गया है । जनसंघी भाइयों ने यह कोशिश की, अव्यवस्था फैलाने की परन्तु वे इसमें सफल नहीं हो सके और आज इस तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं । एक जनसंघ तो क्या हजार जनसंघ आ जाए तो भी वे हमारे विकास को गति

(श्री दीपंकर)

को नहीं रोक सकते। जनसंघ एक प्रतिक्रिया वादी संस्था है जो आर. एस. एस. को चला रहा है। जनसंघ चाहता है कि यह जो प्रगतिशीलता की नीति है उससे हम दूर हो जाएं। वह असहयोग का रुख अपना कर चल रहा है और जनसंघी इस प्रकार की झूंठी बातें यहां पर कह रहे हैं।...

**श्री अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री महोदय।

**श्री हरिदेव जोशी :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त ही आभारी हूं कि उन्होंने कई सुझाव...

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** अध्यक्ष महोदय, चेलेन्ज दिया गया है। इस पर गुमानमलजी कुछ कहें।....

**श्री हरिदेव जोशी :** मेहरबानी करके मुझको सुनें। मैं माननीय सदस्य से यह अपेक्षा करके चलता हूं कि मुझे मेहरबानी कर के सुनें। मैंने तसल्ली से उनको सुना है और मैं भी तसल्ली से उनको जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अटपटापन महसूस होता है। मुझे कभी भी पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए अटपटापन महसूस नहीं हुआ और मैं जब से विधान सभा बनी तब से इसका सदस्य रहा हूं। इसकी डिबेट में पारटीसिपेट करता रहा हूं, मंत्री के रूप में, साधारण सदस्य के रूप में और इस पद पर आने के बाद भी। मैं प्रजातन्त्र का हामी हूं और इसे अपने जीवन की एक पद्धति मानता हूं किन्तु मुझे इसकी सारी चीजें अच्छी लगती है सिवाय एक बात के कि जब कभी ऐसा मौका आता है तब व्यक्ति को अपने बारे में कुछ कहना पड़ता है। गवर्नमेन्ट एज ए होल अगर अविश्वास का प्रस्ताव आता तो शायद मैं कुछ अधिक उत्साहपूर्वक बात कह सकता। मगर जिस प्रकार का प्रस्ताव आया है उसके विरोध में मुझे एक प्रकार से कहना पड़ेगा जैसे कि मैं खुद अच्छा हूं और मेरे ऊपर लगाये गये आरोप गलत हैं। जो कुछ भी है। मगर मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं पहले कांग्रेस मैन हूं और उसके बाद में दूसरा कोई। अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ यह कहा गया कि मैं सामन्तवादी, राजा-महाराजाओं का पक्षपाती हो गया हूं। मेरी उनसे सांठ-गांठ है। जो भी लोग राजस्थान के रियासतों के संघर्ष को जानते हैं वे मेरे झुकाव को, मेरे रहन सहन को, और वे मेरे रुझान को भी समझते हैं और शायद वे यह भी समझते हैं कि जिन लोगों ने राजस्थान के अन्दर राजाशाही के मुकाबले में संघर्ष किया उन लोगों के संघर्ष के मुकाबले में हम लोग किसी कदर पीछे नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं आपका प्रस्ताव पढ़ रहा था, उस समय मुझे वह जमाना याद आ रहा था जब राजस्थान के अन्दर राजा महाराजाओं की हुकूमत थी और उस हुकूमत के अन्दर किस प्रकार और कैसे प्रजामण्डल के कार्यकर्ता, लोक परिषद् के कार्यकर्ता, राजाशाही और जागीरदारों के दमन के समय सिर ऊंचा उठाकर चलने की कोशिश करते थे। अध्यक्ष महोदय, जिस इलाके से आप आते हैं वह रियासत हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी और वहां किसी कदर देखने के लिए

(श्री हरिदेव जोशी)

कुछ कानून का राज्य कहा जाता था। मगर हमारे दुर्भाग्य से जिस इलाके से हम लोग आते हैं, यह इलाका छोटी रियासतों का था और वहां पर राजा का शब्द कानून माना जाता था और राजा की मर्जी ईश्वर का हुकुम माना जाता था, समझा जाता था। तो ऐसे इलाके के अन्दर से कोई कार्यकर्ता निकल आता है तो वह कार्यकर्ता कोई नया कार्यकर्ता नहीं है। व सन् 1847 के बाद का कार्यकर्ता नहीं है। केवल मंत्री बनने की ख्वाहिश से विधान सभा का चुनाव लड़कर आने वाला कार्यकर्ता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान के अन्दर, इस राजस्थान के अन्दर, राजाशाही का मुकाबला करने लिए किए गए संघर्ष की मैं एक उपज हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग भावनाओं के वशीभूत होकर के और सार्वजनिक जीवन के अन्दर आ गये। उन्होंने इस देश के अन्दर आजादी आएगी इसको भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने यह भी नहीं समझा था कि आजादी का स्वरूप क्या हो सकता है? कम से कम मैं अपने लिए कह सकता हूं। 2 अक्टूबर, 1938 के दिन, जिस दिन मैंने पहली मर्तबा खादी पहनी थी, उस समय खादी की इतनी बड़ी धोतियां नहीं होती थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भगतसिंह····

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय इस निन्दा प्रस्ताव पर पूर्ण विचार होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय इस निन्दा प्रस्ताव पर पूर्ण विचार होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा जैसा व्यक्ति या तो प्रेमचन्द के उपन्यास को पढ़ कर सार्वजनिक जीवन में आया अथवा गांधी की आंधी के अन्दर आया। इस प्रस्ताव के अन्दर अपने लिए सबसे बड़ी कोई गाली समझता हूं तो वह समझता हूं सामन्तवाद से सांठगांठ।

मैं इस चीज को यहीं छोड़ देता हूं और जो कुछ भी कहा गया है उसके ऊपर आने की कोशिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सारी चीज को चेनेलाइज करता हूं तो मैं कहीं भी, मेरे एक माननीय मित्र ने यहां पर कहा उसका कोई वजूद नहीं मानता कि कम्युनिस्ट पार्टी मुझे मेलाइन करने के लिए अथवा मुझे प्रेसराइज्ड करने के लिए यह प्रस्ताव लाई है।

मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं। मुझे मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी की पालिसीज में एक शिफ्ट आया है, एक परिवर्तन आया है। इस सदन के माननीय सदस्यों को पता होगा कि दिल्ली में पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी की आल इंडिया कौन्सिल की मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरह से अभी राजस्थान के मुख्य मंत्री के बारे में कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक इसी भाषा में और ठीक इसी तरह से उस कौन्सिल के अन्दर भाषण दिये गये थे, और

(श्री हरिदेव जोशी)

रिजोल्यूशन भी उसी तरह का हुआ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर तो यह जरूरी है, लाजिमी है कि एक जगह कोई चीज हो जाय चाहे लागू होती हो या नहीं होती हो सब जगह वह चीज लागू होना चाहिए इसलिए यह चीज सारे के सारे भारत में होगी और कांग्रेस को इसको मानकर चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस राय का हूं कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, और पिछड़े हुए देश के अन्दर उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने यह फैसला किया कि वह कांग्रेस रीति नीतियों को समर्थन देगी तो हम उनके विचार का समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं। मगर एक बार जो एक दूसरे से सहयोग करते हैं उनको बहुत सा समझना चाहिए। वह यह है कि दो अलग अलग आइटम्स की चीजें हैं। कांग्रेस, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर आप यह चाहते हैं कि कांग्रेस आपकी हर बात में हां कहे तो मेरे ख्याल से यह सम्भव नहीं है। इसके लिए अगर आप उत्तेजित होते हैं, नाराज होते हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और मुझ जैसे आदमी से आपको और ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। वह इसलिए कि आप मुझसे प्यार में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धमका कर कुछ भी नहीं कह सकते हैं...

**श्री मीठालाल मीणा :** इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप?

**श्री मूलचन्द सामरिया :** बहुत ज्यादा कह डाला।

**श्री हरिदेव जोशी :** अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि राजस्थान में सामन्तवाद कहां से आ गया? क्या कोई नई जागीरें बख्शी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्य प्रकार की यह बातें कहना जो कि एक भाई ने यहां पर कहीं थीं बही हैं। आप मेहरबानी करके जमाने के अनुकूल भाषा में बोलने की कोशिश कीजियेगा। जिस भाषा में गालियां दी जाती थीं वह भाषा पुरानी हो गई है। ब्रेझनेव आपके नेता हैं और ब्रेझनेव जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में बोलने की कोशिश कीजियेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं।

आपने मुझे खाली बाकी तो बेग बातें कहीं, लेकिन कुछ तथ्ययुक्त बातें कहीं हैं। आपने कहा कि मेरे मुख्य मंत्री बनने के बाद हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए और आम लोगों के लिए काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के लिए 9 महीने में कुछ कर पाना कितना सम्भव है? उससे उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता साबित करना बहुत मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक मित्र से हंसकर एक बार कहा था कि मैं उस जमाने में कुर्सी पर बैठा हूं जो समय कुर्सी पर बैठने वाले किसी भी आदमी के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। आज आर्थिक विषमताएं देश के सामने हैं। आम जो चीजों का भाव इस प्रकार का है यह सारी चीजें आज न केवल राज्य के किसी काम को, बल्कि सारे के सारे देश के

(श्री हरिदेव जोशी)
फन्क्शन्स को भी वह कर रही है, और जब वह इतना विकृत कर रही है तो किसी भी सरकार का सबसे पहला ध्यान इस बात के ऊपर लगता है कि वह इस आर्थिक समस्याओं से पहले जूझें और वेलफेयर वर्क पर बाद में डटें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कोई तथ्यों को उजागर नहीं कर रहा हूं मगर मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं राजस्थान की विधान सभा कांग्रेस पार्टी का लीडर होकर अपने घर पर गया तो बीसियों और सैकड़ों लोग मुझ से मिलने के लिए आ रहे थे उस समय राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले मुझे संदेश मिला कि रिजर्व बैंक ने राजस्थान गवर्नमेंट का पेमेन्ट बन्द कर दिया है। इस स्थिति से मुझे जूझना पड़ा। आज मैं यह कह सकता हूं कि कम से कम यह स्थिति नहीं आयेगी राजस्थान के अन्दर अगर परमात्मा करे अकाल न पड़े कि राजस्थान गवर्नमेंट का पेमेन्ट रिजर्व बैंक बन्द कर दे।

श्री रामकिशन : फिर इसमें यह जोड़ दें अगर इन्दिराजी प्रसन्न रहें। दोनों को जोड़ दें।

श्री हरिदेव जोशी : आपको तो इन्दिरा जी से एक प्रकार की एलर्जी है। आपकी पार्टी तो इन्दिराजी को इस कुर्सी पर देखना नहीं चाहती। अंगूर खट्टे हैं क्या करें ?

मैं तो, अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रहा था कि निश्चित रूप से वेलफेयर वर्क के ऊपर यह सरकार जितना कन्सेन्ट्रेट कर सकती थी उतना कन्सेन्ट्रेट नहीं कर सकी। यह मुझे स्वीकार करना चाहिए। मगर इसलिए नहीं कर सकी कि हमारे सामने दूसरी विषमताएं बहुत ज्यादा थीं। आप कहें किसी बच्चे की मां को, अपनी घरवाली से ही सही, पंडितजी मैं आप से कहना चाहता हूं कि वहां पर घर में धुआं हो रहा है और घर अजर बजर हो रहा है और आप कहें कि बच्चा क्यों रो रहा है तो वह यही जवाब देगी कि बच्चा यों रो रहा है क्योंकि घर में धुआं हो रहा है। तो पंडित जी मैं आपकी बात मानता हूं।

श्री रामकिशन : वह आपकी बात मानती हैं क्या ? (हंसी)

श्री हरिदेव जोशी : राजनीति में रहने वाले हर आदमी के घर की हालत यही है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस सरकार के सारे एफर्ट्स इस बात के लिए रहे हैं कि हम स्थितियों से जूझ जायं और यह प्रोग्राम दिये हुए हैं उनको लेवें। अगर कहीं पर कुछ कर सकते हों तो सोचें और सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए सोचें जो पिछड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। आज यद्यपि काम करने का मौका हमको नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य आप भी उस इलाके से आ रहे हैं और इस निन्दा प्रस्ताव को आपने इनीशियेट किया है, आपको मालूम है कि आपके वहां के हरिजनों की जो स्थित थी, यह पहली सरकार है राजस्थान के अन्दर कि जिसने सबसे पहले आउटलेट के ऊपर 30 पर्सेन्ट भूमि हरिजनों को मिलेगी इस बात का रिजर्वेशन दिया है। माननीय सदस्य आप इस विधान सभा में

(श्री हरिदेव जोशी)

पिछले वर्षों से रहते चले आये हैं, बीच के गैप को निकाल दिया जाय, आपने कितनी ही बार इस प्रकार के मूवमैन्ट का वह किया है, आपने भूमिहीनों और हरिजनों को भूमि दिलाने की बात कही है, मगर आउटलेट पर एक साथ 30 पर्सेन्ट हरिजनों के लिए रिजर्वेशन किया जाय, यह फैसला मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत सोच समझकर किया है, और इसलिए किया है कि हम यह जानते हैं....

आज हम जमीन उनको एलाटमेण्ट करते हैं तो पता नहीं वहां पानी आयेगा या नहीं, लाभ मिलेगा या नहीं, फायदा हो सकेगा या नहीं। इसलिए हमने यह निश्चित किया है और एटलीस्ट 30 प्र. भूमि रिजर्व की है।

आपने सीलिंग की बात कही है। मैं आपसे दो स्टेट की बात करना चाहता हूं। राजस्थान में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ मिनिस्टर है। आप ही कह दीजिये, राजस्थान का सीलिंग कानून प्रगतिशील है या केरल का सीलिंग कानून प्रगतिशील है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** मैं आपकी चुनौती को तसलीम करता हूं।

**श्री हरिदेव जोशी :** माननीय गफ्फार अली साहब, आप तो वैसे ही बहुत गम्भीर आदमी हैं। आप वैसा नहीं करेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। करना भी नहीं चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं।

**श्री हरिदेव जोशी :** केरल में जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में नहीं कर सकते हैं।

**श्री केदारनाथ :** आउट आफ लव एण्ड अफेक्शन में कोई करना चाहें तो। इसको क्या दुबारा सलेक्ट कमेटी में लायेंगे।

**श्री हरिदेव जोशी :** आपके रिजर्वेशन को मैं मानूंगा। आप लव एण्ड अफेक्शन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपके रिजर्वेशन को मैं मानूंगा।

तो मैं आप को यह कह सकता हूं कि राजस्थान का पहले वाला कानून था, वह कानून मोर साइन्टीफिक था। 3 साल के रद्दोबदल के बाद, तीन साल के बाद में उस कानून को पेश किया गया था यह ध्यान में रखकर कि कितनी पैदावार किस जमीन में हो सकती है। यह ध्यान में रखकर किया गया था। मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे प्रगतिशील नहीं मानते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसे कितने ही आदमी हैं जो आप को प्रगतिशील नहीं मानते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हंडा :** इसका शोक तो मुझे है नहीं। ऐसे आदमी की अकल को हम और आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं।

**श्री हरिदेव जोशी :** मैं यह कह रहा था, अपनी अकल को आप खुद ही दुरुस्त कर सकते हैं। हम स्वयं दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए हम प्रगतिशील नहीं रहे हैं। यह एक प्रकार का मैं क्या विशेषण दूं, मगर यह उचित नहीं है।

**श्री रामकिशन** : कुछ तो दें ।

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि किसी से मीठी बात करना, बोलना, वह भी गुनाह हो जाता है । हमारे घर पर कोई आदमी आये मैं उससे कर्टसी से बात करूं, शिष्टाचार से मिलूं । अगर वह कहें कि हमारे यहां आ जाये तो मैं मिलूं, कम से कम मेरी पार्टी में यह प्रतिक्रियावाद नहीं कहा जाता है ।

**श्री रामकिशन** : किस पार्टी में है प्रतिक्रियावाद ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह तो दुनियां की किसी थ्योरी में रहा ही नहीं है । चायना से भी बात करते रहे हैं ।

**श्री हरिदेव जोशी** : मैं किसी के साथ चाय पिऊं, खाना खाऊं तो आपको सोशली देखना चाहिए । अगर मैं उससे बात करता हूं, उससे मिलने जाता हूं और किसी गरीब की जमीन लैण्ड होल्डर को देने के बारे में तय करता हूं, तो मुझे फांसी दे दीजिये । लेकिन मेरे विचार में किसी से भलमनसाहत से बोलना, गुनाह नहीं माना जाता है । मैं कम से कम शासन की कुर्सी पर बैठता हूं और जनता का नुमाइन्दा हूं, इसलिए मैं लाजिमी मानता हूं कि मुझे उससे कैसे बोलना है । सामाजिक शिष्टाचार में पोलाइट होना चाहिए । अगर कोई ऐसा नहीं है तो वह राजनीति के योग्य नहीं है, जनता का नुमाइन्दा होने के लायक नहीं है । ऐसा मैं मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस तर्क के बाद मैंने, जो एक कारण पहले कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय संगठन में स्लोप आया है । इसलिए निन्दा प्रस्ताव ले आये हैं । मैं सोच रहा हूं, रह रह कर कि दूसरा कारण क्या हो सकता है ?

**एक माननीय सदस्य** : क्या है ?

**श्री हरिदेव जोशी** : मेरा डायगनोसिस यह है कि यह कर्मचारी महासंघ का मामला किसी न किसी के पांव में कांटे की तरह अड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, मेरा किसी कर्मचारी से न प्रेम है, न किसी से विरोध है । पार्टी ने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है तो मेरी एक ही जिम्मेदारी है, यह कि कर्मचारी ढंग से काम करें । सरकार को ग्रेट नहीं दें । उनकी जो वाजिब मांग हैं, उनकी तकलीफें नहीं बढ़े, इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए । वह पोलिटिक्स में न पड़कर, वह पोलिटिकल लीडरी छोड़ कर कर्मचारी रह सकते हैं । राज्य सरकार के काम में जब चाहें हड़ताल करें, ग्रेट करें, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो, ऐसा मैं मानकर चलता हूं । यह मैं कह सकता हूं और निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि आम कर्मचारी से मैं मिलता हूं । और जहां तक लोगों का यह विचार है कि कर्मचारियों में असन्तोष है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज सरकार ने कर्मचारियों की ग्रीवेंसेज को सुनने के लिए ट्रिब्युनल बनाने की घोषणा की है । मैं विश्वास करके चलता हूं, थोड़े से दिनों में यह चीजें सामने आयेंगी । मैं बढ़ते मूल्यों में कर्मचारियों को कठिनाई में व्याकुल करके चलने वाला नहीं हूं । मैं यह मानकर नहीं चलता हूं कि जो मांग

(श्री हरिदेव जोशी)
लेकर आते हैं, उनको आउट राइट रिजेक्ट कर दूं। अपनी मांग को वह आगे रखें, पोलिटिक्स को पीछे रखें। मैं उनकी पोलिटिक्स को नहीं चलने दूंगा। चाहे वह कर्मचारी महासंघ हो, चाहे वह यूनियन हो। जो भी कर्मचारी अपनी कठिनाई अथवा मांगों को लेकर आयेंगे, उन पर यह सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मेरे मन में महासंघ का दमन करने, तोड़ने या नष्ट करने की कोई भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत उन सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, कि वे हमारे उतने ही नजदीक हैं उतने ही अपने हैं। उन्हें अपना ही मानकर बर्ताव करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक राज्य कर्मचारी किसी यूनियन का प्रेसीडेण्ट हो जाये तो उसे इस बात का लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वह अपनी ड्यूटी तो अदा नहीं करे दूसरी तरफ चौधराहट करता फिरे। कहीं कोई काम हो गया है तो अलग बात है। अभी तक किसी आदमी का विक्टोमाइजेशन करने की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं सब लोगों में फूट पैदा कर रहा हूं, राज्य कर्मचारियों में भी फूट पैदा कर रहा हूं, मजदूरों में भी फूट पैदा कर रहा हूं, श्रमजीवी संगठनों का भी वो कर रहा हूं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य। आप मेरे पास में आये थे, मजदूरों की किन्हीं समस्याओं को लेकर के आप इन्टक को रिप्रेजेंट नहीं करते। मुझे कभी आशा नहीं, आप इन्टक में कभी आयेंगे। यह तथ्य मेरे सामने उजागर है। मगर मैंने आपकी बातों को, आपको सुना और ब्यावर के मसले का, जिस तरह आपने कहा, उस तरह बैठ कर फैसला किया। क्यों किया? आप लाल झण्डा लगा कर एक तरफ बैठे थे और आपके साथ कुर्सी लगा कर मैं बैठा था। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज के डेमोक्रेटिक सेट अप के अन्दर जब मिनिस्टर पार्टी के दफ्तर में जाता है, पार्टी की मीटिंग में जाता है, एक पब्लिक मीटिंग में जाता है तो उसके अन्दर भेद करके चलना होगा। कई भाइयों को इस बात से शिकायत है कि चुनाव में उनका विरोध किया। मैं पार्टी के कन्वेंसिंग में जाऊं और यह कहूं, रतीराम को वोट दे दीजिये? आप मुझसे यह अपेक्षा करके चलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, यह आपके राजनैतिक विचार हैं। आपको समझना चाहिये कि जब मैं जाऊंगा तो अपेक्षा करूंगा आम लोगों से, मैं हरचन्द कोशिश करूंगा, मुझमें जितनी फेअरनैस है, उस फेअरनैस से मैं कोशिश करूंगा, मेरी पार्टी जीते, चाहे मुझे एक भी वोट मिले या नहीं मिले। आप मुझसे यह अपेक्षा करें, मुझे यह करना है कि मैं रहूं कांग्रेस में और वहां कहूं आपके हित में, तो मैं आप लोगों के साथ में नहीं रहने वाला हूं ....

**श्री रतीराम यादव :** आप जायं, लेकिन डण्डे के जोर पर नहीं जायं।

**श्री हरिदेव जोशी :** आप बोल बोलकर बैठ गये, मैं चुपचाप बैठा रहा। अब मैं बोल रहा हूं तो आप उछल उछल रहे हैं।

**श्री रतीराम यादव :** गलत तथ्य रखेंगे तो जरूर बोलेंगे।

**श्री हरिदेव जोशी :** तथ्य गलत नहीं होते, तथ्य तथ्य होते हैं।

श्री रतीराम यादव : आप वहां गये और डण्डे से वोट लेने गये। पार्टी के नाते वोट लेने नहीं गये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब मैं किसी इलेक्शन के अन्दर कन्वेसिंग के लिए जाता हूं तब मैं विगरसली अपनी पार्टी के लिए कन्वेसिंग करता हूं, पार्टी केन्डीडेट के लिए विगरसली कन्वेस करता हूं। उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने है तो मैं कांग्रेस को वोट देने के लिए कहूंगा अगर उसमें जनसंघ और कांग्रेस आमने सामने है, तो मैं कांग्रेस को वोट देने के लिए कहूंगा, अगर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी आमने सामने है तो मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए कहूंगा। आप इसलिए अपेक्षा नहीं करिये कि मैं आपकी पार्टी को वोट देने के लिए कहूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कहिये कहिये लेकिन इन्होंने यह कहा कि पुलिस की फोर्स लेकर मत जाइये। मुकदमें सी. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के लेकर मत जाइये।

श्री हरिदेव जोशी : कोई भाई यह कहते हैं, मीटिंग के अन्दर, पब्लिक मीटिंग के अन्दर साम्यवादी दल और कांग्रेस का कैसे मुकाबला किया अलबत्ता, एक बात तो बहुत साफ समझ लीजिये। मैं इस देश के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत चाहता हूं। इसको भी सोच समझ लीजिये, आपकी मदद भी चाहता हूं, अगर मदद चाहता हूं तो कांग्रेस को जिताने के लिए चाहता हूं, कांग्रेस को हराने के लिए नहीं चाहता हूं। अगर आप मुझसे यह चाहें, कि मैं पब्लिक मीटिंग में यह कहूं कि साम्यवादी शासन प्रणाली अच्छी है, तो आप मुझसे यह आशा मत कीजिये। मैं बहुत खुले तरीके से सारे राजस्थान भर में जहां कहीं भी जाता हूं, यह कहता हूं, इस देश के अन्दर दो प्रकार की शासन प्रणाली के अन्दर आज चुनौतियां है, एक का देश में नेतृत्व कर रही हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी और दूसरी शासन की प्रणाली है, जिसके अन्दर शासन कर रहे हैं माओत्सेतुंग। अगर हिन्दुस्तान इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के अन्दर प्रजातान्त्रिक तरीके के अंदर सफल होता है तो प्रजातन्त्र की विजय रहेगी, और अगर हम प्रजातान्त्रिक तरीके से देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, अगर चीन हमारे मुकाबले में आगे बढ़ता है तो लोगों की निगाह में नामोसी आयेगी, प्रजातन्त्र कम होगा। मैं इसलिए इस प्रकार का उदाहरण देकर प्रजातन्त्र के लिए लोगों की आस्था बढ़ाने की आशा करता हूं। आप मुझसे कहें, यह कहूं, दूसरी शासन प्रणाली अच्छी है, तो यह कभी नहीं कह सकता। यह साफ कह देता हूं। इसके लिए आज निन्दा प्रस्ताव लाये हैं, कल अविश्वास प्रस्ताव में साथ हो जायं तो भी मैं यह नहीं कहने वाला हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह आपसे मोहरसिंह कह सकते हैं। हम नहीं कह सकते, माओत्से तुंग की शासन प्रणाली अच्छी है।

श्री हरिदेव जोशी : इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, अब कैसी अजीब सी बात है, इन्टक मुझे आमन्त्रित करे, विजय नगर में इन्टक के जलसे के अन्दर जाऊं और मुझसे केसरी मल यह अपेक्षा करते हैं, वहां

(श्री हरिदेव जोशी)

न हूं कि मैं इन्टक को मदद नहीं दूंगा। आप मुझसे क्या चाहते है– मैं समझ नहीं पाया ?

**श्री केशरीमल** : हम पक्षपात नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब के साथ न्याय हो।

**श्री हरिदेव जोशी** : आप समझिये, आप समझने की कोशिश कीजिये, विजय नगर के अन्दर राजस्थान की इन्टक का जलसा था। मुझे वहां पर बुलाया गया। मुझसे यह कहा गया कि राजस्थान के अन्दर लेबर को मजबूत करने के लिए, आर्गेनाइज करने के लिए आप इन्टक की मदद कीजिए। अब आप मुझसे आशा करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहता, नहीं इन्टक वाले ठीक हैं, सोटू वाले ठीक हैं, हिन्द मजदूर परिषद ठीक है–मैं सबको समान करने वाला हूं। एक बात समझ लीजिये, मैं कहना चाहता हूं, यह पालिटिकल गवर्नमेंट है, यह कोई जजों की गवर्नमेंट नहीं है। पालिटिकल गवर्नमेंट में एज ए पालिटिकल वर्कर में काम करूंगा ....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : और बात छोड़िये, आपने इन्टक के दो टुकड़े कर दिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आपको क्या दुख है, दर्द है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपने आई.एन.टी.यू.सी. के दो टुकड़े कर दिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : इनको बड़ी परेशानी है, क्या बात है।

**श्री हरिदेव जोशी** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी यह गवर्नमेंट, जो पार्टी की गवर्नमेंट है, अपनी पार्टी के उसूलों को, और पार्टी के आर्गनाइजेशन को बिट्रे करके नहीं चलेगी, भले ही आप मुझे कन्डेम कर दीजिये। आपका कन्डनेशन मेरे लिए महत्व नहीं रखता। मेरे साथी यह समझें कि मैंने उनको बिट्रे किया है तो मैं कहीं का नहीं रहने वाला हूं। इसलिए मैं इन्टक के जलसे में जाऊं, कांग्रेस के जलसे में जाउं, अपने आर्गेनाइजेशन में जाउं तो मैं कांग्रेस मैन पहले हूं, चीफ मिनिस्टर बाद में हूं और चीफ मिनिस्टर रहते हुये मैं हमेशा कांग्रेस मैन रहूंगा। जहां कांग्रेस कमजोर की जाती होगी मुझे दर्द होगा, मुझे पीड़ा होगी। इस लिए मेहरबानी करके इन्टक के लिए कहता हूं, कांग्रेस के लिए कहता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिये, प्रापर्ली एनेलाइज करने की कोशिश कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर को बहुत उछाल करके वो करने की कोशिश की। मुझे यह कहा गया, लेबर विरोधी हूं, मैंने लेबर के टुकड़े कर दिये। आपकी सूचना के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि भरतपुर की लेबर ने, कुछ लोगों को छोड़ कर और सारीकी सारी लेबर ने मुझे, हरिदेव जोशी को, अपना सोल आर्बीट्रेटर इस झगड़े के अन्दर नियुक्त किया है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे लिए यह कहा है कि मैं कुछ बातों का फैसला करूं, जिसमें यह भी बात है कि उन्हें जो वेजेज दी जाती है, वह सारे मसले थे, वह ठीक थे अथवा नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक लेबर का सवाल है, भरतपुर का लेबर तो मुझे अपना आर्बीट्रेटर नियुक्त करता है, वहां गोली चलने के

(श्री हरिदेव जोशी)

बाद अपना आर्बीट्रेटर नियुक्त करता है, वहां सीट्र के लीडर्स भाषण दे गये थे उसके बाद आर्बीट्रेटर नियुक्त कर दिया, वहां एटक के लीडर भाषण दे गये थे, उसके बाद आर्बीट्रेटर नियुक्त करता हूं, दूसरी पार्टी के लीडर भाषण दे गये थे, उसके बाद मुझे अपना सोल आर्बीट्रेटर अपाइन्ट करता है, फिर आप कुछ कहते हैं तो समझ में यह आता है कि आप लेबर के लिए बात करते हैं या पार्टी के लिए बात करते हैं।...

**श्री रतीराम यादव** : कर सकते हैं आर्बीट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं आप चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। पावर है।

**श्री मोहर सिंह** : मैनेजमेंट की तरफ से किया है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें।

**श्री हरिदेव जोशी** : भारतीया जी, आप बैठ जाइए।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने उस दिन भी माननीय सदस्य को सूचना दी थी सदन के मारफत कि हमने अपनी तरफ से जुडीश्यल एन्कुवायरी करने का फैसला कर लिया है और हमने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से निवेदन किया कि वह किसी का नाम बतायें। शुरू शुरू में हैजीटेशन होने लगा कि जजों के पास में ज्यादा काम है इसलिए वर्किंग जजिज को एन्कुवायरी नहीं दी जा सकती है। हमारा आग्रह था कि वर्किंग जज ही होनां चाहिए और उसके अनुसार चीफ जस्टिस की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान सरकार ने जस्टिस मोहनलाल जोशी को भरतपुर गोलीकांड के लिए जज नियुक्त किया है। मैं आशा करता हूं कि चाहे रात को दो घन्टे या चार घन्टे या 6 घन्टे या 8 घन्टे अथवा पूरी रात भी जागना पड़े, मेरा प्रयत्न होगा कि फैसला कर दूं। मैंने भरतपुर के मजदूरों से कहला दिया है और मैनेजमेंट से कह दिया है कि वे भी पहुंच जायं क्योंकि सदन को कार्यवाही यहां कल होगी नहीं तो मैं खुद भरतपुर जाकर उनकी बात सुनता। जब उन्होंने आर्बीट्रेशन मुझ पर छोड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने आर्बीट्रेशन का फैसला कल सवेरे तक सदन के समक्ष रख दूं...

**कुछ माननीय सदस्य** : मजदूरों के प्रतिनिधि ?

**श्री मनोहरलाल (कामां)** : जब फैसला हो चुका, समझौता हो गया।

(अश्रव्य)

**श्री मीठालाल** : झगड़े की जरूरत ही नहीं थी।

**श्री हरिदेव जोशी** : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि मैं प्रतिगामी हो रहा हूं, मैं इसको उचित नहीं मानता, यह खाली उनका गुस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव के समय उन्होंने खुशी मनाई तो यह होता है कि जब हम शादी करते हैं तब लम्बा सफर होता है, कभी कटुता आती है, कभी मेल होता है, आपको रोज रोज गुस्से होना रोज रोज नाराजगी प्रकट नहीं करनी चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** किसी ने नहीं कहा कि खुशियां मनाई ? किसी ने खुशी नहीं मनाई। आपको अच्छा मिल रहा है तो खुशी मनायें बुरा मिल रहा है तो खुशी नहीं मनायें।

**श्री हरिदेव जोशी :** सुखी परिवार वह होता है जो विवेक से काम ले, एक दूसरे को समझकर जिन्दगी बसर करने की कोशिश करे।

**श्री रामकिशन :** परिवार मत कहो।

**श्री हरिदेव जोशी :** मैं विधान सभा को एक परिवार मानता हूं, हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और प्रजातन्त्र तभी सफल हो सकता है जब रूलिंग पार्टी आपोजीशन की बात को विचारपूर्वक सुने, अगर कहीं भी अपने काम करने की प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो करें और प्रजातन्त्र तब सफल हो सकता है जब एक आदमी बात कहता है, उसको निष्ठापूर्वक सुनने की कोशिश की जाए इसलिए मैंने बैठकर आपकी बात को निष्ठापूर्वक सुनने की कोशिश की है और मैं जानता हूं आज कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें किसी की शिकायत न होती हो। मुझे खुद से शिकायत है··

**श्री रामकिशन :** फिर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था।

**श्री हरिदेव जोशी :** जी नहीं। आपकी नीयत दूसरी है, मेरी दूसरी है। नीयत का फर्क है। सवाल यह है कि निश्चित रूप से सरकार की काम करने की प्रणाली के अन्दर परिवर्तन आना चाहिए। सरकार को आम तौर पर, लाजमी तौर पर, गरीब आदमी के प्रति, पिछड़े हुए आदमी के प्रति और गिरे हुए आदमी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जहां पिछड़ा हुआ आदमी शक्तिशाली नहीं हैं वह समाज कभी भी प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। जहां जहां रक्त क्रांतियां हुई हैं वहां भी और साम्यवाद के नाम पर भी रक्त क्रांतियां हुई, वहां गलतियां नहीं हुई ऐसा नहीं कह सकते। आज हमारे साम्यवादी भाई स्वयं स्टालिन गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं कि साम्यवाद को लाने के लिए इतने रक्त-पात की स्वयं रशिया में भी जरूरत नहीं थी जितना हुआ और चीजें वहां पर कही गई हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। तो सरकारें तो गल्तियों से भरी हुई रहेंगी, निरंतर सुधार का प्रासेस चलना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि सरकारें ऐसी रहें जिससे कम से कम शिकायत हो। मैं मानता हूं राज्य सरकार के अन्दर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मैं ला सका हूं, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं एक चीज निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे मन में कहीं भी दुराग्रह नहीं, अतिशय की बात नहीं। मेरे मन में यह नहीं है कि हम जो कहते हैं वही सही है और आप कहते हैं वह गलत है।

रह जाता है सवाल इम्पलीमेंटेशन का उसमें गलतियां हो सकती हैं। मैंने एक प्रासेस शुरू करने की कोशिश की है जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ बैठ कर बात करने की कोशिश करता हूं वहां आपोजीशन के साथ बात करने की कोशिश

(श्री हरिदेव जोशी

करता हूं और मैं समझता हूं मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान की समस्यायें इतनी विकट और जटिल हैं और हमारा पिछड़ापन इतना ज्यादा है कि किन्हीं स्थितियों में एक मुख्य मंत्री अथवा 8–15–20 मंत्री सारी समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकते उसके लिए सब का सहयोग चाहिए, इसके लिए मैं आप सबका सहयोग, कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग भी आमंत्रित करता हूं। किसी का सहयोग भी मिले, किसी को इससे निराशा हो, इसको मैं अपनी कमजोरी मानता हूं। मैं इस बात के अहंकार में नहीं हूं कि इतना बहुमत है और आपके निंदा प्रस्ताव को हम गिरा सकेंगे अथवा मुझे इस बात का कहीं गुमान नहीं कि 37 आदमी अविश्वास प्रस्ताव के लिए खड़े नहीं सके। मेरे मन में हमारी लैप्सिज हो सकती हैं उनको मिटाने में एक क्यूरेटिव सुधार के तौर पर आप अपना उपयोग करके आपके और हमारे बैठने, बात करने की स्थिति में मेल रहेगा। यदि आप इस प्रकार की हवा तैयार करें जिससे न कड़वाहट आए तो निश्चित रूप से बहुमत द्वारा हाथ उठा कर प्रस्ताव पास किए जायेंगे। मगर वह डेमोक्रेसी नहीं है। हाथ उठाकर प्रस्ताव पास करके और किसी चीज को कैरी आउट करायें मैं इसको प्रजातन्त्र नहीं मानता। मैं विश्वास करके चलता हूं कि जितने भी अधिक से अधिक लोग रोप इन किए जा सकें साथ में लिये जा सकें उनको लिया जाय। शांतिपूर्वक विरोधी पक्ष को सरकार के साथ में बैठकर काम करने की स्थितियां पैदा करें, तो मैं इसको सफलता मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने हरिजनों को जमीन बांटने के बारे में कहा। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने और भी चीजों के बारे में कहा। उसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि एक बात हम इस सदन में निरन्तर कहते आये हैं और इस सदन में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये आंकड़े भी देते आये हैं कि हमने हरिजनों के लिए जमीन बांटने के लिये क्या किया या क्या नहीं किया? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी। कारखाने वालों को सस्ती बिजली दे रही है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि आप केरला में बिजली की टेरिफ को देख लीजिये और राजस्थान सरकार की बिजली की टेरिफ को देख लीजिये।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** आप केरल की बात तो जाने दीजिये। केरला से मुकाबला मत करिये। वहां पर किसानों को काफी रियायतें दी हैं। जमीनें मुफ्त दी है।

**श्री हरिदेव जोशी :** जहां तक सवाल जमीनों के बारे में है हमने क्या किया यह आप जानते हैं।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :** आप जमीन की बात नहीं करें तो अच्छा है क्योंकि आपके यहां 10 एकड़ और 150 एकड़ की सीलिंग बराबर है।

**श्री हरिदेव जोशी :** या तो आप के यहां एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जहां

(श्री हरिदेव जोशी)

पर कुछ भी पैदा नहीं होता, उसकी बराबरी आप जहां 12 एकड़ में सुपारी पैदा होती है उसकी बराबरी करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी किताब में हनुमानगढ़ की जमीन और जैसलमेर की जमीन एक ही है।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरी अर्ज सुन लीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमने बिजली का टेरिफ बढ़ाने के लिये पहले दूसरी स्टेट्स में टेरिफ की क्या रेट है, उसको ध्यान में रखा है। हमने महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश बिहार, आसाम, उड़ीसा, मध्यप्रदेश इन सारी स्टेट्स की रेट को ध्यान में रखा है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हरियाणा और पंजाब को छोड़कर हमारे राजस्थान में भारत में सबसे कम रेट बिजली की टेरिफ की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज पंजाब और हरियाना में जो बिजली पैदा होती है वह हाईडल पावर से पैदा होती है जो कि सस्ती होती है और हमारे राजस्थान में जो बिजली जनरेट की जाती है वह अटोमिक प्रोजेक्ट से होती है जिसका कोस्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है। इसलिये हमारे यहां बिजली की टेरिफ ज्यादा है। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड एक कोमर्शियल कनसर्न है अगर उसको घाटा होता है तो वह अपने घाटे की पूर्ति कहां से करेगी ? उसके घाटे की भी राजस्थान सरकार से पूर्ति किया जाती है। और अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अपनी जेब में से थोड़ा ही देगी। वह तो राजस्थान की जनता से ही वसूल किया जाता। अध्यक्ष महोदय, भाई एम बेरी सोरी माननीय सदस्य मेरी लोजिक को नहीं समझ सके और अगर वह मेरी लोजिक को समझ जाते तो यह बात सदन में नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमारा मुख्य मंत्री जी को मेलाईन करने का काम नहीं है। हम उनको प्रेसराईज नहीं करना चाहते। तो मेरा यह निवेदन है कि मैं इस प्रकार से प्रेसराइज हो सकूंगा वह बात भी नहीं है। ऐसा मैंने उस दिन भी सदन में कहा था कि जब अजवर वाला इश्यू सदन में चल रहा था। इसमें घटना इस प्रकार थी कि एक व्यक्ति साईकल चुरा रहा था उसको पुलिस में पकड़ कर ले गये थे। तो थाने में हारूमलजी उस व्यक्ति के लिए थाने में गये और उन्होंने वहां पर पुलिस थाने में पुलिस के हैड कोन्सटेबिल को थप्पड़ मारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उस घटना की याद दिलाता हूं कि इसी विधान सभा में एक घटना घटी थी जिसमें यहां के एक कांग्रेसी माननीय सदस्य ने इस सेक्रेटरियेट के एक कर्मचारी को चांटा मारा था। अध्यक्ष महोदय, हमने आगे होकर उस मामले को टेकअप किया और हमारे कांग्रेसी सदस्य से कहा कि वह उस कर्मचारी से माफी मांगे, अध्यक्ष महोदय, उस कांग्रेसी सदस्य को उस कर्मचारी से माफी मांगनी पड़ी। तो मेरा यह निवेदन है कि हमारा एक स्टेण्डर्ड है। तो अध्यक्ष महोदय यह हारूमल जी वाला मामला लेकर इस तरह में माननीय सदस्य छोटी मोटी बातों को लेकर विधान सभा में तनाव पैदा

(श्री हरिदेव जोशी)

करते हैं यह एक अच्छी बात नहीं है। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर अविश्वास का प्रस्ताव लाना या निन्दा प्रस्ताव लाना अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आप गड़बड़ पाये तो आप मेरे पास आवें मैं आपको दावत देता हूं। आप बताये आप मेरे से मिलें। मेरे से डिसकस करें अगर कोई सही बात ती होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि यह सही बात है। मेरी पार्टी वालों ने यह कहा मैं जरूर कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस दल की नेता हुई तब से और पहले के काम करने में फर्क है। इस सदन में जो काम हम करते हैं जो प्रोग्राम हमें कांग्रेस द्वारा दिए गए हैं उन्हें हमें पूरा करना पड़ता है और अगर हम उनको पूरा नहीं करते हैं तो हम प्रतिक्रियावादी कहे जायेंगे। इसके लिए सेन्ट्रल कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने मुख्य मंत्री से उसका जवाब मांगा जाता है उन्हें कहा जाता है कि क्या आप प्रतिक्रियावादी हैं। आप प्रतिक्रियावादी कैसे हो गए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है उस सभी काम का सेन्ट्रल कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री बोर्ड के सामने जवाब देना पड़ता है। मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मैं उसके लिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रति उत्तरदायी हूं और किसी के लिए नहीं। आपके सोचने का नजरिया अलग हो सकता है और स्वाभाविक ही है हर एक का सोचने का नजरिया अलग अलग है। यह हो सकता है कि आप जितनी आकांक्षा मुझसे करते थे वैसा मैं साबित नहीं हुआ। उसके अनुकूल ऊंचा साबित नहीं हुआ। आप कोई काम दो मिनट में होना मांगते है, हो सकता है मुझे उसमें तीन मिनट लग जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में हमेशा से ही हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया ही है। आज मैं विश्वास दिला कर सदन में कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ने इस बात की प्लेज कर रखी है कि वह निरन्तर पिछड़े वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्ग के समाज को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। और अगर हम उनका उद्धार नहीं कर सकेंगे तो मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमें यहां बैठने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यही मुझे निवेदन करना है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांण्डा :** अध्यक्ष महोदय इस सदन के माननीय सदस्यों ने और खास तौर से मैंने मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ में निन्दा प्रस्ताव रखा था। मेरी भावना उनको डेवियेट करने की नहीं थी और न ही यह कोशिश ही हमारी थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में मुख्य मंत्री जी के प्रति कोई द्वेष भी नहीं है और न ही द्वेष की भावना ही हमारे मन में है। अध्यक्ष महोदय, न ही सदन में निन्दा प्रस्ताव लाकर उनको ब्लेक मेलिंग करने का ही इरादा था।

**श्री हरिदेव जोशी :** अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे एक मिनिट में अर्ज करना चाहता हूं। अभी अभी मेरे पास सूचना आयी है कि श्री फकरूद्दीन अली अहमद

# Page No 124

124



(श्री हरिदेव जोशी)
भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गये हैं और उनको भारी बहुमत मिला है। मुझे यह कहा गया है कि वह अपने प्रतिद्वन्दी से 5 लाख 65 हजा 84 वोटों से जीते हैं।

श्री केदारनाथ : कोई ज्यादा नहीं है।

श्री रामकिशन : यह दक्षिण पंथी बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव से उन लोगों ने फायदा उठाने का प्रयत्न किया। अध्यक्ष महोदय जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी ने उस पर एतराज किया। उन्होंने बार बार अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए कहा लेकिन हमने नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, सेन्शर प्रस्ताव एक व्यक्ति के खिलाफ ही में आ सकता है इसलिए हमने निन्दा प्रस्ताव रखा अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 41 सदस्यों में से आठ तो पहले हिम्मत हार गये। और बाद में 31 मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय, इन जनसंघ की पार्टी के नेता और स्वतन्त्र पार्टी के नेता और उनके सदस्यों ने निन्दा प्रस्ताव में दक्षिणपंथी विचार व्यक्त किये। अध्यक्ष महोदय, हमारे और कांग्रेस के सिद्धान्त अलग अलग हैं। कांग्रेस के सिद्धान्त कुछ और हैं और हमारे पार्टी के सिद्धांत कुछ और हैं। दोनों में आइडियेन्टिटी में फर्क हैं और फर्क होना भी चाहिए। लेकिन कुछ इश्यूज पर हम एक हो सकते हैं और एक होते भी हैं। उनकी हमारी फौरिन पोलिसी एक है। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के लोग विभिन्न तरीकों से सोचते हैं, जन संघ के साथी बिलकुल विपरीत दिशा में जाते हैं, स्वतन्त्र पार्टी के हमारे साथी दूसरी विपरीत दशा में जाते हैं। जहां हम कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, वहां वे लोग नहीं रखते। लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जैसे हरिजनों का मुद्दा है, समाजवाद का मुद्दा है, हम समाजवादी पार्टी हैं इसलिये हम उनके साथ चलते हैं। दो मार्च का जो हमारा प्रोग्राम था वह इस बात का सबूत है। सिद्धान्तों के सिवाय हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। जो सिद्धान्तों में विश्वास हैं उनको हासिल करने के के लिये जो शक्तियां होती हैं उनसे तालमेल बनाये रखना होता है। आपके पालियामेन्टरी बोर्ड की मिटिंग हुई। पालियामेन्टरी बोर्ड ने केरल और बंगाल में उसी नीति को जारी रखने की सिफारिश की है बिहार प्रोविन्शयल कांग्रेस में विचार विनिमय हुआ। मिश्रा साहब के विचार, यादव सहाब के विचार और जगजीवनरामजी के विचार देख लीजिये, दोनों भिन्न हैं।

कांग्रेस में दोनों विचारधारा के लोग हैं जिसका प्रतिबिम्ब, जिसका प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह, हर स्थान पर हर यूनिट में दक्षिणपंथी इजारेदार और देश के सामन्ती अवशेष है, मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया, ये सामन्ती अवशेष राजा महाराजा, जागीरदार जिनको जागीरें गयीं लेकिन उनके पास भूमियां हैं, उनके पास शक्तियां हैं, उनका सामराज्यवादियों से तालमेल है ये समाज के अन्दर शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, इनका इन्दराजी भी विश्वास करती हैं और आप भी विश्वास करते हैं, यह जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की गयी है इससे आपका हमारा समझौता टूट गया है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

टूटेगा, सौ प्रश्नों पर टूटेगा और सौ प्रश्नों पर जुड़ेगा : बिहार का प्रश्न हुआ। हम मदद कर पाये, रैली को लाखों लोगों को जयप्रकाशजी से बचाने के लिये। जो एनेलेसिस माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया वह कन्फ्युजिंग है जिस प्रकार का तालमेल वे रखे हुए हैं।

जो प्रश्न रक्खे हैं बिजली के सम्बन्ध में, राजगड़ियाजी के सम्बन्ध में, यहां के व्यापारियों को रियायत दी, उन प्रश्नों का मुख्य मंत्रीजी जवाब दें। आखिर दो प्रश्न रखे हैं मैंने आपके सामने। एक बिलाड़ा का रखा भांदा सहाब को माइन्स का रिन्युअल का। दूसरा राजगड़िया का रखा। रिन्यु कर दिया, टर्म खत्म हो गया उसके बाद उसको सस्पेन्ड कर दें, एक में टर्म खत्म हो गया, मजदूरों को बकाया रह गयी। दोनों ही सिद्धांत के प्रश्न हैं। आज जो रियायत दी है बड़े व्यापारियों को दी है।

श्री अध्यक्ष : यू हेव ए राइट ओफ रिप्लाई ओनली। नई बात नहीं कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिजली के सम्बन्ध में कहा कि पावर स्टेशन से बिजली आती है, मंहगी आती है। हैडल राजस्थान में कमजोर नहीं है। एक रिएक्टर चल पड़ा है। दूसरा बन्द पड़ा है। कनाडा और साम्राज्यवादियों ने मदद बन्द कर दी। दूसरा रिएक्टर बन रहा है। बिजली के विषय में कहा 8 परसेन्ट से 12 परसेन्ट तक बिजली सारे देश में लीकेज होती है लेकिन राजस्थान में 21 परसेन्ट से 63 परसेन्ट का लीकेज होता है। 3॥ करोड़ की पावर कन्ज्यूमर्स में बकाया है। 10 लाख रुपया राजाओं में बकाया है। ये सब दिशायें सब की सब बड़े व्यापारियों को रियायत देने की नहीं तो क्या हैं ?

सीलिंग के सम्बन्ध में कांक्रीटली पूछा, लेवी के सम्बन्ध में कांक्रीटली पूछा। प्रदेश में 22 राजा हैं। बड़ी बड़ी धरती है जिनके पास। भूपतियों ने धरती बांट रखी है 22 राजाओं से कितनी लेवी वसूल हुई ? इन बड़े बड़े भूपतियों से कितनी वसूली हुई ? कांक्रीटली कहा है अध्यक्ष महोदय, कि आपकी सीलिंग का तरीका गलत है। क्या गलत मैंने कहा ? मेरी मांग यह है कि आपको वितरण प्रणाली के लिये जन सहयोग लेना पड़ेगा। हर जगह कमेटीज बनानी पड़ेंगी, जनता को उभाड़ना पड़ेगा। कलेक्टर की रिपोर्ट 1225 कमेटियां बनीं। 2॥ करोड़ जनता में सही वितरण प्रणाली को लागू करने के लिये जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 नवम्बर के भाषण में कहा, एक के पास 2/3 हिस्सा नहीं जावेगा। बराबर बांट देंगे 2। करोड़ लोगों में। जहां जहां पब्लिकेशन के लिये बात करेंगे डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली ठीक नहीं है।

मैंने कहा मजदूरों में फूट डाली। खुद प्रस्ताव है इंटक की मजदूर यूनियन का। भीलवाड़ा में बजाज और बिड़ला की मदद से चाहे चितौड़गढ़ हो, या उदयपुर हो इंटक की यूनियन के मुकाबले में बड़े लोग तिरंगा झंडा पकड़ कर बिरला साहब, बजाज साहब, करोड़पति लोग बराबर की यूनियनें खड़ी कर रहे हैं। सुखाड़ियाजी गये दोनों यूनियनों ने तिरंगे झण्डे पकड़

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर नारे लगाये। हमारे में क्या फूट हम चट्टान की तरह हैं। इंटक सीटू को भी हम साथ ले लेंगे। यूनियनें आपकी हो सकती हैं हमारी भी हो सकती हैं। एक तरफ बृजसुन्दर जी दूसरी तरफ चौधरी साहब भरतपुर में आर्बीट्रेटर बन गये। इन्टक के लोगों को गिरफ्तार करवाया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको अपने घर का झगड़ा न बनाइये। देश का झगड़ा है, मजदूरों का झगड़ा है।

मैंने कहा कि पुलिस रिप्रेशन बढ़ रहा है। एक भी कारखाना आप बता दीजिये कि जहां पर पुलिस न पहुंची हो। 51 दिन तक सूरतगढ में हड़ताल हुई। पुलिस वहां पहुंची और अनाप-शनाप मुकदमें बनाये। कौनसी हड़ताल हुई जहां पुलिस नहीं पहुंची हो? मुख्य मंत्रीजी का यह कमिटमेंट स्पष्ट था कि पुलिस नहीं जावेगी जहां मजदूर और मालिकों का सीधा सम्बन्ध होगा। मजदूर और मालिक का जहां झगड़ा होगा या सवाल होगा तो पुलिस वहां नहीं आवेगी। जहां वह पहुंची है वहां मालिकों के पक्ष में उसने काम किया है। चाहे गंगानगर में इसकी मिसाल देख ली जाय, भरतपुर, भीलवाडा या मे देख लिया जाय।

कर्मचारियों के प्रश्न पर वहां फूट डालने की कोशिश की। दीगोरिया साहब कौन हैं? उनको हटा कर जब भी मदद के खिलाफ मेमोरेण्डम दिया। इन्दिराजी यहां आई तो कहलवाया कि हमारी कोई मांग नहीं है। ये काली टोपी लगा कर चलने वाले मशहूर आर. एस. एस. के नेता। उनको भूल गये आप क्या मुख्य मन्त्री ने आश्वासन नहीं दिया कि टुकड़े नहीं होने देंगे।

पत्रकारों का प्रश्न ले लीजिये। इन पर पुलिस एट्रोसिटीज नहीं हुई? इनको पिटवाया नहीं गया जगह जगह। पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा गया। आज राज में एक दर्जन ऐसे पत्रकार हैं। करणीदान हैं। कोटा के दगाल हैं उसके सम्पादक हैं। युधिष्टिर है। नवज्योति के कारस्पोण्डेन्ट हैं। साप्ताहिक शहजाद के एडिटर हैं। तो इनको हर जगह पीटा गया। हारूमल का केस है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : On a point of order, Sir, Can he introduce new facts in his reply?

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : I have not introduced any new facts.

यह हारूमल की बात को दोहराने की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक साइकिल चोर पकड लिया गया। वह साइकिल चोर भी नहीं था। सारी जगह सन्नाटा था। बाजार बन्द हो गये थे।

अब जैसा वे कहते हैं मैं मानता हूं कि वे भी राजाओं के खिलाफ निरन्तर संघर्ष में पैदा हुए है। वे भी थाने में जाते रहे हैं। हडतालें होती हैं। तो इसकी आप सारी जांच करिये। कहा गया उस सदस्य ने माफी मांग लो। मैं भी गलती करूं तो माफी मांगने को तैयार हूं। अकडाई में मोहब्बत नहीं होती। पर सदन में मेरा सवाल का जवाब दे रहे थे। 12।1 बजे चपरासी डाक लेकर जाता है तो वह सदस्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

धक्का मार कर निकाल देते हैं। कहें तो नाम ले दूं। चाहें तो चपरासी को पेश कर दूं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वे इस पीरियड में क्रश हुए हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेण्ट्स क्रश किये गये हैं।

जैसा मुख्य मंत्री ने पहले कहा कि नौकरशाही के लगाम डाल दूंगा। क्या डाल दोगे आप? जितने भी ये आई. ए. एस. रिटायर हो रहे हैं मेनन साहब हैं, भाला साहब हैं, चाहें के. पी. एस. मेनन साहब हैं। पूंजीपतियों के द्वारा वे नौकर रख लिये जाते हैं। वे आपकी राजनैतिक एजेन्सियों के द्वारा रख लिये जाते हैं। वे कहीं चित्तौडगढ़ फैक्ट्री में मैनेजर लग जाते हैं, कहीं सवाई-माधोपुर में मैनेजर रख लिए जाते हैं। अगर एस. पी. हैं तो फैक्ट्रीयों में सिक्योरिटी अफसर लग जाते हैं और हालत तो यह है इस राज की कि आज तक बरकत साहब की मृत्यु किन हालतों में हुई इस बात की रिपोर्ट नहीं आई। इस सदन में प्रस्तुत नहीं की गई। उनकी मौत के समय सेंसेशन पैदा हुआ था। मिसेज बरकतुल्लाखां को पेंशन दी गई है।

**श्री अध्यक्ष** : These are all new facts which are introduced. It is not a reply.

**श्री जसवन्त सिंह** : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है अध्यक्ष महोदय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा** : ब्रजनेव के जवाब को देखिये। मैं भी कहना चाहता हूं चन्द्रजीत यादव को देखिये। शशि भूषण को देखिये। मोरारजी देसाई को मत देखिये। सिंडीकेट के पीरियड को रिपोट मत करिये। पार्टी में उनको मत वापिस लाये। इण्डिकेट के खेमे में रहिये। मत देखिये निजलिंगप्पा को। हरिद्वार में बैठ कर पिटे हुए को उपभोक्ता भण्डार का चेयरमैन बना दिया है। हरिद्वार में गुप्त मन्त्रणा करके राज चलाने की बातें कर रहे हैं। वह नहीं चलेगा। [वामपन्थी ताकतें इस राज को नहीं चलने देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री हांडा साहब ने निन्दा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जावे।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

समय बढ़ाया गया है तो वह इस निन्दा प्रस्ताव तक ही बढाया है। आगे कार्यवाही तो नहीं लेनी है?

**श्री हरिदेव जोशी** : ये माननीय सदस्य मानते हैं, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृति)

विचारार्थ लिया गया।

**श्री भीमसेन :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** क्या सदन की यह अनुमति है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

**श्री गुमानमल लोढा :** नहीं, मैं इसके विरोध में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो लाया गया है पशु बलि के निषेध करने का, मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करके आज ही पारित किया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** संशोधन है इसमें कोई ?

**श्री गुमानमल लोढा :** यह महावीर की 2500 वीं निर्माण वर्ष जयन्ति है। जिसे भारत सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। राजस्थान राज्य भी सरकारी स्तर पर भी इसे मनाने जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पर यह पशु पक्षियों को अगर अभयदान मिलता है तो हम मानेंगे कि हम उस अहिंसा के अवतार के प्रति अपनी श्रद्धा के दो पुष्प चढ़ा रहे हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति का भी अंग है। ऐसी स्थिति में यह बिल जो काफी लम्बे अरसे से पेन्डिग में पड़ा हुआ है, आज ही पारित कर दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा। इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना इसलिये भी आवश्यक नहीं है कि इसमें एक दो ही तो क्लाज हैं और इसे गुजरात सरकार ने और तमिलनाडु सरकारों ने भी एक्ट के रूप में पारित किया है और वहां यह एक्ट लागू है। इसके जो क्लाज हैं इनोसेन्ट हैं और अनडिस्प्यूटेड हैं। अगर इसे इस समय पारित नहीं किया जा सकता तो मैं समझता हूं कि जिस वर्ष को हम अहिंसा वर्ष के रूप में सरकारी स्तर पर राष्ट्र में और राष्ट्र के बाहर संसार भर में मनाने जा रहे हैं उसकी सही भावना और स्पिरिट के भी अनुकूल नहीं होगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे अभी विचारार्थ लिया ही है, पारित भी आज ही कर दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी में देने का अर्थ यह होगा कि यह कोल्ड स्टोरेज में चला जावेगा। सदन भी वैसे कल समाप्त हो रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। भगवान महावीर की यह लीला भूमि रही है। उनका 2500 वां निर्वाण दिवस हम राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जा रहे हैं सरकारी स्तर पर मनाने जा रहे हैं। उसमें राजस्थान भी शामिल हो सके और राजस्थान सरकार इस सदन में आये हुए माननीय सदस्यों से पारित कराके योगदान कर सके, इस दृष्टि से मेरा निवेदन है सलेक्ट कमेटी को न सौंपा जाकर आज ही पारित किया जाय।

**श्री मोहन राज (बाली) :** अध्यक्ष महोदय मेरा एक संशोधन था कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय इसलिये

(श्री मोहनराज)

इस मुतालिक हालांकि मैं इस बिल को महान क्रान्तिकारी मानता हूं जो वास्तव में हमारे समाज में नई धारणायें पैदा करेगा और जो खराबियां हैं वह अन्य विश्वासों के कारण हजारों वर्षों से जमी हुई जो बातें हैं उनको दूर करने में•••

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

यह बिल सहायक होगा लेकिन हमारे यह अभी भी जो भिन्न भिन्न मत हैं वास्तव में इस क्रान्तिकारी बिल को पास करने से पूर्व सबकी शंका ो का समाधान किया जाय। जब माननीय सदस्यों से बात की गई तो उनका मत यही था कि अल्प काल के लिये ही सही लेकिन प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति को सुपुर्द करने से जो इस बिल की कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ ही यह निवेदन करूंगा चूंकि देश भर में भगवान महावीर का 2500वां परिनिर्वाणोत्सव जयन्ति मनाने जा रहे हैं और इस बिल को पास किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसलिये इसको अल्प काल के लिये प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिससे अगर कोई गलतफहमी या भ्रम हो तो दूर किया जा सके और शीघ्रातिशीघ्र प्रवर समिति की रिपोर्ट आते ही इस बिल को पास किया जाय जिससे एक बड़ी भयंकर बुराई जो पशुओं की बलि से बढ़कर नरबलि में रूपान्तरित हो गई और जिसका भारत पर कलंक का टीका लगा हुआ है उसके लिये यह बिल पास किया जाना अत्यन्त जरूरी है। मैं समझता हूं इसके महत्व को समझते हुए इस बि॰ को कानून का रूप दिया जाय और सक्रिय रूप से इसको क्रियाशील रखा जाय। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री भीमसेन :** उपाध्यक्ष महोदय जैसा माननीय सदस्य ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विधान सभा की बैठक तक प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जायगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21–8–74 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6.15 सायंकाल दिनांक 21–8–74 बुधवार के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

130



## परिशिष्ट-1

( ता. प्र. सं. 129 की सूची )

सूची खाद्यान्न जो जप्त किया गया

| क्र. सं. 1 | दिनांक 2 | नाम काश्तकार।व्यापारी 3 | तादाद खाद्यान्न 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 15–1–74 | रामनारायण खेड़ीयल भीमगंज मण्डी, कोटा | 62 बोरी गेहूं |
| 2. | 6–4–74 | गुजराज रतनलाल, कोटा | 2 बोरी ज्वार<br>100 बोरी गेहूं |
| 3. | 5–74 | मेवालाल गणपतलाल एवं नारायणलाल अग्रवाल कोटा | 101 ,, |
| 4. | 6–5–74 | संजयकुमार महेन्द्रकुमार नयापुरा, कोटा | 69 ,, |
| 5. | 14–5–74 | शान्तीलाल नाथूलाल खाईरोड़, कोटा | 57 ,, |
| 6. | 17–5–74 | केसरीलाल राजमल खाड़पुरा, कोटा | 29 ,, |
| 7. | 11–6–74 | कन्हैयालाल मथुरालाल जाट गणेश खेड़ा तह. पीपल्दा | 91 ,, |
| 8. | ,, | बलदेव पुत्र किशनलाल मीना पैपपुरा तहसील पीपल्दा | 120 ,, |
| 9. | 12–6–74 | धूलीलाल पुत्र माधोलाल मीना प्रेपपुरा तह. पीपल्दा | 150 ,, |
| 10. | ,, | गोपीलाल पुत्र भंवरलाल जाट गणेशखेड़ा तह. पीपल्दा | 90 ,, |
| 11. | ,, | कन्हैयालाल मथुरालाल जाट गणेशखेड़ा तह. पीपल्दा | 59 ,, |
| 12. | ,, | सुखदेव पुत्र रतनलाल मीना गण्डावत तह. पीपल्दा | 810 ,, |
| 13. | ,, | रामनाथ पुत्र भंवरलाल जाट गणेशखेड़ा तह. पीपल्दा | 94 ,, |
| 14. | 13–6–74 | बनवारीलाल किशनपुरा तकिया तह. लाड़पुरा | 110 ,, |
| 15. | ,, | रामकरण हीरालाल मीना प्रेपपुरा तह. पीपल्दा | 16 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | 13-6-74 | अर्जुनलाल काशीलाल जाट गणेशखेडा तह. पीपल्दा | 63 बोरी गेहूं |
| 17. | „ | परसराम पुत्र भंवरलाल जाट „ „ | 55 „ |
| 18. | „ | प्रभूलाल पुत्र गणेशराम जाट „ „ | 30 „ |
| 19. | „ | जगन्नाथ पुत्र श्री नारायण मीना प्रेमपुरा तह. पीपल्दा | 50 „ |
| 20. | „ | पृथ्वीराज पुत्र प्रभूलाल जाट गणेशखेडा पीपल्दा | 80 „ |
| 21. | „ | श्रीलाल पुत्र गजानन्द मीना गण्डावंद पीपल्दा. | 73 „ |
| 22. | 14-6-74 | बंशीलाल पुत्र मगनलाल ब्राह्मण खण्ड गांव दीगोद | 524 „ |
| 23. | 4-7-74 | हीरालाल पुत्र मोलू गूजर गांवघटावद तह. अटरू | 85 „ |
| 24. | 8-7-74 | सुरेन्द्रप्रताप पुत्र बाबूराम बल्लभ नगर, कोटा | 45 „ |
| 25. | „ | महावीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, शोपिंग सेन्टर, कोटा | 38-52-800 |

योग:– 2403 बोरी

# परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

**जंगलातों की कटाई और लकड़ी बेचने वाली सहकारी समितियां**

137. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के जंगलातों की कटाई और लकड़ी बेचने का कार्य करने वाली कितनी सहकारी समितियां हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सहकारी समितियों का एक फेडरेशन भी बना हुआ था ?

(3) उपरोक्त सहकारी समितियों से कुल कितनी रायल्टी राज्य सरकार को 1972-73 एवं 1973-74 में प्राप्त हुई ?

(4) क्या यह सही है कि जंगलातों के कटाई के ठेके उपरोक्त सहकारी समितियों से छीन कर कुछ ठेकेदारों को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस को तथा कब कब तथा इन ठेकेदारों से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है ?

**उत्तर**

(1) 1972-73 में 43 सहकारी समितियां थी। सूची संलग्न प्रेषित है।

(2) जी हां।

(3) 1972-73 में 6,98,614.66 से 1973-74 में 1,64,728.00 (केवल छोटी पैदावार)

(4) जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

**1972-73 में सक्रिय वन श्रमिक सहकारी समितियों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खलेड़ वन सहकारी समिति | उदयपुर |
| 2. | सरवण वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 3. | बांधोदेया वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 4. | बलुआ वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 5. | मीणा आदर्श बढोवल वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 6. | पाटिया वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 7. | घाणेराव वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 8. | ग वन श्रमिक सहकारी समिति | " |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | अनसीगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति | उदयपुर |
| 10. | भरेब वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 11. | आगरा वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 12. | कावडवेल वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 13. | मुखाना वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 14. | घीस्यावाद वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 15. | मालमाथा वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 16. | जय अम्बे वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 17. | बाबड़माल वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 18. | खोडा उमरदा वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 19. | बारावरधा वन श्रमिक सहकारी समिति | चित्तौड़गढ़ |
| 20. | कमेदी खेड़ा वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 21. | चिकलाड़ वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 22. | जगड़ावद वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 23. | ऊंठेल वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 24. | सज्जनगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति | बांसवाड़ा |
| 25. | कुशलगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 26. | ताम्बेसरा वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 27. | सातूखेड़ा वन श्रमिक सहकारी समिति | अजमेर |
| 28. | राजगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 29. | बरडाखन भायला वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 30. | घडिवांझना वन श्रमिक सहकारी समिति | भरतपुर |
| 31. | बयाना वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 32. | शंकर आदर्श बांस वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 33. | बांस उद्योग वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 34. | मजदूर लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति | " |
| 35. | दी हरिजन लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति | " |
| 36. | दी लकड़हारा वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 37. | दी फोरेस्ट लेबर वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 38. | राष्ट्रीय उत्पादक सहकारी समिति | " |
| 39. | धौलपुर वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 40. | जाटवान वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 41. | सैंतपुर वन श्रमिक सहकारी समिति | " |
| 42. | रामगढ़ बांस वन श्रमिक सहकारी समिति | बारां |
| 43. | बमान वन श्रमिक सहकारी समिति | पाली |

लेवी की वसूली

138. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने निर्णय में राज्य में व्यापारियों को 250 क्विटल तक रखने की छूट दी थी और बाद में उस निर्णय को बदल कर 2000 क्विटल कर दिया था? यदि हां, तो क्यों? राज्य सरकार का 250 क्विटल से 2,000 क्विटल तक निर्णय बदलने का क्या कारण था?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों के 50 प्रतिशत माल पर लेवी वसूली के आदेश किये थे किन्तु सरकार उनसे लेवी वसूली करने में पूर्णतया असफल रही? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 31 मई, 74 तक राज्य में किसानों को 20 क्विटल व अपना बीज रखने के अतिरिक्त माल (गेहूं) को बाजार में बेचने की छूट दे दी थी और फिर जून में किसानों पर लेवी वसूली के आदेश प्रसारित कर दिये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि किसानों से लेवी वसूली के समय पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया व जिन क्षेत्रों में फसल शीतलहर से नष्ट हो गई वहां जबरन लेवी वसूल की गई?

उत्तर

(1) व्यापारियों से अधिकाधिक मात्रा में लेवी प्राप्त हो इस दृष्टी से 25 क्विन्टल से सीमा बढ़ा कर 2000 क्विन्टल की गई।

(2) जी हां। व्यापारियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया।

(3) जी हां। व्यापारियों से अपेक्षित मात्रा में लेवी वसूल नहीं होने के कारण वितरण प्रणाली को जारी रखने के हेतु किसानों पर लेवी वसूली के आदेश प्रसारित किये गये।

(4) जी नहीं। शीतलहर इत्यादि से फसल के नष्ट होने पर लेवी की मात्रा में उचित कटौती करने हेतु जिलाधीशों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की हुई थीं।

राज्य में भूमिहीनों की संख्या

139. (78रा.मं.) श्री रामकिशन (भरतपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में भूमिहीनों की संख्या कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार भूमि सीलिंग कानून के तहत उक्त किसानों को बहुत थोड़ी भूमि उपलब्ध करा सकेगी?

(3) 15 मार्च, 1974 तक राज्य सरकार ने कुल कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कुल भूमिहीनों की संख्या 3,63,656 है।

(2) सुनिश्चित रूप से अदालतों के निर्णय के उपरान्त ही इसका पता चल सकेगा।

(3) 31-3-74 तक सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का जिलेवार संलग्न परिशिष्ट—1 में अंकित है।

## परिशिष्ट—1

सीलिंग कानून के अन्तर्गत दिनांक 31-3-74 तक अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा

| | नाम जिला | कृषि योग्य | अकृषि योग्य |
|---|---|---|---|
| | | एकड़ में | एकड़ में |
| 1. | अजमेर | 1,716 | – |
| 2. | अलवर | 80 | 18 |
| 3. | बांसवाड़ा | 1,232 | 127 |
| 4. | बाड़मेर | 31,233 | – |
| 5. | भरतपुर | 571 | – |
| 6. | भीलवाड़ा | 8,704 | 1,322 |
| 7. | बीकानेर | 38,903 | – |
| 8. | बून्दी | 1,060 | – |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 2,284 | 92 |
| 10. | चूरू | 957 | – |
| 11. | डूंगरपुर | 424 | 50 |
| 12. | गंगानगर | 2,240 | – |
| 13. | जयपुर | 3,558 | 508 |
| 14. | जैसलमेर | 4,096 | – |
| 15. | जालौर | 3,558 | 107 |
| 16. | झालावाड़ | 876 | 8 |
| 17. | झुंझुनू | – | – |
| 18. | जोधपुर | 2,832 | 44 |
| 19. | कोटा | 23 | – |
| 20. | नागौर | 316 | 56 |
| 21. | पाली | 13,216 | – |
| 22. | सवाई माधोपुर | 1,140 | – |
| 23. | सीकर | – | 49 |
| 24. | सिरोही | 1,450 | 471 |
| 25. | टोंक | 3,141 | – |
| 26. | उदयपुर | 80 | 48 |
| | योग:— | 1,23,690 | 2,900 |

**सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी का सीमेन्ट**

140. **श्री चेतराम** (टोड़ाभीम) :

**श्री रामगोपाल** : क्या खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीमेन्ट वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा जिलेवार मात्रा निर्धारित की हुई है ? यदि हां तो जिलेवार निर्धारित मात्रा की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि सवाई-माधोपुर सीमेन्ट कारखाने (जयपुर उद्योग लिमिटेड कन्सर्न) से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सीमेन्ट एजेन्टों के अलावा भी अन्य लोगों को सीमेन्ट दिया जाता है ? यदि हां, तो पिछले 2 सालों (वर्षवार) में किन-किन व्यक्तियों/फर्मों आदि को कितना कितना सीमेन्ट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी ने पिछले 5 सालों (वर्षवार) में कितना सीमेन्ट बनाया तथा कितना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्टों को दिया तथा कितना अन्य लोगों/फर्मों आदि को दिया ?

**उत्तर**

जी हां। तृतीय तिमाई, 1974 की सूची संलग्न है।

पूर्व में सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा कुछ सीमेन्ट सीधा ही उपभोक्ताओं को दिया जाता था। अब भारत सरकार ने उस पर रोक लगादी है। फैक्ट्री के पास ऐसी सूची तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी तथा उन्होंने समय चाहा है।

सवाई माधोपुर फैक्ट्री द्वारा पिछले पांच वर्षों में कितना उत्पादन किया दो वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं सूची संलग्न है कितने एजेन्टों को तथा अन्य लोगों/फर्मों को दिया गया सूची संलग्न है।

राजस्थान के लिए जिलेवार (फैक्ट्रीवाईज) फ्रीसेल सीमेन्ट के आवंटन की तिमाही सूची।

| क्र.सं. | नाम जिला | आवंटन | सवाई माधोपुर | चित्तौड़गढ़ | उदयपुर | ए. सी. सी. | | | सिक्का | राना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | लाखेरी | बान | दवा | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | अजमेर | 2000 | 100 | 1100 | 550 | 250 | — | — | — | — |
| 2 | अलवर | 1700 | 300 | 800 | 400 | 200 | — | — | — | — |
| 3 | बांसवाडा | 500 | — | 100 | 350 | 50 | — | — | — | — |
| 4 | बाड़मेर | 500 | — | 300 | 200 | — | — | — | — | — |
| 5 | भरतपुर | 1600 | 300 | 350 | 250 | — | 700 | — | — | — |
| 6 | भीलवाड़ा | 100 | 50 | 500 | 300 | — | — | — | — | — |
| 7 | बीकानेर | 800 | 50 | 550 | 200 | — | — | — | — | 150 |
| 8 | बून्दी | 300 | — | 50 | 50 | 200 | — | — | — | — |
| 9 | चित्तौड़गढ़ | 800 | — | 550 | 250 | — | — | — | — | — |
| 10 | चूरू | 800 | 100 | 500 | 200 | — | — | — | — | — |
| 11 | डूंगरपुर | 400 | — | 50 | 350 | — | — | — | — | — |
| 12 | गंगानगर | 2000 | 500 | 750 | 750 | — | — | — | — | — |
| 13 | जयपुर | 6000 | 850 | 2000 | 900 | 1750 | — | — | — | 500 |
| 14 | जैसलमेर | 100 | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — |
| 15 | जालौर | 400 | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | झालावाड़ | 300 | 50 | 50 | 150 | 150 | — | — | — | — |
| 17 | झुन्झुनू | 900 | 100 | 500 | 300 | — | — | — | — | — |
| 18 | जोधपुर | 1700 | 100 | 800 | 350 | 450 | — | — | — | — |
| 19 | कोटा | 1400 | 250 | 150 | 100 | 600 | 300 | — | — | — |
| 20 | नागौर | 900 | 50 | 500 | 350 | — | — | — | — | — |
| 21 | पाली | 1200 | 50 | 300 | 250 | 200 | — | 200 | 200 | — |
| 22 | सवाई माधोपुर | 900 | 750 | 100 | 50 | — | — | — | — | — |
| 23 | सीकर | 900 | 150 | 250 | 200 | 300 | — | — | — | — |
| 24 | सीरोही | 500 | 50 | 100 | 100 | 50 | — | 100 | 100 | — |
| 25 | टोंक | 400 | 50 | 100 | 50 | 200 | — | — | — | — |
| 26 | उदयपुर | 3200 | — | 700 | 2200 | — | — | — | — | 300 |
| | योग : | 31200 | 3900 | 11350 | 8900 | 4500 | 1000 | 300 | 300 | 950 |
| | रिजर्व : | 2800 | 100 | 650 | 100 | — | — | 200 | 700 | 1050 |
| | महा योग : | 34000 | 4000 | 12000 | 9000 | 4500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 |

# Page No 140

140



विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 17/कृ.मं. द्वारा श्री चेतराम व श्री रामगोपाल सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न 3 के भाग की सूची

**सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री से पिछले पांच वर्षों में एजेन्टों एवं अन्य को सप्लाई की गई सीमेन्ट की मात्रा**

| वर्ष | स्टाकिस्ट (एजेन्ट्स) को | अन्य को | योग |
|---|---|---|---|
| 1970 | 82, 759 मी. टन | 9099 मी. टन | 91,858 मी. टन |
| 1971 | 78,152 " | 5360 " | 83,512 " |
| 1972 | 85,066 " | 7997 " | 93,063 " |
| 1973 | 57,959 " | 15,355 " | 73,314 " |
| 1974 (जून तक) | 25,379 " | 6,136 " | 31,515 " |

**सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में पिछले दो वर्ष के उत्पादन की सूची**

| | |
|---|---|
| वर्ष 1971 | 7,09,689 मी. टन |
| वर्ष 1972 | 6,88,302 " |

## हाफ-ए-मिलियन जॉब कार्यक्रम के अन्तर्गत लगे व्यक्ति

141. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1973–74 में हाफ-ए-मिलियन जॉब कार्यक्रम के अन्तर्गत किस किस विभाग।संस्थान ने किस किस वर्ग में कितने कितने कर्मचारी काम पर लगाए और कुल कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त कार्यक्रम में लगाए गए आवेदकों को 1974-75 में होने वाले रिक्त स्थानों पर समायोजित करने की व्यवस्था व बैन से छूट दी गई थी और इस कार्यक्रम में अनुसूचितजाति जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों की उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो इनमें कितने ग्रामीण क्षेत्र के तथा कितने शहरी क्षेत्र के थे ? इसी प्रकार अनुसूचित जाति।जनजाति के किस किस वर्गों में कितने कितने प्रतिशत आवेदक काम पर लगाए ? सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें ।

(3) पंचम पंचवर्षीय योजना में सरकारी।निजी क्षेत्र में सैल्फ एम्प्लायमेन्ट व जॉब ओरियेन्टेड एम्प्लायमेंट की कौन कोनसी योजनाएं हैं सूचना प्रदान कराने का कष्ट करें ।

### उत्तर

(1) वर्ष 1973–74 में प्रारम्भ किये गये हाफ-ए-मिलियन जोब्स प्रोग्राम में 31 मार्च, 1974 तक 166.58 लाख रुपया व्यय किया गया एवं 14,354 शिक्षित व्यक्तियों को काम पर लगाया गया । इनका श्रेणीवार एवं विभागवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिया गया है ।

(2) इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण परियोजनाओं में लगाये गये व्यक्तियों को 1974–75 में होने वाले रिक्त स्थानों पर समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था व इन योजनाओं में नियुक्ति पर बैन से छूट दी गई थी। अनुसूचित जाति। जन जाति तथा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों की उपेक्षा नहीं की गई । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 2,946 व्यक्तियों को मार्च, 1974 के अन्त तक कार्य पर लगाया गया जो कि कुल काम पर लगाये गये व्यक्तियों का लगभग 20 प्रतिशत था । इनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | मैट्रिक या उससे अधिक परन्तु स्नातक से कम | 2275 |
| (2) | स्नातक एवं स्नातकोत्तर | 663 |
| (3) | अभियांत्रिक स्नातक एवं डिप्लोमाधारी | 8 |
| | | 2946 |

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आंकड़े अलग से एकत्रित नहीं किये गये।

(3) पंचम पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है वैसे हाफ-ए-मिलियन जोब्स प्रोग्राम के बजाय एम्प्लायमेंट प्रोमोशन प्रोग्राम वर्ष 1974–75 में भारत सरकार द्वारा जारी रखा जावेगा जिसमें राज्य सरकार को 85.00 लाख रुपये आवंटन किया गया है ।

"परिशिष्ट–क"

श्रेणीवार एवं विभागानुसार रोजगार सुविधाओं का विवरण

| संस्थान विभाग का नाम | श्रेणीवार रोजगार का विवरण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मैट्रिक | स्नातक एवं स्नातकोत्तर | आई.टी. आई. होल्डर | अभि-यांत्रिक स्नातक | अभि-यांत्रिक डिप्लोमा-धारी | योग |
| I–प्रशिक्षण योजनाएं :— | | | | | | |
| (1) कृषि विभाग | – | 42 | – | – | – | 42 |
| (2) पशु चिकित्सा विभाग | 32 | 25 | – | – | – | 57 |
| (3) उद्योग विभाग | 28 | 36 | – | – | 3 | 67 |
| (4) शिक्षा विभाग | 7773 | 1500 | – | – | – | 9273 |
| (5) सहकारी विभाग | 1101 | 219 | – | – | – | 1320 |
| (6) विकास विभाग | 2 | – | 1 | 4 | 10 | 17 |
| (7) वन विभाग | 28 | – | – | – | – | 28 |
| (8) खनन विभाग | 38 | 10 | – | 4 | 4 | 56 |
| (9) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | 200 | – | – | – | – | 200 |
| (10) समाज कल्याण विभाग | – | 663 | – | – | – | 663 |
| (11) शहरी भूमि एवं भवन कर विभाग | – | 81 | – | – | – | 81 |
| (12) सार्वजनिक निर्माण विभाग | – | 32 | 7 | 12 | 35 | 86 |
| (13) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 282 | 110 | 289 | 16 | 41 | 738 |
| (14) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल | – | – | – | 21 | 35 | 56 |
| (15) विविध विभाग | 191 | 423 | 7 | – | – | 621 |
| योग— (1) | 9676 | 3141 | 304 | 57 | 128 | 1330 |
| II–स्वयं सेवी योजनाएं एवं अनुदान प्रेरित योजनायें | 435 | 268 | 57 | 177 | 112 | 1049 |
| कुल योग:— | 10110 | 3409 | 361 | 234 | 240 | 14354 |

**भूमि विकास बैंक उदयपुर द्वारा दिया गया ऋण**

142. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि विकास बैंक उदयपुर द्वारा अब तक लघु कृषक योजना के अन्तर्गत कितना दीर्घकालीन ऋण दिया गया और कितने गरीब एवं लघु कृषकों के कुए बन कर तैयार हो चुके हैं?

(2) क्या लघु कृषक विकास योजना उदयपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों को पम्पसैट एव इलैक्ट्रिक मोटर हेतु कर्जा दिया गया? यदि हां, तो कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या भूमि बैंक का कारोबार लाभ में है? बैंक का अपना कोष राज्य सरकार का अनुदान एवं लघु कृषक योजना अधिकरण द्वारा दिया गया अनुदान में से वेतन भत्ता पर 31-3-73 तक कितना व्यय हुआ?

**उत्तर**

(1) भूमि विकास बैंक उदयपुर द्वारा अब तक लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत 60,54,410 रुपये दीर्घकालीन ऋण दिया और 1121 लघु कृषकों के कुए बन कर तैयार हो चुके हैं।

(2) जी हां। नामवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं। लघु कृषक योजना के अन्तर्गत वेतन भत्ता पर 31-3-73 तक 93,705.92 रुपये का व्यय किया जिसमें से 63,348.00 का अनुदान लघु कृषक विकास अधिकरण से प्राप्त हुआ है और शेष 30,357.92 बैंक द्वारा अपने कोष से खर्च किया गया है।

उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर द्वारा लघु कृषक विकास योजना उदयपुर के अन्तर्गत जिन अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्यों को पम्प सैट एवं इलेक्ट्रिक मोटर हेतु कर्जा दिया गया उनकी सूची।

**अनुसूचित जन जाति**

| क्रमांक 1 | नाम प्रार्थी 2 | निवासी 3 | तहसील 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | मेरिया पा. रामा | रायपुर | धरियावाद |
| 2. | मोटिया पा. परथा | पहाड़ा | " |
| 3. | लिम्बा पा. परथा | पहाड़ा | " |
| 4. | भेरा पा. उदा भील | ढिकली | बडगांव |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | लिम्बा ग्रा. कुना | खोखर | बडगांव |
| 6. | बदा ग्रा. हकरा | नया गांव | खोरवाड़ा |
| 7. | धोरा ग्रा. धन्ना | कुशाल | ,, |
| 8. | कालू ग्रा. सूरजी | रबिया | ,, |
| 9. | पुना ग्रा. सुमां | कोजावाड़ा | ,, |
| 10. | कावा ग्रा. दाता | अनेला | ,, |
| 11. | धुला ग्रा. केकुआ | जलपका | ,, |
| 12. | दोमा ग्रा. ककुआ | करजी | ,, |
| 13. | किशना ग्रा. डूंगा | भापा | ,, |
| 14. | जलमा ग्रा. कुशाल | गुन्जोल | ,, |
| 15. | लाला ग्रा. उदा | ,, | ,, |
| 16. | वीरमा ग्रा. पेमा | निमोदर | सराडा |
| 17. | हकरा ग्रा. हिरा | धनका वाडा | ,, |
| 18. | भेरा ग्रा. उमा | देवली | गिरवा |
| 19. | बजा ग्रा. ठाकरी | सिसरिमां | ,, |
| 20. | मन्जा ग्रा. रूपा गमेती | ,, | ,, |
| 21. | अम्बावा ग्रा. मोती | कोडियात | ,, |
| 22. | दोला ग्रा. मन्ना | गुडली | ,, |
| 23. | देवा ग्रा. भावा | वेमला | ,, |
| 24. | नाथू ग्रा. उमा | उन्दरो खुर्द | ,, |
| 25. | बगता ग्रा. परथा भील | कोडियात | ,, |
| 26. | देवा ग्रा. पेमा गमेती | धोकलो पार्टी | ,, |
| 27. | कमला ग्रा. देवा | झील | ,, |
| 28. | सोमा ग्रा. चेना | डाकन कोटडा | ,, |
| 29. | मु. बालकी बेवा लाल भील | ,, | ,, |
| 30. | रखलिया ग्रा. भेरा | सुया खेडा | धरियावाद |
| 31. | उदीया ग्रा. धनिया | विकरूप | ,, |
| 32. | हुरिया ग्रा. गंगा | पारेल | ,, |
| 33. | गोलिया ग्रा. बीजा | हजारी गुडा | ,, |
| 34. | मावला ग्रा. खातिया | सुखखेडा | ,, |
| 35. | गोतमा ग्रा. नाथू | पारेल | ,, |
| 36. | धन्ना ग्रा. अमरा मीणा | पांचा का गुडा | ,, |
| 37. | जैता ग्रा. भोल भील | मांगदला | मावली |
| 38. | चलका ग्रा. कालू | पीपली | खेरवाडा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 39. | लल्लू ग्रा. दोला | काटाघाट | खेरवाड़ा |
| 40. | हीरालाल ग्रा. बेसात | माकडजप | ,, |
| 41. | खेमा ग्रा. केस मीणा | ,, | ,, |
| 42. | अमरा ग्रा. नवला | बारा | सराडा |
| 43. | काना ग्रा. देवा | परसाद | ,, |
| 44. | रामा ग्रा. जेता | जैतपुरा | आमेट |
| 45. | धूला ग्रा. बेला मीणा | भाई | सेलुम्बर |
| 46. | जलाल ग्रा. जगा भील | कलवास | गिरवा |
| 47. | भेरा ग्रा. वीरा कमेत | कायलो का गुडा | बडगांव |
| 48. | मोती ग्रा. केरोग मीणा | कुण्डई | भीण्डर |
| 49. | बेधा ग्रा. केरिंग | अणत | धरियाबाद |
| 50. | पूंजीया ग्रा. केसरिया | हजारी गुड़ा | ,, |
| 51. | थावरिया ग्रा. रूप मीणा | बख्तावरपुरा | ,, |
| 52. | रंगा ग्रा. रूपा मीणा | माकडजप | ,, |
| 53. | नानिया ग्रा. वेसा मीणा | ,, | खेरवाड़ा |
| 54. | भेरा ग्रा. गोमा | ,, | ,, |
| 55. | जीवा ग्रा. नाथू मीणा | ,, | ,, |
| 56. | जैता मल्ला ग्रा. मोला | मांगथला | मावली |
| 57. | देवा ग्रा. पेमा भील | मऊ | रेलमगरा |

**अनुसूचित जाति**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58. | लक्ष्मण ग्रा. धुला बलाई | सिहावतों का फला | धरियाबाद |
| 59. | हेमा, देवा ग्रा. हरजी बलाई | बडलिया | राज |
| 60. | कजोड़ गोपू ग्रा. नोला बलाई | ,, | ,, |
| 61. | रामा, बगे. ग्रा. देवा | भूंजोल | ,, |
| 62. | उदयराम ग्रा. प्यारचन्द खटीक | सलूम्बर | ,, |
| 63. | शंकर बगे ग्रा. उंकार | खेडली | ,, |
| 64. | सोहन ग्रा. भेरा मेघवाल | सिहाड़ा | गिरवा |
| 65. | किशन ग्रा. रोडजी | साकरोडा | ,, |
| 66. | उंकारा ग्रा हमेरा बलाई | सिसारमा | ,, |
| 67. | गंगाराम ग्रा. पेमा खटीक | खरताना | मावली |
| 68. | उदा ग्रा. पुरा. | ,, | ,, |
| 69. | बख्तावरमल ग्रा. उदाजी खटीक | घावाखेडी | ,, |
| 70. | भेरा ग्रा. धूला रावत | फिला | गिरवा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 71. | चेना वगे ग्रा. खूमा | गोवर्धन विलास | गिरवा |
| 72. | भेरा ग्रा. गेंदा खटीक | फतहनगर | मावली |
| 73. | कालिया ग्रा. नोला चमार | " | " |
| 74. | उदा ग्रा. मोती | आमेट | आमेट |
| 75. | वरका ग्रा. नाथू बलाई | सनवाड | मावली |
| 76. | नोला ग्रा. भेरा खटीक | अरडकिया | रैलमगरा |
| 77. | गोरधन ग्रा. भेरा खटीक | गिलूण्ड | " |
| 78. | खेमा ग्रा. रामा चमार | चगेड़ों | मावली |
| 79. | कालू ग्रा. खूमा | बासडी | मंडर |
| 80. | उदा ग्रा. मोती रंगर | आमेट | आमेट |
| 81. | लाला ग्रा. भूला | बुढीया | कोटडा |
| 82. | लखमा ग्रा. हमोरा | भर | कोटडा |
| 83. | वदा ग्रा. हवजी | डेडा | खेरवाडा |
| 84. | कालू ग्रा. नाथू | केसरियावाद | धरियाबाद |
| 85. | गोदिया ग्रा. वोनिया | हजारी गुडा | " |
| 86. | मावला ग्रा. खालिया | सुवाखेडा | " |
| 87. | धन्ना ग्रा. भालिया | पांचगुडा | " |
| 88. | लाला ग्रा. खेमा | कोटाघाटी | खरवाडा |
| 89. | गुमान ग्रा. हीरा | तिवरडी | गिरवा |
| 90. | डाल ग्रा. मन्ना | बूभडा | " |
| 91. | भेरा ग्रा. देवा | छोटीडन्दरी | " |
| 92. | हकडा ग्रा. जुम्मा | " | " |
| 93. | पूरा ग्रा. जुमा | " | " |
| 94. | लागा ग्रा. नाना | तितरडी | " |
| 95. | श्रीमती टिकली पत्नी ग्रमा | चणबडा | " |
| 96. | कालिया ग्रा. पेमा | सविना | " |
| 97. | टेका ग्रा. बाली | " | " |

**जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियां**

'143. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियों को अपने प्लान विशेष नियमन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने संबंधी आदेश का विधिवत् प्रकाशन 20 दिसम्बर, 1973 को हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ कृषि भूमि पर निर्मित गृह निर्माण सहकारी समितियों की बस्तियों में पानी की लाइन डाल कर उन्हें जल कनेक्सन देना प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो किन किन बस्तियों में और शेष बस्तियों में कब तक कनेक्शन देने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जिन क्षेत्रों की नियमन दरें प्रकाशित नहीं की गई हैं उनकी दरों की घोषणा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय या वाणिज्य प्रयोजनार्थ आती हैं और जिन्हें अवाप्ति के नोटिस दे रखे हैं, उनके नक्शे भी निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार जिन समितियों की भूमि पर मकानों का निर्माण हो चुका है उसे भी मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में परिवर्तन करने का भी नियमन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(6) क्या सरकार गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्षेत्र में वाटर लाइन डालने व पानी के कनेक्शन देने सम्बन्धी प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवास या वाणिज्य प्रयोजनार्थ आवंटन एवं परिवर्तन नियमितिकरण) संशोधन नियम 1973 को राजस्थान राज-पत्र दिनांक 20-12-73 को प्रकाशित हुए हैं, के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) जी हां, शेष क्षेत्रों की नियमन दरें निर्धारित करने का मामला राजस्व विभाग के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं, राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवास या वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) नियम, 1977 के नियम 4(3) में ऐसी भूमि जिसके लिए अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है, के लिए आवास या वाणिज्य हेतु परिवर्तन की स्वीकृति देने का निषेध है फिर भी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) जी नहीं, कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से होने वाले निर्माण कार्यों के रोकने की दृष्टि से प्रतिबन्ध लगाया गया है।

**केन्द्र सरकार से लिया गया ऋण**

144. (32/वि. मं.)
**श्री बनवारीलाल** (धौलपुर)
**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आज तक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितना कितना ऋण किस किस विकास कार्य के लिये लिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने जिन कार्यों के लिए ऋण लिया उसकी ब्याज की अदायगी बराबर करती आ रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार ने जिस विकास कार्य के लिये ऋण लिया वह रकम उसी में ही खर्च की या अन्य कार्यों पर यदि अन्य कार्यों पर व्यय हुई तो क्यों ?

**उत्तर**

सन् 1973-74 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 1974 को कुल भारत सरकार से आये हुए ऋणों की बकाया निम्न प्रकार है :-

| | (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| (1) आयोजना भिन्न व्यय :— | |
| (क) संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु ऋण | 201.04 |
| (ख) अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा | 24.17 |
| (ग) आवास | 3.18 |
| (घ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1.50 |
| (ङ) अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें | 110.37 |
| (च) कृषि | 1.65 |
| (छ) लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र का विकास | 0.50 |
| (ज) बहुउद्देशीय नदी योजनायें | 1.61 |
| (झ) अन्य ऋण | 6.22 |
| (2) समूह ऋण | 364.21 |
| (3) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये ऋण | 25.21 |
| (4) अन्य मार्गोपाय अग्रिम | 34.45 |
| कुल .. | 774.12 |

(2) जी हां

(3) जी हां

**गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. आमेर रोड, जयपुर का पंजीयन**

145. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. आमेर रोड़, जयपुर का पंजीयन किस तिथि को हुआ था ?

(2) समिति के पंजीयन की तिथि को समिति का अध्यक्ष कौन था और अब कौन है ? नाम, पिता का नाम व्यवसाय एवं पूरा पता सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत समिति में एक व्यक्ति लगातार कितने वर्ष तक अध्यक्ष रह सकता है ? क्या इस समिति में इस नियम का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर का पंजीयन दिनांक 11-11-68 को हुआ।

(2) समिति के पंजीयन की तिथि को समिति के अध्यक्ष श्री विमल चन्द जैन थे और अब भी श्री विमल चन्द जैन ही अध्यक्ष हैं। उनके पिता का नाम श्री मूलचन्द चौधरी, व्यवसाय, राज्य सेवा एवं पूरा पता विमल चन्द जैन, गोविन्दपुरी आमेर रोड जयपुर है।

(3) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 में इस प्रकार के प्रतिबन्ध का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नियमों को पालना न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 3

(ता. प. सं. 128 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

| क्र. सं. | नाम तहसील | संख्या भूमिहीन जिन्हें वर्ष 1972 एवं 1978 में भूमि आवंटन हुई। |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 109 |
| 2. | सांगानेर | 242 |
| 3. | चाकसू | 189 |
| 4. | बस्सी | 152 |
| 5. | आमेर | 172 |
| 6. | जमवारामगढ़ | 287 |
| 7. | दौसा | 100 |
| 8. | बसवा | 59 |
| 9. | लालसोट | 156 |
| 10. | सिकराय | 7 |
| 11. | सांभर | 62 |
| 12. | दूदू | 787 |
| 13. | फागी | 262 |
| 14. | कोटपूतली | 60 |
| 15. | विराटनगर | 153 |
| | योग .. | 2797 |

## परिशिष्ट—4

(ता. प्र. सं. 132 की सूची)

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 77।क्र. मं.।द्वारा श्री मोहम्मद गफ्फार अली सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न के भाग की सूची।

मात्रा टनों में

| क्रमांक | नाम जिला | व्यापारियों से प्राप्त लेवी | उत्पादकों से प्राप्त लेवी | कुल प्राप्त लेवी |
|---|---|---|---|---|
| (1) | अजमेर | 1365—5 | 1359—8 | 2725—3 |
| (2) | अलवर | 232—4 | 8189—5 | 8421—9 |
| (3) | बाड़मेर | 84—1 | 10—7 | 94—1 |
| (4) | बून्दी | 1445—2 | 3677—3 | 5122—5 |
| (5) | बांसवाड़ा | 3—7 | 506—0 | 509—7 |
| (6) | भरतपुर | 7—7 | 9000—0 | 9007—7 |
| (7) | भीलवाड़ा | 1557—8 | 7390—5 | 8948—3 |
| (8) | चित्तौड़गढ | 642—1 | 4738—0 | 5380—1 |
| (9) | डूंगरपुर | — | 700—0 | 700—0 |
| (10) | गंगानगर | 11123—0 | 20597—0 | 31720—0 |
| (11) | जयपुर | 1—8 | 821—3 | 823—1 |
| (12) | जोधपुर | 22—0 | — | 22—0 |
| (13) | जालौर | 624—0 | 6720—8 | 7344—8 |
| (14) | झुंझुनूं | — | 326—7 | 326—7 |
| (15) | झालावाड़ | 18—0 | 1282—0 | 1300—0 |
| (16) | कोटा | 1847—9 | 10675—6 | 12523—5 |
| (17) | नागौर | — | 470—0 | 470—0 |
| (18) | पाली | 524—8 | 6870—0 | 7394—8 |
| (19) | सिरोही | 9—2 | 1018—3 | 1027—5 |
| (20) | सवाई माधोपुर | 15—0 | 7700—0 | 7715—0 |
| (21) | टोंक | 471—0 | 5184—0 | 5655—0 |
| (22) | उदयपुर | 257—3 | 1681—0 | 1938—3 |
| | योग .. | 20252—5 | 98917—8 | 119170—3 |

# शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 1974

| स्कम्भ संख्या 1 | पंक्ति संख्या 2 | अशुद्ध 3 | शुद्ध 4 |
|---|---|---|---|
| 1 ऊपर से | 2 | विधान सभा के सत्र | पंचम विधान सभा के छंटे सत्र |
| 6 ऊपर से | 9 | स्त्र | सत्र |
| 7 नीचे से | 4 | वहुत | बहुत |
| 10 नीचे से | 9 | प्रश्न संदर्भमें | प्रश्न के संदर्भ में |
| 15 नीचे से | 12 | श्री अध्यश महादय | अध्यक्ष महोदय |
| 16 नीचे से | 16 | फैक्टो | फैक्ट्री |
| 18 नीचे से | 13 | काटाकी | कोटा की |
| 18 नीचे से | — | बार्डों | बाडों |
| 19 ऊपर से | 1 | मूलचन्दमीणा | श्री मूलचन्द मीणा |
| 23 ऊपर से | 8 | इन्जीसियर | इन्जीनियर |
| 26 नीचे से | 8 | सरा | दूसरा |
| 29 नीचे से | 2 | सेवामुक्ति | सेवामुक्त |
| 33 ऊपर से | 5 | कव | कब |
| 38 नीचे से | 5 | रैंक्ट | रैंकेट |
| 64 नीचे से | 13 | वहां वह वे | वहां वे |
| 74 ऊपर से | 3 | वनाया | मनाया |
| 79 ऊपर से | 13 | महोवय | महोदय |
| 80 ऊपर से | 17 | जा | जा रहा |
| 80 नीचे से | 3 | ड्रपिस्ट | ड्रगिस्ट |
| 82 नीचे से | 16 | नियुक्ति | व्यवस्था |
| 82 नीचे से | 7 | त्थ्यात्मक | तथ्यात्मक |
| 83 ऊपर से | 13 | बढ़कर | चढ़कर |
| 89 नीचे से | 5 | व्यक्तियों | व्यक्तियों |
| 90 ऊपर से | 13 | मोगफार अली | श्री मोहम्मद गफ्फार अली |
| 91 ऊपर से | 2 | संचेतर | सचेतक |
| 91 ऊपर से | 10 | पुलिस वालों | पुलिस वालों |
| 96 नीचे से | 3 | निवेबेदन | निवेदन |
| 98 ऊपर से | 2 | वहांकि | वहां की |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 110 ऊपर से | 2 | सर्वोच्च | सर्वोच्च |
| 113 ऊपर से | 15 | समयदिवा | समय दिया |
| 121 नीचे से | 9 | हि | कि |
| 125 ऊपर से | 16 | लिए। | लिए गये। |
| 134 ऊपर से | 13 | राज कर्मचारियां | राज्य कर्मचारियों |
| 139 शीर्षक | | मंत्री केविरूद्ध | मुख्यमंत्री के विरुद्ध |
| 166 नीचे से | 17 | गफूर सहाब | गफ्फार साहब |
| 203 ऊपर से | 4 | जबाथ | जवाब |
| 203 ,, | 16 | ध्यक्ति | व्यक्ति |
| 204 ,, | 10 | किया हो | किया हुआ हो |
| 205 नीचे से | 5 | एब्ससर्ड | एबसर्ड |
| 214 ,, | 7 | बग्द | बन्द |
| 221 ऊपर से | 10 | व | वह |
| 224 ,, | 17 | बेग | वेग |
| 2[illegible]0 ,, | 7 | माननीन सदस्य | माननीय सदस्य |
| 258 नीचे से | 10 | — | राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 |